राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5 चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का आई वां दिवस संख्या 15

सोमवार

दिनांक 1 सितम्बर, 1969

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, वन, सिंचाई, शिक्षा चुनाव, अकाल सहायता, ग्राम पंचायत, खाद्य विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री केदारनाथ ।

मेडिकल कालेज में प्रवेश के नियम

479. **श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिये क्या नियम निर्धारित किये गये ?

(2) राजस्थान में किन किन कालेजों में कितने कितने छात्रों को प्रवेश मिला तथा मेरिट्स के अनुसार कितने प्रतिशत मार्क्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) बी. डी. एस. बेचलर आफ डेन्टल सर्जरी कक्षाओं में कितने छात्रों को नोमीनेशन के आधार पर प्रवेश के लिये भेजा है ? उनके कितने प्रतिशत मार्क्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को कल तक के लिये स्थगित करने के लिये प्रार्थना करती हूं ।

प्रश्न संख्या 480

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया । (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री कन्हैया लाल ।

ग्राम जटवाडा में नदी का बहाव बदलने की योजना

481. **श्री कन्हैया लाल (बस्सी सु.) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी के ग्राम जटवाडा में बरसात के दिनों में नदी का पानी भर जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस पानी के भरने से लोगों के काफी कच्चे मकान गिर जाते हैं ?

(श्री कन्हैया लाल)

(3) क्या राज्य सरकार इस नदी के बहाव को बदले जाने के सम्बन्ध में विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) जी हां, अधिक वर्षा होने पर।

(2) अतिवृष्टि होने पर ऐसा होना संभव है।

(3) जी हां, सर्वेक्षण हो जाने पर आवश्यक योजना बनाई जा सकेगी व धन की व्यवस्था पर कार्य को करना संभव होगा।

प्रश्न संख्या 482

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भूराम

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

अकाल सहायता कार्य और स्कूटरों का अलाटमेन्ट

483. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अधिकारियों को अकाल सहायता कार्यों के निरीक्षण के नाम से स्कूटर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस कोटे से कितने व किन किन को तथा कौन कौन से दिये गये हैं ?

(2) ये अधिकारी इन स्कूटरों द्वारा कहां कहां सहायता कार्यों का निरीक्षण करने अथवा अन्य जिन कार्यों के लिए उन्हें स्कूटर दिये गये हैं उन कार्यों के लिये कब कब गये ? यह किन की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ?

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दौलतराम सारण : ये स्कूटर किस कार्य के लिये अलाट किये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकारी अधिकारियों को जो स्कूटर अलाट किये जाते हैं वे उनकी आवश्यकता, कर्तव्य और प्राथमिकता देखते हुए अलाट किये जाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या जो परम्परा है या जो आधार है उसी आधार पर अलाट किये जाते हैं या विशेष कारणों में भी अलाट किये जाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : परम्परा और आधार के अनुसार किये जाते हैं इसके साथ साथ आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए भी अलाट किये जाते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : इसका मतलब है कोई नियम नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अकाल के नाम से स्कूटर अलाट नहीं किये गये हैं अकाल में काम करने वाले इन्जीनियर्स, ओवरसियर्स और अधिकारियों को स्कूटर अलाट किये हुए हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है उसमें इनकी आवश्यकता होती है।

श्री दौलतराम सारण : तो आपने मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर जी नहीं कैसे दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस नाम से नहीं दिया गया। यह देते वक्त उनके कर्तव्य और प्रार्थना-पत्र के आधार का ध्यान रखा जाता है इस तरह से अकाल के काम के लिये नहीं दिया गया।

श्री रामकिशन (वैर) : इस तरह से कितने अधिकारियों को स्कूटर अलाट किये गये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लगभग 60 को।

श्री दौलतराम सारण : किस किस क्षेत्र में कार्य के लिये वितरित किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभी जगहों के लिये।

श्री दौलतराम सारण : चुरू, बीकानेर बाड़मेर, जैसलमेर आदि सभी क्षेत्रों के लिये दिये गये क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिये करीब करीब दिये गये हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या ये स्कूटर फेमीन की रोड्स पर चल सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चल सकते हैं। केवल मिट्टी में भी चल सकते हैं। चलने में दिक्कत हो सकती है।

प्रश्न संख्या 484

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह।

पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव

485. **श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)** : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की विभिन्न पंचायत समितियों में प्रधानों के करीब 29 स्थान रिक्त हैं जिनके चुनाव नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस पंचायत समिति में यह स्थान कब कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बंध में चुनाव मंत्रालय से कोई ऐसा परिपत्र जारी किया गया है कि जहां प्रधानों के स्थान रिक्त हैं और उप प्रधान, प्रधानों का कार्य कर रहे हैं वहां कोई चुनाव नहीं कराये जांय।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपनी इस नीति में कोई परिवर्तन किया है यदि हां, तो क्या यह परिवर्तन सामूहिक है या स्थान विशेष के लिये ?

पंचायत मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां। 33 प्रधानों के स्थान रिक्त हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानों के चुनाव को रोकने का सरकूलर निकला है किस कानून के तहत निकला है ?

श्री नारायणसिंह : प्रधानों के चुनाव रोकने का सरकुलर कानून के मातहत इसलिये निकाला कि जिला परिषद् और पंचायतों के चुनाव सभी चुनाव साथ ही कराये जाने को थे। उसी पर यह नीति निर्धारित की गई कि जहां प्रधान या उप-प्रधान दोनों ही नहीं हैं वहां चुनाव कराये जायं। जहां पर एक हो वहां उन चुनावों को स्थगित कर दिया है।

श्री नत्थीसिंह : प्रधान का स्थान 6 महिने से अधिक रिक्त नहीं रह सकता। 33 चुनाव होने हैं इनमें से कितने ऐसे हैं जिनके चुनाव दो दो वर्ष से नहीं हुए हैं ?

श्री नारायणसिंह : टाइम बढ़ाया गया है। प्रधान नहीं हैं वहां उप-प्रधान कार्य कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : उप-प्रधान को कार्य-वाहक रूप से प्रधान नहीं बना सकते। और प्रधान का स्थान 6 महिने से ज्यादा रिक्त नहीं रह सकता 6 महिने से ज्यादा रिक्त रखने का क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह : ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है कि इनको स्थगित रखा जाय लेकिन सहूलियत की दृष्टि से चुनाव कराये जाने थे। अकाल की वजह से ये चुनाव स्थगित किये गये हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिसम्बर के अन्दर चुनाव कराने के हैं और हम चाहते हैं कि सभी चुनाव एक साथ हों।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट में नियम हैं जो वेकेन्सी 6 महिने से हो उनके चुनाव कराये जायेंगे। जिनके चुनाव में 6 महिने नहीं रहे उसके चुनाव नहीं होंगे। यह एक्ट में प्रावधान है ?

श्री नारायणसिंह : 6 महिने के अन्दर अन्दर चुनाव कराने का है उसके अन्दर नहीं कराया जावे इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। यह चुनाव स्थगित इस दृष्टि से किये गये थे कि मई के अन्दर चुनाव कराने थे। वे चुनाव विशेष कारणों से नहीं हो सके।

श्री दौलतराम सारण : क्या इस अवधि से चुनाव नहीं कराये गये ?

श्री नारायणसिंह : जहां प्रधान और उप-प्रधान दोनों ही नहीं थे वहां चुनाव कराये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : उप-प्रधान होते हुए चुनाव कराये गये हैं क्या यह सही हैं ?

श्री नत्थीसिंह : झुंझुनू जिले में एक मंत्री और एक विधायक के झगड़ा चला था वहां उप-प्रधान होते हुए वहां चुनाव कराया गया पिछले दिनों ?

श्री नारायणसिंह : झुंझुनू में आप चुनाव कराये गये कहते हैं।

श्री नत्थीसिंह : जी हां।

श्री नारायणसिंह : मैं समझता हूं दोनों स्थान रिक्त थे वहां कराये गये।

Page No 5

श्री नत्थीसिंह : सुमित्रा जी पीछे बैठी हैं उनसे पूछिये आप।

श्री दौलतराम सारण : उप-प्रधान होते हुए प्रधान का चुनाव कराया गया क्या यह सही है ?

उप मंत्री सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): स्थायी रूप से न प्रधान और न उप-प्रधान हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : (मंडावा) हाई कोर्ट के आदेश के माफिक चुनाव····

(व्यवधान)

श्री रामकिशन : आपने यह कहा कि अकाल की वजह से कुछ चुनावों को रोका है। अलवर जिले में नीमराना, मन्डावर, बानसूर जगह खाली हैं ?

श्री नारायणसिंह : अकाल सर्व व्यापी है। सब ही जगह है।

श्री रामकिशन : सर्व व्यापी नहीं है। उनमें तो बिलकुल व्यापी नहीं है।

श्री नारायण सिंह : ये जो चन्द स्थान थे बाकी भी रह जाते तो खर्च की दृष्टि से यह आवश्यक था।

श्री नत्थीसिंह : बाकायदा चुनाव होंगे वो जब ही होंगे ? आपने तीसरे प्रश्न के उत्तर में जी नहीं कहा है।

श्री नारायण सिंह : 6 महिने के अन्दर यह आ जाता है तो 6 महिने में चुनाव नहीं कराये जावेंगे।

श्री नत्थीसिंह : मैंने यह पूछा है कि किसी स्थान विशेष के चुनाव कराने जा रहे हैं तो आपने जी नहीं कहा है। शंका है इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके विभाग में इस तरह की बातचीत चली है कि 32 के नहीं कराये जांय, किसी एक के कराये जांय। सब के ग्राम चुनावों के साथ ही चुनाव होंगे या पहले कराना चाहते हैं ?

श्री नारायण सिंह : आपकी शंका निर्मूल है। सब के एक साथ होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : कुछ एक स्थान रिक्त हैं। क्या सरकार ऐसी कोई परम्परा स्थापित करना उचित नहीं समझती है कि अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि से ज्यादा इस तरह के स्थान रिक्त नहीं रखे जांय प्रधानों के साधारण तया।

श्री नारायण सिंह : विपक्ष के नेता महोदय ने फरमाया है। मैं मानता हूं कि किसी भी जनतन्त्रीय स्थान को अधिक खाली नहीं रखा जाय। परन्तु यह विशेष कारणों से रहा है और उसमें भी जहां उप-प्रधान और प्रधान में से एक भी व्यक्ति है, वे दोनों ही व्यक्ति जनतन्त्रीय पद्धति से निर्वाचित हैं, उनमें से एक आदमी के हाथ में यह दे दी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य।

Page No 6

तहसील सूरतगढ़ में भरसीन खेती

486. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सूरतगढ़ में पंचायत समिति द्वारा मंडी पीलीबंगा के पास गायों के लिए भरसीन काफी बीघा में काश्त करवाई थी ? यदि हां, तो वह भरसीन कितनी गायों को कौन से महीनों में चराई गई व कुल कितना क्विंटल भरसीन पैदा हुई और कितने बीघों में ?

(2) क्या यह सही है कि उस भरसीन में सरसों की काश्त की थी ? यदि हां, तो सरसों कुल कितने क्विंटल पैदा हुई व कितनी कीमत में बेची गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि भरसीन पैदा करने में काफी खर्चा लगा है ? यदि हां, तो खानपीन, बीज व मजदूरी वगैरह पर कुल खर्च कितना हुआ ? अलग अलग आइटम-वार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगा राम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि मंडी पीलीबंगा में भरसीन पंचायत समिति सूरतगढ़ द्वारा काश्त करवाई गई थी। जो लगभग 2 हजार क्विंटल हुई थी। यह 500 गायों को चराई गई। कुछ भरसीन माईग्रेशन डिपो पर भी दी गई थी।

(2) सरसों की काश्त नहीं की गई। केवल भरसीन के साथ सरसों मिलाकर चारे हेतु बोई गई थी। भरसीन की कटाई देर से होने के कारण सरसों पक गई थी। अतः उसे कटा कर बाजार में बेचा गया। कुल सरसों 155.31 क्विंटल हुई जो 13,743) रु. 76 पैसे की बेची गई।

(3) भरसीन पर जो व्यय हुआ वह निम्न प्रकार है:—

(1)	बीज	5669.55
(2)	खाद	6405.85
(3)	जुताई बीजाई	6810.00
(4)	आबयाना	429.15
(5)	मजदूरी	9742.35
		29,056.90

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, सूची मांगी गई थी लेकिन सूची नहीं मिली। समझ में नहीं आया कि कुल कितना खर्चा हुआ है और मंत्री महोदय ने बताया कि पांच सौ गायों को खिलाया गया। कितने दिन वह भरसीन चराई गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : अप्रेल और मई के महीने में पांच सौ गायें वहां चरायी गई थीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने दिन पांच सौ गायें चरायी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने बताया कि 60-65 दिन के करीब।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार यह भरसीन कितने दिन के लिये उपयुक्त थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : भरसीन को समय पर काट लिया जाता है। अधिक मवेशी चरने आ जाती हैं तो अधिक मवेशी खा सकती थी। लेकिन इस इलाके में लोग अपने पशु नहीं लाये तो अप्रेल में सरकार ने अपना केटल कैम्प खोल कर 500 गायें रखी थीं। मैं सही नहीं कह सकता, आरम्भ से कटाई होती तो अधिक पशु खा सकते थे।

श्री केदारनाथ : इस भरसीन के लिए एक्स्ट्रा पानी दिया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी जानकारी मुझे नहीं है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं चैलेन्ज से कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह भरसीन एक गाय को भी नहीं चराई गयी। वहीं खड़ी की खड़ी सूख गई और सरसों बेच कर खा गये। मुझे सूची नहीं मिली है। सप्लीमेन्टरी करूं तो किस पर करूं। कुल कितना खर्चा हुआ पानी, मजदूरी बिजायी वगैरह का ?

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कह दिया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : सुनाई नहीं दिया। कितने बीघा में वह भरसीन बोई गई और कुल कितना खर्चा आया ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो भी उत्तर है पूर्णतया वह सदन की मेज पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य को प्रति भेज दी।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा पढ़ दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रति मुझे नहीं मिली।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं पढ़ कर सुना देता हूं। प्रश्न भाग 3 का उत्तर इस प्रकार है : भरसीन पर जो व्यय हुआ वह निम्न प्रकार है :—

(1)	बीज	5669.55
(2)	खाद	6405.85
(3)	जुताई बीजाई	6310.00
(4)	आवयाना	429.15
(5)	मजदूरी	9742.35
		29,056.90

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। भरसीन किसी को नहीं चराई गई। जांच होनी चाहिए। मैं आश्वासन चाहता हूं कि जांच की जाय। सरकारी खजाने से रुपया खर्च हुआ वह वाहियात खर्च हुआ। एक भी बैंमे की नहीं चराई। सरसों हुई वह बेच कर हजम कर ले गये। सूरतगढ़ का जो सरपंच है बलीराम उसके देख रेख में हुई है। वह नामी है इस कार्य में। इसलिये इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये। आश्वासन चाहता हूं सरकार से की वास्तव में भरसीन चराई गई या खड़ी की खड़ी जल गई इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय गो धन को बचाने के लिए नवम्बर में निर्णय लिया था। हरा चारा कुछ पंचायतें उगाने के लिये 'नो लौस नो प्रोफिट' पर लेने के लिये तैयार हों तो राज्य सरकार देने के लिये तैयार है। इस आधार पर पंचायत समिति सूरतगढ ने इस बात को मंजूर किया कि भरसीन और सरसों बोयेंगे। बीकानेर,

(श्री गंगाराम चौधरी)
गंगानगर से पंजाब की तरफ जाने वाली गायें.....

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवाने के लिये तैयार हैं या नहीं ? आप जांच करवाना चाहते हैं या नहीं ? जैसा आया वैसा पढ़ कर यहां सुना दिया । यह उत्तर गलत है ।

श्री गंगाराम चौधरी : इसके बाद में बीकानेर की तरफ से लोग उस रूट से गायें लेकर नहीं आये इसलिये भरसीन और सरसों बोने के बाद वे खेतों में खड़े रहे और गायों को चराया नहीं जा सका। जिसका नतीजा यह हुआ कि सरसों तो सूख गई और भरसीन भी समय पर नहीं कटने से सूख गई । सरसों को तो बेच दिया। बाकी भरसीन को बाद में 500 गायों को अपने कैटल कैंप खोलकर उनको खिलाया था । दुरुपयोग नहीं हुआ । इसमें पांच हजार के करीब पंचायत समिति को हानि हुई है । इसकी अब तक राज्य-सरकार से मांग भी नहीं की गई है । इसलिये दुरुपयोग का प्रश्न पैदा नहीं होता इसलिये किसकी जांच कराई जावे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : चोरी और सीना जोरी । नीचे से उत्तर मंगाया गलत भेजा । जांच कराने को ऊपर वाले तैयार नहीं । सारा काम गलत हुआ है यह हम कहते हैं तो फिर जांच क्यों नहीं हो सकती । जांच होने पर सारा मालूम हो जावेगा । आप जांच तो करावें ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार का घोटाला होता रहेगा आपका यह रुख रहा तो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी इस मामले में प्रश्नकर्ता से सहानुभूति है । मैं स्वयं भी उधर गया था । सम्भवतः सरकार का इरादा पवित्र है परन्तु मैं माननीय प्रश्नकर्ता अगर इस सम्बन्ध में जांच की मांग करते हैं तो इसे मैं अनुचित नहीं मानता क्योंकि सैकड़ों आदमियों के मुंह पर यह बात आम है कि भरसीन उगायी नहीं गई, सरसों उगायी गयी । इसमें भी भ्रष्टाचार है । सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है । क्या सरकार ऐसी स्थिति में जब कि गम्भीर आरोप लगाये गये हैं जांच कराना उचित नहीं समझती ।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय प्रश्नोत्तर काल में जांच की मांग नहीं की जा सकती ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये मन्त्री हैं क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : भरसीन उगाई गई थी, और सरसों भी उगाई गई थी। इसमें 29 हजार का व्यय हुआ था । 23 हजार में सरसों बोई गई थी। पांच हजार की भरसीन बोई गई बताई थी । अगर यह गलत है ऐसा माननीय सदस्य कहना चाहते हैं तो मैं जांच कराने को तैयार हूं। परन्तु जहां तक दुरुपयोग का प्रश्न है कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। यह मैं कह सकता हूँ ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसा सुना गया है और सैकड़ों आदमी यह कहते हैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि भरसीन नाम मात्र की बोई गई। तो यह सब धोखाधड़ी है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिये इसमें क्या आपत्ति है जांच कराने में। आप इसे क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। सीधी सादी बात है। इसमें कोई प्रतिष्ठा का भी प्रश्न नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : जांच किसकी कराई जावे। इसको तो इन्सान चर गये। मवेशी नहीं चरे।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन सवाल हैं। सरसों भी काफी तादाद में बोई गई। सरसों को बेचकर उसका पैसा जो है वह खजाने में जमा नहीं हुआ। भरसीन जो बोई गई वह थोड़ी बोई गई और सूख गई। तीसरा सवाल यह है कि इस सरसों और भरसीन के लिये जो पानी दिया गया उसको इसमें इस्तेमाल नहीं करके, या बहुत कम करके, काफी इस्तेमाल इसका निजी फसल में किया गया और आज भी किया जा रहा है। सरकार की हानि इसमें हुई है और हो रही है। इसीलिये माननीय उप-मन्त्री जी को इस सम्बन्ध में जांच करानी चाहिये। कई अखबारों में भी इस सम्बन्ध मे मामला आया है जो आप ने पढ़ा होगा।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति ने अपने खर्चे से भरसीन और सरसों बोई थी। अब जो भी सरसों बेची या भरसीन गायों को खिलाई उसका लेखा-जोखा पूरा पूरा उनके पास है। जमा खर्च नहीं हुआ है उसका या दुरुपयोग हुआ है इसमें यह गलत है इसलिये राज्य सरकार इस स्तर पर जांच कराने के लिये कुछ नहीं कह सकती।

श्री रामचन्द्र आर्य : जांच करने में आपको आपत्ति क्या है? भरसीन बोई कि नहीं। आपको क्या कहना है। इसमें नाजायज फायदा उठाया गया। हजारों का इसमें घोटाला हुआ। सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे सख्त आपत्ति है। या तो सरकार आश्वासन दे कि जांच करायेगी, यदि नहीं देती है तो मैं यह समझूंगा कि इसे जान बूझकर टाला जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के द्वारा जांच की मांग की जाती है यह सही नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं सदन में दिये गये एक निर्णय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"2. सितम्बर, 19:4 को किशनगढ़ सब-डिविजन के तालाबों की मरम्मत सम्बन्धी तारांकित प्रश्न पर श्री चांदमल मेहता के यह कहने पर क्या सदन में किसी सदस्य के मांग करने पर और कई बातें कहने पर भी माननीय मन्त्री जी विश्वास करके उसकी जांच करना पसन्द नहीं करते, श्री अध्यक्ष ने कहा :

"It is a different matter. Here the Hon. Member can seek information only. The demand for enquiry can be made outside the House or by way of resolution or some other Parliamentary method,"

तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि हमारा काफी समय यहां वाद-विवाद में जाता है हालांकि व्यवस्था यह है कि प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न की जानकारी ली जा सकती है। वाद-विवाद नहीं उठाया जा

(श्री रामनारायण चौधरी)
सकता। जांच की मांग भी नहीं की जा सकती। तो इस तरह की प्रवृत्ति को डिसकरेज किया जावे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : दस मिनिट आपने भी बिगाड़ दिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय रामकिशनजी।

सेवा निवृत्त अध्यापक की बकाया आदि का भुगतान

487. श्री रामकिशन (वैर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री सूर्यनारायण पुत्र श्री कालूराम महाजन साकिन कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर गवर्नमेंट हायर सेकण्डरी स्कूल, गौरीर जिला झुंझुनूं में सेवा निवृत्त दिनांक 15-2-68 को हुए?

(2) क्या यह बात सही हैं कि उनके सिलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में आज तक सेवा निवृत्ति के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका? अगर हां तो इसका क्या कारण है?

(3) क्या इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, मुख्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव व अन्य अधिकारियों के समक्ष उक्त श्री सूर्यनारायण ने अपनी ओर से कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया? अगर हां, तो कृपया उनकी तारीख व उनकी संख्या बताई जावे और सदन को इससे भी अवगत कराया जावे कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह बात भी सही है कि उक्त सेवा निवृत्ति अध्यापक ने जब प्रशासन द्वारा अपने न्यायोचित एवं अधिकार को पूरा करने में अपने आपको असफल पाया तो दिनांक 30-10-66 को राजस्थान हाई कोर्ट में कोई याचिका राजस्थान सरकार के विरुद्ध प्रस्तुत की?

(5) क्या यह बात भी सही है कि उक्त याचिका के मालूम होने पर बीकानेर के निदेशक शिक्षा विभाग ने श्री सूर्यनारायण अध्यापक को याचिका उठाने का दबाव दिया और यह आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनके मामले का निपटारा कर दिया जावेगा?

(6) क्या यह बात सही है कि उक्त श्री सूर्यनारायण से जूनियर लोगों को सिलेक्शन ग्रेड दिनांक 1-4-50 से ही दे दी गई और उक्त अध्यापक को उससे महरूम रखा गया? अगर हां, तो राज्य सरकार औचित्यपूर्ण निपटारे के लिए इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है?

(7) क्या उक्त अध्यापक के पेन्शन के सम्बन्ध में कार्यवाही पूरी कर दी गई? अगर नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक पूरा करने की आशा है?

(8) क्या यह बात सही है कि उक्त अध्यापक को लाइब्रेरी अलाउन्स सन् 1953 से राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का निश्चय किया था? अगर हां, तो क्या उक्त अलाउन्स उक्त अध्यापक को मिल गया? अगर नहीं, तो क्या कारण है?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) जी हां।

(2) मामला सरकार के विचाराधीन है। वित्त विभाग ने कुछ आवश्यक सूचना

(राव श्री धीरसिंह)
चाही है जिसके प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां, दिनांक 10-5-69 को दिया गया था। मामला विचाराधीन है।

(4) अध्यापक द्वारा हाई कोर्ट में रिट करने के सम्बन्ध में इस विभाग को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

(5) जब विभाग को याचिका की जानकारी ही नहीं तो आश्वासन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी हां, मामला सरकार के विचाराधीन है।

(7) पेन्शन केस में कुछ आपत्तियों की पूर्ति करने हेतु केस विद्यालय निरीक्षक झुन्झुनूं को भेजा है।

(8) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकिशन : यह मामला कब से विचाराधीन है ? और डाईरैक्टोरेट से क्या सूचना आई है ?

राव श्री धीरसिंह : फरवरी 68 में मामला पेश किया गया था। इसके बाद यह जानकारी फाइनेन्स विभाग ने चाही थी, इसके बाद में डाईरैक्टर से सूचना मांगी गई ? उसका जवाब आया कि वह झुन्झुनूं इन्सपेक्टर से सूचना मांग रहे हैं। सरकार ने अब 14 अगस्त, 69 को लैटर दिया है कि सूचना भेजी जाय। सूचना आने पर सिलेक्शन ग्रेड देने का आदेश जारी कर देंगे।

श्री रामकिशन : सिलेक्शन ग्रेड के नियम बने हुए हैं। फिर क्या सूचना चाही है ?

राव श्री धीरसिंह : 15 परसेन्ट पोस्टें आई थीं इसमें किस तरह इनको दी जावे इस बारे में लेटर डाइरेक्टरेट को लिखा गया था। इसके जवाब का इन्तजार किया जा रहा है। इसके आने पर सिलेक्शन ग्रेड सेंक्शन कर देंगे।

श्री रामकिशन : कभी जवाब डाइरेक्टरेट ने या इन्सपेक्टर ने इसका दिया है ?

राव श्री धीरसिंह : पहले हमने 24 जनवरी को लिखा है और इसके बाद दुबारा 14 अगस्त को रिमाइन्ड किया है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मजाक की बात है। डाइरेक्टर 8 महीने तक सरकार को जवाब ही न दे। जब यहां यह हालत है तो उस अध्यापक का क्या बनेगा इसकी कल्पना कीजिये।

राव श्री धीरसिंह : इस मामले का बीस दिन के अन्दर अन्दर निर्णय कर दिया जावेगा। डी० ओ० लिख कर और पर्सनली कन्टेक्ट करके।

श्री रामकिशन : जल्दी से जल्दी कब, तारीख बता दीजिये।

राव श्री धीरसिंह : 20 तारीख तक।

श्री नत्थीसिंह : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि उप मंत्रियों को तो नहीं लेकिन मंत्रियों को तो हैड ग्राफ दी डिपार्टमेन्ट एक महीने, दो महीने में जवाब दे दें। 8-8 महीने तक जवाब नहीं

(श्री नत्थी सिंह)
मिल रहे हैं। वह सेवा निवृत्त हो गया और इसका जवाब ही नहीं आ रहा है। जो प्रश्न पूछते हैं, जानकारी चाहते हैं और ६-8 महीनों तक जवाब ही नहीं देते।

श्री रामकिशन : क्या आपने मना कर रखी है।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसके लिये मिनिस्टर सक्षम है वह करवा सकता है।

श्री रामकिशन : सारी शक्ति तो आपने ।

श्री नत्थीसिंह : मैं इसलिये पूछ रहा था कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि कई मंत्री और उपमंत्री मुख्य मंत्रीजी से इन्टरव्यू लेने के लिये तरसते रहते हैं। कहीं ऐसा तो इस जवाब के साथ में नहीं है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर): जब यह प्रश्न यहां पर आया तभी से इसकी कारसपोन्डेन्स चालू है, उन्होंने जवाब नहीं भेजा ऐसी बात नहीं है जवाब भेजा है और उसी आधार पर कहा गया है कि 20 दिन के अन्दर कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीसिंह हाडा।

प्रश्न सं. 488।

बून्दी में शवों को जलाने के लिए लकड़ी का प्रबन्ध

488. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (बून्दी):** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बूंदी शहर के लिये शवों को जलाने के लिये एक कूप अलग से किसी ठेकेदार को ठेके पर दिया हुआ है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जब शव श्मशान में जाते हैं तो ठेकेदार उसको जलाने के लिये उपयुक्त लकड़ी का प्रबन्ध नहीं करता ?

(3) क्या यह सत्य है कि उस कूप की लकड़ियों को ठेकेदार बाहर निकालता है इस कारण से वहां लकड़ियां नही मिलती ?

(4) क्या सरकार डी. एफ. ओ. बूंदी को इसके लिये पाबन्द करने का विचार करेगी कि जो कूप इस कार्य के लिये रखा गया है उसकी लकड़ी किसी भी प्रकार न तो बाजार में जावे और न बाहर ही जा सके ?

वन मन्त्री (राव श्री नारायणसिंह) : (1) कूप नहीं दिया हुआ है किन्तु गिरी पड़ी लकड़ी का ठेका शवों को जलाने हेतु लकडी देने के लिये दिया हुआ है।

(2) इस प्रकार की शिकायत की जानकारी वन विभाग को नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) यह गिरी पडी लकडी श्मशान घाट पर लाकर मुर्दे जलाने के लिये बेचने की शर्त पर ही बेची गई है अतः यह लकडी बाहर जाने या बाजार में बिकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशरीसिंह : आपने प्रश्न के एक हिस्से का जवाब दिया कि कूप ठेके नहीं

Page No 13

(श्री केसरीसिंह)

दिये गये हैं लकड़ी ठेके पर दी गई है वह कहां से गिरती है।

श्री उपाध्यक्ष : गिरी पड़ी लकड़ी....।

श्री नारायणसिंह : फिलहाल लकड़ी और कोयले के ठेके बन्द कर दिये हैं। यह केवल आस पास की गिरी पड़ी लकड़ी को उठाने के लिये दिया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : यह गिरी पड़ी लकड़ी........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री केशरीसिंह : गिरी पड़ी लकड़ी उठाने का ठेका ठेकेदार को दिया है या वह जलाने के लिये दिया है।

श्री नारायणसिंह : एक ठेकेदार को दिया हुआ है यह टाल लगाकर जलाने के काम में दें।

श्री केशरीसिंह : गिरी पडी लकडी से कहीं मुर्दा जल सकता है क्या ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : आपका काम नहीं पड़ा क्या ?

श्री नत्थीसिंह : जिन्दों के ही काम नहीं करें, मुर्दों के क्या काम करेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय गिरी पड़ी लकडी का सवाल है यह एक मात्र बहाना है। मैं माननीय मंत्रीजी को दावे के साथ निवेदन करना चाहता हूं आज के दिन राजस्थान के समस्त जिलों में गिरी पडी लकडी के नाम के अवशेष नहीं रहे हैं। एक लकडी गिरती है उसको 10 आदमी ले जाने के लिये खड़े रहते हैं। यह गिरी पडी लकड़ियों की एक आश्चर्यजनक बात है। सन्तोषजनक जवाब नहीं है, मंत्री महोदय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जहां भी हिन्दुओं में जलाने की प्रथा है वहां वहां क्या राज्य सरकार इसका इन्तजाम कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या 89।

श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री बृज वल्लभ।

प्रश्न सं. 490।

आलिया बांध का पानी

490. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आलिया डेम के पानी का सन् 1969 में क्या नाम था ?

(2) क्या यह सही है कि इस डेम में फैक्ट्री के लिये 10 फुट पानी रिजर्व रख कर शेष पानी किसानों को दे दिया जाता है ?

(3) क्या इस साल 14 फुट पानी रिजर्व रखकर किसानों को दिया गया था ?

Page No 14

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(4) क्या यह सही है कि 14 फुट पानी शेष रह जाने पर किसानों को पानी न देकर सरदार जगदीश प्रधान, पंचायत समिति को ही यह पानी खास तौर से दिया गया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस साल माह मई, जून में सिर्फ डेम में 6 फुट पानी ही शेष था ?

(6) क्या किसानों को पानी न देकर प्रधान, जगदीश को पानी देकर सरकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो किसकी लापरवाही के कारण ? क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) 24.63 फुट।

(2) जी नहीं, 14 फुट पानी रखकर शेष पानी किसानों को सिंचाई हेतु देने का प्रावधान है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। माह जून में केवल 5 फीट 12 इन्च पानी ......

श्री उपाध्यक्ष : 14 इन्च पानी ?

श्री नत्थीसिंह : 14 इन्च तो होते ही नहीं है, 14 इन्च होते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 5 फुट 14 इन्च नहीं साहब यह गलती हो गई, 5.14 फुट पानी बान्ध से शेष रह गया था।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : क्या यह सही है कि डेम में 10 फुट पानी रिजर्व रखकर किसानों को दिया जाता है और शेष पानी एक व्यक्ति विशेष को देते रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को गलत फहमी है दो लाख 50 हजार का बैलेन्स रखकर उनको पानी देने का किया गया है जितनी पानी की आवश्यकता है, बाकी का पानी सिंचाई के लिये आवश्यक है। वैसे चूंकि बरसात की कमी है, उनकी चांवलों की फसल जल रही थीं, सूख रही थी एग्रीमेंट के हिसाब से उस फसल को बचाने के लिये दिया गया था। बाकी का पानी किसानों को जिनकी फसल जल रही थी उनको दिया गया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि यह पानी व्यक्ति विशेष को दिया गया है सरदार जगदीश सिंह को ही सारा पानी दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक व्यक्ति को नहीं, दसों व्यक्तियों को दिया गया है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : एक ही व्यक्ति को दिया जाता रहा है और सारी फसलें सूख गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक नहीं दसों व्यक्तियों को दिया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह व्यक्ति को पानी ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बता चुका हूं दसों व्यक्तियों को पानी दिया गया है। मैंने जानकारी प्राप्त करली है। यदि माननीय सदस्य चाहें, जिनको पानी दिया गया है उनके नाम पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री वृजबल्लभ बोहरा : यह चुनाव मात्र के लिये था। पहले तो यह था कि 10 फुट पानी रखा जायगा। अब 14 फुट पानी रखा गया है और वह भी एक व्यक्ति को पानी देते रहे हैं। उनके तो चावलों की फसल सूख रही थी और गरीबों की ज्वार मक्का सूख रही थी, उनको पानी नहीं दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं निवेदन कर चुका हूं। एक व्यक्ति को नहीं कई व्यक्तियों को दिया गया है। नाम पढ़कर सुनाता हूं:—श्री सरदार सिंह, श्री मनोहर सिंह, महाराजा आफ कोटा, श्री भैरूंलाल आदि आदि....

श्री वृजबल्लभ बोहरा : एक ही व्यक्ति को पूरा पानी दे देते हैं, शेष पानी अन्य सब किसानों को देते हैं और बाकी का रिजर्व रख लेते हैं। गरीबों को पानी चमार जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं—गूजर मीणा हैं, उनको पानी नहीं दिया गया है। उन बेचारे गरीब लोगों की ज्वार, मक्का सूख गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य आपका कथन सही नहीं है। आप बता दें किन व्यक्तियों ने पानी मांगा था उन को नहीं दिया गया और दूसरों को दे दिया गया तब तो कोई बात हो सकती है। जिन लोगों ने पानी मांगा था और जिनकी चावल की फसलें सूख रही थी। हमारे तालाब में जितना पानी रह गया था उतना दे दिया गया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि सरदार जगदीश सिंह के सम्बन्धित व्यक्तियों को पानी दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये सब अलग अलग खातेदार हैं। महाराजा कोटा हैं, क्या ये भी सरदार जगदीश सिंह जी के रिश्तेदार हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : महाराजा कोटा का सवाल अलग है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो आप मानते है बाकी को नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकिशन : आप में प्रश्न टालने की कला कब से आ गई है ?

प्रश्न संख्या 491

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

उदयपुर जिले के नियोजन कार्यालय में दर्ज आदिवासियों के नाम

492. श्री देवेन्द्र कुमार सोणा (गोगुन्दा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले में एम्पलायमेंन्ट एक्सचेन्ज में विगत 3 वर्षों में कितने बेरोजगारों के नाम लिखे गये, उनमें से

Page No 16

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
कितनों को काम मिला और कितने बेकार रहे? इनमें कितने कितने आदिवासी थे?

(2) क्या यह सत्य है कि दूसरे व्यक्तियों की तुलना में आदिवासियों को कम रोजगार मिला? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि नियोजन कार्यालय द्वारा आदिवासियों को नौकरियों के अवसरों से जानकारी देने के लिए प्रयत्न नहीं किये जाते हैं? यदि नहीं, तो गत 3 वर्षों में नियोजन अधिकारी ने किस संस्था से कब कब सम्पर्क स्थापित किया?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): (1) उदयपुर जिले में पिछले 3 वर्षों में 34337 व्यक्तियों ने नियोजन कार्यालय में नाम लिखवाये उनमें से 3129 को काम मिला। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में 2372 तथा नौकरी पाने वालों में 61 आदिवासी थे।

(2) जी हां, क्योंकि आदिवासियों के लिये सब स्थानों की सूचना नियोजन कार्यालय में नहीं आती है तथा राज्य सरकार ने नियोजकों को उन्हें सीधी नियुक्ति देने का अधिकार भी दे रखा है।

(3) जी नहीं, इस निमित्त समाज कल्याण अधिकारी से आवश्यकतानुसार समय समय पर सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री मूलचन्द डागा।

पंचायत समिति पाली द्वारा खाद व बीज का वितरण

493. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पाली पंचायत समिति ने सोनाईमाजी हेमावास, सोडावास खेरवा व रूपावास पंचायतों को सन् 58-59 और 59-60 में बीज व खाद वितरण हेतु दिया था? यदि हां, तो कितना कितना कब कब और किस किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि उसके बाद आज तक उपरोक्त पंचायतों से उक्त खाद व बीज वितरण की रकम वसूल नहीं की गई? यदि रकम वसूल कर दी गई तो कितनी कितनी और कितनी कितनी अभी तक उसमें बकाया है?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त खाद व बीज वितरण का कहीं हिसाब भी नहीं है?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) वर्ष 1958-59 में पांचों पंचायतों में से किसी पंचायत को बीज खाद नहीं दिया गया। वर्ष 1959-60 में दिये गये बीज का वितरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) बीज मय बाडी वसूल कर लिया गया है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : क्या 1958-59 में खाद का वितरण हुआ ही नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरी सूचना के अनुसार नहीं हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : आप आपके आंकड़े देख सकते हैं। 1958-59 में पंचायत समिति ने खाद का वितरण किया है और वसूल भी किया है और उसका रेकार्ड ही नहीं है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप जो सूचना देंगे उसको देखकर जानकारी कर ली जावेगी लेकिन माननीय सदस्य को जानकारी के लिए बता दूं कि पंचायत समिति का गठन ही 2-10-59 को हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महेन्द्र कुमार।

डूंगरपुर जिले के तालाबों का सर्वे

494. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाडवासु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में कुल कितने बड़े तालाबों की सर्वे राज्य सरकार द्वारा कराई गई है ? सूची सदन की मेज पर मय सर्वे की तिथि व अनुमानित व्यय के रखने का कष्ट करें। इनमें से कौन कौन से कार्य हाथ में लिये गये व कौन कौन से नहीं ?

(2) डूंगरपुर जिले में विगत तीन वर्षों में कहां कहां तालाब बनवाये गये ? उनकी लागत क्या रही तथा कौन कौन से तालाब विभाग ने बनवाये व कौन कौन से ठेके पर दिये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

( ) क्या यह भी सत्य है कि सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, डूंगरपुर जिले में बन रहे तालाबों का कार्य एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार को बी. एस. आर. पर एक ही तालाब के लिए दे देते हैं ? यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं तो जिले में अक्टूबर 1968 से जून, 1969 तक किस किस तालाब का कार्य किस किस ठेकेदार ने कितनी कितनी अवधि तक किस किस रेट पर दिया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर जिले में बने तालाबों में सिंचाई विभाग की मिलीभगत से पूरा काम स्टेन्डर्ड के मुताबिक नहीं होता है ? तथा बी. एस. आर. पर कान्ट्रेक्ट देने की प्रवृति है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो नवलश्याम के तालाब के टूटने और गाराडिया तालाब का ठेका दिसम्बर, 68 के बाद दूसरे ठेकेदार को देने के क्या कारण हैं ?

(5) तालाब बूचिया बड़ा व धन तालाब कब बन कर तैयार हुए उनके साथ की नहरें बनाने में कितना व्यय हुआ तथा वे किस किस्म की थी ?

(6) क्या यह सत्य है कि इन दोनों तालाबों की नहरों की 1968-69 में फिर से मरम्मत की गई ? यदि हां तो उन पर कितना धन व्यय हुआ ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) विस्तृत सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(3) जी हां, ठेकेदार द्वारा कार्य की प्रगति में कमी होने पर ऐसा सम्भव है। वांछित सूची (सी) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं, कार्य बी. एस. आर. की रेट पर समय व काम की स्थिति के अनुसार दिया जाता है। नवलश्याम के टूटने का कारण अतिवृष्टि है न कि कार्य में लापरवाही। गराडिया का ठेका दिसम्बर, 68 में दूसरे ठेकेदार को बांध की नहर खोदने का दिया था।

(5) बूचिया बड़ा व धन गांव तालाब क्रमशः 56-57 व 54-55 में बनाये गये थे। नहरें बनायी थीं जिन पर क्रमशः 22,000 रु. व 73,000 रु. खर्च किया गया।

(6) जी हां, उन पर क्रमशः 53,000 रुपये व 11,000 रु. खर्च किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री महेन्द्रकुमार : उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर 4 का जवाब बिलकुल गलत दिया है नवलश्याम तालाब गत वर्ष बरसात के दिनों में टूट गया था और गर्मी के दिनों में ठेका दीवार बनाने का दिया गया और वह दीवार बनकर तैयार हो गयी और फिर टूट गयी गर्मियों में। गर्मियों में अतिवृष्टि नहीं थी। गर्मियों में कौनसी बरसात थी जिससे वह टूट गयी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे पास जो सूचना थी वह तो मैंने दी लेकिन टूटने की तारीख इस समय मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसकी जानकारी करा लूंगा कि वास्तव में यह कब टूटा और क्या कारण था।

श्री महेन्द्रकुमार : यह किस तारीख को टूटा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख नहीं है, इसलिए ही मैंने कहा है।

श्री महेन्द्रकुमार : गर्मियों में तालाब कैसे टूटा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो मैंने ऊपर बताया। आपका कहना है कि बरसात का सवाल नहीं गर्मियों में टूटा है...

श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.) : प्रश्न 4 में जवाब दिया है कि ठेकेदार की कोई गलती नहीं है और यह अतिवृष्टि से टूटा है तो गर्मियों में कैसे टूटा?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने नवलश्याम तालाब के टूटने का कारण अतिवृष्टि बताया है न कि ठेकेदार की लापरवाही यह कहा है।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु.) : क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डूंगरपुर जिले में उनी, मेवाड़ा और बराडा आदि की सर्वे हुए दस वर्ष हो गये हैं और अभी तक वह सैंक्शन के लिए आपके कार्यालय में पड़ी हुई है योजनायें तो क्या कारण है कि वह योजनायें आदिवासी एरिया के अन्दर है लेकिन अभी तक उनको स्वीकृत नहीं की जा रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी, सभी योजनायें जिनका नाम माननीय सदस्य ने लिया है वह राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं बल्कि कुछ योजनाओं पर तो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत काम भी हुआ है और धन की उपलब्धि का ध्यान रखते हुए जो स्कीम मन्जूर हो गयी उनमें आइन्दा काम शुरू होगा।

श्री रतनलाल रोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो सूची दी है तालाबों की उसमें लिखा है वारन्द, अमरपुरा और सिसोद में कार्य प्रगति पर है· · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपका कहना ठीक है। जिस समय जवाब यह आया था तब अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत काम चालू था, आज हो सकता है अकाल राहत कार्य बन्द हो गये हों इसलिए इनके ऊपर काम बन्द हो गया हो लेकिन अब हमारे सभी तालाबों पर 80 या 75 प्रतिशत काम हो गया है तो जो 20 परसेंट या 15 परसेंट काम होना बाकी है उसके बारे में हम रकम लेकर उन कामों को पूरा करायेंगे ताकि आइन्दा उसका लाभ मिलना शुरू हो सके। इसलिए इस अकाल में इस व्यवस्था के अन्तर्गत हाथ में लिया जायेगा।

श्री रतनलाल रोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि अमरपुरा और सिसोद के तालाब सैक्शन सुदा हैं · · ·

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सैक्शन्ड हैं, प्लान में हैं लेकिन प्लान में रुपयों की कमी होने की वजह से अकाल राहत कार्यों में भी काम शुरू नहीं किया गया और जो श्रम प्लान का रुपया जितना एलाट उनके नाम पर हुआ था वह तो खर्च हो चुके हैं और अब और रकम लानी है। इसका निश्चय और निर्णय कुछ समय में होगा।

श्री रतनलाल रोत : उपाध्यक्ष महोदय, अमरपुरा और सिसोद के तालाबों पर पिछले वर्ष रिलीफ में काम नहीं चला है जब कि सूची में दिया है कि काम चालू है और प्रगति पर है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काम तो चालू है। शुरू के प्लान में पैसा था इसलिए प्लान से पैसा जो भी एलाट इस साल तालाब के लिए था वह खर्च किया गया और उसके आधार पर काम चलाया। अब हमें और रुपये की आवश्यकता है जो कुछ समय में और थोड़े दिनों के बाद सितम्बर के बाद या सितम्बर में ही इसका अलाटमेन्ट होगा और इसके बाद काम तेजी से प्रगति पर आयेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को ठीक जानकारी प्राप्त हुई है इसमें मुझे आशंका है। माऊदांत तालाब के टूटने की भी सूचना आप ठीक तरह से सदन में नहीं दे सकते यह तो सर्व-विदित बात है। यह आश्चर्य की बात है। मंत्री महोदय को चाहिए कि जानकारी बराबर प्राप्त करके उत्तर दें वरना ऐसे उत्तर देने से तो कोई विशेष लाभ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न—श्री हरलाल मीणा।

प्रतापगढ़ रेन्ज के जंगल

495. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़ सु०): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला चित्तोड़गढ़ सब-डिवीजन प्रतापगढ़ की रेन्ज प्रतापगढ़, देवगढ़, और सालमगढ़ में लकड़ी एवं बांस खत्म हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या इन जंगलो को पनपाने के लिए कटाई बन्द रखने बाबत सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जब से जंगल काटने की ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई है, जंगल दिन पर दिन समाप्त होते जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है ?

वन मन्त्री (श्री नारायण सिंह मसूदा): (1) जी नहीं, गत वर्ष से जंगलों में लकड़ी कोयले के कूप ठेके पर देना बन्द कर दिया गया है।

(2) जी नहीं, ठेकेदारी प्रथा बिलकुल तो एकदम समाप्त करने का विचार नहीं है, किन्तु ठेकेदारी प्रथा धीरे-धीरे समाप्त करने के कदम उठाये गये हैं।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि आपने कहा है प्रतापगढ़ में कोई जंगल ठेके पर नहीं दिया गया तो गये साल कोई ठेका दिया गया था या नहीं ?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि ठेके गई साल से ही लकड़ी कोयले के बन्द कर दिये गये हैं।

श्री हरलाल मीणा : क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के जंगल ठेकेदारी प्रथा चालू होने से काफी खत्म हो चुके हैं और सरकार क्या इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री नारायण सिंह : इस विषय में मैं जवाब दे चुका हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ अथवा दूसरे और जितने भी जंगल हैं न केवल ठेकेदारी प्रथा के कारण बल्कि पंचायतों में आबादी की बढोतरी और दूसरे कारणों के कारण भी वह क्षतिग्रस्त हुए हैं और इस लिए यह निर्णय लिया गया है कि इनको कुछ अरसे तक ठेका जो दिया जाता है वह बन्द किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न—श्री भैरों सिंह।

सवाई मानसिंह अस्पताल एवं कालेज में मशीनों की खरीद एवम् उनका उपयोग

496 **श्री भैरों सिंह** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल तथा मेडिकल कालेज, जयपुर में किस-किस मूल्य की कौन-कौन सी मशीन कब-कब से उपयोग में नही लाई गई और क्यों ?

(2) कौन-कौन सी मशीन उपयोग में आने के कारण कब-कब से खराब पड़ी हैं? इन मशीनों का उपयोग किन-किन डाक्टरों द्वारा कितने-कितने समय के लिए किया गया तथा इन डाक्टर्स को इन मशीनों

(श्री भैरोंसिह)
के सम्बन्ध में कहां-कहां और कब-कब प्रशिक्षण दिया गया ?

(3) उपरोक्त मशीनों का क्रय किस वर्ष में किन किन अधिकारियों द्वारा किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि मशीनों के क्रय के सम्बन्ध में ऑडिट आब्जेक्शन भी हुआ था ? यदि हां, तो किन मशीनों के सम्बन्ध में क्या आपत्ति उठाई गई थी और उसका किस प्रकार निराकरण किया गया ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है लेकिन मैं माननीय सदस्य के पास इसका जरूर भिजवाऊंगा क्योंकि मैं भी उसके बारे में बहुत पर्टीक्यूलर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

सांचोर तहसील में सस्ते अनाज की दुकानें

497. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में संवत् 2023 में अकाल वर्ष में कई दुकानदारों को सस्ते अनाज की दूकानें दी गई थीं ? अगर हां, तो उस वर्ष कुल कितनी दूकानें थीं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि दुकानदारों को अब तक उनके किराये के पैसे सरकार द्वारा नहीं चुकाये गये हैं ? अगर हां, तो किस-किस के कितने कितने पैसे चुकाने शेष हैं ? अब उसकी बकाया रकम कब तक चुका दी जायेगी ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी हां। कुल 18 दुकानें थीं ।

(2) जिन 15 दुकानदारों के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है उनकी सूची मय बकाया रकम के सदन की मेज पर रख दी गई है। समस्त दुकानदारों के बिल पूर्व जांच (प्रि-ऑडिट) हेतु महालेखाकार, जयपुर के कार्यालय में भेजे गये हैं तथा पूर्व जांच होने पर बिलों को भुगतान कर दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : 15 दुकानों के बिल हैं तो यह बिल कब पेश हुए कलेक्टर के दफ्तर में ? कितने समय तक वे वहां पड़े रहे और उनके यहां इतने अर्से तक कहां-कहां क्या क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामदेवसिंह : ये उस समय 67 के मार्च से 68 तक प्राप्त हुए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिला दफ्तर में इतना अर्सा लगने के क्या कारण थे ?

श्री रामदेवसिंह : जिला दफ्तर में सन् 67–68 के मार्च के एन्ड में गये हुए थे । यहां से जो रुपया किराये की भुगतान के लिये भेजा गया वह देरी से भेजा गया, इसलिए जांच नहीं हो सकी और बिल का भुगतान नहीं हो सका। इस साल छोटे छोटे अमाउन्ट्स भेजे गये लेकिन इन बिलों को एक साल निकलने की वजह से प्रि-आडिट के लिए भेजा जाना जरूरी था इसलिए देरी हुई।

Page No 22

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या इतना अर्सा लगाना उन लोगों के बिलों की भुगतान में उपयुक्त है जो पहले पैसा लगाकर काम करते हैं? क्या इसको आप उपयुक्त समझते हैं? अब यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री रामदेवसिंह : बहुत जल्दी कर दिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत जल्दी कब तक?

ग्राम बडोदिया में जंगलात का बीड

498. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बडोदिया पंचायत सलावद, तहसील रामगंज मंडी कोटा में जंगलात की बीड को विस्थापितों को बसाने हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कब और कितने क्षेत्रफल को? इस बीड़ का क्षेत्रफल कितना है?

(2) क्या यह सही है कि यह क्षेत्र आहू व अमझर नदी के बीच में स्थित है और इसमें अभी भी काफी बडी मात्रा में भूमि कटाव होता रहा है? यदि हां तो, ऐसे क्षेत्र को कृषि के लिए उपलब्ध करवाने के क्या कारण हैं? क्या वन विभाग के अधिकारियों ने इसे कटाव के कारण राजस्व में नहीं बदलने की सिफ़ारिश की थी? यदि हां तो, कब?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र को हस्तान्तरित करने से पूर्व इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था व पेडों की कटाई भी की थी, यदि हां, तो कितने क्षेत्र में? इन लोगों के विरुद्ध विभाग ने कब-कब व क्या-क्या कार्यवाही की?

उपमंत्री, वन (श्री रामदेवसिंह) : (1) जी हां। दि. 25-5-69 को 316 बीघा 6 बिस्वा।

(2) जी हां। राणा प्रताप सागर बांध के विस्थापितों को बसाने हेतु राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने 19-7-68 के इस बीड को राजस्व में नहीं देने की सिफारिश की थी किन्तु इन विस्थापितों के लिए अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण यह भूमि उन्हें आवंटन करने हेतु वन विभाग को मुक्त करने की सहमति दी गई।

(3) झालावाड जिले के ग्राम जूना पानी के कुछ बनजारों ने इस पूरे क्षेत्र में पेडों को काट कर जमीन पर कब्जा मिलने से पहले काश्त करने का प्रयत्न किया था। इन लोगों के विरुद्ध दिनांक 18-4-69, 20-4-69 व 5-5-69 को वन विभाग द्वारा वन अपराध के मामले बनाकर न्यायालय प्रथम श्रेणी रामगंज मंडी में चालान 4-6-69 को प्रेषित कर दिया गया। न्यायालय में कार्यवाही जारी है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल प्रश्न है उसमें मैंने यह पूछा था कि यह जो स्थान एलॉट हुआ है वह आहू और अमझार नदियों के बीच में है और बीच में होने की वजह से इस भूमि पर बहुत ज्यादा इरोजन होता है और उस इरोजन की वजह से यह स्थान एलॉट-

(श्री जुझारसिंह)
मेंट के लिए उपयुक्त नहीं है। आपने इसका जवाब नहीं दिया है। इसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह): मैंने निवेदन किया कि इरोजन वहां पर होता है, इसी कारण से और दूसरे कारणों से वन विभाग ने राय दी थी, परन्तु ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड्स के ऊपर राणा प्रतापसागर के विस्थापितों के लिए ऐसा आवश्यक था और इस आवश्यकता को तौलते हुए वही आवश्यकता वजनदार मालूम पड़ी और इसलिए यह कार्य किया।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इरोजन का सवाल है तो वह उस इरोडेड एरिया पर कितने दिनों तक खेती कर पायेंगे और इनको एलॉट होने की वजह से दूसरे गांव वालों को नुकसान होगा। उसका क्या असर होगा इस पर आपने ध्यान दिया ?

श्री नारायणसिंह : इरोजन को रोकने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय प्लान्टेशन की आवश्यकता होती है और विशेष प्रकार की खेती की आवश्यकता होती है, कन्टूर खेती की आवश्यकता होती है, और भी कई प्रकार के तरीके हैं। केवल वन विभाग में ही रखने से इरोजन खत्म होता है मैं नहीं मानता कि यह बात सही है।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न उस इलाके के लिए बहुत गम्भीर प्रश्न है। इसके बारे में मैं वर्षों से कहता आया हूं। वहां के जंगल कटने से अभी झालावाड़ जिले में बाढ़ आई है और जो जमीन उन विस्थापितों को एलाट की है उस पर कुछ नहीं है। बीड़ होता तो जमीन बच गई होती और कुछ प्रोटेक्शन आस-पास के लोगों को मिल गया होता। जो ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड आपने बताया उस ह्यूमेनिटेरियन ग्राउन्ड पर जिनको यहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है उनकी जमीन नहीं बची है, लेकिन दूसरे गांवों को नुकसान हो गया है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आपने जो एलॉटमेंट किया है वह गलत है। वह जमीन काश्त के काबिल बिल्कुल नहीं है। इस पर काश्त कराने से दूसरे काश्तकारों को, जो पास में लगे हुए दूसरे गांवों के किसान हैं उनको इससे नुकसान होगा, तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ?

श्री नारायणसिंह : If the influx of humanity has to survive on a desperate economy, it will have to survive.

श्री जुझारसिंह : It will not survive at all. इतनी देर से निवेदन कर रहा हूं इस पर आपने ध्यान नहीं दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: A desperate reply.

श्री जुझारसिंह : आपके डिपार्टमेंट ने यह एडवाइस की है कि यह कटाव में आई हुई है जमीन इसको एलॉट नहीं किया जा सकता है, लेकिन मंत्री महोदय ने अपने डिपार्टमेंट की राय नहीं मानी और यहां पर उसको अनावश्यक रूप से डिफेन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक रॉग डिसीजन ले लिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको राय दी है कि यह दो नदियों के बीच की जमीन है इसलिए कटाव की जमीन है,

Page No 24

(श्री जुझारसिंह)
इसको नहीं दिया जाना चाहिए । इसके लिए अनावश्यक रूप से दूसरों को क्यों डिफेन्ड करने की कोशिश करते हैं ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या राजस्व आथोरिटीज की भी इसमें सलाह ली थी कि नहीं यह जमीन कैसी है ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि कटाव वनेतर जमीन का ही होता हो और वन में नहीं होता हो ऐसी बात नहीं है । एक बात । दूसरी बात यह है कि इसमें राजस्व विभाग से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्व विभाग टेक्निकल एग्रीकलचर विभाग नहीं है, वह कृषि का प्रश्न है । और बाकी जो माननीय सदस्य की चिन्ता है कि कटाव को रोका जाय तो कटाव को रोकने के लिए प्रयत्न करने की बहुत आवश्यकता है, मैं इसको मानता हूँ । उसके लिए लाखों का प्रावधान किया गया है, और यदि माननीय सदस्य मदद देंगे तो और भी कटी हुई भूमि के स्थान उपलब्ध हैं उसके अन्दर उसको रोकने के लिए वन विभाग प्रस्तुत होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट भी प्रस्तुत होंगे । और इस भूमि के लिए मैं निवेदन कर चुका हूँ कि आवश्यकता इस प्रकार की थी और इसलिए इस बात को करना पड़ा ।

श्री जुझारसिंह : मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ कि आपके महकमें की राय नहीं मानने के आपके पास क्या कारण हैं ?

श्री नारायणसिंह : मेरा केवल एक कारण है जो मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ कि वह ह्यूमेनिटेरियन है और उसके अन्दर यह किया गया है । केवल विभाग ने राय दे दी तो उसको मान ही लिया जाय यह कोई आवश्यक नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : क्या राजस्व विभाग की आथोरिटीज और वन विभाग की आथोरिटीज मौके पर जाकर उस जमीन का निरीक्षण करने को तैयार हैं कि आज जो परिस्थिति हुई है, आपके एलॉटमेंट करने से जो नुकसान हुआ है विस्थापितों का और दूसरे आस-पास के गांवों का, उसकी जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री नारायणसिंह : इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(25-8-69)

367. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में सन् 68-69 एवं 69-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कितनी सड़कों का कार्य राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिया गया ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) उक्त सड़कों पर कितनी राशि व्यय हुई ? प्रत्येक सड़क का अलग अलग विवरण देने की कृपा करें ।

(3) उक्त सड़कों में कितनी मील मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य हुआ ? प्रत्येक

Page No 25

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
सड़क का अलग-अलग विवरण देने की कृपा करें।

(4) उक्त सड़कों में ग्रेवल नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? इसका विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में सड़कों के ग्रेवल किये बिना सड़कों का कोई उपयोग नहीं रहता है ?

(6) क्या अकाल सहायता विभाग उक्त सड़कों पर ग्रेवल कार्य की गति बढ़ाकर सम्पूर्ण कार्य इसी साल करा सकेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

उपमन्त्री अकाल राहत (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जितनी धनराशि व्यय हुई उसका विवरण सूची में उपलब्ध है।

(3) उक्त सड़कों में जितनी मिट्टी और ग्रेवल का कार्य हुआ है उसकी सूचना सूची 1 में दी गई है।

(4) उक्त सड़कों पर ग्रेवल नहीं बिछाने का कारण परिवहन के सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं। बाड़मेर जिले में मोटरें व ट्रक किराये पर उपलब्ध नहीं हुए जिससे कि परिवहन कराया जा सके, और ट्रक्स के द्वारा कार्य कराने के लिए कई बार टेन्डर जारी किये गये उसमें ऊंची रेट पर टेन्डर प्राप्त होने पर ट्रक्स बहुत कम किराये पर किये गये। ट्रक्स को रिक्वीजिशन करने का भी प्रयत्न किया गया, किन्तु उसमें भी पूर्णतया सफल नहीं हो सके। इस कारण से ग्रेवल बिछाये जाने में कठिनाई उत्पन्न हुई है।

(5) जी हां, यह सही है कि सड़कों पर ग्रेवल किये बिना सड़कें पूर्णतया उपयोगी नहीं होतीं।

(6) इस जिले में अभी कहतसाली चल रही है, और जिन सड़कों पर ग्रेवल किया जाना बाकी है उन पर ग्रेवल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री वृद्धिचन्द जैन : क्या यह सही नहीं है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर ने ग्रेवल बिछाने के लिये टेन्डर्स देर से इन्वाइट किये इस कारण से ग्रेवल का कार्य सम्पन्न नहीं हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : टेन्डर सभी समय पर इन्वाइट किये गये हैं ग्रेवल बिछाने के किन्तु परिवहन की कठिनाई के कारण यह नहीं हो सका।

श्री वृद्धिचन्द जैन : टेन्डर कौनसी तारीख को इन्वाइट किये गये थे, डेट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : सभी कार्यों की तिथियां अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कब से टेन्डर इन्वाइट करना शुरू किया गया इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : सवाल यह है कि जब कार्य स्वीकृत हो जाते हैं उस वक्त टेन्डर इन्वाइट किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें भी इसी तरह से स्वीकार हुए होंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इसका मतलब यह हुआ कि आप डेट्स के बारे में नहीं बता सकते तो डेट्स के बिना निश्चय नहीं कहा जा सकता है।

श्री गंगाराम चौधरी : तिथियां नहीं बताई जा सकती हैं। मैंने निवेदन किया कि बहुत से कार्य हैं, लगभग 125 कार्य हैं तो सभी कार्यों के सम्बन्ध में तिथियां बताना सम्भव नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जो अनकम्प्लीट रोड्स हैं उनको राज्य सरकार कब तक सम्पन्न करा सकेगी। इस के प्रति क्या डाइरेक्शन ले रही है।

श्री गंगाराम चौधरी : उत्तर जो दिया जा चुका है उसके अतिरिक्त कुछ और कहा नहीं जा सकता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ग्रेवल न बिछाने के कारण कितनी रोड्स अन-कम्प्लीट हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा उस लम्बी सूची में दे रखा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे तो सूची नहीं मिली है।

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं मिली है तो मैं दे दूंगा। राहत कार्यों में कितने किलोमीटर ग्रेवल पड़ा है यह उसमें है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बिना सूची देखे हुए मैं कैसे प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं इतना निवेदन कर दूं कि 2484 किलोमीटर में 770 किलोमीटर में ग्रेवल पड़ चुका है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, जो सूची है, उसकी एक प्रति सदन की मेज पर भी रखना चाहिए और एक मुझे भी दे देना चाहिए। यह तो होना चाहिए। ये विशेषतौर से सूची से ही सम्बन्धित है। अब तक रोड का ग्रेवल कहां-कहां किया गया है। निवेदन यह है कि, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक पूरी जानकारी नहीं मिले तब तक स्थगित किया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा निर्णय दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सूची तो दी थी।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 19

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 479 का जवाब आ गया है। आप अनुमति दें, तो उत्तर दे दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दीजिए।

मेडिकल कालेज में प्रवेश के नियम

479. श्री केदारनाथ (श्रो गंगानगर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिए क्या नियम निर्धारित किये गये ?

(2) राजस्थान में किन-किन कालेजों में कितने-कितने छात्रों को प्रवेश मिला तथा मेरिट्स के अनुसार कितने प्रतिशत मार्क्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बी. डी. एस. (बेचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) कक्षाओं में कितने छात्रों को नॉमीनेशन के आधार पर प्रवेश के लिए भेजा है ?

उनके कितने प्रतिशत मार्क्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) इस वर्ष कुल सीटें 600 रखी गई हैं।

अभी तक कुल 596 छात्रों को प्रवेश मिल चुका है, जिनका विवरण इस प्रकार है:—

(1) मेडिकल कालेज, जयपुर–	172
(2) मेडिकल कालेज, जोधपुर–	77
(3) मेडिकल कालेज, बीकानेर–	132
(4) मेडिकल कालेज, उदयपुर–	130
(5) मेडिकल कालेज, अजमेर–	85
कुल —	596

चार स्थानों पर प्रवेश देना बाकी है। प्रवेश प्रि-मेडिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों से बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर दिये गये हैं। कुल 300 अंकों में से 153 तक पाने वालों को प्रवेश मिल सका है।

(3) बी. डी. एस. (बेचलर आफ डेंटल सर्जरी) कक्षाओं में 15 छात्रों को मेरिट के आधार पर नॉमीनेट किया गया है। राजस्थान को 15 सीटें मिली। फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. में प्राप्त अंग्रेजी, कैमिस्ट्री, फिजिक्स बायलोजी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन हुआ है। प्रथम छात्र के 65.8 प्रतिशत अंक थे। अन्तिम 15 वें छात्र के 58.5 प्रतिशत अंक हैं। सूची मय प्राप्तांक प्रतिशत के संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने तो पहले 400 का अनाउन्स किया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह बाद में किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कुल सीट 600 हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उत्तर में यह दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि गत वर्ष 650 थी ?

Page No 28

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वर्ष 50 सीट कम हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये पचास सीट कम करने का कारण क्या है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले रिजर्वेशन था इसलिये 650 सीटें थीं, वह इस वर्ष समाप्त कर दिया गया है। इसलिए 600 हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह समाप्त कर दीं, जो काफी वर्ष पहले गवर्नमेंट ने फौजियों के सम्बन्ध में किया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस वर्ष महिलाओं और हरिजनों का रिजर्वेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका के आधार पर फौजियों के उस रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन नहीं किया है। उसको वाजिब माना है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 600 में रिजर्व नहीं किया गया है, वह प्रश्न दूसरा है। हाई कोर्ट ने कुछ रिजर्वेशन कायम रखे थे। बाकी के स्ट्राक डाउन कर दिए थे। मुझे पता नहीं है फौजियों का रखा है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर एवं खण्डार क्षेत्र में जंगलों की कटाई के ठेके

480. **श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार सु.):** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर तथा खण्डार में सन् 1968–69 व 1 अप्रेल, 1969 से आगे जंगलों की कटाई के ठेके किन व्यक्तियों को दिये हैं तथा यह ठेके कितने-कितने क्षेत्र के कहां-कहां किस-किस ठेकेदार को किस-किस रेट पर दिये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग के जंगलों को ठेके के क्षेत्र से ज्यादा ठेकेदार काट लेते हैं ? यदि हां, तो अब तक किस-किस पर कहां-कहां मुकदमे चलाये गये तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या सरकार अब ऐसी कार्यवाही करेगी कि अधिक क्षेत्र ठेकेदार नहीं काट लें ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। परन्तु जो क्षेत्र ठेके पे दिया गया है उसमें खिलाफवर्जी करने से संलग्न सूची अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है।

(3) ठेकेदार द्वारा अधिक क्षेत्र नहीं काटा जाये इस सम्बन्ध में पूरी निगरानी रखी जाती है और ठेका नियमों की धारा 62 में भी उसका प्रावधान है।

(कृपया परिशिष्ट-5 देखिए)

ग्राम लालसोट में हायर सेकन्डरी स्कूल

482. **श्री शम्भूराम (लालसोट सु०):** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को विदित है कि ग्राम लालसोट की जनता ने तैंतीस हजार

(श्री शम्भूराम):

रुपये एकत्रित करके लालसोट रा. मा. विद्यालय में भवन निर्माण करवाया जिससे यह विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित हो सके ? यदि हां, तो जनता के बार बार निवेदन करने के उपरान्त भी वहां सैकेन्ड्री स्कूल को हायर सेकन्ड्री स्कूल में क्यों परिवर्तित नहीं किया जा रहा है ? तथा अब कब तक इसे हायर सेकन्ड्री स्कूल में परिवर्तित कर दिया जावेगा ।

उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि स्थानीय जनता ने कितना रुपया शाला भवन निर्माण के लिए एकत्रित किया है परन्तु जो राशि एकत्रित की गई है, उससे दो विज्ञान प्रयोग शालायें में 25'×40' प्रत्येक व एक कमरा 15'×20' नाप का बरामदे सहित निर्माणाधीन तथा अपूर्ण हैं। वर्तमान माध्यमिक विद्यालय में कक्षाओं के लिए भी कमरे अपर्याप्त हैं और कुछ कक्षायें कच्चे छप्परों में चल रही हैं जिनमें से एक गिर चुका है। वर्णित परिस्थिति में तथा धनाभाव के कारण इस शाला को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना उपयुक्त नहीं है।

प्रताप बांध के कैचमेंट एरिया में बांध का निर्माण

484. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि, राजगढ़ जिला अलवर में सिंचाई के प्रताप बांध के कैचमेंट एरिया के अन्दर बांध की पाल से सिर्फ ½ फर्लांग की दूरी पर करीब 30 हजार रु० की लागत से नया बांध बनाने की सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई नियमों के अनुसार 10 मील के कैचमेंट एरिया में नया बांध नहीं बनाना चाहिये और इस सम्बन्ध में राजगढ़ की जनता की ओर से वहां के भू० पू० एम० एल० ए०, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसीडेन्ट, पंचायत समिति के प्रधान एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा सरकार को बांध बनाने के खिलाफ ज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग अलवर की ओर से उपरोक्त तथ्यों की जानकारी सरकार को भेजी है जिसमें जनता की शिकायत सही मानी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस नये बांध की तामीर होने से राजगढ़ के वर्तमान उपमन्त्री श्री समर्थलाल और उनके कुटुम्बियों की आराजी की सिंचाई से फायदा पहुंचेगा और इसलिए इस नये बांध की तामीर जनता के हितों की उपेक्षा करके अन्य किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही है ?

(5) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि पुराने प्रताप बांध की पाल के नीचे ही राजगढ़ कस्बे की जल योजना के लिये कुए बने हुए हैं और नये बांध बनने से इन कुओं में पानी सूखने का अन्देशा है जिससे नल योजना फेल होने से सरकार को करीब 10–12 लाख रु. का नुकसान होगा ?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(6) क्या यह सही है कि अलवर जिले का हरसोरा का बांध करीब 6 साल पूर्व बाढ़ के कारण टूट गया था उसकी मरम्मत की मंजूरी नहीं दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु ठेकड़ी बांध, प्रताप बांध से करीब डेढ़ मील दूर है न कि 3 फर्लांग।

(2) ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार 10 मील केचमेंट में नया बांध नहीं बांधा जाय। यह सही है कि इस बांध को बनाने के विरोध में ज्ञापन प्राप्त हुए, परन्तु बांध बनाना जन-हित में होने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) इस नये बांध के बनने से जल योजना पर कोई कुप्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

(6) जी हां, जीर्णोद्धार का तखमीना विचाराधीन है।

सिरोही में कालेज छात्रावास का भवन

489. **श्री मोतीलाल (रेवदर सु.)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने विद्यार्थियों की छात्रावास की मांग का औचित्य का मूल्यांकन कर सन् 1960 में सिरोही कालेज छात्रावास भवन के निर्माण हेतु 1,64,845 रु. की धनराशि स्वीकृत की थी।

(2) यदि हां, तो छात्रावास भवन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है ?

(3) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य में विलम्ब के कारण विद्यार्थी समाज में बढ़ते हुए असन्तोष से परिचित है ?

(4) क्या सरकार ने इस कार्य को प्रारम्भ करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को गत वर्ष आदेश दिये थे ?

(5) यदि हां, तो अभी तक भी यह कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(6) क्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य आगामी माह में प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सरकिट हाउस, सिरोही के सामने जो अपूर्ण भवन था उसको पूरा कर छात्रावास में परिणित करने हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत की गई थी।

(2) छात्रावास भवन का निर्माण कार्य इसलिए प्रारम्भ नहीं किया जा सका कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि उक्त धनराशि को, अपूर्ण भवन को पूरा करने के बजाय इस राशि में छात्रावास व छात्रावास संरक्षक का निवास स्थान भी अलग से बनाया जा सकता है जबकि उक्त अपूर्ण भवन में केवल 55 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी। गत वर्षों में धनाभाव के कारण यह कार्य चालू नहीं किया गया। इस वर्ष इस कार्य को करने हेतु प्रावधान कर

Page No 31

(शिक्षा मंत्री)
दिया गया है और वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा रही है।

(3) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(4) जी, नहीं।

(5) उत्तर के भाग–2 में दर्शाई गई स्थिति से स्पष्ट है।

(6) वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

गर्ल्स मिडिल स्कूल मेड़ता का भवन

491. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता की गर्ल्स मिडिल-स्कूल पुहाने हवाला बिल्डिंग के एक भाग में चल रही है?

(2) क्या यह सही है कि इस समय गर्ल्स स्कूल में 500 से अधिक छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं?

(3) क्या यह सही है कि इतनी छात्राओं के लिए यह स्कूल छोटा पड़ता है और इसमें पढ़ने के कमरे एवं खेलने का मैदान भी नहीं है?

(4) क्या यह सही है कि हवाला बिल्डिंग का बाकी हिस्सा जिसमें इस समय पटवारी एवं तहसीलदार रहते हैं को स्कूल के लिये ले लिया जाय तो स्कूल में सुविधा बढ़ सकती है?

(5) क्या यह सही है कि पुरानी सायर बिल्डिंग जो कि वर्तमान स्कूल से जुड़ी बिल्डिंग है वह भी खाली पड़ी है? यदि वह भी स्कूल को मिल जाय तो समस्या का काफी हल हो सकता है?

(6) क्या शिक्षा विभाग उपरोक्त दोनों बिल्डिंग गर्ल्स स्कूल के लिए हस्तांतरित कर स्कूल की छात्राओं के लिए सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) मंत्रि-मंडल सचिवालय के आदेश 5 व 6 दिनांक 21–7–69 द्वारा 'कस्टम भवन' इस स्कूल को दे दिया गया है।

स्थगित प्रश्न

(12-8-69) व (25-8-69)

मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट पर व्यय

19. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पिछले तीन वर्षों में मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट का कितना व्यय सरकार को अपने कर्मचारियों पर करना पड़ा है? प्रति वर्ष का अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 32

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

(2) क्या उपरोक्त गत तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में झूठे दावे भी पकड़े गये हैं? यदि हां, तो कितने तथा इस प्रकार झूठे दावे पेश करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(3) गलत दवाओं के मामलों में महा लेखाकार ने राजपत्रांकित अधिकारीगण अथवा मन्त्रीगण के विरुद्ध कितने रिट्रेन्चमेन्ट स्लिप जारी किये? ऐसे गलत दावों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भवन निर्माण के लिए ऋण

758, श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भवन निर्माण के लिये सरकारी कर्मचारियों को वेतन योजना के अन्तर्गत बीस सालों में कितनों को कितना ऋण मिला है?

उत्तर

अक्टूबर 1949 से मार्च, 1968 तक वेतन योजना के अन्तर्गत भवन-निर्माण हेतु 7611 सरकारी कर्मचारियों को 2,62,70,052 रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

सरकारी धन के गबन के मामले

759. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 30 सितम्बर, 1968 को सरकारी धन के गबन के कितने और कितनी रकम के मामले सरकार के विचाराधीन थे? इनमें से कितने मामलों में अदालत में कार्यवाही चल रही है और कितनों में विभागीय स्तर पर? इन सारे ही मामलों में अदालत में कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(2) इन गबन के मामलों में जिन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही चल रही है उनके संबंध में मय उनके नाम, पद और पते के एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अब तक गबन की गई रकम से क्या कुछ रकम बट्टे खाते में डाली गई है? यदि हां, तो कितनी और क्यों?

उत्तर

(1) मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान को विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-9-68 को रुपये 43,67,438 के 1162 मामले सरकार के विचाराधीन थे। इसी सूचना के अनुसार 204 मामले अदालती कार्यवाही के थे और शेष 958 मामले विभागीय स्तर पर थे। सारे ही मामलों में अदालती कार्यवाही नहीं करने के कारण पर सम्बन्धित विभाग ही रोशनी डाल सकते हैं।

(2) इस विभाग में प्राप्त सूचना के आधार पर लेख है कि इन मामलों में कुल 136 राजपत्रित अधिकारी लिप्त पाये गये थे जिनकी विभागवार सूची संलग्न है।

(3) हां। इस विभाग में प्राप्त सूचना के आधार पर लेख है कि कुल रुपये 2,44,344 बट्टे खाते डाले गये। नियमानुसार बट्टे खाते डालने का अधिकार विभिन्न विभागाध्यक्षों

(वित्त मंत्री)

एवम् राज्य सरकार को है। यह उपलेखन निर्माण के अनुसार किया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चैक पोस्ट कायम करने के आधार

760. श्री देवीलाल बुरासिया (केकडी सु.) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बिक्री कर विभाग की ओर से चैक पोस्ट कायम करने के क्या आधार हैं? ऐसा चैक पोस्ट कहां–कहां पर है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एक चैक पोस्ट देवली (टोंक) पर भी कायम की हुई है? अगर हां तो सरकार को इससे क्या लाभ हुआ है? सन् 65 ई. से वर्षवार आंकड़े सदन में रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस चैक पोस्ट के एस. टी. ओ. व्यापारियों के साथ काफी ज्यादतियां करता है और उनको अनावश्यक तंग करता है?

(4) क्या यह सही है कि ज्यादा चैक पोस्ट कायम करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है?

उत्तर

(1) चैक पोस्टें चोरी की रोक-थाम के लिये कायम की गई हैं। ऐसी कायम की गई चैक पोस्टों का विवरण संलग्न है।

(2) जी, हां। इस चैक पोस्ट की वर्षवार आमदनी का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	आमदनी
1965-66	1,39,601/-
1966-67	1,2?,307/-
1967-68	1,35,107/-
1968-69	1,29,928/-

(3) इस चैक पोस्ट पर किसी भी सी. टी. ओ. या ए. सी. टी. ओ. की नियुक्ति नहीं है। अतः सी. टी. ओ. और ए. सी. टी. ओ. का व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी, नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

मिनी बस के परमिट

761. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ व्यक्तियों को मिनी बस चलाने के परमिट दिये हैं?

(2) यदि हां, तो किस किस तारीख से किस–किस मार्ग पर किस–किस व्यक्ति को बस के परमिट दिये और किस नियम के आधार पर दिये? सूची व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 34

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने राष्ट्रीयकृत बस मार्गों पर भी मिनी बस मालिकों को बस के परमिट दिये हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर किस-किस व्यक्ति को किस नियम के आधार पर परमिट दिये?

(4) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मिनी बसों के चलने के कारण अब तक सरकारी रोडवेज विभाग को कितने रुपयों का नुकसान हुआ है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची सम्बन्धित अधिनियम की धारा की प्रति सहित सदन की मेज पर रख दी गई हैं। ये परमिट मोटर व्हीकल्स एक्ट 1969 की धारा 51 के अनुसार दिये जाते हैं।

( ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(4) इसके कोई निश्चित आंकड़े नहीं दिये जा सकते परन्तु राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अनाधिकृत रूप से मिनी बसों के चलने से परिवहन निगम को आर्थिक हानि अवश्य होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंडार-भीनमाल रूट पर चलने वाली गाड़ियों का माडल

762. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मंडार से भीनमाल तक किस किस गाड़ी को परमिट दिया गया है और वे कौन-कौन से मॉडल की गाड़ियां हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि आर. जे. क्यू. 7123 को भीनमाल से मंडार तक परमिट दिया गया है मगर यह गाड़ी भीनमाल से रानीवाड़ा ही चलती है, व मंडार नहीं जाती? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) मंडार से भीनमाल पर निम्न गाड़ियों को परमिट दिये गये हैं जिनके मॉडल भी बताये गये हैं:—

वाहन सं.	मॉडल
आर. जे. एन. 2 5	डिस्पोजल (मिलिट्री)
आर. जे. एन. 298	1955

(2) जी यह सत्य नहीं है। आर. जे. क्यू. 7123 को कोई परमिट नहीं दिया गया है अतः उसके मण्डार तक जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सिधमुख नहर का सर्वे

763. श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सिधमुख नहर की सर्वे कराई गई थी और आगे कार्यवाही के लिए स्टाफ भी तैनात किया गया था?

(श्री शीशराम पूनिया)
यदि हां, तो इसमें क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी नहीं। योजना अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई कार्यों के ठेके

764. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई के कार्य के लिये किस-किस काम के लिये कौन-कौन से ठेके किस-किस रेट पर दिये गये ?

(2) 1 अप्रेल, 1967 से अब तक कौन कौन से काम में कितना-कितना रुपया सरकार द्वारा खर्च किया जा चुका है, विगतवार बतावें। इस समय उस काम की क्या स्थिति है ?

उत्तर

1. सूची "अ" संलग्न है।

2. सूची "ब" संलग्न है कुल 33 कार्यों में से 8 पर कार्य पूर्ण हो चुका है व अन्य कार्य प्रगति में है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांध पारा की डूब में आई भूमि

765. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी तहसील में बांध पारा नं. 2 कब बनाया गया ? इसके बनाने में कुल कितना खर्च हुआ ?

(2) इस बांध में कितने आसामियों की जमीन डूब में आई ?

(3) क्या डूब में आई जमीनों की एवज में उन काश्तकारों को जमीन दी गई है ? यदि हां, तो कहां पर ?

(4) क्या यह सही है कि पारा नं. दो के चादर के पानी से फारकिया के आसामियों की फसलों को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या उक्त चादर का पानी इस प्रकार निकालने का सरकार विचार रखती है कि फसलों को नुकसान न हो ?

उत्तर

(1) पारा नम्बर सन् 1964 में बन कर तैयार हुआ था। कुल साढ़े आठ लाख रुपया खर्च हुआ।

(2) इस गांव में कुल 187 आसामियों की जमीन डूब में आई।

(3) डूब में आने वाली भूमि की एवज काश्तकारों को भूमि दे दी गई है तथा बाकी

(सिंचाई मंत्री)
के काश्तकारों की भूमि देने को प्रश्न उप-जिलाधीश कार्यालय केकड़ी में विचाराधीन है। भूमि दिलाने का कार्य राजस्व विभाग से सम्बन्धित है।

(4) जी नहीं।

(5) फारकिया ग्राम में उक्त चादर का पानी निकालने हेतु नाले का निर्माण करवा दिया गया है। ताकि पानी मुख्य नाले में बह जाये और फसलों को कोई हानि नहीं हो।

ग्राम विसुन्दनी बांध योजना का सर्वे

766. श्री देवीलाल बरासिया (केकड़ी सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम विसुन्दनी तहसील केकड़ी में बांध की योजना कब से विचाराधीन है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या विसुन्दनी बांध का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब और इस बांध पर कुल कितना खर्चा होने का अनुमान है, और इस बांध से कुल कितना रकबा सिंचित होने की योजना है ?

(3) बांध से निकलने वाली नहरें कितनी लम्बी, कौन–कौन से गांव तक पहुंचेंगी ?

(4) बांध का काम कब से शुरू हो जायेगा और कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) सन् 1959 मे अब विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् योजना का तखमीना बना लिया गया है।

(2) जी हां, सन् 1968 में इस योजना पर अनुमानित लागत 25.15 लाख रुपये है और इससे 1619 एकड़ रकबा सिंचित होने की सम्भावना है।

(3) बांध से दो नहरें निकाली जायेंगी। दो नहर की लम्बाई 6 मील के लगभग है व बांई ओर की नहर की सर्वे अभी तक नहीं हुई है। बांई ओर वाली नहर गोरमा, विसुन्दनी, मेडपुरा, विन्दरा, कोहर ग्राम की हद तक के ग्रामों के पास से गुजरेगी।

(4) तखमीना शीघ्र ही पूर्ण किया जाकर केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा स्वीकृति आने पर व धन की उपलब्धि होने पर योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

बीज की तकाबी

767. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने अकाल ग्रस्त गांवों में बीज की तकाबी जिलेवार कितनी–कितनी गांवों में बंटवाई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हंसराज आर्य)

(2) क्या जो धनराशि तकावी के रूप में बीज के लिये जिलों में भिजवाई गई है उसे ठीक मान कर भेजा गया है? यदि नहीं, तो क्या और भी धनराशि बीज के लिये जिलों में भेजी जावेगी?

(स्थगित किया गया)

पोकरण-..लतूड सड़क का निर्माण कार्य

768. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर)** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पोकरण फलसूड सड़क वाया भनियाना किस वर्ष में प्रथमबार अकाल राहत विभाग द्वारा आरम्भ की गई थी?

(2) क्या यह सच है कि उस वर्ष से आज तक उपरोक्त सड़क पर अकाल राहत विभाग द्वारा बराबर कार्य किया जा रहा है? किस वर्ष में इस सडक पर कितना खर्च हुआ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि आज भी यह सडक पूर्ण नहीं हुई? अगर हां, तो कितने मील सडक बनी है और प्रति मील कितना खर्च किया गया है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(स्थगित किया गया)

ट्यूबवैल खोदन की स्वीकृति

769. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर):** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1968 व 1969 में अकाल सहायता विभाग को ट्यूबवैल खोदने की केन्द्र ने स्वीकृति दी थी? अगर हां, तो कितने ट्यूब वैल स्वीकृत हुए और किस जिले में कितने ट्यूब वैल खोदे गये? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्र ने स्वीकृति केवल रेगिस्तानी पांच जिलों के लिये दी थी? अगर हां तो दूसरे जिलो में खोदने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) वर्ष सन् 1968–69 में केन्द्रीय अध्ययन दल की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने 60 ट्यूब वैल खोदने तक केन्द्रीय सहायता की अनुमति दी थी। इनमें से 43 नलकूप सफल हुए है, जिनकी जिलेवार सूची इस प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम जिला	संख्या
1.	जैसलमेर	9
2.	बीकानेर	8
3.	जोधपुर	11
4.	नागौर	9
5.	बाडमेर	8
6.	जालौर	1
	योग :–	43

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

चाडी चोटीना में अकाल सहायता कार्य

770. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाडी चोटीना में इस अकाल के समय अकाल राहत कार्य आरम्भ किया गया ? अगर हां तो कार्य आरम्भ करने की तारीख मय मजदूर संख्या आरम्भ में और अन्त में कितनी कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस कार्य पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थीं और इस कारण यह कार्य बंद कर दिया गया ? अगर हां, तो कार्य वापिस आरम्भ करने के क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस सडक पर अधिकारी मय मिस्त्री मेट रंगे हाथों कई बार पकड़े गए ? अगर हां, तो आज तक कितने मुकदमें पुलिस को सौंपे गए हैं ? अगर नहीं सौंपे गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) यह सडक आज तक कितनी लम्बी बनी है और कितना खर्च हुआ है तथा प्रति मील कितना खर्चा हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि इस साल चाडी चोटीना में अकाल राहत कार्य चालू किये गये थे। चोटीना और चारडी कैम्प 2 दिसम्बर 1969 को चालू किया गया था और मजदूरों की संख्या 4,752 थी अन्त में मजदूर संख्या 9,000 थी।

(2) यह कार्य 28-2-69 को बंद किया गया था क्योंकि चारडी कैम्प पर मेटल और ग्रेवल सप्लाई का काम पूरा हो गया था और चोटीना कैम्प पर सिट्टी का काम पूरा हो गया था और मजदूर आगे नहीं बढ़ रहे थे। यह सही नहीं है कि यह काम भ्रष्टाचार की शिकायतों से बंद किया गया था। चोटीना कैम्प पर कम मजदूरों से वापिस काम चालू किया गया था और यह काम फलौदी चारडी रोड पर अपग्रेडिंग, सोलिंग बिछाई और मेटल कुटाई के लिए खोला गया था। ठेकेदार से मेटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन हो जाने पर यह काम संभव था इसलिये वापिस चालू किया गया।

(3) चारडी कैम्प पर एक जूनीयर इन्जीनियर को भ्रष्टाचार के अपराध में दिनांक 18-4-69 को पकडा गया था जिसकी प्राथमिक जांच करने के बाद दिनांक 7-5-69 को निलम्बित कर दिया गया था। यह केस पुलिस को सौंप दिया गया है।

(4) इस प्रश्न से यह जाहिर नहीं होता कि यह खर्चा और दूसरे विवरण किस सडक के लिए मांगा गया है क्योंकि चारडी कैम्प फलौदी-चारडी सड़क का कैम्प है और चोटीना ग्रेवल सडक चोटीना चाम्पासर का कैम्प है।

ग्राम ...डी में तालाब खुदवाने का कार्य

771. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 39

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(1) क्या ग्राम काडली तहसील नागौर की गांवाई नाडी (तालाब) खुदवाने के लिये सरकार ने 5000/- रु मन्जूर किये थे ?

(2) क्या मन्जूरी के दो दिन बाद काम बन्द कर दिया गया ?

(3) क्या तालाब पूरे 15 दिन खुदा ?

(4) क्या मजदूरों को मजदूरी केवल दो (2) दिन की दी गई ? यदि हां, तो किस रेट से और क्यों ?

उत्तर :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कार्य दिनांक 30-5-69 से 3-6-69 तक चला।

(3) जी नहीं। कार्य केवल पांच दिन चलाया गया था।

(4) जी नहीं मजदूरों को मजदूरी 30-5-69 से 3-6-69 तक की राज्य द्वारा निर्धारित दर से दी गई।

जिला बूंदी में अकाल सहायता कार्य

772. **श्री केशरीसिंह हाड़ा (डिन्डौली):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में कितने अकाल राहत कार्य कहां कहां चलाये गये और उनमें कितने श्रमिक कार्य पर लगाये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल राहत कार्यों में कुल कितनी धनराशि लगी और अलग अलग तहसील विभिन्न विभागों की कितनी कितनी दी गई ?

(3) जो कार्य 1966-67 में शुरू किया गया था और सन् 1969-70 में अधूरा रहते हुए भी पुनः शुरू नहीं किया गया के कारणों सहित, उक्त की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जो कार्य सन् 1966-67 में अधूरा रह गया उस पर कितनी धनराशि लग चुकी थी और अनुमानित कितनी राशि व्यय हो जाने पर यह काम पूरा हो जाता ?

(5) सन् 1969-70 में जो अकाल राहत कार्य शुरू किये गये हैं उनमें से कितने कार्य ऐसे हैं जो इस साल पूर्ण हो जावेंगे ? कितने कार्य ऐसे हैं जिनका कार्य बराबर शुरू रखा जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम लाक के तालाब पर कार्य

773. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा):** क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में ग्राम लाक, तहसील टोंक के तालाब पर कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो वह कार्य कब चालू हुआ और कुल कितना धन खर्च हुआ ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(2) क्या यह सही है कि उक्त तालाब किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज नहीं है ? यदि हो तो कौन कौन व्यक्ति हैं ?

(3) क्या यह उचित हैं कि खातेदारी तालाबों में अकाल राहत कार्य खातेदारों के मना करने पर भी किए जा सकते हैं और ऐसा करना उचित हैं ?

(4) क्या इस बांध से सिंचाई नहीं होती है ? यदि हां, तो कितना रकबा ?

(5) क्या यह सही है कि इस तालाब पर खर्च करने से कुछ चन्द खातेदारों को फायदा हुआ है ? यदि हां, तो यह कहां तक उचित है ?

(6) क्या यह सही है कि कार्य चालू होने के बाद उन खातेदारों से जबरन लिखावट करवाई है ? यदि नहीं, तो लिखावट कब की गई ? क्या कार्य चालू होने से पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया था ?

(7) क्या कार्य चालू करने से पूर्व जिला अधिकारियों द्वारा यह जानकारी कर ली गई थी कि उक्त तालाब किसी की खातेदारी में नहीं है ? यदि हां, तो कार्य क्यों चालू हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला टोंक में ग्राम लाक, तहसील टोंक के तालाब पर कार्य कराया गया है। यह कार्य दिनांक 13-5-69 को चालू किया गया और रु. 23,422.10 खर्च हुआ।

(2) जी नहीं। उक्त तालाब में चरागाह व खातेदारी दोनों ही किस्म की जमीन है। खातेदारों का विवरण संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(3) किसी भी खातेदार ने उक्त तालाब पर अकाल राहत कार्य करने को मना नहीं किया—अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। अभी सिंचाई नहीं होती है, कार्य पूर्ण होने पर लगभग 30 एकड़ भूमि की सिंचाई किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी नहीं। कार्य पूरा होने के पश्चात् किसी व्यक्ति विशेष को फायदा नहीं होगा, बल्कि काफी काश्तकारों को इसका लाभ होगा।

(6) जी नहीं। किसी से कोई जबरन लिखावट नहीं कराई गई। हां, कार्य प्रारम्भ होने पश्चात् के सरकार व खातेदारों के बीच बन्धन-पत्र की लिखापढ़ी दिनांक 1-7-69 को की गई है।

(7) जी नहीं। सर्वेक्षण एवं स्वीकृति के समय यह जिलाधिकारियों के ध्यान में नहीं था कि उक्त तालाब किसी की खातेदारी में है। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ही यह बात ध्यान में लायी गयी।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

आगरा रोड के 25 मील पर कार्य और उसकी मजदूरी

774. श्री कन्हैयालाल (बस्सी सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कन्हैयालाल)

(1) क्या यह सही है कि आगरा रोड के 25 मील पर अकाल राहत कार्य सन् 1969 में शुरू किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस अकाल राहत कार्य में जिन मजदूरों ने कार्य किया था उनकी मजदूरी अब भी बाकी है अगर हां, तो कितनी है ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त मजदूरों को बकाया मजदूरी कब तक दे दी जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

अकाल सहायता कार्यों पर व्यय

775. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों पर किस किस मद में कितने कितने रुपये किस किस जिले में खर्च हुए हैं और किस किस जिले में कितनी कितनी जन संख्या अकाल पीड़ित घोषित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य में इस वर्ष कौन कौन से जिलों में से कितना कितना क्षेत्रफल अकाल पीडित घोषित किया गया था ?

उत्तर

(1) सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(2) सूची संख्या दो में सूचना उपलब्ध है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सांचोर तहसील में घास की गाडियां

776. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जालौर जिले की सांचौर तहसील में घास की कितनी गाडियां किस किस तारीख को रानीवाडा स्टेशन पर उतरी और सांचोर कब कब पहुंची ? क्या लम्बे समय तक रानीवाड़ा पर घास गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

सांचोर तहसील में घास की गाड़ियां जिस जिस तारीख को गाड़ियां रानीवाड़ा स्टेशन पर उतरी और सांचोर पहुंची उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सांचोर में माह जनवरी, 1969 में उस समय तक चारा रानीवाड़ा पडा रहा उसका कारण परिवहन व्यवस्था में होने वाली कठिनाई थी।

(सूचि अधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समिति, केशोरायपाटन के कर्मचारी

777. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(1) पंचायत समिति, केशोरायपाटन जिला बूंदी में कुल कितने लिपिक कार्य कर रहे हैं ?

(2) इन लिपिकों में से कितने कनिष्ट लिपिक हैं और कितने वरिष्ठ लिपिक हैं और यह कब से कार्य कर रहे हैं।

(3) इनको सालाना वेतन वृद्धि किस किस को और कब कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) समस्त दोनों श्रेणी के लिपिकों में पिछड़ी जाति के कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आठ लिपिक कार्य कर रहे हैं।

(2) लेखा लिपिक सहित चार वरिष्ठ लिपिक व चार कनिष्ठ लिपिक हैं, यह लिपिक कब से कार्य कर रहे हैं यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सदन की मेज पर रखी गई सूची में यह सूचना भी दी हुई है।

(4) पिछड़ी जाति का कोई लिपिक नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

न्याय पंचायत के सचिव का बकाया वेतन

778. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री शिवचरणसिंह, सचिव न्याय पंचायत अधीना व पंचायत चिकसाना (जिला भरतपुर) रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उन्हें उक्त न्याय पंचायतों से पिछले 70 महीने का वेतन नहीं मिला है ?

(3) क्या यह सही है कि इस संबंध में उन्होंने विकास आयुक्त, पंचायत मंत्री एवं अन्य राज्य अधिकारियों को काफी लिखा-पढ़ी की ? यदि हां, तो उनके क्या परिणाम हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उन्होंने इस सब के विरोध स्वरूप 1 जुलाई, 1969 से भूख हड़ताल करने का नोटिस भी राज्य सरकार को दिया था जिसको स्थानीय राजनैतिक नेताओं द्वारा समझा बुझा कर स्थगित करा दिया ?

(5) क्या यह सही है कि इस संबंध में स्थानीय विधायक द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त, पंचायत मंत्री एवं मुख्य मंत्री को पत्र लिखे गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और कब तक इस वेतन का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। विकास अधिकारी को चढ़े हुए वेतन के संबंध में तथ्यों की जानकारी कर भुगतान कराने की व्यवस्था के लिए लिखा गया है।

(पंचायत मंत्री)

(4) श्री शिवचरण ने भूख हड़ताल का नोटिस दिया किन्तु हड़ताल नहीं की।

(5) जी हां, संयुक्त विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्रीजी को पत्र दिनांक 10 जुलाई, 69 को लिखे गये। वेतन बकाया रहने का कारण न्याय पंचायतों के पास धनराशि नहीं होना है। अतः शीघ्र वास्तविक स्थिति की जानकारी कर वेतन भुगतान संबंधी यथायोग्य कार्यवाही की जावेगी।

प्रशिक्षित ग्राम सेवक

779. श्री हरजीराम बुरडक : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जुलाई, सन् 1968 में कितने ग्राम सेवक प्रशिक्षित होकर निकले ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(2) उपरोक्त ग्राम सेवकों की कब कब कहां कहां पर किस किस के द्वारा नियुक्ति की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जुलाई सन् 1968 में कुल कितने अप्रशिक्षित ग्राम सेवक पंचायत समितियों में कार्य कर रहे थे ? समिति वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि ज्यों ही प्रशिक्षित ग्राम सेवक उपलब्ध होंगे, त्यों ही अप्रशिक्षित ग्राम सेवकों की सेवायें अपने आप समाप्त हो जायेंगी ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सेवक की नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हुई ?

(5) क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने का इरादा रखती है कि भविष्य में ज्यों ही ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र से निकले उनको वहीं पर नियुक्ति आदेश मिल जायं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(6) उपरोक्त ग्राम सेवकों की नियुक्ति में हुई देरी के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जुलाई, 1968 में 254 ग्राम सेवक प्रशिक्षित होकर निकले। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) इनमें से 87 ग्राम सेवकों को अक्टूबर, 68 में एवं 167 ग्राम सेवकों को फरवरी, 69 में नियुक्ति हेतु अलोट किया गया जिसकी सूचना सदन की मेज पर रखी सूची में सम्मिलित है।

(3) जिन पंचायत समितियों में अप्रशिक्षित ग्राम सेवक कार्य कर रहे थे, उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) जी नहीं।

(5) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित होकर निकलने वाले ग्राम सेवकों को यथा संभव प्रशिक्षण समाप्त होते ही लगा दिया जाता है, परन्तु स्थान रिक्त न होने पर उन्हें नियुक्ति हेतु इन्तज़ार करना पड़ता है।

(6) स्थानाभाव के कारण विलम्ब हुआ है इसलिए किसी की जिम्मेदारी होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई]

पंचायत समितियों का पुनर्गठन

780. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समितियों के पुनर्गठन के कार्य पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने से पूर्व पूर्ण हो जायेंगे ?

(2) यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(3) इस संबंध में बनाये गये आयोग पर अब तक कितना खर्चा हो चुका है और अब कितना खर्चा और हो जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति, जहाजपुर के किसानों को ऋण

781. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां):** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाडा जिला की जहाजपुर पंचायत समिति ने सन् 66–67 में एक लाख पचास हजार रुपया किसानों को ऋण वितरण किया था ? यदि हां, तो किस किस ग्राम के किस किस किसान को कितना कितना रुपया किस किस कार्य के लिये दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि उस कर्जे की रकम को किसानों को नहीं दे कर भीलवाडा की एक फर्म को चैक के द्वारा दे दिया गया ? यदि हां, तो किस चैक नम्बर से, किस फर्म को दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, 1,56,996 रुपया पम्पिंग सेट के लिए ऋण के रूप में किसानों को वितरण किया गया जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । कुछ मामलों में फार्म को चैक द्वारा अथवा नकद भुगतान किया गया जिसका विवरण सदन की मेज पर रखी गई सूची में दिया गया है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

ग्राम पंचायत, चन्दलाई को नीलामी से आय

782. **श्री हरजीराम बुरडक :** क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत, चन्दलाई पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर ने चारागाह, तालाब, नाडी, पायतन आदि के खेजडियों का लूग नीलाम किया था और उसकी आय पंचायत में जमा की है ? यदि हां, तो इस वर्ष और गत वर्ष में किन किन खसरा नम्बरों की किन किन भूमियों की खेजडियों का लूग कब कब किन किन व्यक्तियों को कितने कितने रुपयों में नीलाम किया और कब कब किन किन ने रुपये जमा किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त पंचायत के अधिकार में कौन कौन सी भूमि किन किन खसरा नम्बरों की तथा कितने कितने बीघा कब कब से है? यदि इनमें कोई नाडी या तालाब की हो तो नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

उद्योग प्रसार अधिकारी

783. **श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में उद्योग प्रसार अधिकारियों को पंचायत समितियों से हटाने के पूर्व किस किस पंचायत समिति में कौन कौन से उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा था? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) प्रशिक्षण हेतु क्या क्या सामान पंचायत समिति में उपलब्ध था, उस सामान का क्या हुआ? अब किस किस पंचायत समिति में उसमें से क्या क्या सामान इस समय स्टोर में मौजूद है और वह किस काम में आ रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त सामान का उपयोग करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी?

(स्थगित किया गया)

जिला जालौर की सस्ते अनाज की दुकानें

784. **श्री देवीदत्त गाडिया (बारां)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला जालौर के सांचोर तहसीलदार ने सस्ते अनाज की दुकानों पर (1968-69) नवम्बर, दिसम्बर 1968 व जनवरी व फरवरी 1969 में किस किस व्यापारी को गेहूं का कितना कितना परमिट दिया? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, उस गेहूँ के वितरण के लिए क्या आधार बना रखा है?

(2) क्या यह सत्य है कि सांचौर तहसील में समानता से गेहूँ का वितरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

चित्तौडगढ़ पंचायत क्षेत्र के प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों पर डाक्टरों की नियुक्तियां

785. **श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौडगढ़)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर साया, डिस्पेन्सरी घोसुन्डा, डिस्पेन्सरी बस्सी में इस समय कोई डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं? क्यों नहीं वापिस इनकी पूर्ति की जाती है? यह कब से खाली है? तारीख देने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि चित्तौडगढ़ होस्पिटल में डा. रामपाल का तबादला भीलवाडा से किया गया था वह कैंसिल कर दिया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब वहां पर किसको लगाया जा रहा है?

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

(3) इस जिले में अब कितने प्राइमरी हैल्थ सेंटर एवं डिस्पेंसरी, होस्पीटल में डाक्टर नहीं हैं ? सूची देने की कृपा करें और कब तक उनकी पूर्ति होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पर प्रा. स्वा. केन्द्र साया में डा. एस. डी. अग्रवाल, स्वा. अधिकारी, भरतपुर को लगा दिया गया है। उक्त प्रा. स्वा. केन्द्र में डाक्टर का पद दि. 2?-5-69 से रिक्त था।

डिस्पेंसरी घोसुन्डा एवं बस्सी में डा. के पद क्रमश: दिनांक 24-10-68 एवं 20-5-69 से रिक्त हैं। उक्त दोनों ही स्थानों पर डाक्टर्स उपलब्ध होने पर नियुक्तियां प्राथमिकतानुसार सम्भव हो सकेंगी।

(2) जी हां प्रशासनिक कारणों से एवं वहां अब डा. एस. एस. नाहर को लगा दिया गया है।

(3) जिले में प्रा. एवं स्वा. केन्द्र व डिस्पेन्सरियों में डाक्टर के पद रिक्त हैं उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

प्रा.स्वा. केन्द्र	डिस्पेन्सरीं
1. बारा-वरदा	1. बम्बोरी
2. भैंसरोड़गढ़	2. गोसून्दा
3. कनेरा	3. बस्सी
4. दलौट	4. नन्दबाई
5. मन्डफिया	5. अचनेरा
6. डूंगला	6. अरनोद
	7. निकुम
	8. लाड़पुरा
	9. बान्सी

डाक्टरों के उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के अनुसार इन प्रा. स्वा. केन्द्रों व डिस्पेन्सरियों में डाक्टर भेजने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

श्री सुखदेव जनाना अस्पताल लाडनूं

786. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि श्री सुखदेव जनाना अस्पताल लाडनूं को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और किस की ओर से क्या प्रस्ताव है और उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा अंतिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

(2) यह प्रस्ताव यदि सरकार स्वीकार करती है तो कितने मूल्य की सम्पत्ति राज्य सरकार को प्राप्त होगी और उसके बदले कितना खर्चा सालाना होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। रतनलाल सरावगी, ट्रस्टी सुखदेव चैरिटी एस्टेट, लाडनूं ने दिनांक 1-4-69 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तावानुसार वे श्री सुखदेव जनाना अस्पताल लाडनूं का भवन व तमाम साज-सामान सरकार को इस शर्त पर दान देना चाहते हैं कि सरकार स्वयं इसे इसी नाम से राजकीय अस्पताल के रूप में चलाये। इस संबन्ध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

Page No 47

(चिकित्सा मंत्री)

(2) सम्पत्ति की सूचना दान दाता से प्राप्त नहीं हुई है। यह सूचना प्राप्त होने पर ही खर्चे का हिसाब लगाया जा सकेगा।

हरिजनों द्वारा नौकरियों के लिए दरख्वास्त

787. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

बीकानेर जिले में गत एक वर्ष में हरिजनों ने नौकरियों के लिए कहां कहां कितनी दरख्वास्तें दीं तथा उनमें से कितने लोगों को नौकरी के लिये भेजा गया तथा कितनों को रखा गया ?

उत्तर

एक जुलाई सन् 68 से 30 जून, 1969 तक बीकानेर जिले में 503 हरिजन व्यक्तियों ने नौकरी चाहने हेतु वहां के नियोजन कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाया उनमें से 176 व्यक्तियों को नौकरी के लिये भेजा गया। इस अवधि में 42 हरिजनों को नियोजन कार्यालय की सहायता से नौकरी मिली।

उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर के अध्यापकों द्वारा उठाई गई सरकारी रकम

788. श्री गंगासहाय (कठूमर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर जिला अलवर के किन किन अध्यापकों ने कब कब कितनी कितनी सरकारी रकम व्यक्तिगत कार्य के लिए उठाई और किस के आदेश से उठाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस सम्बन्ध में निरीक्षक, शाला में जिला अलवर को केशीयर के द्वारा सूचना (शिकायत) भेजी गई थी ? यदि हां, तो निरीक्षक ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर के किसी अध्यापक ने कोई सरकारी रकम व्यक्तिगत कार्य के लिये नहीं उठाई है।

(2) जी नहीं।

पाठशालाओं में भूगोल विषय की पढाई

789. श्री देवीलाल बरासिया (केकड़ी सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि केकड़ी नगर के आसपास की माध्यमिक पाठशालाओं में भूगोल विषय पढाया जाता है ?

(2) अगर हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त पाठशालाओं के विद्यार्थियों को केकड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला में प्रवेश के समय केकड़ी में भूगोल विषय न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर वासियों द्वारा उक्त विषय खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये गये थे ?

(4) अगर हां, तो अब तक उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1) केकड़ी नगर के आसपास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सावर एवं राजकीय माध्यमिक शाला, सरवाड़ में भूगोल विषय पढ़ाया जाता है।

(2) ऐसी कोई आपत्ति विभाग के समक्ष नहीं आयी है।

(3) जी हां।

(4) उक्त वांछित विषय में अतिरिक्त अध्यापक के अभाव के कारण इसकी स्वीकृति देना सम्भव नहीं हो सका।

केकड़ी में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ड्राइंग विषय की पढाई

790. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में उच्च माध्यमिक कक्षाओं में ड्राइंग विषय नहीं पढ़ाया जाता है ?

(2) क्या सरकार उक्त विषय उच्च कक्षाओं में खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) ड्राइंग विषय खोलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

बाल मन्दिर सवाई माधोपुर

791. श्री रावतराम (छापर सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला रचनात्मक सवाई माधोपुर द्वारा संचालित बाल मंदिर (मान टाउन) के स्टाफ में कौन कौन व्यक्ति काम करते हैं ? उनका प्रत्येक का वेतन और योग्यता क्या है ?

(2) उक्त संस्था ने समाज कल्याण बोर्ड से कितनी कितनी सहायता किस किस काम के लिए किन किन वर्षों में प्राप्त की है ?

(3) संस्था के संचालक मण्डल में शिक्षा विभाग के कौन कौन पदाधिकारी हैं और उन्होंने किस किस वर्ष में कितनी कितनी मीटिंग्स अटेण्ड की हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(26-8-69)

मेडिकल डाक्टर्स का पैंडिंग भत्ता

583. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के मेडिकल आफिसरों (डाक्टर) के अलाउन्स भत्ते सन् 1962 से पैंडिंग पड़े हुए हैं ?

(2) अगर हां, तो कितनों का बकाया है और इनको कब तक दे दिया जायेगा ?

Page No 49

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) प्रश्नकर्ता द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के अलाउन्स भत्ते के बारे में स्पष्ट नहीं पूछा गया है कि किस प्रकार का अलाउन्स या भत्ता 1962 से पैंडिंग है। चिकित्सा विभाग में रूरल अलाउन्स, रिस्क अलाउन्स व अन्य सामान्य भत्ते भी दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक प्रश्न से यह स्पष्ट न हो कि किस भत्ते के बारे में जानकारी चाही गई है, जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है।

इसके अलावा यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार व निदेशालय में यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि किस जिले में किस भत्ते के कितने बिल कितनी रकम के 1962 से पैंडिंग हैं। यह सूचना प्रत्येक जिलाधिकारी से मंगवानी पड़ेगी जिसके लिये भी समय चाहिए। यदि प्रश्न में यह स्पष्ट कर दिया जावे कि किस भत्ते विशेष के बाबत जानकारी चाही गई है तो उसी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर ली जावे।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के संदर्भ में इसका उत्तर प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के साथ ही वांछित स्पष्टीकरण के बाद ही दिया जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(26-8-69)

गेहूं का आयात और खराब होने के कारण

621. श्री [illegible] (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 66 से आज तक राजस्थान के किस किस जिले में कितनी कितनी आयातित गेहूँ की बोरियां आईं और उसमें से कितनी बोरियां किस किस स्थान पर किन किन कारणों से खराब हो गईं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार को इसमें प्रति वर्ष कितने रुपयों का नुकसान हुआ और किन कारणों से ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(26-8-69)

चूरू जिले में अकाल सहायता केन्द्रों पर हुए जापे एवं श्रमिक स्त्रियों को सहायता

63[illegible]. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चूरू जिले में अकाल सहायता कैम्प शुरू होने पर कितने कैम्पों पर कितनी श्रमिक स्त्रियों के जापे हुये और उन्हें क्या क्या सहायता व सहूलियतें राज्य सरकार से दैनिक मजदूरी व विशेष सहायता के रूप में दी गई? अलग अलग नाम पते सहित बतलाने की कृपा करें।

उत्तर

चूरू जिले में अकाल सहायता कैम्प शुरू होने पर किसी कैम्प पर किसी श्रमिक स्त्री के जापे नहीं हुए। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 50

स्थगित प्रश्न

(18-8-69 व 26-8-69)

अधिकारियों पर होने वाला खर्च

202. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) वर्ष 1951 में राजस्थान में कितने कितने राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी व अन्य कर्मचारी राज्य सेवा में थे ? कृपया सभी श्रेणियों का विवरण बताया जाये।

(2) वर्ष 1951 में राजपत्रित अधिकारी वर्ग पर कितना खर्च राजकीय कोष से वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाओं पर होता था ?

(3) 1951 में राजकीय कर्मचारियों पर राजकीय कोष से कितना खर्चा वेतन, भत्ता व अन्य सुविधाओं पर होता था ?

(4) 1967 में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारी वर्ग पर अलग-अलग कितना व्यय भत्ता, वेतन व अन्य सुविधाओं पर होता है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(18-8-69 व 26-8-69)

68-69 में अकाल घोषित जिलों में व्यय

225. **श्री दिग्विजयसिंह** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) वर्ष 1968-69 से राजस्थान प्रदेश में किन किन जिलों में अकाल घोषित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन जिन जिलों में अकाल घोषित किया है उन जिलों में राज्य सरकार द्वारा अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ? कृपया जिलेवार व तहसीलवार सूची सदन में रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अभावग्रस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा किये गये जिलेवार व्यय की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। यूनिट आफ अकाउन्ट तहसील न होने के कारण तहसीलवार सूची देना सम्भव नहीं है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न

(19-8-69 व 26-8-69)

डूंगरपुर-बांसवाड़े में अकाल का स्थाई हल

2.. **श्री महेन्द्रकुमार (पाड़वा सु.)**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर बांसवाड़े में एक फसली जमीन बहुत है? वर्षा का अभाव अधिक होने से वहां अकाल की स्थिति का हमेशा खतरा रहता है ? यदि हां, तो सरकार के समक्ष उसके स्थाई हल के लिए क्या कोई योजना है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 51

(श्री महेन्द्र कुमार)

(2) क्या यह सही है कि इन जिलों में चावल, सोपस्टोन, कपास आदि की अच्छी पैदावार होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कच्चे माल की दूसरी और निकासी को बन्द कर क्षेत्र में ही, पब्लिक अण्डरटेकिंग में कारखाने खोलकर रोजगार के साधनों में वृद्धि करने की ओर कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इसके स्थाई हल के लिये सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि और भू-संरक्षण कार्य के प्रस्ताव अकाल पीड़ित क्षेत्रों पर की समस्याओं पर विचार हेतु नियुक्त कार्यकारी दल ने किये हैं जिनको चौथी योजना में क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त माही परियोजना पूरी होने पर इस क्षेत्र में 76000 एकड़ भूमि में सिंचाई की जायेगी।

(2) जी हां। सरकारी क्षेत्र में मान्डो की पाल पर फ्लोराइट बेनिफिसियेशन प्लान्ट के अतिरिक्त अभी कोई कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(12.05 म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामचन्द्र आर्य, राजवी श्री रूपसिंह, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रामसिंह कुड़ी, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, व श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें यह बतलाया है कि गत 4 दिनों से शिक्षा विभाग, बीकानेर के कार्यालय के सामने कुछ अध्यापक अपनी मांग मनवाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। जिससे अध्यापक वर्ग में असन्तोष है।

एक अन्य प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने पेंशनरों की मांगों पर सहानुभूति से विचार करने तथा उनकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये निवेदन किया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि पेंशनरों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य 3 सितम्बर, 69 को दिया जाय तथा अध्यापकों की मांगों के सम्बन्ध में कल या परसों सुविधानुसार माननीय मन्त्रीजी स्थिति को स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : मेरी जानकारी में धरना कल समाप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार हैः--

(1) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना में जोधपुर शहर में लांचू कालेज के विरुद्ध प्रकाशित समाचारों के कारण

(श्री उपाध्यक्ष)

-कुछ पत्रकारों एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं को गुण्डों द्वारा पीटे जाने का उल्लेख किया है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी इन्हीं माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है जिसमें ग्राम खोखर, तहसील परबतसर के तालाव में चल रहे राहत कार्य के सम्बन्ध में तहसील परबतसर द्वारा 30 प्रतिशत मजदूरी काटकर मजदूरों को भुगतान किये जाने का उल्लेख किया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह व श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें ग्राम आवां क्षेत्र तहसील देवली, जिला टोंक में कंजरों द्वारा आतंक फैलाने तथा जिला बूंदी की पुलिस द्वारा उनका घेरा डाला जाने आदि का उल्लेख किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिस का थाना वहां से हटाया जा रहा है। इस मामले का सम्बन्ध शान्ति और व्यवस्था से है और यह सरकार की देखने की बात है कि पुलिस का थाना कहां पर रखा जाये।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्रवणलाल व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें हिण्डौन में दिनांक 26-6-69 को हुई गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में पुलिस व अन्य अधिकारियों की ज्यादतियों का उल्लेख किया गया है। इस गोलीकांड की जांच के आदेश हो चुके हैं और यदि ऐसी कोई कार्यवाही की गई है तो इसे जांच के समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें बारां की पुलिस द्वारा नगर के एक बोहरे की दुकान में पाट्न्दा ग्राम के पटेल की दिन दहाड़े कथित हत्या के मामले को बिगाड़ देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि गवाहों के बयान नहीं करवाये जाकर हत्यारों को फायदा पहुंचाने की कार्यवाही की गई है। ये सारी बातें तफतीश से ताल्लुक रखती हैं जिसका सदन में विचार नहीं किया जा सकता।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री किशनलाल शाह, राजवी रूपसिंह, श्री रामकिशन, श्री आदित्येन्द्र, श्री रामसिंह कुडी, श्री आईदानसिंह, श्री रावतराम, श्री बालसिंह सोढ़ा व श्री नरथीसिंह सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें इस वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, एम. ए. फाइनल अर्थ शास्त्र परीक्षाओं के एक प्रश्न-पत्र अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखने में अनियमितता होना बतलाया है। यह मामला स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

इनके अतिरिक्त ये सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। इनके अलावा कुछ स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी चाही गई थी। अब इन मामलों में जानकारी प्राप्त हो गई है और इनका उल्लेख नीचे किया जाता है :

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामकुमार नन्दवाना, सदस्य विधान सभा ने कपासन ग्राम के कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने एवं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसके उत्तर में यह बतलाया गया है कि कुछ विद्यार्थियों ने दिनांक 15-8-69 को राष्ट्रीय भण्डे को किसी भवन से उतार लिया था। इस सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कर कर लिया गया है और कुछ विद्यार्थियों की गिरफ्तारी भी कर ली है। कपासन में अब स्थिति नियन्त्रण में है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा से भरतपुर की वैगन फैक्टरी की हड़ताल के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह बतलाया गया है कि श्रमिकों ने हड़ताल वापिस ले कर कार्य पर आने का आश्वासन दे दिया है तथा मिल मालिकों ने भी हड़ताल के दौरान श्रमिकों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करने का आश्वासन दिया है।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : हड़ताल खत्म हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर वाटी क्षेत्र (झुंझुनू) पंचलंगी मीणा जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है कि पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से वहां की जनता को संतोष है तथा तफतीश के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की कोई शिकायत नहीं की गई है। इस इलाके में पूर्ण शान्ति है तथा सुरक्षा की दृष्टि से पंचलंगी में एक अस्थाई चौकी की स्थापना भी कर दी गई है।

श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा ने बनी पार्क जयपुर स्थित गायत्री इंगलिश स्कूल के मकान को खाली कराने की कार्यवाही में प्रधानाध्यापकों को चोट आना तथा पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी दी गई है उसमें यह कहा गया है कि यह मामला अदालत में एक इस्तगासा मिस बैन्जामिन द्वारा दर्ज कराया गया है, जो वहां विचाराधीन है। दो मामलों में थाना बनीपार्क में तफतीश भी चल रही है तथा मिस बैन्जामिन द्वारा एक सिविल सूट भी दायर किया गया है, यह मामला सब-ज्युडिस है।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना ग्राम बोराज तहसील दूदू में गृह मंत्रीजी के पी. ए. तथा सिंचाई मंत्री जी के पी. ए. के लडकों के नाम नाजायज तौर पर भूमि एलोटमेंट के संबंध में श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह कहा गया है कि इनको राज्य सरकार के आदेशानुसार भूमि का कब्जा दिलाया गया है तथा इसमें पुलिस की सहायता नहीं ली गई है।

उक्त भूमि पर कोई कच्ची ढोली बनी हुई नहीं थी और इस पर कोई काश्त भी नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

की गई। यह बात भी निराधार बतलाई गई है कि तहसील टूडू में आवंटन की कोई नकल नहीं दी जा रही है, इसके लिये तहसील में कोई आवेदन-पत्र ही नहीं प्रस्तुत किया गया।

राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त जानकारी के आधार पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री केदारनाथ सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान के इन्जीनियरिंग उद्योग के श्रमिक 16 अगस्त, 1969 से आम हड़ताल पर हैं। इस विषय में श्रम मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। इस सम्बन्ध में यह जानकारी मिली है कि मिल मालिकों ने श्रमिकों को अन्तरिम वेतन बढ़ोत्तरी सम्बन्धी राज्य सरकार की सिफारिश को नहीं माना है और अब श्रमिक मिल मालिकों के मकानों के सामने धरने पर बैठ गये हैं जिससे विकट स्थिति एवं अव्यवस्था पैदा हो गई है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूँगा कि मंत्री महोदय आज ही इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य देने की कृपा करें।

श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने ग्राम फेफाणा तहसील नोहर के हायर सेकेन्डरी स्कूल में सीनियर टीचर के स्थान रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इन रिक्त स्थानों के संबंध में शीघ्र विचार करें।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें ब्यावर में एडवर्ड कपड़ा मिल्स के तारीख 26 अगस्त, 1969 से बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस विषय में उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1969 को स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया जा चुका है।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री [illegible] : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था, उस पर आपने कहा कि केस कोर्ट में चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उस स्थगन प्रस्ताव में यह भी था कि मिस बैंजेमन की जान को खतरा है, स्कूल को खतरा है क्योंकि मकान मालिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और स्थानीय एस. पी. उनके निकट के सम्बन्धी हैं, इसलिये थानों में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मिस बैंजेमन के पीछे लोग इस तरह फिरते हैं कि उनकी जान को खतरा है, बच्चों को और अध्यापिकाओं को मारा गया है, निरन्तर उनकी जान को खतरा है। वे होम मिनिस्टर के पास गईं और अन्य अधिकारियों के पास गईं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिये मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें वह आशा व्यक्त की है कि होम मिनिस्टर साहब ऐसा आश्वासन दें कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं होने दिया जायगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निश्चित रूप से आश्वासन दे।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी गई है, उसके बाद में यह यहां चर्चा का विषय नहीं बन सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके सम्बन्ध में आपने फरमाया था कि सूचना मंगाई गई है। पर उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : सूचना आने पर व्यवस्था दे दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था, उसमें यह जानकारी चाही थी···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! व्यवस्था दे दी गई है, अब उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐडवर्ड मिल के सम्बन्ध में बात रखी थी···

श्री उपाध्यक्ष : एडुवर्ड मिल के संबंध में 26 तारीख को श्रम मंत्री द्वारा वक्तव्य दे दिया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्रम मंत्रीजी ने दिया, उद्योग मंत्रीजी ने नहीं दिया। इसमें उद्योग मंत्रीजी से निवेदन किया गया है कि 26 तारीख को हड़ताल हुई तो वे केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करें कि वह इस मिल को टेक-ओवर कर ले। उद्योग मंत्रीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस समय जो निर्णय लिया गया है उससे अधिक कहने की स्थिति में मैं आज नहीं हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में, हिन्डौन में····

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कमीशन आफ एन्क्वायरी बैठा हुआ है, मैंने व्यवस्था दी है, उसके बाद इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री श्रवणलाल : आपने व्यवस्था दी है वह ठीक है····

श्री उपाध्यक्ष : फिर इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : आज हिन्डौन की जनता के साथ में किस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है, किस प्रकार तंग किया जा रहा है, गुंडों के द्वारा किस तरह पिटाई की जा रही है। किस तरह उनको झूठे केसेज में फंसा कर पनिशमेंट दिया जा रहा है, किस तरह गोली-काण्ड को उचित ठहराने के लिये, लोगों को कबूल करवाने के लिये गुंडों के द्वारा मारा जाता है, 307 के मुकदमें बना बना कर, झूठे केसेज में फंसा कर जनता को तंग किया जाता है····

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारी जिन्होंने सरे आम गोलीकाण्ड करवा कर लोगों की हत्या करवाई, वे आदमी अगर उस स्थान पर रहेंगे तो गोलीकांड की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री श्रवणलाल : इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो अधिकारी उन केसेज में

(श्री श्रवण लाल)

इन्वाल्व्ड हैं. उनको फौरन वहां से ट्रांसफर करना चाहिए ताकि आज जो गोली कांड की न्यायिक जांच चल रही है, उसमें निष्पक्षता से.....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री श्रवणलाल : ताकि वे अधिकार उसमें इन्टरफीयर नहीं करें और इसलिए उनको वहां से फौरन ट्रांसफर करना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल सही मार्ग है, अधिकारी वहीं बने हुए हैं, टेरराइज करते रहें, यह तो ठीक नहीं। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राम बोराज में एलाटमेंट के सम्बन्ध में आपने अपनी व्यवस्था दी है। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो कहा गया है कि वहां पर उन लोगों का पहले वालों का कब्जा नहीं था और खड़ी फसल पर कब्जा नहीं किया गया, डोली नहीं तोड़ी गई, ये तीनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। जिन लोगों को एलाटमेंट किया गया है वे जयपुर शहर के रहने वाले हैं, केवल माननीय गृह मंत्री के पी. ए. के लड़के के नाम से है या इरिगेशन मंत्री के पी.ए. के लड़के के नाम से है। जो जयपुर में रहने वाले हैं और पिता का नाम न देकर उन लोगों को एलाटमेंट करना, उसका कोई, किसी प्रकार का आधार नहीं होता है, मैंने खुद उन लोगों के खसरा नंबर देखे हैं, उनका कब्जा चार साल से मौजूद है और अभी तक कुम्हारों ने काश्त की है....

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा नहीं होगी। व्यवस्था देने के बाद चर्चा इस पर नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो उत्तर दिया गया है, बिल्कुल गलत तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में जो तथ्य हैं वे दूसरे हैं, कम से कम मंत्रीजी यह तो बतायें ..

श्री उपाध्यक्ष: आपको कुछ तथ्य तो मालूम हो गए। आप सोच रहे हैं कि एलाटमेंट हो गया है। आपको इतनी जानकारी काफी है। मैंने डिसएलाउ किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 4 तारीख को एलाटमेंट कमेटी ने एलाट किया था और 5 तारीख को सेक्रेटेरियट से एलाटमेंट हुआ था। ऐसे व्यक्तियों को एलाट हो जाती है जिनका गांवों से कोई ताल्लुक नहीं है। भूमिहीन लोगों को बेदखल किया जाय और पी. एज. को एलाटमेंट हो जाय, यह क्या आधार है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार बताये कि एलाटमेंट किया गया है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार कुछ भी नहीं बताएगी। हमने व्यवस्था दे दी, मंत्री महोदय वक्तव्य नहीं देंगे। उसके बाद सरकार क्या बताएगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने तथ्यों के आधार पर जो जानकारी प्राप्त की है, उसमें तथ्य है या नहीं कि 4 तारीख को एलाटमेंट कमेटी ने एलाटमेंट किया था और 5 तारीख को सेक्रेटेरियट से एलाटमेंट हुआ था पी. ए. को, यह तथ्य है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : लाभचन्दजी, आपके स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था बाद में दी जायगी।

Page No 57

श्री श्रवणलाल : हिन्डौन की जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यहार क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी, मंत्री महोदय ने सुन लो, आपने अपनी बात कही है, जो उचित समझेंगे वे करेंगे। आसन ने व्यवस्था दे दी, उसके बाद चर्चा नहीं उठेगी। मुख्य मंत्री जी।

श्री श्रवणलाल : आसन की व्यवस्था तो शिरोधार्य है। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि हिन्डौन की जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यहार क्यों किया जा रहा है ? केसेज उन पर चलाए जा रहे हैं ? एक तरफ न्यायिक जांच हो रही है, दूसरी ओर गुंडों द्वारा मारपीट हो रही है और कई व्यक्तियों को दो तीन दिन पहले भरे बाजार में इस तरह से पीटा कि उनका जीना मुश्किल हो रहा है और उसके साथ साथ 10% में केसेज बनवा बनवा कर, षड्यंत्र रचकर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। रोजाना मार-पीट हो रही है। मैं मुख्य मंत्री से आश्वासन चाहूंगा कि या तो उन केसेज को विथड्रा करें, नहीं करते हैं तो जितने आफीसर्स इस गोली कांड में इन्वोल्वड हैं उनको वहां से फौरन ट्रांसफर किया जाना चाहिए।

श्री प्रेमसिंह [illegible] (छबड़ा) : मुख्य मंत्री कुछ तो बतायें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने हायर सेकेन्डरी स्कूल के संबंध में ....

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक अध्यापक की पोस्टिंग के लिए स्थगन प्रस्ताव ....

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां लड़कों का जीवन नष्ट हो रहा है। [illegible] वहां भी मास्टर नहीं भेज रहे हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा मेरे इलाके में हायर सेकेन्डरी स्कूल में है और उसकी स्थिति इतनी खराब है कि बारबार विभाग को लिखने के बावजूद वहां कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस बारे में सरकार से आश्वासन दिलाया जाय कि....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना की कद्र करते हुए हमने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि वह जल्दी वहां एक शिक्षक लगादें, इसमें चर्चा की क्या बात है ?

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : मैंने 26 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : रोशन लाल जी तोड़ने के लिए कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की मांगों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया गया है ...

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा मुख्य मंत्री से जो हिंडौन के संबंध में जानकारी के लिये प्रार्थना की गई है ..

श्री उपाध्यक्ष : सूची का दूसरा विषय ले लिया गया है। आप बीच में बाधा उपस्थित न करें, आपने भावना प्रकट करदी ...

श्री रामकिशन : भावना का असर क्या हुआ ?

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

(श्री रामकिशन)

भावना का असर तो नहीं होता है। एन्क्वायरी के साधारण नियम हैं कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है और यदि न्याय संगत जांच चाहते हैं तो उन अधिकारियों को वहां से हटाया जाना चाहिए, हम तो ट्रांसफर ही चाहते हैं। यह तो बिल्कुल न्यायोचित मांग है। उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि एन्क्वायरी सही नहीं हो और ऐसे अधिकारियों के रहने से दुबारा उत्तेजना हो और कोई स्थिति बन गई तो उसकी जिम्मेदारी राज्य-सरकार पर होगी। इसलिए मैं गृह मंत्री और मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि उन अधिकारियों को वहां से हटाया जाय और इस प्रश्न को इस तरह से न टाला जाय जैसे गृह मंत्री सोच रहे हैं। इस मामले में सरकार को कदम उठाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। हिंडौन के मामले को लेकर काफी चर्चा हो चुकी है। सरकार का स्पष्टीकरण मैंने स्पष्ट बताया था और यहां भी बताता हूं कि जहां तक उन मुकदमात का संबंध है जिनका सीधा संबंध फायरिंग से है उनका चालान पेश नहीं किया जायगा। सतीशचन्द्रजी ने भी इस बात के लिए कहा था तब भी मैंने उन मुकदमात जिनका फायरिंग से संबंध है उनके कहने पर उन मुकदमात को रोकने के लिए आश्वासन दिया, उस पर सरकार बराबर कायम है और उन मुकदमात का जब तक एन्क्वायरी चल रही है, तब तक अदालत में चालान प्रस्तुत नहीं किया जायगा। रहा सवाल कि वहां जो समाज विरोधी तत्वों ने जुर्म किए हैं तो चालान का इससे संबंध नहीं। जो जो जुर्म हुए हैं और जो जो मुल्जिमान वाकई हैं, उनका चालान किया गया है कुछ मुकदमात बाकी रह गए हैं, उनका चालान किया जायगा।

अधिकारियों के तबादले के लिए बार-बार बात कही जाती है, तो उनके तबादले का सरकार का विचार नहीं है कि सरकार वहां से उनको ट्रांसफर करे और जांच के अंदर किसी प्रकार की बाधा उसमें नहीं आने वाली है। माननीय सदस्य जिस पार्टी को रिप्रेजेन्ट करते हैं, उनको छूट है कि कमीशन आफ एन्क्वायरी के सामने केस पुट-अप करें और जो शहादतें देना चाहें, दे सकते हैं। सरकारी अधिकारी जो वहां लगे हुए हैं अगर उनकी तरफ से, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, कोई ज्यादती गुंडों द्वारा हुई है, अगर वह मेरे नोटिस में वाकयात लायेंगे, डिटेल्स बतायेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा, रियायत किसी अफसर के साथ नहीं की जायगी।

श्री फूलचंद बाफना : मेरे स्थगन प्रस्ताव ....

श्री प्रताप लाल : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने कहा है हम हिन्डौन के बारे में इन्क्वायरी कमीशन बिठा चुके हैं और उसने जांच आरम्भ कर दी है। हिन्डौन की जनता ने उस कमीशन का बहिष्कार कर रखा है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि गोली काण्ड से जो संबंधित केसेज हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय को आपने भी सुना है और हमने भी सुना है आप अब क्या फरमाना चाहते हैं?

Page No 59

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : प्रश्न दो हैं एक तो यह कि वहां इन्क्वायरी चल रही है, इन्क्वायरी करने के लिये जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है मुख्य मंत्री जानते होंगे वह अधिकारी कितनी इन्टीग्रीटी के हैं। होम मिनिस्टर साहब उनकी चाहे यहां प्रशंसा करें लेकिन राजस्थान सर्विस का प्रत्येक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का सम्बन्ध अधिकारी के नाते आया है वे अच्छी तरह से जानकर चल रहे हैं कि यह अधिकारी इन्डिपेन्डेन्ट नहीं है। राजस्व मंडल का सदस्य जिनको बना दिया गया और आगे चलकर चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं लेकिन राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी का इन पर विश्वास हो यह मैं मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं। जब ऐसे अधिकारी को कमीशन के रूप में नियुक्त किया जाता है तो हम यह मानकर चलते हैं कि जैसा भी इनको डिक्टेशन होगा उसी पर हस्ताक्षर कर दिये जायेंगे। गृह मंत्री जी जो कुछ कहेंगे उसके विपरीत वे चल नहीं सकते। यह कमीशन केवल नाम का है जैसी आप रिपोर्ट चाहेंगे उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। इससे तो कुछ लेना देना नहीं।

दूसरी बात के लिये गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि मेरे पास सूचना नहीं है। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि दो दिन पहले ही ओमप्रकाश मित्तल का टेलीग्राम आपके पास भी आया है और हम लोगों के पास भी आया है। किस प्रकार उस व्यक्ति का झूठा केस बनाकर इम्पलीकेट किया गया है। हिन्डौन की पब्लिक में जिस प्रकार का कार्य इसने किया है वह किसी से छुपा नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति को आप 307 में फंसा सकते हैं तो कौन आदमी आयेगा जो कमीशन के सामने गवाही दे सके। यह आदमी ऐसा है जिसका जनता पर विश्वास है। इस व्यक्ति को सब से पहले पैनेलाइज किया जाय यही व्यक्ति ऐसा है जो आपके अधिकारियों को चलने नहीं देता है। इस पर बेबुनियाद 307 का केस रजिस्टर किया गया है। जो टेलीग्राम मिला है उसमें इम्पलीकेटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया गिरफ्तार किया गया या नहीं यह मैं नहीं कह सकता।

इसी प्रकार हिन्डौन कस्बे में पुलिस द्वारा लोगों को पीटा गया इसके बारे में आप कहते हैं कि मेरे पास शिकायतें नहीं आयी हैं। हर रोज हिन्डौन के लोग इस प्रकार की शिकायत लेकर आते रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता आपके पास तार चिट्ठियों द्वारा सूचनायें आजाती हैं। आपको भी चिट्ठियां मिली हैं हमको भी मिली हैं। ऐसी स्थिति में कमीशन आफ इन्क्वायरीज के तहत किसी अधिकारी की नियुक्ति होती है और जिन आदमियों के खिलाफ आरोप हैं उनके बारे में कौन गवाही देने आयेगा। इसके अलावा जिन अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप हैं वे वहीं पर बने हुये हैं उनके रहते हुए वे अपने बचाव के लिये गवाहों को तोड़ेंगे, इस तरह की हवा बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कोई मामला न बन सके। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उससे तो यह अच्छा होता कोई इन्डिपेन्डेन्ट अधिकारी लगाते। जिस अधिकारी को लगाया गया है उसने जांच करा । मैं समझता हूं नहीं कराना ही उपयुक्त रहेगा। वे तो जो दामोदरजी डिक्टेशन देंगे उसमें कोई अन्तर आने वाला है नहीं। इस प्रकार की इन्क्वायरी में खच

(श्री भैरोंसिंह)

क्यों कर रहे हैं ? यह तो फालतू जायगा। इसीलिये जुडिशियल कमीशन की मांग की थी उससे तो कुछ सन्तोष हो सकता था। इसके अलावा दूसरे पुलिस अधिकारियों को वहां से हटाया जाय तभी जाकर निष्पक्ष जांच हो सकेगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस ओमप्रकाश का सवाल है मेरे पास भी उसके सम्बन्ध में तार आया है। यह 15 साल से कार्यकर्त्ता है इसके पास अच्छे कार्यक्रम हैं और एक उच्च श्रेणी का कार्यकर्त्ता है। हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है उसके अनुसार उनको भी 307 के मामले में फंसाया गया है। वहां जो सी. आई. गंगाजली है वह वहां के लोगों को हरेश करता है। इसलिये आपको चाहिये कि जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता रहा है, बीस साल से जो वहां की जनता में काम कर रहा है ऐसे व्यक्ति को षड्यन्त्र में फंसाया जा रहा है।

इसके अलावा जो भी पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात हैं जिनके कार्यकाल में यह कांड हुआ है उनको हटाया जाय। वे लोगों को, गवाही देने के लिये जाने में हरेश करेंगे। इस तरह से सही बातें कमीशन के सामने नहीं आ सकेंगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कमलाल जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कि सरकार ने जो कमीशन इन्क्वायरी मुकर्रर किया है, उसके बारे में सरकार को इस प्रकार की रीति नीति बरतनी चाहिये जिससे इधर वालों को और उधर वालों को विश्वास हो, जनता को विश्वास हो, आखिरकार इन्क्वायरी तो इन्क्वायरी ही है। छानबीन करके सही नतीजा निकालने का काम है इसका, राजनीति से कोई संबन्ध नहीं है, जनता की पैरवी है और जनता से संबन्धित है। अगर कोई इन्क्वायरी कायम कर देते हैं, जिस व्यक्ति द्वारा आप इन्क्वायरी कराना चाहते हैं एक तो वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिये जिसके प्रति सब लोगों की भावना हो कि वह निष्पक्ष है। मैं नहीं कहता कि वह निष्पक्ष है या नहीं। इस संबन्ध में जो आशंका व्यक्त की गई है उस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो पुलिस कर्मचारी वहां पर हैं जिनके आचरण के संबन्ध में इन्क्वायरी की जायगी यदि उनको वहां पर ही रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें जो व्यवहार पुलिस का वहां की जनता के साथ होगा वह किसी से छुपा नहीं है। इसलिये इनका तबादला किया जाना चाहिये। इस ओर केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री): श्री ओमप्रकाश मित्तल पर 307 के मुकदमें का सवाल है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करके मालूम करूंगा उन पर गलत मुकदमा बनाया गया है तो इस मामले में पूरी कार्यवाही करूंगा।

रहा सवाल वहां लोगों के मारपीट का इसके बारे में आप मुझे सूचना दें। किन किन

Page No 61

(श्री दामोदर लाल व्यास) के साथ मारपीट हुई मेरे लिये तभी मुमकिन हो सकेगा जांच कराना।

कमीशन आफ इन्क्वायरीज के लिये जिस अधिकारी को नियुक्त किया गया है इसमें दो राय नहीं है कि यह बड़े सीनियर अधिकारी हैं इनकी इन्टीग्रिटी में कोई डाउट नहीं रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आप मुख्य मंत्री जी से कहलवा दीजिये इनकी इन्टीग्रिटी में कभी डाउट नहीं रहा ?

श्री रामकिशन : आप मुख्य मंत्री को मुलतानी गवाह की तरह हर बार पेश करते हैं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : जनता ने बायकाट किया है यह इन्क्वायरी का सवाल है जो प्रोसीजर ले-डाउन है उसके अनुसार कार्य करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह इस कमीशन को अपना पूरा सहयोग दें। ताकि असलियत सामने आ सके।

श्री मदनसिंह : एक बात तो सही है कि वहां जनता के साथ पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं। वहां इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है यह तो आपने माना है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको मालूम है श्री ओमप्रकाश मित्तल कहां थे ? हिन्डौन में कब गिरफ्तार हुये ?

श्री मदनसिंह : दो महिने तक वे कहां रहे हैं यह पता है। वे एक कार्यकर्ता हैं वे इस बात पर तुले हुए हैं कि वे बतायेंगे कमीशन को कि पुलिस का कितना हरेशमेंट हुआ है।

श्री श्रवणलाल : आप वहां के पुलिस अधिकारियों का ट्रान्सफर करेंगे या नहीं ?

श्री मदनसिंह (दांता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो सिद्ध हुई कि ओमप्रकाशजी पन्द्रह बीस दिन से कार्य कर रहे हैं। होम मिनिस्टर के पास पुलिस से शिकायत नहीं आयी कि वे गड़बड़ी कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां से आये ? पता है कि हिन्डौन में कई आदमी गिरफ्तार हुए और ओमप्रकाशजी भी गये थे या नहीं ?

श्री मदनसिंह : मुझे मालूम है। दो महीने हो गये। इस मामले में बात आयी होती तो पता चलता। आपने कहा इन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह फरमा चुके हैं। आपको दुबारा क्या बात कहनी है।

श्री श्रवणलाल : मैं यह बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग अलग दल के नेताओं ने, जो बातें कहनी थीं वह कह दीं गृह मंत्रीजी ने अपनी बात कह दी।

श्री श्रवणलाल : हिन्डौन के लिए जहर की पुड़िया भेजना चाहते हो तो भेज दो। इस प्रकार से हिन्डौन पर अत्याचार कर रहे हैं। पानी के लिए पानी मांगे तो गोली चलाओ, अस्पताल और स्कूल की मांग करे तो गोली चलाओ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज ! ग्रोर्डर।

श्री श्रवणलाल : यही है आपका समाज वाद का नारा ? है न ? इस प्रकार लोगों पर गोली चला कर अत्याचार कर रहे हो....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : और वहां की जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक सरजू प्रकाशजी करके व्यक्ति हैं उनको सरे आम गुन्डों के द्वारा इस कदर पिटवाया गया। करौली से बुलाकर धमकाया गया इन्क्वायरी में ऐसा किया तो चार्ज लगाये जावेंगे और जेल में रखे जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज। ग्रोर्डर।

श्री श्रवणलाल : हिन्डौन के प्रति इस प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्डौन को आश्वासन दिया था, सुखाडिया जी ने आश्वासन दिया था डिप्टी मिनिस्टर गये थे और जनता में कह कर आये थे कि आपकी मांगों को क्रियान्वित किया जावेगा यह आन्दोलन खत्म करो। मैं पूछना चाहता हूं कि उन आश्वासनों का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज। ग्रोर्डर। माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर है।

श्री श्रवणलाल : यह कह कर आये...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। ग्रोर्डर प्लीज। माननीय सदस्य नियमों का पालन करें।

श्री श्रवणलाल : क्या फिर भी हिन्डौन की जनता इस प्रकार गुन्डों द्वारा पिटवायी जाती रहे और मार खाती रहे ? क्या जनता पानी के लिए तरसती रहे, दवाइयों के लिए तरसती रहे और सरकार गुन्डों के द्वारा जनता को पिटवाती रहे।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दें कि स्कूल खोलने के लिए चुनाव से पहले आश्वासन दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष : चुनाव के पहले के वाकये के लिए कह रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। कृपया शान्त रहे।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान राज्य कर्मचारियों की मांगों संबंधी वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं :–

राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया है। इन मांगों पर विभिन्न पहलुओं से विचार के फलस्वरूप अधिकतर मांगे मंजूर की गई हैं। केवल ऐसी मांगों का ही पूरा करना सम्भव नहीं पाया गया जो उचित नहीं थी अथवा जिनसे राज्य सरकार पर अत्यधिक आर्थिक

Page No 63

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

भार पड़ता है। संक्षिप्त रूप में मांगों की स्थिति इस प्रकार है कि:—

1. 1-9-68 से पूर्व अस्थायी रूप में भर्ती किये गये कनिष्ठ लिपिकों को, उनका सेवा अभिलेख संतोषजनक पाये जाने पर, स्थायी किया जावेगा एवं उनकी सेवाएं नियमित मानी जावेंगी।

2. दक्षतावरोध पार करने के लिए पूर्व काल से अनुमति देना संभव नहीं है। संघ की मांग पर फिर भी इस प्रश्न पर आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है।

3. ओवर टाईम के विषय में निवेदन है कि और छूट इस सम्बन्ध में दे दी गई है कि पहले जब 60 घंटे से अधिक समय कार्य करने पर ही ओनरेरियम मिलता था अब नियमों में न्यूनतम सीमा 24 घंटे मात्र कर दी गई है।

(4) लेखालिपिकों के संवर्ग को अलग करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा यद्यपि यह मांग कर्मचारियों के सामूहिक हित में नहीं है, इस सम्बन्ध में संभावित दृष्टिकोण के अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा में लेखा लिपिकों के पद निम्नतम माने जावेंगे। इन पदों की योग्यता अर्थशास्त्र सहित बी. ए. अथवा बी. काम. होगी व भर्ती खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जावेगी। केवल 50 प्रतिशत तक वर्तमान लेखालिपिकों को नियुक्त अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

(5) शिघ्र लिपिकों के पदोन्नति के अवसर के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(6) जहां तक अधिनस्थ कार्यालयों में विशेष वेतन देने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कर्मचारियों की मांग स्वीकार करने में असमर्थ है।

(7) राज्य कर्मचारियों के लिये परिषद् के गठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जावेगा।

(8) राज्य सेवा नियम 26 (अ) जो वेतन निर्धारण से सम्बन्ध रखता है का 1-1-67 की बजाय 1-4-66 से लागू करने का कोई औचित्य नहीं है, यदि कोई एनोमलीज (विषमतायें) वैयक्तिक प्रकरणों में पायी जावेगी तो उन पर विचार किया जावेगा।

(9) खाद्यान्नों के क्रय के लिये अग्रिम धन राशि एक मास के वेतन जिसमें मंहगाई भत्तादि भी शामिल होगा दिये जाने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि इस धनराशि पर वही ब्याज होगा जो राज्य सरकार को ओवरड्राफ्स पर देना पड़ता है। और अग्रिम का चुकारा राशि लेनें के वित्तीय वर्ष में ही करना होगा।

(10) वाहन क्रय अग्रिम के लिये जो धनराशि राज्य सरकार द्वारा बांटने के लिये नियत की जाती हैं उसका आंवटन 50 प्रतिशत कारों के लिये व 25 प्रतिशत राजपत्रित अधिकारियों को स्कूटर आदि के लिये तथा शेष प्रतिशत अराजपत्रित अधिकारियों को स्कूटर, मोटर साईकिल आदि के लिये दिया जावेगा।

(11) जिन कर्मचारियों के स्वयं के मकान हैं उन्हें मकान किराया भत्ता देने में राज्य सरकार असमर्थ है।

Page No 64

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(12) इसी प्रकार खण्डीय मुख्यालयों पर नगरीय भत्ता देने में राज्य सरकार असमर्थ है।

(13) कर्मचारियों को राजकीय निवास आवंटन समिति के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर्मचारी संघ की कई मांगें लगभग राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और ऐसी मांगों पर ही सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जा सका जिनके स्वीकार करने का या तो कोई औचित्य नहीं था अथवा उनका आर्थिक भार बहुत अधिक पडता है। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक एवं समझ के साथ विचार किया जाता रहा है। 1-9-68 से जो नयी वेतन शृंखलाएं लागू की गई हैं उनसे लगभग 3½ करोड रुपये सालाना का खर्चा प्रशासन पर पड़ा है। क्यों कि लगभग 95 प्रतिशत कर्मचारी 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले हैं अतः वेतन परिवर्तन का अधिक लाभ इसी वर्ग को हुआ है। महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में भी प्रशासन द्वारा बहुत सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है।

राजस्थान सरकार लगभग सबसे पहला राज्य है जिसने 1-1-67 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय स्तर पर दिया है। पिछले पांच वर्षों में करीब 48 करोड रुपये अधिक महंगाई भत्ते के रूप में कर्मचारी वर्ग को दिया गया है।

प्रशासन द्वारा हमेशा ही इस प्रकार से इन मांगों पर गौर किया जाता रहा है और अब भी राज्य कर्मचारियों के लिये सदा प्रशासन उनकी मांगों के बारे में उनके साथ बातचीत कर निपटाने के लिये उद्यत रहता है ताकि समय समय पर बातचीत कर इन मांगों का निराकरण किया जा सके। इस वातावरण के उपरान्त भी संघ द्वारा जो मार्ग धरणा आदि देने का अपनाया जाता है। उसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता तथा प्रशासन राज्य कर्मचारियों के ऐसे कदम को सही नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर सरकार ने अपने पक्ष का जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ग्रान ए पोइन्ट ग्रोफ ग्रॉर्डर सर स्टेटमेन्ट होने के बाद उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सदन की परम्परा है।

श्री भैरोंसिंह : सदन की तो यह परम्परा है कि कोई बोलने खड़ा हो जाय तो इन्टरप्ट करने की मूलचन्द जी डागा की परम्परा है। दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय इन मुद्दों के सम्बन्ध में स्वयं मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि पिछले वर्ष में 3½ करोड़ रुपयों का लाभ अल्प वैतनिक कर्मचारियों को अथवा 500) रुपये से कम वेतन पाने वालों को मिला है। जिस प्रकार लाभ की स्थिति बताई है उसमें एक बात तो स्वयम् महसूस करके चलेंगे कि राजावत पे कमीशन जिस प्रकार पर नियुक्त किया

(श्री भैरोंसिंह)

गया था उसका आधार यह था कि निरन्तर महंगाई बढ़ती जा रही है उसको वेतन में मिला कर जो अलग से निर्धारित करें आज की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मान निर्धारित किये जाय। काम किस तरह से बांटा जाय और पदों का आधार किस रूप में हो यह आधार बनाये गये।

अब राणावत पे कमीशन से काफी लोगों को फायदा या नुक्सान हुआ है यह बात तो जिस समय राणावत पे कमीशन के ऊपर विचार कर रहे थे उस समय सरकार के सामने अच्छी तरह से रखी थी। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि राणावत पे कमीशन की रिकमन्डेशन्स् के आधार पर कुछ व्यक्तियों को तो मुनाफा मिला और कुछ व्यक्तियों को जो इमोल्युमेन्ट्स मिलते थे उनमें भी कमी आगयी। उस प्रश्न को लेकर सरकारी कर्मचारी चिन्तित हैं। आप भी चाहते हैं या नहीं, राणावत पे कमीशन की रिकमन्डेशंस को आधार लेकर चलें तो जो एनीमलीज पैदा हो गयी हैं उससे उल्टा नुक्सान हो तो सरकारी कर्मचारियों को हक है कि अपनी मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करें। एक वर्ष से मांग प्रस्तुत करते ये चले आ रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि सरकार के कर्मचारियों का नोटिस देना पड़े। इसका कारण यह है क सरकार और कर्मचारियों के बीच निष्पक्ष व्यवस्था कोई नहीं बतायी गयी जिसके आधार पर सरकार के सामने अपना दृष्टिकोण रख सके जिससे दोनों में किसी प्रकार का तालमेल बैठ सकता है कि कौन सही कहता है और किन आधारों पर उचित समझा जा सकता है। इस प्रकार की कोई इन्डिपेन्डेंट मशीनरी नहीं है। कर्मचारियों ने यह मांग की थी कि एक व्हिटले कौंसिल जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच बातचीत के लिये बनायी थी उसी आधार पर हर राज्य में व्हिटले कौंसिल जैसी व्यवस्था हो जाय तो हर साल नोटिस देने और स्ट्राइक पर जाने जैसी स्थिति पैदा न हो। इस प्रकार का कोई आधार तय किया जाय और वेतन मान में जो एनोमलीज पैदा हो गयी हैं उनको दूर कराया जाय।

तीसरी बात और थी। देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। सर्विसेज का एक काडर बनाते हैं। सेवा भावी हों, इन्टीग्रिटी के हों। आई. ए. एस., आई. एफ. एस. प्रकार की व्यवस्थाओं को स्वीकार किया है। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के आई. ए. एस. अफसर 58 वर्ष की अवधि में रिटायर होंगे और स्टेट के आर. ए. एस. काडर के अफसर 55 वर्ष में रिटायर होंगे, हाई कोर्ट के जजेज की उम्र और उससे ज्यादा है और पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर्स की उससे भी ज्यादा। एक कामन स्टेन्डर्ड होना चाहिये था। आर. ए. एस. की उम्र की अवधि 55 वर्ष की थी उस समय जब यह प्रश्न उठा तो मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मैं प्रयत्न करूंगा कि आल इन्डिया सर्विसेज की भी 58 वर्ष से घटा कर 55 वर्ष की सेवा अवधि नियत कर दी जाय लेकिन कोई नहीं हुई।

राणावत पे कमिशन ने स्पेशल-पे का निर्णय लिया। आई. ए. एस. स्पेशल पे लेते हैं, सचिवालय में स्पेशल पे लेते हैं, और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट में स्पेशल पे लेते हैं। स्पेशल पे किस बात की? पांच

Page No 66

(श्री भैरोंसिंह)

बजे तक काम करना पड़ता है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनको भी 5 बजे तक काम करना पड़ता है उससे यह आशा नहीं की जाती है कि वह रात को जाकर काम करे, बड़े अधिकारी से भी यह आशा नहीं की जाती है कि वह घर पर जाकर काम करेगा। जो रैस्पोन्सिबिलिटी बड़े अधिकारी पर है वह ही छोटे अधिकारी पर है। दोनों पर समान है। बड़े अधिकारी काम करते हैं तो छोटे अधिकारी भी काम करते हैं यहीं मान कर चलते हैं। बराबर श्रम और मस्तिष्क की शक्ति के आधार पर क्षमता से कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करके चले कुछ व्यक्तियों को स्पेशल पे दी जाय और कुछ को न दी जाय यह भेदभाव है, सरकारी कर्मचारियों ने तो यहां तक कहा था कि कुछ के लिये जो स्पेशल पे रखी है उस व्यवस्था को समाप्त कर दें।

ये तीन प्रश्न उठे। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि राणावत पे कमीशन की रिकमन्डेशन्स के कारण वेतन आदि में जो एनोमलीज़ पैदा हुई हैं और सरकारी कर्मचारियों को जो घाटा हुआ है उसको रिमूव करने के लिये स्पेशल-पे पर दुबारा विचार करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की ग्रिवान्सेज को सुन लिया उस पर नये सिरे से राज्य सरकार को विचार करना चाहिये ताकि सरकारी कर्मचारियों को जो घाटा हुआ है वह दूर हो सके और हार्ट बर्निंग न हो।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दिया है उससे ऐसा आभास कराया गया है कि उनकी काफी सहानुभूति राज्य कर्मचारियों के प्रति है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है। सबसे पहले आपके जन्म दिन को ही धरने की बात सोची। उनको हटा दिया गया। आज 5 दिन से वे धरना दिये बैठे हैं। आप मुस्कान से बात करते हैं। लेकिन लटकाने में आप प्रवीण हैं। आज तक उनकी मांगों को लटकाये रहे और फिर छोड़ दिया। वित्त मंत्री जी बैठे हैं। पहले समाजवादी हैं और हाथ हिलाने से काम नहीं चलने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं राणावत पे कमीशन ने कहा है कि स्पेशल पे दी जाय, बड़े अधिकारियों को जब देते हैं तो छोटे अधिकारियों को किस प्रकार न दी जाय? क्या आधार हैं? सिवाय इसके कि फूट डाल कर उनको बांट सकते हैं। आपके बड़े अधिकारियों से व्यक्तिगत ताल्लुक बन गये हैं उनको किसी प्रकार नाराज न किया जाय और स्पेशल पे दी जाय। यह विभेद करने की बात है। जो आधार है आपके उनको स्पष्ट करें। स्पेशल पे या तो किसी को न मिले और मिले तो सब को मिले।

दूसरा भेद का तरीका है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि मकानों का अलाउन्स जिनके मकान हैं उनको नहीं दिया जावेगा। ठीक है। यह बात आप कर्मचारियों के लिये कहते हैं। लेकिन आज सदस्यों के पे और भत्ते का बिल आ रहा है उसमें आपने व्यवस्था की है कि हैडक्वार्टर पर जिन माननीय सदस्यों के हाऊस हैं फिर भी उनको दो सौ रुपया मकान भत्ता दिया जायगा। आप उनको तो दो सौ रुपया देना चाहते हैं और कर्मचारियों को पांच रुपया भी नहीं। यह भेदभाव की प्रवृत्ति क्यों? सब के लिये नियम एक बनता है।

(श्री भैरोसिंह)

साथ ही मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आप अभी दिल्ली होकर आये हैं। पहले कहना था कि हम नहीं करेंगे। इन्दिरा जी ने एलान किया है कि जो अल्प वेतन भोगी हैं उनको पेन्शन में बढ़ोत्तरी करेंगे। क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री उसको लागू करना चाहते हैं राजस्थान में भी? यह ठीक है कि सबसे पहले राजस्थान का राज्य है जिसने केन्द्रीय भत्तों को यहां लागू किया। उसी तरह से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार पेन्शन की केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है उसी प्रकार यहां भी घोषणा करें।

मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि टाइप का टेस्ट रखें। जिनकी दस वर्ष पुरानी सर्विस हो गयी है उनके लिये भी टाइप का टेस्ट रखते हैं तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

एक दूसरी बात जो पूछना चाहता हूं वह यह है कि एनोमेली आप दूर करेंगे पर इसके साथ साथ जो ग्रेड का आपने रिवीजन किया है कि एक नये कर्मचारी को जो ग्रेड देते हैं और एक दूसरे, चार पांच साल के पुराने कर्मचारी को जो ग्रेड मिलता है, इसमें स्वाभाविक रूप से पुराना कर्मचारी यह चाहेगा कि उसकी चार पांच साल की सर्विस का क्या होगा। उसको उससे ऊपर रहना ही चाहिये। तो ऐसे मामलों में आप चाहें तो स्पेशल इन्क्रीमेंट देकर या कोई दूसरा रास्ता निकाल कर इस एनोमेली को दूर करें।

तो ये जो उनकी मोटी मोटी मांगें हैं उन पर निश्चित रूप से यह कहें कि हम इस विषय में साफ तौर से दिमाग लेकर चलते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं और कहते हैं स्पष्ट तौर से तो निश्चित रूप से सर्विस में सन्तोष होगा। नहीं तो असन्तोष होना स्वाभाविक है। तो छोटे बड़े सब मामलों में आप एक निश्चित मापदण्ड लेकर चलिये। एनोमेली को समाप्त करिये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, एक तो दक्षता अवरोध को हटाने के लिये आपने जो कहा उस पर मैं यह जानना चाहूँगा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देंगे या नहीं देंगे? बहुत से लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं। उसूलन आप मानते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दीजिये। जो एडवर्सली अफेक्टेड रहे हैं उनको राहत मिलनी चाहिये।

दूसरी बात, जो इमोल्यूमेन्ट्स राणावत पे कमीशन के जरिये कुछ के कम किये हैं उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसलिये जिनकी आप स्पेशल-पे हटाते हैं तो आगे पे में मर्ज कर दीजिये। और इस प्रिन्सिपल को स्पेशल पे के बारे में जैसे दूसरों ने कहा है, आप उसे बिलकुल समाप्त कर दीजिये। पर किसी कर्मचारी के एग्जिस्टिंग इमोल्यूमेन्ट्स में इससे कमी नहीं आनी चाहिये।

अभी केन्द्रीय सरकार ने पेन्शन में वृद्धि की घोषणा की है। इसका जो रिटायर हो चुके हैं उससे भी और जो होने वाले हैं उनसे भी सम्बन्ध है। कुछ राज्य सरकारों ने भी इसी के अनुसार वृद्धि की घोषणा कर दी है। मैं जानना चाहूंगा राजस्थान सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है। राजस्थान सरकार को भी इस घोषणा के अनुसार वृद्धि की घोषणा करनी चाहिये। और आज चूंकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं तो यह भी सभी कर्मचारियों से सम्बन्धित एक प्रश्न है, इस पर भी वे प्रकाश डालें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जाहरी बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया गया है इसके सम्बन्ध में एक दो जानकारी चाहता हूं ।

एक तो, 26 अगस्त को मन्त्रि–मण्डल सचिवालय की तरफ से इन 11 मांगों के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया था और जिसकी सूचना राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ को प्रेषित की गई थी, क्या उस निर्णय में और आज के वक्तव्य में कोई अन्तर है ? यानि उस निर्णय में सूचित किया गया था कि कुछ प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। विचाराधीन हैं। तो ऐसे विचाराधीन प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार करने के बाद यह वक्तव्य दिया गया है या वे प्रश्न अब भी विचाराधीन हैं। यह बता दीजिये ताकि एक चीज स्पष्ट हो जावे । एक बात ।

दूसरी बात, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो अपने विचार जिन प्रश्नों पर यहां व्यक्त किये हैं, उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए केवल उनका समर्थन करते हुए मैं मांग करूंगा कि इनके लिये आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये ।

फिर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा । आज एक स्थगन प्रस्ताव की भी सूचना पेंशन वृद्धि के बाबत दी थी । टेम्परेरी इन्क्रीमेन्ट महाराष्ट्र और बंगाल सरकार ने दिये हैं। आंकड़े इसके आप चाहेंगे तो दे दूंगा । वहां एक तो टेम्परेरी इन्क्रीजेस राजस्थान के मुकाबले ज्यादा है, टेम्परेरी इन्क्रीजेज लिमिट तक परमिसिबल है वह भी ज्यादा है । जैसे यह मानो 200) है तो वहां 400) और 500) है तो टेम्परेरी इन्क्रीज लिमिट बढ़ाई जानी चाहिये और टेम्परेरी लिमिट के साथ अमाउन्ट भी बढ़ाया जाना चाहिये । लिमिट और अमाउन्ट दोनों बढ़ाया जाना चाहिये । अभी तक सम्भवतः 200) पर इन्क्रीज दी है। और स्टेटों में, जिनका एक चार्ट बनाया है मैंने, उसको देखने से भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन दोनों को बढ़ाएं । केन्द्रीय सरकार ने भी वृद्धि की घोषणा की है। तो इस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये । जो रिटायर होते हैं उनको काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । मैडिकल फेसिलिटी भी उनकी समाप्त हो जाती है। पे जो मिलती थी, वह भी चली जाती है । तो यह मैडिकल फेसीलिटी पेन्शनर्स को दी जानी चाहिये । बुढ़ापे में ही सबसे बुरी हालत उनकी होने की सम्भावना रहती है, और जब कि ऐसे वक्त में सबसे अधिक मैडिकल सहायता की उनको जरूरत होती है तभी वह बन्द हो जाती है तो इस पर विचार करना चाहिये उनको यह फेसीलिटी दी जानी चाहिये। यह मदद बुढ़ापे में बड़ी कारगर साबित होगी उनके लिये।

साथ ही जो पेन्शनर्स एसोसियेशन की तरफ से आफर आई है सवाई मानसिंह अस्पताल में एक पेन्शनर्स वार्ड बनाने के लिये और इसके लिए पांच हजार रुपया डोनेट करने के लिये भी कहा है उसका आपने कोई जवाब अभी तक नहीं भेजा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। पेन्शनर्स काटेज बार्ड बनाना चाहते हैं। पांच हजार डोनेट भी करना चाहते हैं। तो ऐसी अनुमति उनको प्रदान की जावे। और जो बातें पत्र में लिखी हैं उन्होंने, पत्र आपके पास पहुंचा होगा। श्री सुराणा हैं रिटायर्ड हैण्ड उन्होंने लिखा है। तो इस सिलसिले में भी कार्यवाही करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

कल से, अखबार में जैसा पढ़ा है, भूख हड़ताल भी होने वाली है। लोकतन्त्र व्यवस्था में जन प्रशासन कर्मचारियों के आधार पर चलता है। अब अगर इनमें संघर्ष की स्थिति पैदा हो, असन्तोष इनमें हो तो प्रशासन सुचारु रूप से नहीं चल पावेगा। तो इस दृष्टि से यह संघर्ष की स्थिति पैदा न हो उनकी सारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण-विचार करने के लिये जो सुझाव मेरे से पूर्व जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये हैं व्हिटले कौंसिल या इसी तरह की किसी इम्पार्शल और इन्डिपेन्डेन्ट बाडी की कायम करने की, उस पर आप तत्परता से सोचें। बीस दिन से इनका धरना चल रहा है। वह भी इस तरह से समाप्त हो सकता है और भूख हड़ताल से जो दुविधापूर्ण स्थिति खड़ी हो सकती है, उससे भी छुटकारा हो सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, अकाउन्ट्स क्लर्कों के बारे में, जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया है, और अपना रिप्रेजेन्टेशन अलग से दिया है, की तरफ भी आपका ध्यान होगा। उनकी मांगों पर भी आप ध्यान दें। रेगुलर एग्जामिनेशन अकाउन्ट्स का पास करके जो आये हैं उनमें से जिनको आप लेते हैं ले लेते हैं बाकी का एग्जामिनेशन रद्द गिन लेते हैं। ऐसे पचास परसेन्ट के करीब रहते हैं तो इन पर आप सोचें। पूरे एग्जामिनेशन में वे बैठते हैं सिलेक्शन होता है। इसके बावजूद भी बाकी के ऐसे ही रह जाते हैं। प्रशिक्षित उनको नहीं माना जाता तो उनके बारे में भी आपने कुछ किया है या नहीं?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से धरना और आन्दोलन की स्थिति यहां चल रही है। उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें अधिकांश प्रश्नों को विचाराधीन बतलाया है। कुछ मांगें मंजूर की गई। बाकी पर मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने सुझाव रक्खे हैं। मैं उन सुझाओं का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि राज्य की जो मशीनरी है लोकतन्त्र को चलाने वाली जो व्यवस्था है उसमें शान्ति बनी रहे आपस में समन्वय और सहयोग रहे इसके लिये विशेष तौर से ध्यान रखा जाना आवश्यक है क्योंकि इस मशीनरी के माध्यम से ही किसी भी शासन की समुचित व्यवस्था ठीक तरह से चल सकती है।

पर यह देखने में आया है कि आये दिन किसी न किसी विभाग के कर्मचारी हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं या आन्दोलन करते हैं और जब भूख हड़ताल की स्थिति पैदा हो जाती है या जब गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है या कानून और व्यवस्था के भंग होने की स्थिति पैदा हो जाती है तब राजस्थान सरकार विचार करने के लिये तैयार होती है।

(श्री दौलतराम सारण)
(1 म0 प0)

राज्य सरकार को ऐसे प्रश्नों पर जहां कर्मचारियों के अन्दर असन्तोष है, उनके अन्दर किसी बात को लेकर कोई स्थिति बने उससे पहले ही दूर करना चाहिये। समय समय पर कर्मचारी अपनी मांगों के सम्बन्ध में अधिकारियों को लिखते रहे हैं। आन्दोलन की स्थिति कब होती है जब अधिकारी गण उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जब अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो कर्मचारी मंत्री मण्डल तक जाते है और जब मंत्री मण्डल के सदस्य ध्यान नहीं देते हैं तो वे मुख्य मंत्री जी के पास जाते हैं। वे समय पर गौर नहीं करते। इसके बाद ही ऐसे स्थिति पैदा होती है-भूख हड़ताल, हाय हाय के नारे लगने की स्थिति आती है। यह स्थिति खेदजनक है। इससे प्रशासन में भेद होता है और इससे कर्मचारियों में कटुता पैदा होती है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में खाई पैदा होती है और वैमनस्य दिन ब दिन बढ़ता है। इस प्रकार उनके काम में अस्थिरता और व्यवधान पैदा होती है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस स्थिति को रोके और इसके समाधान के लिये स्थायी व्यवस्था की जाय और कर्मचारियों की मांगों को समय पर सुलझाया जाय। राज्य सरकार का पक्ष भी सुनें और कर्मचारियों का पक्ष भी सुनें इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार जितनी जल्दी कर सके उतना जल्दी समाधान किया जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह मांग और आन्दोलन की स्थिति बनती जा रही है लेकिन इस शासन तन्त्र में जनता जो अपेक्षा करती है कि जल्दी सुनवाई हो। जनता की जो समस्या है वह जल्दी से जल्दी दूर करने की ओर यह शासन तन्त्र कोई ध्यान नहीं देता है। उनको कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, कागजों की इधर से उधर हेरा-फेरी होती रहती है. जनता, पूरी परेशान हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन कि इनमें समन्वय, सहयोग और सम्पर्क की भावना हो। ताल मेल है नहीं उनमें ताल मेल हो इसलिये इस स्थिति की तरफ ध्यान दिया जाय। कर्मचारी अनुशासन में रहें राज्य सरकार में शासन तन्त्र के प्रति आस्था रहे, जनता के प्रति भी ध्यान हो। अपने कर्तव्य को समझें लेकिन केवल आन्दोलन के लिये उनको न उकसायें। आन्दोलन के लिये अपनी मांगें रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। जनता उनसे अपेक्षा करती है। किस लिये उनको पेन्शन दी जाती है? ये सारी चीजें किसलिये की जाती हैं? जिनके लिये कर्मचारी हैं और सारी जनता उनसे अपेक्षा करती है। उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आन्दोलन करने वालों की जय-जयकार सब करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप लम्बा भाषण नहीं करें।

श्री दौलतराम सारण : उनका काम ठीक प्रकार है या नहीं इसको शासन तन्त्र को देखना चाहिये। इसको ठीक करने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं यह खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं काम करने वालों की असुविधा दूर हो, काम की पूरी सुविधायें उनको दें। एक बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ बड़े अधिकारी हैं उनको तो विशेष वेतन दिया जाय और छोटे कर्मचारी हैं उनका विशेष

(श्री दौलतराम सारण)

वेतन बन्द किया जाय यह दोहरापन क्यों है ? जहां छोटे कर्मचारियों का विशेष वेतन बन्द किया है तो बड़े अधिकारियों को बन्द किया जाना चाहिये तो वे नहीं मांगेंगे। ऐसी राज्य सरकार की स्थिति है। यह असुविधा क्यों है, इस प्रकार की अड़चन क्यों है, दुविधा पूर्ण स्थिति क्यों है ? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की वेतन शृंखला का जो सवाल है वह मैं मानता हूं सिद्धान्तः सरकार के अधिकार की बात है लेकिन इसका कारण भी है और उन कारणों के ऊपर सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सारे देश में असन्तोष है, अस्थिरता आ रही है उसका मूल कारण सरकार की योजनायें हैं। योजना के अन्दर डेफिसिट बजट, इन्फ्लेशन और जब तक इन्फ्लेशन की टेन्डेन्सी देश के अन्दर जारी रहेगी तब तक प्राइस रेज करेंगी। कमोडिटीज की महंगाई बढ़ती जायगी और इसके साथ असन्तोष बढ़ता जायगा। तो योजनाओं के सम्बन्ध में हमारा विशेष दृष्टिकोण है और इस सरकार के पूरे वश की बात भी नहीं है कि योजनाओं के विषय में कोई ठोस कदम उठाये लेकिन यह निर्विवाद बात है कि असंतोष का कारण योजनायें हैं। योजनाओं से महंगाई की स्थिति है। जहां तक खास प्रश्न मैं देखता हूं कर्मचारियों की वेतन शृंखला के सम्बन्ध में तो मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है, उपाध्यक्ष महोदय, राणावत कमीशन का कभी भी यह लक्ष्य नहीं है कि किसी भी कर्मचारी को उसके वेतन शृंखला के अन्दर घाटा देकर नुकसान दिया जाय। Existing rights have got to be respected. इस मूल सिद्धान्त को मानते हुये अगर राणावत कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर लेखापालों की और अन्य की जो पोजीशन है उसके बारे में मुख्य मंत्री जी को आपके द्वारा निवेदन करूंगा सहानुभूति पूर्वक विचार करें। अन्य माननीय सदस्यों ने इन मांगों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिये आशा व्यक्त की है उसको दोहराते हुए मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा आखिरकार पेन्शनर्स के बारे में जो केन्द्रीय सरकार ने अभी माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की है उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की क्या नीति है, उस पर भी मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जो प्रकाश डालेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि लोग बाग आन्दोलन क्यों करते हैं इसके ऊपर हमको विचार करना है। वे आन्दोलन तभी करते हैं जब वे तंग आ जाते हैं और उनको वास्तविक फायदा नहीं मिलता। राज्य सरकार ने आज दिन तक कर्मचारियों की मांग न सुनकर अपने कानों में तेल डाल कर बैठी है। राज्य सरकार को शुरू में ही इस प्रकार की बात सुन लेनी चाहिए। अब उनकी मांगें और भी भयंकर स्थिति में हो गई हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जब कर्मचारियों की ओर से नोटिस दिये जाते हैं तभी सुन लिया जाना चाहिये और उनकी शंका का समाधान किया जाना चाहिए ताकि अनुशासन भंग न हो।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि राज्य कर्मचारियों के द्वारा सन् 66 में यह मांग की गई थी कि पे-कमीशन स्थापित किया जाय और उसके आधार पर आगे विचार करके फैसला किया जाय। राज्य सरकार ने उस आधार पर राणावत कमीशन अपाईन्ट किया और स्पेशल-पे के बारे में क्या किया जाय यह टर्म्स आफ रेफरेन्स में जो वक्तव्य मैंने पढ़कर सुनाया उसके अन्दर सारे प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ऐसा मैंने नहीं कहा। मेरे वक्तव्य के अन्दर 'क्यों नहीं कर सकते' उसका जिक्र भी है। और जहां तक मैं समझता हूं केवल तीन प्रश्नों पर ही विचाराधीन वाली बात कही है उसमें एक प्रश्न स्टेनोग्राफर्स है उनके प्रमोशन की अपोर्चुनिटि किस प्रकार बढ़ सकती है दूसरा कन्सलटेटिव कमेटी के बारे में था। उसके सम्बन्ध में मैंने कहा है, माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि कन्सलटेटिव कमेटी राजस्थान के अन्दर स्थापित हो, इसके सम्बन्ध में हम निर्णय कर चुके हैं लेकिन उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स, डिटेल्स क्या हों वह तय नहीं कर सके इसलिए उसका जिक्र नहीं किया है लेकिन विचाराधीन का मतलब यह नहीं है। कन्सलटेटिव कमेटी का फैसला किया जा चुका है और उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी। इसी प्रकार मैंने यहां पर कहा, जो कमेटी हाऊस अलाटमेंट के लिए बनाई जाय उसके बारे में विचार किया जाय। उसका अर्थ हम यह नहीं मान सकते हैं कि क्या उसका कम्पोजिशन हो लेकिन रिप्रजनटेशन मिले यह बात तो मानकर चल रहे हैं। दो तीन प्रश्न कहे। मामूली प्रश्न हैं। कम्पोजिशन वाला महत्वपूर्ण है। हम स्वयं इस बात को चाहते हैं इस मसले को आपस में बैठकर हल कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो, उस इरादे से इस काम के बारे में तय किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष जो, राज्य कर्मचारियों की तरफ से जो आन्दोलन चल रहा है और उससे सम्बन्धित यहां पर कहा गया है कि राज्य सरकार की नीति इसके सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक नहीं रही तो मैं समझता हूं कि यह सारा सदन जानता है कि देश में कई जगह मांगों की पूर्ति के लिए कई प्रकार के आन्दोलन हुए कांग्रेसी सरकार में भी। और गैर कांग्रेसी सरकार में भी। जहां तक राजस्थान का सवाल है मैं समझता हूं कि हमारी जितनी वित्तीय स्थिति थी, हमारी जो भी फाइनेन्शल स्थिति है उससे भी कहीं ज्यादा हमने हमेशा इस दिशा में करने का प्रयत्न किया है। पर मैं यह कहूंगा कि राजस्थान का जो वेतन स्तर है, जो हमारा मंहगाई भत्ता है वह देश के कई प्रदेशों के मुकाबले में काफी अच्छा है। इन चीजों को राजस्थान के अन्दर इसकी वित्तीय स्थिति को भी देखते हुए हमने किया। किसी भी प्रदेश में इसको तो लक्ष्य में रख कर चलना ही होगा कि राज्य कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला वहां की वित्तीय स्थिति और आम लोगों की वित्तीय स्थिति उनसे बिल्कुल अलग नहीं रह सकती। उनका एक दूसरे पर असर पड़े बिना नहीं रह सकता। आज केन्द्रीय सरकार के साधन या किसी और दूसरे सम्पन्न प्रदेश के साधन जो हो सकते हैं उसके मुकाबले में राजस्थान के साधन सीमित हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जब फेमिन के सम्बन्ध में शाम को कुछ कहने के लिए खड़ा होऊंगा तो जो फाइनेन्स कमीशन ने रिकमन्डेशन्स की हैं और उन रिकमन्डेशन्स की

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

वजह से राजस्थान पर जो असर पड़ता है उसके सम्बन्ध में भी कुछ ज़िक्र करूंगा. उससे भी माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि जो फाइनेन्स कमीशन का अवार्ड आया है उसके बाद भी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राजस्थान के ऊपर काफी वजन रहने वाला है और उन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए हम इन चीजों के अन्दर और खास तौर से जहां सरकार पर खर्च बढ़ने के सवाल होते हैं हमें बहुत ही गहराई के साथ विचार करके कदम रखना होगा।

आज, उपाध्यक्ष जी, यह सभी जानते हैं कि राणावत कमीशन अपाइंट किया जिसके फलस्वरूप $3\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का सरकार पर बोझ आया। इसी सरकार ने जो स्पेशल पे थी कई जगह उसको एबालिश करने के बारे में सजेस्ट किया। आज आन्दोलन जो खड़ा हुआ है वह राणावत कमीशन ने जिसको एबालिश करने के लिए कहा उसको रेस्टोर करने के बारे में आन्दोलन हुआ है। मैं समझता हूँ कि राणावत कमीशन की वजह से जो पे-स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई उसमें से बहुत सी बातों को स्वीकार किया तो जहां स्पेशल-पे का सवाल है यह स्पेशल-पे उस पोस्ट से कनेक्टेड है और किसी कर्मचारी विशेष से कनेक्टेड नहीं है, वेतन शृंखला से कनेक्टेड नहीं है। अगर वही कर्मचारी आज उस जगह से ट्रान्सफर होकर हैड आफिस में दूसरी जगह चला जाये तो स्पेशल-पे नहीं रहती। स्पेशल पे पोस्ट के साथ रहती है और उनको कम कर दिया है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ बड़े पदों वालों को स्पेशल पे मिलती है और दूसरों को नहीं मिलती है तो एक पक्ष को हार्टबर्निंग होती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उस भावना से सहमत हूं कि कुछ को मिलती है और खास तौर से बड़े पद वालों को और इसकी वजह से दूसरों को हार्टबर्निंग है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी हाईएस्ट स्केल के अन्दर आज सबसे बड़ी सर्विस जिसको कह सकते हैं वह आई. ए. एस. की है आई. पी. एस. वगैरह की है उसके संबंध में भारत सरकार ने आल इण्डिया सर्विसेस के रूल्स बना रखे हैं। उन रूल्स के मुताबिक कुछ पदों के लिए अनिवार्य किया हुआ है कि इनके ऊपर स्पेशल पे देनी होगी। जो सुपर टाइम स्केल में आ जाते हैं तो स्पेशल पे नहीं मिलती है लेकिन बाकी पदों के लिए यहां तक कि सलेक्शन ग्रेड के लिए, आई. ए. एस के लिए अगर दो हजार तक पहुंच जाये तो स्पेशल पे नहीं मिलती है लेकिन वे सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और हैड आफ दी डिपार्टमेंट की जगह पर जायें तो स्पेशल पे है। लेकिन कुछ जगहों पर स्पेशल पे जब मिलती थी जैसे रेवेन्यू बोर्ड के सेक्रेटरी या हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं या कोई एडीशनल कमिश्नर हैं किसी जगह के एडीशनल फूड कमिश्नर हैं या एडीशनल रिलीफ कमिश्नर हो सकते हैं और एक्स-आफिशियो सेक्रेटरी भी हैं तो हमने उनकी स्पेशल पे एबालिश कर दी है। जहां हम एबालिश कर सकते थे वहां पर भी हमने ऐसा किया है। कुछ पदों पर आज भी गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि धीरे धीरे हम स्पेशल-पे के सिलसिले को बन्द करते हुए चलें। आज उसको कम करते हुए चले जायें कि जिससे उसमें आज फर्क नहीं रहे और जो मैंने सलेक्शन ग्रेड का कहा वह ज्यादा से ज्यादा 2250 तक पहुँच सकते हैं

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

उससे आगे स्पेशल पे उ में ऐड नहीं होती हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्पेशल पे सिवाय इससे कि एक्स्ट्रा आर्डीनरी वर्क जिनको ज्यादा करना पड़ता है वहां तो दी जाये लेकिन और जगह गवर्नमेन्ट की इस स्पेशल पे को एबालिश करने की नीति है और उसमें आगे और क्या परिवर्तन किया जा सकता है उसको भी हम करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो लोग 55 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं और आल इन्डिया सर्बिस में भी यह आयु 55 वर्ष की हो इसके लिए भी हमने अपनी सहमति प्रकट की है और भारत सरकार को भी इसके संबंध में लिखकर भेजा है और जो आज नौजवानों के लिए एक रोजगार की गम्भीर समस्या खड़ी हुई है–मैं तो समझता हूँ कि यह वक्त आ गया है कि भारत सरकार को भी गंभीरतापूर्वक इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आज सारे-देश के अन्दर अगर 55 वर्ष की आयु कर दी जाये तो शायद उपयुक्त होगा जिससे दूसरे लोगों को मौका मिल सके। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार भी इसके ऊपर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी यहां पर पेन्शनर्स के लिए भी जिक्र किया गया कि इसके संबंध में भारत सरकार ने अभी बढ़ोतरी का फैसला किया है उसके आधार पर हम यहां पर क्या करना चाहते हैं–यह जानकारी मांगी गयी। मेरे लिए इस समय तो कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि उसके फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन्स क्या होंगे उसके विस्तार में जाना होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह आदेश दिया था कि 3 तारीख को इसके बारे में कहा जाये, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा समय लगेगा। अगर इसके अन्दर कुछ बातें की जाती हैं तो क्या उसके फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स हैं कुल मिलाकर माननीय उपाध्यक्ष जी इसको ध्यान में रखते हुए कि हम सरकारी कर्मचारियों के लिए जहां वेतन वृद्धि की बात समझते हैं वहां कुल मिलाकर योजना के जरिये भी सारे राजस्थान का विकास हो उसके लिए धन उपलब्धि हो सके यह भी विचार करना होगा। मैंने अपने स्टेटमेन्ट में कहा कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर जितनी एडीशनल टैक्सेशन से हमारी रिसीट है उससे ज्यादा मंहगाई भत्ते के अन्दर दे देना पड़ा। आज शायद माननीय सदस्य इसको चाहेंगे कि हमारे एफर्ट्स के जरिये राजस्थान के आम लोगों की सेवा में वह ध्यान लगा सकें और केवल इन वृद्धियों के अन्दर यह सारी चीजें खतम नहीं हों। माननीय उपाध्यक्ष जी यह भी कहा गया कि जो मंहगाई बढ़ती रहती है इसकी वजह से वेतन श्रृंखला के अन्दर स्पेशल पे को कम किया जाये। मैंने निवेदन किया कि स्पेशल पे कुछ व्यक्तियों को मिलती है, सारे राजस्थान के अन्दर नहीं है कुछ हैडक्वार्टर्स पर है उन्हीं का प्रश्न है। स्पेशल पे को कम करने की तरफ जाना यह आम नीति है सरकार की। इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न यह भी आया कि इफीशियेन्सी बार के लिए हम क्यों अभी से देना चाहते हैं और पुराने टाइम से क्यों नहीं उनको इफीशियेन्सी बार

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

को क्रास करने के लिए इजाजत देना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले इस बात के लिए व्यवस्था की हुई थी कि इफीशियेन्सी बार एक व्यक्ति तभी क्रास कर सकता है जब कि वह एफीशियेन्सी टेस्ट दे दे और उसके पास करने के बाद उसको इफीशियेन्सी बार क्रास करने की इजाजत दी जायेगी। अभी बीच में चर्चा हुई तो कई लोगों ने कर्मचारियों की तरफ से यह प्रश्न रखा गया कि बहुत सी जगह टाइपराइटर्स नहीं हैं, वह सुविधा नहीं है इसलिए जो टाइपिंग की शर्त रखी गयी है उसकी पूर्ति वह नहीं कर सकते और इसके कारण से इफीशियेन्सी बार रुक जाती है तो हमने उसके ऊपर विचार करके आइन्दा के लिए जो काम वह करता है उसी की इफीशियेन्सी को मानकर उनको एफीशियेन्सी क्रास करने की इजाजत दे दी जाये इसको भी स्वीकार कर लिया गया है। अब प्रश्न आता है रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से कि जब टेस्ट था उस समय में उसकी एफीशियेन्सी जो उस समय में एग्जिस्टिंग रूल्स थे उसके अनुसार उसको एफीशियेन्सी टेस्ट पास करना चाहिए था और उसने पास नहीं की फिर भी यह समझकर कि उसने पास कर ली उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया जाये तो यह उपयुक्त नहीं लगता। जो नियमों में परिवर्तन किया गया है उसका लाभ आगे के लिए प्राप्त हो सकता है। फिर भी हमने उनसे कहा कि अगर ऐसा किया जाये तो उसके फाइनेन्शल इम्पलीकेशन्स क्या होंगे तो मैंने इस स्टेटमेन्ट में जिक्र किया कि हम उसको एग्जामिन करना चाहते हैं। अगर कोई मार्जीनल फाइनेन्शियल प्रश्न है तो यह देखना होगा कि जिन्होंने टेस्ट पास किया और किसी ने दो अटेम्प्ट में पास किया तो वही डेट को एफीशियेन्सी बार क्रास करने की बात कही गयी तो उस डेट को मान लिया जायेगा। किसी ने एक अटेम्प्स में पास कर ली तो वह जूनियर तो नहीं हो सकता वह टेस्ट के अन्दर बैठा है इसलिये उसको भी रिट्रोस्पेक्टिवली किस जगह पर जाकर फिक्स कर सकें इस प्रश्न के ऊपर भी गहराई के अन्दर जाना होगा। तो इन प्रश्नों पर जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स और दूसरे इम्प्लीकेशन्स पर क्या हो सकता है, इन पर विचार किया जा रहा है।

आन्दोलन करके, एक प्रश्न के लिए एजीटेट करने वाली बात है तो मैं समझता हूं कि इस सरकार की तरफ से हमेशा यह प्रयत्न किया गया कि कन्स्ट्रक्टिव तरीके से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के एम्प्लाईज के बीच बात चीत के जरिये समस्याओं का हल हो, लेकिन उन समस्याओं का हल नहीं हो पाये और आन्दोलन का रुख अख्त्यार करना चाहते हैं तो इसकी वजह से सरकार बात मानती हुई चली जाय, यह बात सम्भव नहीं हो सकती है। हमने जो कुछ सम्भव था इन चीजों को करने का प्रयत्न किया। 22 अगस्त और 26 अगस्त को मीटिंग हुई थीं और जो पाइन्ट आउट किया गया है उसका रेकार्ड तैयार होकर जो पाजीशन है, वह मैंने यहां पर निवेदन किया है। मीटिंगें दो-तीन बार बीच के अन्दर होती रहीं और जो कुछ हमने किया है मैं आशा करता हूं कि इससे सामान्य रूप से ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है उससे।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैडक्वार्टर्स का एलाउन्स और मकान बना चुके हैं उनका एलाउन्स होने के बाद तो गवर्नमेंट की वह स्थिति है कि मकान बनाने के लिए उनको तरजीह देती है कि वे मकान बनाने वाले प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं उसके बाद में एलाउन्स देने वाली बात हो तो मैं उसको उपयुक्त नहीं समझता हूं। जिनके मकान भी हैं उनको भी एलाउन्स दिया जाय यदि इसी बात के आधार पर लिखा गया है कि अभी तक मिनिस्टर जो खुद के मकान में रहते हैं उनको एलाउन्स दिया जाता है। यदि कोई एम. एल. ए. मकान बनाता है तो यहां पर स्पेशल लौन मकान बनाने की सुविधा नहीं दी जाती है। इसलिए उस प्रश्न पर भी क्योंकि वह कुछ व्यक्तियों तक सीमित था इस वजह से इस प्रश्न के अन्दर इस वाली बात कही जाय उसको इसके साथ चलाने वाली बात मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं होगा।

फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो वाजिब मांगें हमारी वित्तीय स्थिति को सामने रखते हुए सम्भव हो सकती हैं उनके लिए पहले भी विचार किया गया है और आगे भी सरकार विचार करने के लिए इसके सम्बन्ध में तैयार रहेगी, लेकिन जो जो बातें मैंने कहीं हैं उनको लक्ष्य में रखते हुए।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री रामकिशन।

श्री भैरोंसिंह : विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी एक वक्तव्य देंगे।

श्री भैरोंसिंह : उस प्रस्ताव का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वह अध्यक्ष के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष तो अस्वस्थ हैं। उनकी जगह तो आप काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह अपने चैम्बर में हैं अन्दर।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में यह दिया हुआ है कि बाकी का बिजीनेस लिया जाय उसके पहले विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जाना चाहिए। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जिसको सारा सदन इस तरह से महसूस करके चलता है कि यदि ऐसे प्रश्न बारबार विधान सभा में आयेंगे तो विधान सभा की कार्यवाही में बहुत बाधा उपस्थित होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न का निपटारा हो और बाकी का हाउस का बिजीनेस लें उसके पहले करवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रम मंत्रीजी एक स्टेटमेंट दे दें उसके बाद अध्यक्ष महोदय उस पर निर्णय दे देंगे।

शासकीय वक्तव्य

इंजीनियरिंग उद्योगों में श्रमिकों की हड़ताल सम्बन्धी वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्जीनियरिंग उद्योगों पर वेतन-मण्डल की सिफारिशें लागू करने के सम्बन्ध में मैंने सदन के समक्ष अपना

Page No 77

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
वक्तव्य पहले भी दिया था। उस वक्तव्य के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 2?-8-69 को नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री, जयपुर में एडहाक बेसिस पर 66 रुपया वेतन में अन्तरिम-वृद्धि, तथा जयपुर मेटल्स में 30 रु. एडहाक वेतन-वृद्धि के सम्बन्ध में मालिकों और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच समझौता सम्पन्न हो चुका है। दिनांक 31-8-69 को फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी के सम्मुख एन. बी. सी. इन्डस्ट्रीज के मालिकों के प्रतिनिधि और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। उस वार्ता के फलस्वरूप कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर ने 18 रु. प्रति मास प्रति श्रमिक एडहाक अन्तरिम वेतन-वृद्धि का समझौता हुआ। मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन जयपुर, कैप्स्टेन मीटर्स, जयपुर, तोशनीवाल इन्डस्ट्रीज, जयपुर, ए. मुखर्जी एण्ड कम्पनी, जयपुर, तथा कमल एन्ड कम्पनी, कोच वर्क्स, जयपुर, के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि इनका वेतन-स्तर तथा वेज बोर्ड के प्रस्तावित में काफी अन्तर है। मान इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के बारे में वेज बोर्ड की श्रेणी का भी मतभेद है। मालिक इसको 'बी' श्रेणी में मानते हैं जब कि श्रमिकों का कहना है कि वे 'सी' श्रेणी में आते हैं।

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इनमें से अधिकांश फेक्ट्रीज ऐसी हैं जो खुद 'ए' में आती हैं। इनके एडहाक वेतन में 3? और 50 रु. मासिक का अन्तर आता है। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि इन उद्योगों के श्रमिकों को किस प्रकार से राहत पहुंचाई जाय और उनके असन्तोष को कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों से जानकारी प्राप्त की जा रही है और कानूनी पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। शीघ्र ही सरकार इस बारे में अपना निर्णय ले लेगी।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी, मुझे एक बात पूछनी है कि जैसे पंजाब में पंजाब सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स जारी किया है कि जिन मालिकों ने इन्जीनियरिंग वेज बोर्ड की सिफारिशों को नहीं माना है तो उनके सिलसिले में एक ऑर्डिनेन्स जारी किया है, तो राजस्थान सरकार ने अपना जो फैसला करवाया है कमानी मेटल्स और नेशनल इन्जीनियरिंग में जो तय करवाया है उसके आधार पर फैसला हो गया और बाकी इन्डस्ट्रीज यदि नहीं मानते हैं तो उसके बारे में एक ऑर्डिनेन्स क्यों न जारी करे? इसका असेम्बली के बाद आप फैसला करें कि ऑर्डिनेन्स जारी किया जाय। अभी तक कई उद्योग नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि सेशन समाप्त होते ही सरकार और रूप में आ जाय, मालिकों के पक्ष में आ जाय जैसा कि सरकार का अब तक रुख रहा है। सरकार यह घोषणा कर दे कि इस सेशन के समाप्त होते ही आर्डिनेन्स बनाकर निकाल देगी।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहां से आ गया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है उसमें स्पष्ट रूप से नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहा है पर उससे आभास अवश्य होता है कि जो बेसिस मुख्य मंत्रीजी ने समझौते का इस इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्री का आमतौर से रखा था वह चेयरमैन और स्वतन्त्र मेम्बर्स ...

(1.37 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

की जो सिफारिशें हैं उनके बेसिस पर समझौता किया जाय। उस बेसिस को ये जो इन्डस्ट्रीज रह गई हैं वे मानने को तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सुझाव दिया था उसको श्रमिकों ने स्वीकार किया है और जो एम्प्लायर्स हैं वे नहीं मानते हैं, तो क्या यह स्थिति है ? और यदि यह स्थिति है तो फिर क्या सरकार अपने पावर्स को उन एम्प्लायर्स से मनवाने के लिए इस्तेमाल करेगी ? सब पावर्स को इस्तेमाल करेगी, यह आश्वासन मैं चाहता हूँ।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा : माननीय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, वह सही है। वैसे मैंने डिप्टी लेबर कमिश्नर को पंजाब भेजा है। उसकी प्रति आ जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है वह जो आर्डिनेन्स निकला है वह 50 से कम लेबरों के लिए निकला है। बाकी पता कर रहे हैं। कोई निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा बंगाल में भी कोई फैसला नहीं हो सका है और, दूसरे राज्यों में भी नहीं हो सका है।

माननीय रामानन्द जी ने जो मुद्दा उठाया है वह ठीक है। मैंने जिस आधार पर पूंजीपतियों से बातचीत की, एक ही फैक्ट्री में समझौता हुआ बाकी में नहीं हुआ है। अब यह आता है कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठाये। यह विचारणीय है। सरकार आर्डिनेन्स भी निकाल सकती है। मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही कर सकती है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं मजदूरों को इस बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत शान्तिपूर्वक उनका आन्दोलन चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि वह आन्दोलन शान्तिपूर्वक ही चलेगा। और उसमें किसी प्रकार की हिंसा या लॉ एण्ड आर्डर के भंग होने की कोई बात पैदा नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मजदूरों का आन्दोलन शान्तिपूर्ण है, सरकार का जो रुख अब तक रहा है, उसमें दूर हटने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री सांवरमल बासोतिया सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय एक विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की सूचना मैंने भेजी थी। विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव अभी तक बिजनेस से अलग है। मामला गंभीर है। 29 अगस्त को जब कि अकाल के विषय पर चर्चा चल रही थी नवलगढ़ से आये माननीय सदस्य सांवरमल बासोतिया बोल रहे थे.......

श्री मूलचन्द डागा : प्वाइंट आफ आर्डर। बासोतिया के साथ...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह मामला माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह मामला माननीय उपाध्यक्ष के विचाराधीन है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई सवाल ही नहीं है The Speaker is considering it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If the Speaker is absent then whosoever is on the Chair has to give the ruling,

यह रूल्स में लिखा हुआ है। विशेषाधिकार भंग के प्रश्न पर कोई न कोई व्यवस्था देनी होगी। यह काल अटेंशन मोशन नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। यह मामला माननीय अध्यक्ष के पास विचाराधीन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं।

(1.42 म.प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः आपको पत्रों से जानकारी मिल गई होगी। 29 अगस्त को अकाल राहत पर सदन में बहस चल रही थी। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य सांवरमल बासोतिया, अकाल राहत की चर्चा कर रहे थे। उससे माननीय अकाल राहत मन्त्री का बहुत कुछ टेम्पर लूज हो गया। उसके कारण जो स्थिति सदन में उत्पन्न हुई, वह जानकारी सम्भवतः आपको मिल गई होगी। उस घटना के सम्बन्ध में बासोतिया को निलम्बित कर दिया। उसके बाद माफी मांगने की बात भी समाचार पत्रों में आई है। यह उनकी बात है। 194 धारा के अन्तर्गत इस सदन में किसी भी सदस्य को अपने विचार निर्भयतापूर्वक व्यक्त करने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस कार्यवाही के द्वारा अपने विचारों का निर्भयता पूर्वक प्रकट करने पर बन्धन लगाया है। इस प्रकार की स्थिति खतरनाक होगी। उनको दण्ड देने के बारे में ....

श्री मूलचन्द डागा : पाइंट आफ आर्डर। आपने अध्यक्ष महोदय को दे दिया है, इनको मिल गया है। मुझे मालूम नहीं है कि ऐजेण्डे पर है या नहीं :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दो प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। एक माननीय सदस्य सतीश चन्द्र अग्रवाल के द्वारा, और दूसरा माननीय सदस्य श्री भैरोंसिह के द्वारा। श्री सतीश चन्द्र द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग का प्रश्न 11-30 बजे आया। इसलिए

Rule 158

"158. Notice of question of privilege.-A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question

Page No 80

(श्री अध्यक्ष)

is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

इसलिए वह प्रश्न अभी उठता नहीं। दूसरा प्रश्न उठता है माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी का। मैं माननीय सदस्यों की व्याकुलता को समझता हूं। विशेषाधिकार के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए नियम 15 का अवलोकन आवश्यक है। मुझ को और इस आसन को भी अवसर मिलना चाहिए। इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर कन्सेन्ट देने को प्रोसीडिंग अवलोकन करना जरूरी है। माननीय सदस्यों ने माननीय मन्त्री महोदय के सम्बन्ध में अपने पत्र में जो लिखा है उसके सम्बन्ध में कोई बात कही गई है। इसी तरह से माननीय मुख्य मन्त्री के सम्बन्ध में भी कहा गया है। तीन प्रश्न हैं इस पहलू के। जो कार्यवाही सदन के प्रांगण पर चल रही थी वह समाप्त होने के बाद की स्थिति और कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में हुई स्थिति। ये तीन स्थितियां हैं। इन तीन स्थितियों के आधार पर विचार करके अध्यक्ष को कन्सेन्ट देने का अधिकार है। 157 में उल्लेख है—

"157. Question of privilege.—A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof."

कन्सेन्ट देने के बाद प्रोसीजर में नियमों में निहित किया गया है—

"160. Mode of raising a question of privilege.—(1) The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto." कन्सेन्ट देने पर नियम 160 की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद माननीय सदस्य के स्टेटमेन्ट देने का प्रश्न पैदा होता है, उसका सवाल खड़ा होता है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो प्रोसीजर है।

श्री [illegible] : यह तो प्रोसीजर की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रोसीजर का ही कहा है। कन्सेन्ट देने के लिए कोई दस्तावेज का आधार नहीं है जिससे यह नहीं है। उसका पूरा अध्ययन करूंगा। जो भी डाकूमेंट उन पर बेस करते हैं। इसलिए मैं विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं। 11-30 बजे यह प्रश्न आया है। दूसरे माननीय सदस्य का भी इसी आस पास आया है।

श्री भैरोंसिंह : इन टाइम आया है।

श्री अध्यक्ष : इन टाइम ही करता हूं। उधर की तरफ या इधर की तरफ नाम आया है। इसलिए हम विचार कर रहे हैं। प्रोसीडिंग्स मंगा रहे हैं। तीन प्रश्नों का माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। उसकी जानकारी, कम से कम प्राइमाफेसी अथवा उसके आस पास की जानकारी आवश्यक है। उसके बाद उस पर कन्सेन्ट दे सकूंगा। प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैं आज थोड़ी देर कर दूं तो कल वह गायब हो जाये ऐसा प्रश्न नहीं है। जो चर्चा प्रांगण पर चलती है, उसका महत्व

(श्री अध्यक्ष)
होता है। इसलिए मैं यहां की सभी प्रोसडिंग्स का अध्ययन करके कन्सेन्ट देने का या न देने का निर्णय ले सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहूंगा। आपने बताया है कि अगर इस प्रश्न पर कन्सेंट नहीं दी जाएगी तो विशेष कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है। मेरा निवेदन है कि आज भी अकाल के सम्बन्ध में वाद विवाद होगा। यह स्वाभाविक है कि अकाल के वाद-विवाद में माननीय सदस्य इस प्रकार का मुद्दा फिर उठायें। जिन मुद्दों के कारण अकाल राहत मंत्री जी उस दिन गुस्से में हो गये। माननीय सदस्य को डांटा। बुरा भला कहा। आज भी वह स्थिति बन सकती है। इस प्रकार के आरोप लगायेंगे तो उसके कारण उनको गुस्सा भी आएगा।

श्री अध्यक्ष : उसका वाद-विवाद पर असर होगा। मुझ पर जो उत्तरदायित्व है ..

श्री भैरोंसिंह : वाद-विवाद का असर आप पर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : यहां आसन पर बैठता हूं। फार ए ह्यूमेन बींग लचीला मस्तिष्क है।

श्री भैरोंसिंह : निवेदन ही सुन लें।

श्री अध्यक्ष : नियमों में है ?

श्री भैरोंसिंह: प्रोसीडिंग देखने का आपने कहा है। विधान-सभा का कोई भी सदस्य देख सकता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि प्रोसीडिंग अभी तक नहीं देख सके हैं।

किसी एक ऐसे मोशन का नोटिस साढ़े दस बजे दिया गया और इस समय लगभग 3 घंटे बाद में अध्यक्ष महोदय यह कह कर चलें कि प्रोसीडिंग्स मैं नहीं देख पाया, हम तो इस पर विश्वास कर लेंगे पर सुनने वाले विश्वास नहीं करेंगे कि इतने समय पहले प्रस्ताव आने पर भी अध्यक्ष महोदय ने प्रोसीडिंग्स नहीं देखी है।

मैं भी इसलिए विश्वास कर रहा हूं कि आसन से कह रहे हैं, नहीं तो मैं भी विश्वास नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : सुनने वालों को यदि पता लग जाय कि अध्यक्ष की हालत माननीय सदस्य से और बुरी है तो विश्वास कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि अस्वस्थ होते हुए भी मेरे द्वारा यह विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया है और आप भी अस्वस्थ होते हुए भी इसका निवटारा करने के लिए आये हैं. दोनों का परपज एक है। अस्वस्थता भी इसमें बाधक नहीं होगी। इसका निबटारा कर देंगे तो आप पूर्ण स्वस्थ हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी शुभ कामनाएं तो सदा रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले तो ..

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अस्वस्थ होने पर उपाध्यक्ष तो हैं....

श्री अध्यक्ष : यह कन्सेन्ट का मामला है, कानून का मामला है। ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : सदन के बाहर की कोई घटना होती, कोई पुरानी घटना होती, इस

(श्री भैरोंसिंह)

सदन के किसी सदस्य के खिलाफ किसी जिले में किसी शहर में आते जाते किसी प्रस्ताव को रखने के सम्बन्ध में कोई बाधा उपस्थित की जाती तो संभवतः अध्यक्ष महोदय उस बारे में तत्काल व्यवस्था नहीं दे सकते थे पर यह घटना इस सदन की है। सदन के बाहर की घटना को लेकर जो कुछ समय पहले कुचामन के प्रधान ने इस सदन के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया उसके लिए सदन ने वारण्ट जारी किया। वह सदन के बाहर की घटना थी, पर सदन में यह प्रश्न आ गया कि सदन के किसी माननीय सदस्य के अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो सदन की गरिमा को आघात लगेगा। वह तो विधान सभा के बाहर की घटना थी। पर यहां सदन के अन्दर एक मेम्बर को अपनी बात रखने के लिए डांटा जाय और सदन की लौबी में उसको सस्पेन्ड किया जाय। विधान सभा में मेम्बर को धमकाया, मुख्य मंत्री इससे इन्कार करने वाले नहीं हैं कि माननीय सावर मलजी बासोतिया को इसलिए सस्पेन्ड ...

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न पर डिबेट ओपन नहीं करूंगा। कन्सेन्ट देने का प्रश्न मेरे विचाराधीन है। मुख्य मंत्री भी स्पष्टीकरण करना चाहें तो मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा, न दूसरे माननीय सदस्यों को दूंगा। कन्सेन्ट से निर्धारित है यह प्रश्न। इसलिये जैसा कि मैंने निवेदन किया यहां वापिस जाने के बाद मैं इस पर विचार करके निर्णय दे दूंगा।

दूसरा प्रश्न ! ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर जिले की सड़कों सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल, भरतपुर जिले की सड़कों की दुर्दशा की ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामकिशन (बैर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले की सड़कों के बारे में एक बार नहीं अनेकों बार इस सदन में चर्चा हुई। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ध्यान के द्वारा ही नहीं, शरीर के द्वारा भी इन सड़कों को देख चुके हैं, कि वह सड़कें नहीं बल्कि काश्मीर की केसर की क्यारियां बनी हुई हैं, जिनमें मानों पर्याप्त गड्ढे खोदे गये हों।

तीन कारण इन भरतपुर की सड़कों की गिरावट के हैं। एक कारण तो यह है कि वहां दूसरे तीसरे साल बाढ़ आती रहती है और बाढ़ के कारण सड़कें टूट जाती हैं। तो मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ की समस्या के हल के लिये जो वे कार्यवाही करने वाले हैं, उसके सम्बन्ध में हमें सूचना दें कि वे क्या कार्यवाही करने वाले हैं। बार बार सड़कों की मरम्मत करने से इन सड़कों की समस्या का हल नहीं होगा। वहां बार बार बाढ़ें आती हैं तो वहां की सड़कों को बाढ़ के कारण टूटने से बचाने के लिये उन सड़कों को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, और क्या कार्यवाही करना चाहते हैं। यह हमें बतायें।

दूसरी सूचना, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह देखें कि बाढ़ के

(श्री रामकिशन)

क्षेत्र के लिये स्वीकृत पैसा गैर बाढ़ वाले इलाके में खर्च नहीं होना चाहिये। सड़कों के काम में राजनीति के कारण, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती हैं, वहां तो सड़कें टूटी की टूटी रह जाती हैं और जहां बाढ़ नहीं आती है वहां पैसा लगा दिया जाता है, सार्वजनिक निमाण मंत्री जी यह सब जानते हैं, उनका जिक्र मैं यहां इस समय नहीं करूंगा। गैर बाढ़ क्षेत्रों की सड़कें हैं उनको भी सुधारा जाय, पर जो बाढ़ क्षेत्र की सड़कों के लिये पैसा है उसको गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की सड़कों पर नहीं लगाया जाना चाहिये।

तीसरी बात विशेष तौर पर यह है कि भरतपुर की, सड़कों के मामले में, पानी के मामले में खेती के मामले में उपेक्षा की गई है। क्या कारण है, क्या कारण नहीं हैं यह तो मुख्य मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों में क्षेत्रीय भावना नहीं होनी चाहिये। सारे राजस्थान की दृष्टि से जिस क्षेत्र की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको दृष्टि में रख कर विचार करना चाहिये। एक तो धौलपुर का इलाका है, जहां आये दिन डकैतियां होती रहती हैं, तो क्या मुख्य मंत्री जी यह महसूस नहीं करते कि उस इलाके का विकास किया जाय। अगर वहां सड़कों का निर्माण हो जाता है तो डकैती उन्मूलन में सहायता मिलेगी। आज 20 साल से पुलिस पर इतना पैसा खर्च किया गया है, उसका 1/4 हिस्सा भी सड़कों पर खर्च कर दिया जाता तो डाकुओं की जो आज इतनी समस्या नजर आती है, वह नजर नहीं आती। जितनी डकैतियां आज धौलपुर, भरतपुर इलाकों में होती हैं उतनी डकैतियां और जगह नहीं होतीं।

एक और कारण यह है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, उन इलाकों की सड़कों के मामले में, विकास के मामलों में उपेक्षा की गई है। क्यों की गई है, राजनैतिक कारण हैं या क्या हैं, यह सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं।

अभी मुख्य मंत्रीजी भरतपुर आये थे, वहां वे कम ही जाते हैं, क्योंकि वहां स्वागत सत्कार की आशा नहीं है। अभी वहां गये तो बच्चे बच्चे से कहा कि सड़कें खराब हैं, वोट तो समाजवादियों को दिये। ऐसी हल्की बात उन्होंने क्यों की यह वही जाने। केवल सड़कों का निर्माण ही समाजवादियों की हार जीत का प्रश्न नहीं है। अगर उस इलाके की सड़कें बनेंगी, वहां आवागमन के साधन बनेंगे तो राज्य सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेंगे, राज्य की रेवेन्यू में वृद्धि होगी। वोटों को सड़कों और बिजली के लट्ठों से जोड़ देंगे तो आपको निराशा ही होगी, क्योंकि भरतपुर के लोग अच्छी तरह से इन बातों को समझते हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वे मुख्य मंत्री की सलाह में नहीं आयें और वहां ये कार्य करायें।

भरतपुर क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के मुकाबले में दूसरे क्षेत्रों में कितनी सड़कें बनीं, वह सब बजट के समय कहने की बातें, हैं, इस समय मैं नहीं कहना चाहूंगा। भरतपुर अकालग्रस्त इलाका नहीं वह बाढ़ग्रस्त इलाका है। दूसरी जगह जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनूं, चूरू में अकाल में सड़कें बनती हैं। हमारे

(श्री राम किशन)

यहां पिछले साल 222 गांव अकालग्रस्त हुए पर हमने निश्चय किया, कांग्रेस के लोगों ने, हमने, निश्चय किया जिला परिषद् और पंचायत समितियों ने प्रस्ताव पास किये कि हम इतने बुरे ढ़ंग से अकाल से इफेक्टेड नहीं हैं, जितने कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के लोग इफेक्टेड हैं इसलिये उन इलाकों में अकाल राहत कार्य किये जायं हमने यह इसलिए किया कि कहीं सरकार का ध्यान बंट न जाय और वहां के लोगों को पूरी मदद मिलनी चाहिए। 222 गांवों में अकाल घोषित किया गया लेकिन भरतपुर में एक पैसा भी खर्च नहीं किया। जिला परिषदों ने प्रस्ताव पास किया कि पहले मदद जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों को मिलनी चाहिए। भरतपुर का दृष्टिकोण हमेशा मानवीय रहा है, वहां के लोग छोटे स्वार्थों की तरफ देखने के आदी नहीं रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि भरतपुर की निरंतर उपेक्षा को जाय।

1961 में भरतपुर जिले में जितनी सड़कें थीं उनमें केवल 85 किलोमीटर्स की वृद्धि हुई है। राजस्थान के हर जिले को देखेंगे कि 1961 में कितनी सड़कें थीं और 1969 में कितनी हैं तो आपको हर जिले में सड़कों का निर्माण मिलेगा। मैं अकालग्रस्त क्षेत्रों की बात नहीं कहता, मैं उन जिलों की बात कहता हूं जहां पैदावार ठीक होती है। 1961 में भरतपुर जिले में 1344 कि. मी. सड़कें थीं, 31 मार्च 1967 तक केवल 1429 कि. मी थीं। इसका मतलब 10 सालों में केवल 85 कि. मी नई सड़कों का निर्माण किया गया। उसी प्रकार जैसलमेर का मुकाबला मैं नहीं करूंगा क्योंकि वहां अकाल पड़ता रहता है लेकिन भीलवाड़ा और चितौड़गढ़ जो हमारी जैसे आबादी के हैं। वहां सडकों का निर्माण हमारे मुकाबले में ज्यादा हुआ है। भीलवाड़ा में 31-3-61 को 912 कि. मी. थीं, आज 1128 कि मी. हैं। इसका मतलब 216 कि. मी नई सड़कें। चित्तौड़गढ में 736 कि. मी. थीं, आज 1008 कि मी सड़क है। भीलवाबा में 216 कि. मी. सडकों का निर्माण हुआ, चित्तौडगढ़ में 272 कि. मी. सड़क का निर्माण हुआ लेकिन भरतपुर में सारे समय में केवल 85 कि. मी सडक का निर्माण हुआ। तो मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप सब जिलों को देखेंगे तो आपको भरतपुर सहायता के मामले में सबसे नीचे मिलेगा लेकिन आबादी, जैसे आप जानते हैं, सबसे घनी है। 1961 में साढ़े ग्यारह लाख थी, आज 14 लाख के आसपास पहुंच रही है। 14 लाख में जो आपकी नागपुर योजना है. कि एक आदमी के पीछे इतनी सड़क होनी चाहिए, उससे हम पीछे हैं। मैं आपका तीन मामलों की तरफ ध्यान दिलाता हूं: पहले तो नई सड़कों का निर्माण वहां की स्थिति को देखते हुए किया जाय। केवल राजनैतिक दृष्टि से सड़कों का निर्माण करेंगे तो आपको निराशा होगी और जो आमदनी के सोर्सेज हैं वह बंद कर देंगे। भरतपुर जिला इमारती पत्थर के उत्पादन में एक बहुत बड़ी इकाई है। आगरा, दिल्ली सब जगह वहां से पत्थर जाता है और खान

(श्री रामकिशन)

से जोड़ने वाली सड़क को भी नहीं बनाया गया। अगर 5 मील की सड़क खान से जोड़ी जाय, तो पत्थर सस्ता पड़ेगा, व्यापारी बाहर से न खरीदकर राजस्थान से खरीदेंगे आपकी रायल्टी बढ़ेगी, बिक्री कर बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। लेकिन आप केवल क्षेत्रीय भावना से सड़क निर्माण करते हैं और वोट लेने के लिये करते हैं तो हम जैसे लोगों को प्रसन्नता नहीं होगी। आप केवल वोट के नाम पर बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको वोट कोई देने वाला नहीं है और आपका राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जायगा। इसलिए सड़कों का निर्माण करें।

बाढ़ भरतपुर में आती है। सिंचाई विभाग और आप दोनों मिलकर योजना नहीं बनाते हैं, बल्कि ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सिंचाई विभाग अमरीका का है और सार्वजनिक निर्माण विभाग रूस का। दोनों मिलते नहीं। आपस में कोई तालमेल नहीं। दोनों विभागों के इन्जीनियर्स बैठें, तय करें कि किन बन्धों और सड़कों को ऊंचा करना है। एक बार बन्ध ऊंचा हो जाता है, फिर सड़क पर पानी आता है, फिर सड़क ऊंची होती है तो बन्ध नीचे हो जाता है यह कोई रूस और अमरीका के विभाग नहीं हैं, दोनों चीफ इन्जीनियर्स बैठें और मिलकर योजना बनायें, जहां बन्ध और सड़क साथ साथ चलते हैं, उनका निर्माण एक तरह से टेक्नीकली किया जाय। अगर ऐसा करेंगे तो पैसा आपका बचेगा और जितना पैसा मरम्मत में आपने 20 साल में खर्च किया है, उसका आधा भी नहीं होता। आप हर साल पैसा खर्च करते हैं। बयाना में सार्वजनिक निर्माण मंत्री गए थे। पिछले साल भी सड़क निर्माण हुई, जितना निर्माण होता है उससे ज्यादा टूटते हैं। इसलिए दोनों विभाग मिलकर तय करें।

तीसरी बात वहां पैसे की समस्या नहीं है। भरतपुर को आपने क्या समझा है? इम्पलीमेंटेशन की समस्या है स्टाफ आप वहां छांट छांटकर भेजते हैं। और कोई किसी को लेने को तैयार नहीं तो उसको भरतपुर भेजते हैं। पुलिस आफिसर ऐसे भेजेंगे जो दोनों तरफ से रिश्वत लेंगे। पी. डब्लू. डी. का स्टाफ और जगह तो 12 प्रतिशत लेगा लेकिन भरतपुर में 24 प्रतिशत। नवाब साहब, आप रिश्वत नहीं रोक सकेंगे। कांग्रेस सरकार और रिश्वत, दोनों की दोस्ती है। आप एक सक्यूंलर निकाल लें कि कोई इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, अकांउटेन्ट 12 प्रतिशत से ज्यादा कमीशन नहीं लेगा। दिक्कत क्या है? रेट फिक्स करेंगे, मंहगाई की बात मानते हैं तो 14 प्रतिशत करदें लेकिन 24-25 प्रतिशत नहीं दे सकते। सिंचाई विभाग के असिस्टेन्ट इन्जीनियर चाहे सार्वजनिक विभाग के असिस्टेन्ट इन्जीनियर हों, उनको नियुक्त कर दें, वह मंत्री नहीं बनना चाहते, वह तो आपको धन्दा देकर मंत्री बना सकते हैं।

आप पैसा ही नहीं दें बल्कि स्टाफ ढंग का भेजें। मैंने सुना है कि स्टाफ की नियुक्ति किस तरह से होती है। कांग्रेस विधायक से पूछा जाता है कि कौनसा तहसीलदार चाहते हो, कौनसा थानेदार चाहते हो, कौनसा असिस्टेन्ट इन्जीनियर चाहते हो। अगर कांग्रेसी विधायक नहीं चाहता

Page No 86

(श्री रामकिशन)

है तो 6-6 महीने फैसला नहीं होता है। एक ट्रान्सफर करवाई जाती है और दूसरी रुकवाई जाती है। आप गजट नोटीफिकेशन जारी करें कि फलां फलां आफिसर्स को ट्रांसफर करने के लिए जिन जिन कांग्रेसी विधायक, सरपंच को मिलना है तो फलां तारीख तक नवाब साहब से बरकत साहब से या मुख्य मंत्री से मिल लें। अगर ऐसा हो जाय तो अच्छा होगा कि फलां तारीख तक आब्जेक्शन्स भेज दें, उसके बाद ही वह ट्रान्सफर होगा। लेकिन ऐसे रद्दी लोग भेजते हैं कि मैंने एक बार नवाब साहब से प्राइवेटली कहा था कि बढ़िया अफसर भेजें तो उन्होंने कहा कि बढ़िया भेजें तो भी शिकायत करोगे काम में तेज लेकिन पैसा खाने में ज्यादा। 12 प्रतिशत तो रुकेगा नहीं क्योंकि यह आपके बस की बात नहीं लेकिन इससे ज्यादा लें तो आप कम करायें। सारी चीजें आप के नोटिस में हैं, हो सकता है, आपकी मजबूरी हो, मुख्य मंत्री और दूसरे दखल देते हैं वह अलग बात है लेकिन इन चीजों की आपको जानकारी है।

पहली योजना में हमारे जिले में 14 काम लिये गए, उनमें से केवल तीन काम पूरे हुए बाकी 11 काम दूसरी योजना में ट्रान्सफर किये गए, फिर दूसरी योजना में 8 काम रखे गए तो 11 प्लस 8, 19 हो गए। इसमें से केवल 9 काम पूरे किए गए। आप स्टाफ इस प्रकार का भेजते हैं कि पैसा लैप्स हो जाता है। अब कौन तेज है कौन आलसी है आप जानकारी करें, हमारा मतलब केवल यह है कि बढ़िया लोग पहुँचे और उसके बाद काम करें।

आखिर जब हम निर्माण की बात करते हैं तो राज्य के धन की रक्षा करना हमारा धर्म है। आपके सामने कितनी शिकायतें आती हैं कि भरतपुर के इलाके में कितना भ्रष्टाचार है। गंगानगर में नम्बर वन सरकार ने लिस्ट निकाली है, नम्बर 2 भरतपुर। भरतपुर में कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी जानकारी लोगों को नहीं है। पहली योजना में नगर सीकरी पहाड़ी सडक 11 से 20 मील का ठेका कुछ ठेकेदारों को दिया था। सडक बन गई, उसके बाद ठेकेदार से जो इकरारनामा था उसमें लिखा था कि कंकर खडी मिट्टी एम्बैंकमेंट जितने काम होंगे एक हजार रुपए घन फुट अर्थ वर्क दिया गया, फुल पेमेंट हो गया। 6 साल काम हुआ उसके बाद फुल पेमेंट हुआ, ठेकेदार ने क्लेम किया, विभाग ने कहा कि यह जो मिट्टी डाली है, इसमें से कंकर निकल आया है, कहीं एम. बी. में जिक्र नहीं कहीं मस्टर रोल में जिक्र नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर की रिपोर्ट नहीं। उसके बाद आज से 15 दिन पहले 40 हजार का पेमेंट हुआ। उससे पहले जितने इंजीनियर्स आए, ठेकेदार के क्लेम को रिजेक्ट किया। लेकिन मंत्री चाहें तो मैं एक पत्र पढ़कर सुनाता हूं, इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। एक पत्र है डी.के. गुप्ता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 30-10-68 को सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को लिखा है कि यह क्लेम जो ठेकेदार ने पेश किया है, यह कन्सीडरेशन के काबिल नहीं, उसके बाद भी 40 हजार दे दिए गए।

"The work was in progress during the tenure of three to four Executive Engineers. The classification of soil already paid is orrect

(श्री रामकिशन)
and in my opinion the claim of the contractors cannot be entertained and therefore the same may be rejected."

श्री अध्यक्ष : यह तो आप अंग्रेजी पढ रहे हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने इसका अनुवाद कर दिया था पढना नहीं चाहता था। फिर भी पढ दिया।

इसके बाद दूसरे इन्जीनियर की भी इसी प्रकार की रिपोर्ट है 27-5-65 की श्री एस. एस. भट्ट की। इन्होंने भी लिखा है कन्ट्राक्टर को पैसा नहीं दिया जाय फिर भी उसको अभी कुछ रोज पहले पैसा दे दिया गया। तीन तीन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स ने जिसके क्लेम को ठीक नहीं माना था उसके बावजूद उनका पेमेन्ट कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : क्लेम क्या है ?

श्री रामकिशन : एक सड़क से मिट्टी उठाने का ठेका था जिसकी 22 की रेट थी। ठेकेदार ने उस जगह 30 का क्लेम किया कि मुझे तीस के हिसाब से पैसा दिया जाय क्योंकि उस मिट्टी में कंकर निकले हैं। दोनों एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स ने उस मौके को देखा है और रिपोर्ट दी है कि कोई कंकर नहीं है। इसलिये इनका क्लेम मन्जूर नहीं किया जाय। आज भी देखा जा सकता है वह जमीन कहीं चली नहीं गई है, इन्जीनियर्स भले ही बदल दिये गये हों वहां पर कंकड नहीं है इसके बावजूद 40,800 का पेमेन्ट किया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह क्लेम कितने साल पहले का है ?

श्री रामकिशन : दस साल से चला आ रहा है जिस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया आज से पन्द्रह रोज पहले उसका पेमेन्ट हो गया। यह मैं इसलिये बता रहा हूं कि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है।

श्री अध्यक्ष : क्लेम किसने मन्जूर किया ?

श्री रामकिशन : यह इन्हीं के विभाग से मन्जूर हुआ है। इसकी जानकारी तो स्वयं मन्त्री करके बतावें।

इसी प्रकार से नेशनल हाई वे का भी प्रश्न मैंने उठाया। उस पर नवाब साहब ने कहा कि इस बारे में चीफ इन्जीनियर से बात कर लें। मैंने उनसे निवेदन किया कि चीफ इन्जीनियर से तो बातें कर ही लेता हूं। उन्होंने कहा आप मेरे चेम्बर में आ जाइये चीफ इन्जीनियर के साथ बैठकर बातें कर लेंगे। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। मुलाकात के कमरे में बुला लेते हैं उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम, जो आपके विभाग में करप्शन व्याप्त है, उसको रोकना चाहते हैं। यह आपके मुलाकात कक्ष में मिलने से दूर नहीं होगा। आपको इसके लिये सड़कों का जिस प्रकार का निर्माण हो रहा है उसको देखना होगा। इसके साथ साथ आप करप्शन को रोकना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरे साथ भरतपुर पधारें एक सड़क जो तीन साल पहले जब बाढ़ आयी थी उस समय सारे मंत्री मंडल के सदस्य और मुख्य मंत्री भी वहां पधारे थे उस समय रातों रात पत्थर डालकर उसको मोटरों के

Page No 88

(श्री रामकिशन)
आवागमन के लिये तैयार किया गया था। उस समय आपके साथ मैं भी गया इस तरह से आपका काफिला बड़ा लम्बा चौड़ा था।

एक माननीय सदस्य : आप कैसे फंस गये ?

श्री रामकिशन : मैं भी इनके चक्कर में फंस गया था। मैं भी साथ में हो लिया। उस समय तीन मील की सड़क खराब हो गई थी, बाढ़ के कारण पत्थर निकल आये थे, जिस सड़क का निर्माण हुए तीन वर्ष का हो समय नहीं हुआ उसके हाल यह थे कि जब इनका दौरा हुआ उस समय पत्थर निकले हुए थे। यह डीग की सड़क है। आज भी वहां काम चल रहा है। वहां अभी अभी 1800 का पेमेन्ट एप्रोच रोड्स के लिये किया गया है। आप जाकर वहां देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो किनारे का कचरा है वहां डाला है। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। सड़क नहीं लेकिन सड़क बनाने के नाम पर पचास हजार से ज्यादा का पेमेन्ट हो गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि भरतपुर की सड़कों का सवाल है वहां राजनीति के आधार पर नहीं चला जाय।

आज जो आप राजनैतिक कारणों से कुछ क्षेत्र में कम पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ में वहां की आमदनी से भी अधिक, इससे क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा केन्द्र के एक उप मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस नारे को दोहराया है। मैं किसी भी क्षेत्र को एक प्रान्त से दूसरे में मिलाने के पक्ष में नहीं हूं। यह जो आपके कांग्रेस वाले ही जिस नारे को उठा रहे हैं वे केवल अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिये स्वार्थ में फंस जाते हैं। अगर इसी तरह से आपका क्षेत्रीय असन्तुलन कायम रहता है तो मैं समझता हूं जनता में नाराजगी पैदा होगी उस नाराजगी का नतीजा मैं समझता हूं लोकतन्त्र के लिये घातक हो सकता है। यही कारण होता है जब दल बदल होता है जब आप यह ध्यान में रखते हैं कि यहां से हमारा विधायक है तो उस क्षेत्र के लिये ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको और हमको यह देखना है कि क्षेत्रीय असन्तुलन न बढ़े और राजस्थान का विकास होता रहे इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है आज मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जिस प्रकार की सड़कों की हालत है निश्चित रूप से आप यह स्वीकार करेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वह बिल्कुल सही है। आप भरतपुर शहर में जावें, आपको जगह जगह खड्डे मिलेंगे। राजस्व की दृष्टि से देखा जाय तो जितनी आमदनी इस इलाके से होती है उसका पच्चीस प्रतिशत भी इस क्षेत्र पर खर्च नहीं होता। आज तक जो खर्चा हुआ है वह मैं समझता हूं आमदनी के हिसाब से दस से पन्द्रह प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। जबकि आप को 80.85 प्रतिशत खर्च करना चाहिये। आप मेरी बात सुनकर यह न समझें कि मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं जिसका असर दूसरे इलाकों पर होगा। छोटे मन वाली बात मैं नहीं कह सकता। यह मैं मानता हूं जो अविकसित क्षेत्र हैं उन पर ज्यादा खर्च किया जाय कमजोर है उसको ज्यादा सहायता दें। लेकिन कम से कम एक क्षेत्र की मिनिमम जो मांगें हैं वे तो पूरी होनी चाहिये। मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की ओर

(श्री रामकिशन)

दिलाता हूं...

एक तो आप बतलाइये कि अलग अलग जिलों का जो विकास हुआ है वह कितना हुआ और उस क्षेत्र से होने वाली आमदनी के हिसाब से वहां कितना अलॉटमेंट किया गया है भरतपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़ इनमें फेमिन के पहले क्या क्या काम हुये। भरतपुर को सड़कों की मेन्टीनेन्स के लिये, बाढ़ की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। जहां छोटे छोटे पुल बना रहे हैं वहां बड़ी नदी गम्भीरी पर पुल नहीं है, इस बारे में सरकार का क्या विचार है? आपकी अन्तर्रात्मा की पुकार तो सुनवाई दी थी लेकिन मुख्य मंत्री जी के आंख के इशारे से ही वह अन्तर्रात्मा की पुकार दब गई। आप मेरे निवेदन पर राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष (अध्यक्ष) महोदय, मेरे से आने वाले माननीय सदस्य ने तो अभी सैद्धान्तिक पक्ष को रखा है, मैं इसके व्यवहारिक पक्ष की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरी मान्यता है जैसे कि मेरे दल के नेता ने कहा इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है उसको मैं व्यवहारिक स्थिति मानकर चलता हूं। उपाध्यक्ष जी, भरतपुर के पास होकर जो नेशनल हाई वे जा रहा है उस पर काम चल रहा है उसका जो स्पेसिफिकेशन किया गया था वहां पर जो ईंटें लगाई जा रही थीं वे ईंटें लेकर मैं यहां आया था। मैंने उस समय कहा था अध्यक्ष महोदय को आप चाहें तो आपको लाकर दिखाऊं तो उन्होंने कहा मंत्री महोदय को ही आप बता दें। वे ईंटे लेकर मैं मंत्री महोदय के बंगले गया। उनको देखकर चीफ इन्जीनियर ने भी माना, यह ठीक नहीं है। उस पर हुआ क्या? ए. ई. एन. को वहां से बदल दिया गया। इसलिये मैं तो यह उम्मीद नहीं कर सकता कि इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को आप रोक पायेंगे। इनकी तो कितनी ही बार अन्तर्रात्मा जागती है लेकिन वह आंखें दिखाने के साथ ही लुप्त हो जाती है। इनसे इस विभाग का भ्रष्टाचार खत्म होगा यह मेरी मान्यता नहीं है।

भरतपुर के इलाके में हर बार बाढ़ आती है। कभी किसी इलाके में आती है कभी किसी में आती है। इससे सारा भरतपुर किसी न किसी प्रकार से शिकार होता ही है। भरतपुर और कामां के बीच की सड़क टूट गई। आप भी आये थे। वहां हनुमानजी को जो सड़क जाती है उस सड़क में बड़े बड़े गढ्ढे आपको मिलेंगे। उस सड़क पर गिट्टियां डलवा रहे हैं। घाट से पत्थर लाकर डाला गया है। इस बारे में जब प्रश्न किया गया तो जवाब दिया गया कि ठेकेदार मेरे पास आया था रातों-रात उसको कहा गया कि मुख्य मंत्री जी यहां आने वाले हैं। इसको किसी तरह ठीक कर दी जाय। और मुख्य मन्त्री महोदय अब को बार दिग्विजय के नाम से आये थे। तो प्रधान चले गये, और चले गए और रातों-रात कोशिश यह हुई कि किसी तरह रास्ता ऐसा बन जावे कि मुख्य मन्त्री जी की मोटर ढंग से उस पर से निकल जाय। पर आज हालत यह है कि वह बुरी तरह टूटी फूटी पड़ी है लेकिन

(श्री नत्थीसिंह)

तीन वर्ष हुए सड़क बनी नहीं। मैंने एक सवाल उठाया। भरतपुर शहर का प्राण वहां की सज्जन गंग नहर है। पानी वहां नल से नहीं मिलता है। उस नहर के किनारे के कुओं से पानी मिलता है। वह नहर भीड से भी बचाती है। पर आज उसकी भी हालत यह है कि उसके सारे किनारे कट गये हैं। सारी सड़क उस पर बनी हुई कटकर घरों से लग गई है। परिणाम यह हुआ है कि पुराने मकान भी आज गिरने की हालत में हैं।

इस सदन मे इस बारे में सवाल पूछा। जवाब भी मिला लिखित में क्योंकि वह अतारांकित प्रश्न था कि सड़क बनाने की सरकार सोच तो रही है पर आर्कियोलोजिकल विभाग बीच में आ जाता है। यह कारण बताकर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

इतना ही नहीं, जब राजबहादुर जी केन्द्र में मन्त्री थे तब एक योजना बनी थी सिचाई विभाग और पी. डब्लू. डी. विभाग ने मिलकर बनाई थी। पर वह क्रियान्वित नहीं हुई आज तक। प्रचार उसका काफी हुआ कि वहां पर पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, घाटों का पुनर्निर्माण होगा, खाइयों में जापानी तरीके से दूब लगेगी। इसमें किश्तियां चला करेंगी बड़ा सुन्दर और रमणीय स्थान वह बन जावेगा। पर ऐसा लगता है कि वह योजना शायद राजबहादुर जी के साथ साथ नेपाल चली गई। भरतपुर शहर के चारों तरफ थोड़ी सी सड़क बनी है नुमाइशी तौर पर। वहां एक पुल भी बना दिया है छोटा सा। पर उसको जोड़ने वाली सड़क आज तक नहीं बनी है। लोग उस पर से जा नहीं सकते। अन्धेरे उजाले में नुकसान होने का डर बराबर बना रहता है। इतना ही नहीं, इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था माननीय सदस्य ने, इधर वालों ने, कि तिजारे में जहां से चुनकर आये हैं वहां सड़क पर कितना खर्चा हुआ है। मैं नहीं कहता कि अपने इलाके में खर्च मत करो आप तो नवाब साहब हैं। आप हैं लुहारू के। हमारे यहां भी महाराजा हैं भरतपुर के। उन महाराजा का गांव है सिनसिनी में। वहां बीस साल से सड़क नहीं है। लोग बड़ी तकलीफ पाते हैं। महाराजा ने चिट्ठी लिखी। बीस साल से वहां सड़क नहीं बन पाई है। बहुत जरूरी है। वहां हाई स्कूल है, सड़क से केवल तीन मील दूर है। तीन मील का टुकड़ा केवल बनाना है। वहां विद्यार्थियों और जनता को भी बड़ी कठिनाई होती है। वह सड़क बना दी जावे। यह नहीं बनाई। आज तो उन्होंने कांग्रेस नुमाइन्दा को हराया है पर कल तक तो वे बैलगाड़ी के बैल को ढोते फिरते थे। आप उनके uncle हैं या वे हैं आप भतीजे हैं उनके गांव तक तो सड़क बना दी होती। आज तो उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत है कि बरसात के चार महीनों में आवागमन वहां का बिलकुल बन्द रहता है।

श्री अध्यक्ष : पत्र किसने किसको लिखा ?

श्री नत्थीसिंह : हमने भी लिखे, महाराजा ने भी लिखे नवाब साहब को। मेरे सामने टेलीफोन पर भी बात हुई और आपने माना कि करूंगा। भरतपुर के महाराजा की बात तो सुननी थी।

Page No 91

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक-निर्माण मन्त्री): दिन के वक्त किया कि रात के वक्त टेलीफोन ?

श्री नत्थीसिंह : रात के वक्त मेरे सामने हुआ था, ठीक 11 बजे हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : रात की बात याद रक्खें यह जरूरी थोड़े ही है।

श्री नत्थीसिंह : यह दूसरी बात है फिर। और कहना चाहता हूं वहां से जुनथर गांव है। वहां पर मोटर जाती है, बस जाती है, रोड टैक्स लेते हैं सरकारी अधिकारी, पर रोड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात कहूंगा भरतपुर की जैसी हालत है वह तो है ही, और शहरों की भी जो हालत है वह है, गांवों की क्या हालत है, मैं बताता हूं। वहां तो बद से बदतर हालत है।

श्री अध्यक्ष : इतने तथ्य आ रहे हैं कि जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता। कहां से इतने उत्तर लावेंगे।

श्री नत्थीसिंह : मैं उनको बताऊंगा अगर वे कुछ करना ही चाहते होंगे तो। सारी समस्या का हल हो जावेगा। गांव की एक सड़क बनी थी आज से 12 वर्ष पहले कुम्हेर से सोखटन तक। आज उसमें गड्डे ही गड्डे पड़े हैं। गांवों की तरफ तो इन्होंने पिछले बीस वर्षों में कभी देखा ही नहीं। इसकी मरम्मत भी कराई जा सकती है, पर नहीं कराई गई। सारे भरतपुर जिले में जो यह स्थिति है मैं उसके लिये कहना चाहता हूं कि आखिरकार आप तो नहीं करते। अभी वैर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने जिला परिषद् में प्रस्ताव पास कर दिया कि भरतपुर जिले में लोगों ने वह काम किया जो बहुत कम करते हैं। अकाल में सहायतार्थ मुफ्त में जितना चारा दे सकते थे, सरकार को दिया। पर उसको भी सरकार लेकर यथा स्थान पहुँचा नहीं पाई आज तक भी। स्टेशनों पर पड़ा पड़ा आज वह सड रहा है। उसे यह सरकार अकाल क्षेत्रों तक पहुँचा नहीं पाई।

सरकार ने अकाल के नाम पर राजस्थान के बड़े से बड़े इलाकों में सड़कें बनाई हैं। आप बनाएं। हमें नाराजी नहीं। पर भरतपुर में जहां अकाल राहत के नाम पर कोई सडक नहीं बनी, वहां रेगूलर बजट से भी नहीं बनी है। बल्कि रेगूलर बजट का पैसा भी डाइवर्ट कर दिया है और तरफ।

खतरा और भी है। कानों में आकर बात करते हैं। इस सडक को आप लम्बी बनादें वोट बढ़ जावेंगे। मैं कहता हूं, इससे काम नहीं बनेगा आप सर्वे कराइये कहीं जरूरत है। जहां जरूरत हो वहां बनाइये इस तरह से वोट की खातिर मत बनाइये। योजना आपके पास है। भरतपुर में बाढ़ आई थी तो वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सारे जिले का सर्वे किया था और इसके बाद आपको एक मुकम्मिल योजना बनाकर भेजी थी। एक साल में आप सारा काम पूरा कर दें ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। योजना पर आप विचार करके फैसला करिये कि कितने दिनों में आप उसे पूरा कर सकेंगे। एक फेज्ड प्रोग्राम बनाकर भी आप भरतपुर की सड़कों

(श्री नत्थी सिंह)

का काम कुछ सालों में आप पूरा कर सकते हैं।

आप एक जगह कहते हैं दो मील का टुकड़ा बनावेंगे। दूसरी जगह दूसरा टुकड़ा बनावेंगे। भरतपुर में ऐसे गांव है कि जहां से रेलवे स्टेशन एक दो या आधा मील के फासले पर होते हैं पर आपने रेलवे स्टेशन से गांव के बीच आधा मील की सड़क भी नहीं बनाई हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जो अपने आपमें अपनी कहानी कह रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन को गांवों से जोड़ नहीं सकते, हाई स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चे दिक्कत पाते हैं। तो इस तरह से आप भरतपुर के साथ सड़कों के बारे में न्याय नहीं कर सकते। आप अपनी केबिनेट में बात उठाइये अगर आप स्वयं नहीं कुछ कर सकते हैं तो। अकाल का पैसा बाड़मेर और जेसलमेर में जाने के बजाय उदयपुर में चला जाता है। पर मैं कहता हूं कि अगर भरतपुर का ध्यान आपने नहीं रखा तो क्रान्ति भरतपुर से ही पैदा होती है। भरतपुर से ही आप अपनी क्रान्ति मानकर चलिये; नहीं तो निश्चित रूप से आपका आसन स्थिर नहीं रहेगा। इस लिए आप तो कहिये केबिनेट में।

श्री मूलचन्द डागा : धमकी दे रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : यह धमकी गद्दियों से हटाने की हम बराबर देते रहे हैं। यह तो आपके कारनामों के कारण मजबूरी हो गई है हमारे लिये। इसको वापिस नहीं लेने वाले हैं। आप केबिनेट में फैसला करवाइये। अव्यवस्था रही है। अकाल के नाम से भी काम नहीं हुआ है भरतपुर में इसलिए रेगूलर बजट को ज्यादा से ज्यादा भरतपुर की सड़कों के लिए दिया जावे। तब जाकर इसकी दशा सुधरेगी।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान निर्माण के पूर्व 29 मार्च 50 व इसके बाद 31 मार्च 69 तक भरतपुर जिले में विविध प्रकार की सड़कों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :

477 किलो मीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 313 को पक्का बनाया गया। 31 मार्च 50 से अब तक 98 मील डामर की सड़क थी तथा 460 मील दूसरी सड़क बनी थी। अब 50 में ग्रेवल रोड थी 467 किलोमीटर। उसमें 16 मील डामर की अब 33 मील और बनी है। तो 50 में कुल सड़क 951 मील थी अब वह 1429 किलोमीटर हो गयी है। प्रतिवर्ष धनराशि के अनुसार हम इस पर खर्च करते रहे हैं।

प्रति वर्ष मरम्मत के अतिरिक्त बाढ़ व अति वर्षा के कारण......

श्री अध्यक्ष : यहां प्रायः स्टेटमेंट पढ़ा तो नहीं जाता। आप हैल्प ले सकते हैं लेकिन स्टेटमेंट पढ़े नहीं जाते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : तो मैं जवाब दे देता हूं।

श्री रामकिशन : स्टेटमेंट हमें दिया है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपको कैसे दिया है। माईलेज वगैरह पढ़ने की जरूरत है।

श्री रामकिशन : वह आपने गलत जवाब दे दिया था। सैकिण्ड प्लान से फर्स्ट प्लान की अलग पोजीशन है।

श्री अध्यक्ष : 61 भी आ जायगा बाद में।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप जो फरमा रहे हैं। श्री रामकिशन जो ने बाद की जानकारी मांगी। जब आपने जानकारी मांगी है तो जानकारी दे देंगे। क्या उसके ऊपर खर्च हुआ? पिछले वर्ष डेमेजेज हुये। मौजूदा जो जानकारी है, वह दे देते हैं। उसके मुताल्लिक क्या सैंक्शन्स हैं–इसी तरीके से जो पैसा जिस ब्लॉक में लगना है, वह वहीं लगा है। दूसरी जगह नहीं लगा है। अगर आपके ध्यान में ऐसी चीज है कि आपके भरतपुर जिले का पैसा दूसरी जगह लगा है तो आप जानकारी दीजिये, मेरी जानकारी नहीं है। भरतपुर जिले का मंजूर हुआ पैसा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया हो, यह बात कतई नहीं है। तीसरे आपने फरमाया कि डकैती का वह इलाका है इस लिये ज्यादा सडकें होनी चाहिये। मैं मानता हूं डकैतों की समस्या में ज्यादा सडकों का जरूर ताल्लुक है। इसकी बातो किताबत सैन्ट्रल से चल रही है। हम जोर दे रहे हैं उसके लिये मंजूरी सेन्टर दे क्योंकि डकैतों का सम्बन्ध ज्यादा सैन्टर से भी है और सैन्टर ज्यादा खर्च करती है। इसके लिए मीटिंग भी दिल्ली में रखी है जिसमें जोर दिया जायगा उसमें हम कहेंगे कि डकैतों के इलाके की सडकों की मंजूरी मिले और मंजूरी न मिलने के बावजूद भी हम डकैतों की सडकों के लिए ध्यान देकर बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : ये सडकें आपके काबू में हैं या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : क्या ?

श्री भैरोंसिंह : ये सडकें भी आपके काबू में हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : काबू में हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपने सडकों के निर्माण के बारे में राजनैतिक मसले को उठाया। हमारा कोई राजनैतिक आधार सडकों के बारे में कतई नहीं रहा है। हमारा यह फर्ज है कि उस दृष्टि से देखते हुये जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उस हिसाब से सडकें बनाई जाय, यही आधार रखा है।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री जी से पूछ लिया क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोई भाषण की इत्तला होती नहीं है।

श्री नरसींसिंह : मुख्य मंत्री जी की इसमें कोई कीमत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आप कहने दीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप यह सवाल पूछ लेते तो मालुम कर लेते। मुझे मालूम नहीं ...

श्री अध्यक्ष : 12 पर्सेन्ट वाली बात को चजट में शामिल कर दीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हम तो तमाम राजस्थान की योजना बनाकर चलते हैं।

Page No 94

(अमीनुद्दीन अहमद)
उस योजना के अन्दर भरतपुर का जिला भी है। इस चीज को हम अच्छी तरह समझते हैं कि किस आबादी के हिसाब से सडक का निर्माण होना चाहिये। मैं आपको यकीन दिलाता हूं भरतपुर को परसेंन्टेज के हिसाब से पीछे नहीं रखा गया है बल्कि पूरा काम किया जा रहा है। इस समय 34 लाख के करीब बजट है उसमें मरम्मत है, वर्क्स भी हैं और कई सडकों के निर्माण का भी प्रावधान है····

श्री रामकिशन : कितना बताया, 24 लाख का।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : 34 लाख का।

श्री रामकिशन : उसका फाईनल अलोकेशन हो गया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : फाईनल अलोकेशन थ्री-फोर्थ का किया है, वन-फोर्थ का और मिल जायगा तो और हो जायगा। लेकिन यह बहुत काफी है। यह खास तौर से भरतपुर के लिये रखा गया है।

श्री नत्थीसिंह : यह डर कर किया है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : डरने की बात नहीं है, जरूरत को ध्यान में रखते हुये किया है।

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया है।

श्री रामकिशन : यह देखते हुये तो फिर आपसे···

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अलोकेशन मैं आपको बता दूंगा पढ़ कर की किस तरह से है, आपको मालूम करके बता दूंगा। ये तो आपको जनरल फीगर बताये हैं कहीं ज्यादा कहीं कम है। इसी तरह से है। आपने इम्पलीमेंटेशन के बारे में कहा। इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है। इसकी कोई शिकायत हो तो आप फरमायें। मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो आपका खत आया है उसका कतई जवाब दिया है और जो जवाब होगा उसमें आपके सारे जवाबात होंगे। आपका लिखा हुआ खत है उसमें सारे जवाबात दिये गये हैं। पर्सनल तरीके से आयें तो भी अध्यक्ष महोदय मैं आपको यकीन दिलाता हूं पूरे विश्वास के साथ आपको बताऊंगा।

एक माननीय सदस्य : पर्सनल में तो चक्कर में आ गये···

श्री अमीनुद्दीन अहमद : पर्सनल में मैं इनके चक्कर में आ गया। पिछली दफा भरतपुर में इन्होंने मुझे···

श्री अध्यक्ष : वह तो सभी मान सकते हैं आप ही चक्कर में आये होंगे···

श्री नत्थीसिंह : आज भी आ गये···

श्री अमीनुद्दीन अहमद : चक्कर में आने की बात है। कल देर तक माननीय सदस्य से टेलीफोन पर बात होती रही। मैंने कहा अब तो आपको सन्तोष हो जायगा। रात को देर तक बातचीत हुई बना लेकिन आपने चक्कर में डाल दिया···

श्री अध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा बोलें ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं आपको यकीन दिलाता हूं राजनीति की बात नहीं है, भरतपुर के सिलसिले में न कोई चक्कर में डालने वाली बात है और न किसी दूसरी जगह के लिये है और न कोई भ्रष्टाचार वाली बात है। यह तो आपका गलत मानना है। क्योंकि आप लिख कर दें और हम एन्क्वायरी न करें यह कैसे हो सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है। आपके साथ मैंने हमेशा पूरा कापरेशन रखा है। मैंने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि यह कौनसा दल है और वह कौनसा दल है। जो काम हुआ है वह सब आपके सामने है। किसी तरह की बदगुमानियत नहीं है। यह न हाउस को दिखाने के लिये है और न रोब वाली बात है।

श्री नत्थीसिंह : ये आपको चक्कर में देने के लिये हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : चक्कर में मैं इतनी आसानी से नहीं आता हूं। अगर आप कापरेशन दें तो भरतपुर जिले की सड़कें बहुत अच्छी हो सकती हैं। हम भी उस जिले की बहबूदी चाहते हैं इतना ही मैं...

श्री अध्यक्ष : अलग से बात करलें तो अच्छा है।

श्री रामकिशन : वो भरतपुर को बाढ़ का पैसा मिलने का है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि और जगह लगा देंगे क्योंकि बच्चे मंत्री आ गये हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सारी कथा तो बयान कर दी।

श्री नत्थीसिंह : बच्चे मंत्री एक जगह से नहीं दो जगह से आ गये।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री अध्यक्ष : राज्य की अकाल की स्थिति पर विचार।

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अकाल की स्थिति पर इस सदन में पिछले दो दिनों से चर्चा हो रही है। इस चर्चा में सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अकाल की स्थिति और उस स्थिति के निराकरण हेतु सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं, उन सब की आलोचना की है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल कोई आकस्मिक नहीं है। सन् 1947 में जिस समय देश आजाद हुआ और उसके पश्चात् रियासतों का एकीकरण होकर वर्तमान राजस्थान का गठन हुआ, उस समय से लेकर आज तक राजस्थान में अकाल दो बरसों को छोड़ कर प्रत्येक बरस में रहा है और अकाल की स्थिति रही है। इस स्थिति का स्थायी समाधान किया जाये, इस बात पर यह सदन कई बार चिन्ता व्यक्त कर चुका है और इस पर यह भी होता है कि सरकारी पक्ष से जब उत्तर आता है तो सरकार हर बार इस बात का आश्वासन देती है कि अकाल का स्थायी समाधान करने हेतु सरकार विचार कर रही है और जल्द ही इसका स्थायी समाधान ढूंढ लिया जायेगा।

पिछले बरसों में लगभग 50 करोड़ रुपया हमने अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया और इस बरस भी वित्त मंत्री के अनुसार, हमने 53 करोड़ रुपये का

Page No 96

(श्री भैरोंसिंह)

खर्च किया। कुल मिलाकर अब तक 103 करोड़ रुपया हमने अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया है। अब 103 करोड़ रुपयों की उपलब्धियां क्या हैं? अध्यक्ष महोदय यदि इसका विवरण सरकारी पक्ष की ओर से भी दिया जायेगा तो केवल मात्र एक ही उत्तर मिलेगा कि हमने रिलीफ वर्क्स के द्वारा बेकार जनता के लिये रोटी की व्यवस्था की है। इसके अलावा उनकी रोटी की समस्या का स्थायी रूप में हम हल कर पाये हों यह बात तो सरकार भी स्वीकार नहीं करेगी, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है कि दुर्भाग्य से इस समय बरसात नहीं हो रही है राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में और पाली और नागौर के कुछ क्षेत्रों में बरसात के अभाव के कारण अकाल की स्थिति अभी भी बनी हुई है और अगर दुर्भाग्य से यह स्थिति बनी रही तो, अध्यक्ष महोदय, सरकार यह नहीं कह सकती कि हमने पिछले बरसों में जो 53 करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों पर खर्च किये उसके कारण हम इस समस्या का कुछ समाधान कर पाये हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि पिछले समय तक जो हमने 53 करोड़ रुपये खर्च किये और इस साल जो 50 करोड़ रुपये हमने खर्च किये उसका प्रभाव हमारे राजस्थान के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के स्थायी समाधान करने में क्या हो सकता है, इस बात की हमने चिन्ता नहीं की। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर और भील क्षेत्र में अकाल का जो प्रभाव है इस अभाव का स्थाई समाधान क्या हो सकता है इसकी हमने चिन्ता नहीं की। इतना ही नहीं कि हमने चिन्ता ही नहीं की है लेकिन हमने उसकी योजना भी नहीं बनाई और योजनाबद्ध हमने उसका विकास भी नहीं किया और योजनाबद्ध तरीके से हमने पैसा भी खर्च नहीं किया और इन सबका परिणाम यह निकलता है कि हर साल अकाल में खर्च होता है। अगले वर्ष फिर अकाल आ गया तो राजस्थान की सरकार भारत सरकार से पैसा मांगने की चेष्टा करती है और भारत सरकार राजस्थान सरकार को स्वयं के खर्चे से अपना काम चलाने की शिक्षा देती है और राजस्थान की जनता उस अकाल के कारण पीड़ा का बोझ उठाती हुई जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको डांवाडोल करके बैठ जाती है। अध्यक्ष महोदय राजस्थान में लगभग 1 करोड़ 68 लाख व्यक्ति रूरल पापुलेशन में हैं, और उसमें लगभग 1 करोड़ 31 लाख व्यक्ति सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अकाल से प्रभावित हैं। अकाल से प्रभावित होते ही हमने रिलीफ वर्क्स चालू किये हैं। यह वर्क्स कहीं दो सितम्बर में चालू हुए, कहीं अक्टूबर में और कहीं नवम्बर में चालू हुए और कुछ मार्च और फरवरी में हुए लेकिन सरकार ने यह महसूस किया कि यदि हम अकाल राहत के काम नहीं खोलेंगे तो लोग जिन्दा नहीं रहेंगे। यह इसका सबूत है और खास तौर से सरकारी पक्ष के लोगों के लिए यह कहना ही पड़ेगा कि आप जब बारबार कहते हैं कि योजनाबद्ध विकास से हमने राजस्थान की स्थिति को बदल दिया, हमने गांव गांव में बिजली पहुंचा दी हमने सिचाई की सुविधाओं का प्रबंध कर दिया, लोगों को

(श्री भैरोंसिंह)

आर्थिक स्तर ऊंचा उठा है। ऐसे लोगों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा हुआ होता तो एक खरीफ की फसल में अकाल पड़ने के कारण राजस्थान की जनता घुटने नहीं टेकती। सरकारी दफ्तरों के सामने अकाल राहत के काम खोले जायें इस प्रकार की बातों को लेकर आन्दोलन करती हुई जनता नजर नहीं आती। यह इसका सबूत है कि पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में आपने जो पैसा खर्च किया है उसमें कोई इसकी सावधानी नहीं बरती कि समाज के जो अविकसित वर्ग हैं जो पिछड़े वर्ग हैं, जो राजस्थान में पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें भी विकास की गति को गतिमान किया जाये और उनको भी बाकी के राजस्थान के स्तर पर लाया जाये जब 1 करोड 31 लाख व्यक्तियों के रोजगार देने का प्रश्न है, उनकी रोजी रोटी का प्रश्न हमारे सामने खडा हुआ है तो दूसरी तस्वीर भी सामने आती है कि आज तक के विकास के कामों में इन विषयों की हमने चिन्ता नहीं की। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग 23 हजार गांव अकाल से प्रभावित हैं और कुल मिलाकर हमारे राजस्थान में 32 हजार गांव हैं। एक साल वर्षा नहीं हुई और इसके कारण से हमने इस बात का कोई अनुमान लगाया कि अगर एक साल वर्षा नहीं हुई और राजस्थान में एक साल वर्षा नहीं हुई तो उसके कारण से कौन से स्थाई हल हो सकते हैं और वर्षा के अभाव में भी हम लोगों का स्तर नहीं गिरने दें, खाद्यान्न का प्रोडक्शन नहीं गिरने दें, लोगों के आर्थिक स्तर को नीचे नहीं गिरने दें—लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि दुर्भाग्य से हमने इसकी कोई चिन्ता नहीं की।

(2.46 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार को मालूम है कि सन् 1967 के अन्दर भारत सरकार की स्टडी टीम राजस्थान में आई और अकाल के संबंध में अध्ययन करके भारत सरकार की ग्रान्ट-इन-एड का कम्पोनेण्ट क्या हो भारत सरकार राजस्थान की सरकार को कितना कर्जा दे इस विषय में जांच करने के साथ ही साथ स्टडी टीम ने इसकी भी कोशिश की कि राजस्थान सरकार परमानेन्ट मेजर्स किस प्रकार के एडप्ट कर सकती है, उसको किस ओर बढ़ना चाहिए इस सम्बन्ध में भी जांच के लिए वह स्टडी टीम आई। उस स्टडी टीम ने राजस्थान की अकाल की स्थिति पर विचार किया और विचार करने के बाद राजस्थान सरकार को कुछ प्रशस्त मार्ग सुझाये। राजस्थान सरकार ने भी उसके साथ ही साथ 1 अप्रेल, 68 को एक वर्किंग ग्रुप की नियुक्ति की। अब सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में और भारत में सब जगह एक प्रकार की गलत परिपाटी चल रही है कि हम किसी प्रश्न का समाधान करने के लिए और उस पर विचार करने के लिए कमीशन की नियुक्ति करते हैं तो कहीं किसी समिति की नियुक्ति करते हैं और इन कमीशन्स या समिति की रिपोर्ट जब सरकार को मिल जाती है तो उस समय तक वह समस्या नहीं रहती। तो हम उस प्रश्न पर विचार करने की भी चिन्ता नहीं करते। राजस्थान के इस वर्किंग ग्रुप ने जो सारी अकाल के साधनों को और समाधान को और अकाल के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों को

(श्री भैरोंसिंह)

योजनाबद्ध विकास के अन्तर्गत लिये जाने की दृष्टि से बनाया गया उसने सारे प्रश्नों पर विचार किया और विचार करके राजस्थान को दो वर्गों में विभाजित किया एक तो क्रानिक तहसील जो कि डेजर्ट एरिया में आती हैं और दूसरे वह क्रानिक क्षेत्र जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर और उधर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। इन दो हिस्सों के लिए उसकी विस्तार से एक योजना बनी और उस योजना के अन्तर्गत जितने पैसों का प्रावधान रखा वह भी अब तक सभापति महोदय कोई ज्यादा नहीं है। उस प्रावधान को रखने से और देखने के बाद कुल रखा 1203 लाख रुपया और इसके अन्दर जो योजना बनी और जिस प्रकार की प्रायोरिटीज तय की गई और जिस प्रकार के काम तुरन्त हाथ में लिए जायें इसकी सिफारिश की गई उनमें सबसे पहला काम था कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात पर खर्चा करना चाहिये जिससे सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ें। अब सिंचाई के साधनों के लिए जितने भी माईनर इरिगेशन वर्क्स हैं, जो कुए पड़े हुए हैं उनको तैयार करवाना, नये कुए खुदवाना, तालाब और टांकों की मरम्मत करवाना, साइल कन्जर्वेशन का काम था अफोरेस्टेशन का काम था यह जितने जिस प्रकार के काम प्रायोरिटीज के आधार पर तय किये और जो 1203 लाख रुपये का प्रावधान रखते हुए इसकी आशा की कि यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में यह 1203 लाख रुपये खर्च कर दिये गये तो राजस्थान के इन क्रानिक फेमिन एरिया के अन्दर किसी प्रकार की प्राब्लम नहीं रहेगी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1203 लाख रुपया नहीं केवल 12 करोड़ और 3 लाख के स्थान पर हमने 53 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद भी इस स्थिति में नहीं हैं कि हम राजस्थान की सरकार और भारत सरकार और राजस्थान की जनता को कह सकें कि हम भगवान को चुनौती देकर कहते हैं कि वह अकाल पटके तो....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आप कौन सी रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि 12 करोड़ में अकाल का हमेशा के लिए हल हो जायगा ?

श्री भैरोंसिंह : 'Working Group on Chronically Draught Affected and Desert Areas.'

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सारी स्थिति में अगर इस प्रकार का प्रश्न, यह मैं नहीं कहता कि उस रिपोर्ट में पूरा समाधान करने की बातें लिखी हैं, लेकिन उसने एक लाइन दी है कि इस प्रकार से बढ़ना शुरू किया तो निश्चित रूप से अकाल के सारे परिणामों से हम बच सकते हैं।

सभापति महोदय, आज दुनिया चन्द्रमा की ओर जा रही है। चन्द्रयात्रा करने को लोग कल्पना करते थे उस देश के लोगों ने चन्द्रमा पर पहुँच कर उस कल्पना को साकार कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि हम चन्द्रमा पर जाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे लोग यह सोच सकते हैं कि कभी भारत भी इस स्थिति में आयेगा कि भारत के लोग चन्द्रमा की यात्रा करने के

(श्री भैरोंसिंह)

लिए चले जायं, लेकिन आज तो हमारी हालत ऐसी खराब है कि धरती में जो पानी है उसको भी हम बाहर लाने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वे चन्द्रलोक में नहीं जा सकते तो पाताल लोक में तो जायं (हंसी) और जो वहां पर पानी का भण्डार है उसको बाहर निकालें, लेकिन वे तो पाताल लोक भी जाने को तैयार नहीं हैं और चन्द्रलोक पर जाने की तैयारी नहीं है, ऐसी स्थिति से खुद को बचाने की कोशिश करके हजारों लोगों को यमलोक जरूर भेज दिया। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? आगे राजस्थान में 20 वर्ष पहले जल बोर्ड का गठन किया था। निरन्तर पानी के सम्बन्ध में आप पैसा खर्च करते हुए आ रहे हैं। जब हम कई बार यह कहते थे कि पैसे का बराबर युटिलाइजेशन नहीं होता है तो यह सरकार कह कर चलती थी कि ऐसी बात नहीं है। विरोधियों की तो आदत पड़ गई है, लेकिन विरोधियों की आदत पड़ गई या नहीं लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बात विरोधी कहते थे वह सही साबित हुई और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी पीने के पानी की समस्या का समाधान आप नहीं कर पाये हैं।

मैं यह मानता हूं कि जैसलमेर में यह समस्या है, बाड़मेर में यह समस्या है, बीकानेर में यह समस्या है, जोधपुर में यह समस्या है, लेकिन अगर भगवान की कुदृष्टि हो गई और यह बरसात नहीं हुई तो यह समस्या उदयपुर में भी पैदा होगी, भीलवाड़े में भी पैदा होगी, अजमेर में भी पैदा होगी, जयपुर में भी पैदा होगी, और सभी बड़े शहरों में पानी की समस्या खड़ी हो जायगी। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह सब कुछ होने के बाद भी हम किस स्थिति पर पहुँचे हैं? सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि यह सब कुछ होने के बाद जब भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे सुझाव दिये थे, लेकिन राजस्थान की सरकार ने उन सुझावों को नहीं माना। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारत सरकार के जितने भी ग्रुप्स आये हैं उन स्टडी ग्रुप्स ने राजस्थान सरकार से अपेक्षा की है कि सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर कुल रकम का एक-तिहाई से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। आप यह कहेंगे कि ये हमारे लिए मेन्डेटरी प्रोवीजन नहीं हैं, ये हमें कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। मैं मानता हूँ कि भारत सरकार की स्टडी टीम्स के कोई आदेश नहीं हो सकते हैं और राजस्थान सरकार के लिये मेन्डेट्री प्रोवीजन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सुझाव सुन्दर थे कि हमें सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर एक-तिहाई से ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। अफसोस की बात तो यह है, सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार ने स्वयं ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है, केवल स्टडी टीम्स ने यह बात कही हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि राजस्थान सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वह है तो स्टडी टीम की रिपोर्ट में से, लेकिन राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में से उन्होंने इस प्रकार से लिखा है--

"The State Government has taken a decision that as far as possible only utility works of permanent benefit should be taken up as relief

Page No 100

(श्री भैरोंसिंह)
works in the following order of priority:—

(1) Major and Medium irrigation works already sanctioned under execution as plan works.

(2) Plan roads including border roads.

(3) Other works which would be taken up only after the works of the above categories were not available. These again would be in the following order of priority:—

(i) minor irrigation works and repairs of existing tanks,

(ii) soil conservation works,

(iii) afforestation works, and

(iv) other road works."

राजस्थान सरकार ने भी पालिसी रूप से इस बात को स्वीकार किया है और यह न केवल अपनी रिपोर्ट में लिखा है बल्कि भारत सरकार के श्री सी. रामचन्द्रन् जो राजस्थान के ड्राट इफैक्टेड एरिया का अवलोकन करने के लिए आये उनके सामने भी इस बात का जिक्र आया है कि राजस्थान सरकार ने सिद्धान्त रूप से इस बात को मन्जूर किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अकाल राहत मंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत किये, उसके बाद वित्त मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 53 करोड़ में से 33 करोड़ का खर्चा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जो कार्य किये गये हैं उनके ऊपर हुआ है। तो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने अपनी घोषित नीति के विरुद्ध आचरण करके जनता का धन ऐसे कामों में लगाया है जिनकी कोई परमानेन्ट यूटिलिटी नहीं है, जो अकाल के स्थाई समाधान के कारण नहीं बन सकते हैं, अकाल का स्थाई समाधान जिनके माध्यम से नहीं कर रहे हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जैसलमेर के लिए आपके क्या सुझाव हैं? वहां पर क्या लागू हो सकते हैं?

श्री भैरोंसिंह : आप सुनिये। आप तसल्ली रखें। मैं जैसलमेर का ही नहीं सांचोर का भी बताऊंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी मत करिये।

सभापति महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि यह राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है और राजस्थान सरकार ने उसके बाद यह भी तय किया है कि जिस जगह पर इस प्रकार के काम नहीं मिलते हैं तो उनके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अकाल राहत कार्य खोलने पड़ते हैं तो वहां के अधिकारी से क्लियरेन्स लेना पड़ेगा। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से नहीं पूछूंगा, सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां उपस्थित हैं नहीं, और उप मंत्रीजी को ज्ञान नहीं है, ऐसी हालत में माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप यह बताइये कि किस किस जिले से क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लिया है। मैं समझता हूं कि क्लियरेंस सर्टि-

(श्री भैरोंसिंह)

फिकेट के बारे में जो परिपाटी है उसको आप नियमों को बनाने के बाद में भूल गये। आपके अधिकारियों को पता नहीं। आपसे इस तरह की बातचीत की गई थी कि हर जगह पर एक टैक्निकल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो टैक्निकल आदमी किस किस प्रकार के काम लिये जा सकते हैं उसका एक फेज्ड प्रोग्राम बनायेगा और उस प्रोग्राम के आधार पर एम्प्लायमेंट पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है इसकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अमुक अमुक प्रायोरिटी के आधार पर काम हाथ में लिये जांय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी जिले में न तो टैक्निकल आफिसर की नियुक्ति की गई, न किसी जिले में प्रायोरिटी के बेसिस पर मन्जूर किये गये कामों को हाथ में लिया जाय, इस प्रकार के आर्डर तय किये गये। ये सब काम अपनी मर्जी से हुए। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने अपनी मर्जी से कर दिये कहीं अकाल राहत मंत्री जी ने अपनी मर्जी से कर दिये, कहीं वित्त मंत्रीजी ने अपनी मर्जी से कर दिये, जिसके जो दिमाग में आया उसी प्रकार से काम चालू कर दिये। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि यह राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जिस आधार पर चल रही है उसमें सबसे बड़ी कैबीनेट है, उसके बाद में अकाल राहत कार्यों के लिए केबिनेट की सब कमेटी है, उसके बाद में राजस्थान रिलीफ एडवाइजरी कमेटी है, उसके बाद में आती है डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी, और उसके बाद में तहसील रिलीफ एडवाइजरी कमेटी। मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी साधारण कार्य को जिस प्रोसेस से निकलने के बाद चालू किये जाने चाहिए क्या उस प्रोसेस से निकलने के बाद में चालू किये गये हैं? मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान में जो काम चालू हुए हैं उनमें से 60 पर्सेन्ट से ज्यादा काम वे हैं जो कि काम अपनी मर्जी से चालू किये गये हैं और जिन कामों की कोई युटिलिटी नहीं है, जिन कामों के कारण कि राजस्थान के लोगों का बहुत बड़ा हित हो रहा था। यह बात मैं अपने आधार पर नहीं कहता। यह सी. रामचन्द्रन की स्टडी टीम ने जो आपको लिखा है वह निवेदन करना चाहूंगा—

"The Team is happy to note that the State Government has created a new priority of relief works of productive nature. However, though evidence of such desirable shift in the policy regarding relief works is not lacking, the Team was disappointed to note that road works still appear to dominate the scene. The information supplied by the State Government reveals that except in the district of Ajmer, the majority of relief works opened so far through the agency of the Public Works Department are largely road works. Almost all the relief works visited by the Team were road works. Many of these were of very doubtful utility, their only attraction being that they were situated near the villages of the people employed on them. In some cases the Team noticed that roads had been taken up in the relief programme very closer to already existing roads an serving almost the same areas."

(श्री भैरोंसिंह)

अब इससे मैं समझता हूं कि विधान सभा के माननीय सदस्य आपके रोड़ खोलने के सम्बन्ध में आपकी कमियों के सम्बन्ध में, यूटिलिटी के सम्बन्ध में इसकी हम आलोचना नहीं करेंगे। कांग्रेस के सदस्य डर जायें। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिन्होंने देखा है, वह स्पष्ट यह जानते हैं कि आप के काम की यूटिलिटी नहीं है। नियम के अनुसार नहीं है। आपकी योजना नीतियों के अनुसार नहीं है। पर मैं आप से यह पूछना चाहता हूँ कि यह किसने काम खोले हैं। क्या ये डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के प्रोसेस से निकलने के बाद हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 90 परसेंट काम ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के बाद में आये हैं। जोधपुर एडवाइजरी कमेटी की बैठक कितनी बार हुई है। कैबिनेट सब-कमेटी के इस प्रोसेस का उल्लंघन हुआ है।

(3 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वित्त मंत्री के बजट में वहां नहीं हुआ है। यूटिलिटी का प्रोग्राम सामने नहीं आया है। तो सदन में माननीय सदस्य खड़े होकर कह सकते हैं कि ये कार्य राजनैतिक आधार पर खोले गये हैं। मैं एक उदाहरण दूं, अकाल मंत्री को, पोकरण के पास एक बनियाना गांव है। जब जब अकाल पड़ता है, वहां काम होता है। बनियाना इण्डस्ट्रीयल एरिया नहीं, वहां कोई सिनेमा घर नहीं। वहां कोई होस्पीटल नहीं है। उस बनियाना गांव से 6 जगह को सड़कें निकली हैं। सड़कें निकलती हैं, बन्द होती हैं। राजस्थान में अकाल पड़े या न पड़े बनियाना में जरूर काम खोले गये हैं, मैं दूसरी बातों में न जाकर केवल इतना ही कहूंगा कि यह कहना कि कोई राजनीतिक आधार नहीं है, जब मैं यह कहता हूँ कि मिट्टी उड जाएगी। भारत सरकार की कमेटी भी यही कहती है कि मिट्टी उड़ जाएगी। तो प्रश्न यह आता है कि सड़कें बनीं और उड़ गयीं। उड़ गई तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है। सितम्बर, 68 में माननीय मुख्य मन्त्रीजी के चेम्बर में एक बैठक बुलाई गई। तो यह कहा गया कि वही हालत हो गयी। सड़कें बनेंगी और उड जायेंगी। कहा गया था कि राजस्थान कैनाल पर लोगों को बसाया जावेगा दुर्भाग्य से उपाध्यक्ष महोदय हमने भारत सरकार को कहा है कि 1 लाख व्यक्तियों के बसाने को कह दिया था। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने एक लाख व्यक्तियों के लिए काम देने की बात कही थी कि इन को काम देकर राजस्थान केनाल पर बसा दिया जायगा। वह 33 करोड़ की मिट्टी, यह 33 करोड़ राजस्थान की गरीब जनता, किसान, मजदूरों राजस्थान में निवास करने वाले 2 करोड़ व्यक्तियों के खून पसीने की कमाई, इस राजस्थान सरकार ने मिट्टी में मिला दी है।

मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि लोगों को रोजगार नहीं दिया जाये। जो जैसलमेर के लिये कहते हैं कि सड़कों के अलावा और काम नहीं किये हैं। आज भी मैं यह कहता हूं कि जैसलमेर में खड़ीन पड़ी हैं। जहां खड़ीन, तालाब और कुंवे भर गये हैं। उनकी सफाई कराई जावे तो बहुत काम हो जाना चाहिए। जैसलमेर में फर्स्ट और सेकण्ड

(श्री भैरोंसिंह)

केटेगरी में मजदूरों को लगाते तो मैं समझता हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि रिलीफ के काम में एक एक ट्यूब वैल्स से सीवन घास कराई जाये तो बहुत कुछ चारे की सुविधा हो सकती है। 6 महीने में एक बार पानी दे दो तो हरी भरी तैयार हो जायेगी। एक एक ट्यूब वैल्स के साथ में 200 एकड़ सीवन घास कराइये। 194 ट्यूब वैल्स उसके आधार पर कितनी घास की वृद्धि हो जाये। कितनी घास और जल की व्यवस्था हो जावे। हमने उसका ध्यान नहीं दिया। सोइल कंजरवेशन कराया है। जंगल उगाने के सम्बन्ध में आपने क्या काम किया है ? उसके विपरीत आपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जंगल काट दिये हैं। जंगल काटना भी वर्षा की कमी का एक कारण है। राजस्थान के जंगल बड़ी निर्दयता से कटे हैं। दूसरे जंगलों का निर्माण नहीं कर पाये हैं जो जमीन फरटाइल थी वह हवा पानी से समाप्त हो जाती है। उपज समाप्त हो गई। हम रोक नहीं पाये। इसलिए मैं कहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बातें हुई हैं तो हम क्या उम्मीद करके चल सकते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर ये चार जिले हैं। ये खेती पर कम निर्भर हैं, पशु धन पर ज्यादा निर्भर करते हैं। इन चार जिलों में पशु धन की संख्या 63 लाख है। राजस्थान में जितनी पशु संख्या है, उसमें इन चार जिलों में सबसे ज्यादा है। इस पशु धन को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। कहा गया कि माईग्रेशन कराया, कैटिल कैम्प खोले गये। लोगों को काम पर लगाया गया। लेकिन आप एक बात मान कर चलेंगे कि बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और जोधपुर के अधिकांश क्षेत्र में एक अकाल के बावजूद दूसरा अकाल पड़ गया। 66 लाख मवेशी थे। चारे का इन्तजाम 45 लाख 8956 मवेशियों का इन्तजाम किया गया। आप ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं 10 लाख मवेशी या वह भी बहुत ज्यादा हैं, 10 लाख बचा सके हैं। आपने 3 लाख 65 हजार का माइग्रेशन बताया। कुछ फारेस्ट में चले गये। कुछ कैटिल कैम्प में चले गये। इन सब को मिला कर 66 लाख में से हम 16 का इन्तजाम कर पाये हैं। इसमें सब शामिल हैं। बाकी 50 लाख मवेशी को कोई चारा नहीं है। 50 लाख मवेशी के खाने पीने का इन्तजाम नहीं कर सके। आपने 1 करोड़ 53 लाख का चारा खरीदा। 2 लाख मवेशियों का माइग्रेशन कर दिया। राजस्थान के जंगलों में बीड़ खोल दिये। उसके बावजूद 50 लाख मवेशियों का कोई इन्तजाम नहीं था। अब आप सोच सकते हैं।

श्री खेतसिंह (उपमंत्री विद्युत) : वहां गावों में काश्तकार हैं। उनका खुद का फोडर भी काफी था।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें बकरी और भेड़ भी शामिल हैं।

श्री भैरोंसिंह : हां, इसमें भेड़ें भी शामिल हैं। और काश्तकारों में आप (श्री खेतसिंह) भी शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : वहां डिपो से चारा आपके घर पहुंच गया है।

(श्री भैरोंसिंह)

अब उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 50 लाख मवेशी का इन्तजाम नहीं किया, एक साल तक उनके लिये चारे का इन्तजाम नहीं किया। अब माननीय खेतसिंह जी के हिसाब से यह अन्दाज लगा लें कि इनके घर पर चारा था। तो हो सकता है कि वह सरकारी डिपो से इनके यहां पहुंच गया हो और इनके पास चारा होने पर भी दूसरी जगह पशु भूखों मरते रहे और खेतसिंह जी ने उनके लिये चारा नहीं दिया, मुख्य मंत्री ने चारा देने की लोगों से अपील की उस समय भी इन्होंने चारा नहीं दिया और इस समय परसराम जी को खुश करना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह : उस समय इसलिये बोल रहे थे कि हमारे खुद के मवेशी बचाने थे।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन 4 डिस्टिक्ट्स में मुझे जाने का मौका मिला, इनमें कई गांव तो ऐसे मिले जहां गाय के दर्शन तक करने को नहीं मिले, भेड़ बकरियां तक नहीं मिलीं, माइग्रेशन में चले गये और 40 लाख मवेशी इस अकाल में राजस्थान में मरे हैं, 100 की औसत लगाई जाय······

(मन्त्री महोदय के गर्दन हिलाने पर)

आप बता देवें।

श्री मदनसिंह (दांता) : अगर नहीं मरे तो क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा (अकाल राहत मन्त्री) : परसों तो आप 30 लाख ही बता रहे थे, अब 10 लाख बढ़ गये ?

श्री भैरोंसिंह : परसों मैंने 40 लाख ही बताया था, आपने गलत लिख लिया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं जबानी बात हुई थी।

श्री भैरोंसिंह : जबानी बात हुई तो आपके सुनने में गलती रह गई।

मुख्य मन्त्री और मन्त्री महोदय, दोनों बतायें कि इस समय राजस्थान में कितने मवेशी हैं, इससे अन्दाज लग जायगा कि कितने मवेशी जिन्दा हैं। मैं तो अधिकृत रूप से नहीं कहता, अपनी नोलेज के आधार पर कहता हूँ। पर लैंड रेवेन्यू एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है कि रेवेन्यू अधिकारी समय समय पर आपको इसकी इत्तला दें कि कितने पशु राजस्थान में हैं। स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने 6 महीने पहले कहा था कि 20 लाख गायें संकट में हैं, बरकत साहब ने कहा था कि 10 लाख गायें मरने वाली हैं, 20 लाख तक तो आप भी पहुँच गये 20 लाख का इन्तजाम आप नहीं कर सके। आपने केवल गायों को ही संकट में लिया है, मैंने गायों को, बैलों को, भेड़ बकरियों को और ऊटों को भी संकट में लिया है, खेतसिंह जी जैसे व्यक्ति को भी संकट में शामिल किया है। इन सबको संकट में शामिल करने के बाद मैं, निश्चित रूप से कहता हूँ, आप स्वीकार करें या नहीं करें, 40 लाख पशु राजस्थान में मरे हैं। इसका अन्दाजा आप हड्डियों से, पशुओं की खालों से, बिल्टियों

Page No 105

(श्री भैरोंसिंह)
से कर लीजिये जिस जिस स्टेशन से हड्डियों की बिल्टियां हुई हैं, उनसे अन्दाजा कर लीजिये, हड्डियों के ठेकेदार मालामाल हो गये इससे अन्दाजा लगा लीजिये ।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि 141 ट्यूब वैल्स खोदे, 51 ट्यूब वैल्स नटे हैं, पर सितम्बर में जिस समय अकाल की स्थिति बनी, उस समय केवल 9 ट्यूब वैल्स चालू थे । उस समय राजस्थान में माइग्रेशन शुरू हो गया और सरकार ने माइग्रेशन अधिकारी की नियुक्ति कर दी, पूरा माइग्रेशन शुरू हो चुका । बाड़मेर जैसलमेर के पशु पालों में पहुँच गये । उस वक्त माइग्रेशन अधिकारी ने चार्ज लिया, रूट निर्धारित किये । कितने झगड़े हुए, कितने पशु मरे, इन सबके बारे में सदन के और माननीय सदस्य बोल चुके हैं, मैं दुबारा उन प्रश्नों पर नहीं जाना चाहता । जहां इतने ट्यूब वैल्स हों, जो ट्यूब वैल्स खोदे गये थे। एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल ओर्गेनाइजेशन द्वारा उनमें से सितम्बर में केवल 9 चालू किये गये थे । भारत सरकार की स्टडी टीम आई उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 27 ट्यूब वैल्स तो ऐसे हैं जिन पर पम्पिंग सैट्स हैं, कई मशीन हैं पर चालू नहीं हैं । कहीं पर मशीनें चालू हैं पर रिजर्वायर्स नहीं हैं, यह भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है । और इसका परिणाम यह हुआ कि मवेशी प्यासे चले गये, पानी था वहां पर वह पानी यों का यों ही रह गया मवेशियों के पीने के काम में नही आ सका । आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि जैसलमेर और बाड़मेर के कुओं और तालबों के काम भी अपने हाथ में लेती तो राज्य सरकार का कितना पैसा बचता, थोड़े से पैसे से पानी की समस्या का किस हद तक समाधान होता । इस प्रश्न पर राजस्थान सरकार को विचार करना चाहिये पर राज्य सरकार ने यह नहीं किया । गांवों में जाते हैं तो एक ही शिकायत की जाती है कि काम में भ्रष्टाचार है ।

मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार कहा कि 131 हजार की जैसलमेर की पापूलेशन में से 81 हजार को रोजगार मिल रहा है । हम भी मुगालते में थे जिस जिले में 1 लाख 31 हजार की पापूलेशन हो और उसमें से 81 हजार को धन्धे पर लगा दिया तो क्या किसी को बाकी छोड़ा या नहीं ? बच्चे बाकी रहे या नहीं ? शहरों के लोग हैं या नहीं ? जो रोजगार पर नहीं गये वे भी हैं या नहीं । पर मुख्य मंत्री जी का यही प्रयास रहा कि इस तरह का इम्प्रेशन जमाया जाय कि राजस्थान के लोगों को धंधे पर लगा दिया गया है । बाद में राजस्थान सरकार के फीगर्स आये उनमें बताया गया कि 77 हजार के लिए धंधे की व्यवस्था की गई है । जैसलमेर में 77 हजार व्यक्ति रोजगार के लिये मिल ही नहीं सकते ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : प्वाइंट ऑफ आर्डर सर, आपने उपाध्यक्ष महोदय प्रत्येक के लिये आधे घंटे का समय मुकर्रर किया था और माननीय सदस्य 47 मिनिट बोल चुके हैं । आपने शुरू में कहा था कि सब लोग बोलना चाहते हैं । मैं चाहता हूँ कि आप प्वाइन्ट्स के पर 47—48 मिनिट बोल चुके हैं ।

Page No 106

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटा कब मुकर्रर किया था ?

श्री मूलचन्द डागा : परसों किया था।

श्री उपाध्यक्ष : उस दिन की बात उस दिन गई।

श्री मदनसिंह : सिवाय आपके, सभी सदस्य इन्ट्रेस्टेड हैं, सही फैक्ट्स आ रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कांग्रेस की पोल खुल रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : जैसलमेर जिले में बाड़मेर जिले के लोग भी काम करते थे।

श्री भैरोंसिंह : आपके बाड़मेर जिले के आंकड़े भी सरकार की ओर से दिये गये हैं कि 18.3.69 को 1 लाख 9 हजार लोगों को काम पर लगाया गया और 20.5 को 178856 व्यक्तियों को काम मिला। बाड़मेर जिले के कलेक्टर कहते हैं कि हमारे यहां बाड़मेर जिले में जैसलमेर के लोग काम पर आ गये और जैसलमेर के कलेक्टर कहते हैं कि हमारे यहां जैसलमेर में बाड़मेर जिले के लोग काम पर आ गये। स्वयं बाड़मेर के कलेक्टर ने स्वीकार किया है, उन्होंने जाकर जांच की तो पता चला कि प्रतिदिन 10 हजार फर्जी हाजरियां होती हैं।

प्रेस में यह स्टेटमेंट आया है, यह मैं नहीं कहता · · ·

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फर्जी हाजरियां नहीं हैं—यह मैं नहीं कहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : हैं। तो अब मैं जहां तक मेरा अन्दाज है, इस सारे · · ·

श्री केसरीसिंह : माननीय सदस्य ! आप इतना बनाने की कोशिश मत करें, जिस वक्त जैसलमेर में रोड पर काम चल रहा था उस वक्त लाजिमी तौर पर बाड़मेर के लोग जैसलमेर की सड़कों पर काम करते थे और जब वहां सड़कों का काम पूरा हो गया तो बाड़मेर में जैसलमेर के मजदूर शिफ्ट हुए। यह होता है। इसमें कोई नई बात नहीं हुई है।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल : बाड़मेर के मजदूर जैसलमेर में काम करते थे और जैसलमेर के मजदूर बाड़मेर में काम करते थे।

श्री भैरोंसिंह : इसमें मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन वृद्धिचन्द्र जी इस बात की गवाही देंगे कि रामसर से चौहटन की सड़क बनी, इस पच्चीस मील लम्बी सड़क पर सत्ताईस लाख रुपया खर्च हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि केवल बाड़मेर के मजदूर वहां काम नहीं करते थे बल्कि पाकिस्तान से आकर भी लोग वहां काम कर गये। जिस राज्य में इतनी ज्यादा दुर्व्यवस्था हो कि पाकिस्तान से लोग आकर मजदूरी कर जायें—मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि सीमा की सुरक्षा वह राज्य कैसे कर सकेगा ? जैसलमेर से चले गये बाड़मेर, बाड़मेर से चले गये जैसलमेर तो वह कुछ सड़कों पर काम करते गये थे, इसको मैं एक्सेप्शन · · ·

Page No 107

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनका भाषण समाप्त हो जाय।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मेरा नाम लेकर बात कही है इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।

श्री रोशनलाल शर्मा : स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द जैन : रामसर से चौहटन की पच्चीस मील लम्बी सड़क पर बीस लाख रुपया खर्च हुआ...

श्री भैरोंसिंह : सत्ताईस।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सत्ताईस लाख, मेरा कहना यह है कि यह अनुचित हुआ। उसकी जांच करने के लिए मैंने कहा, मंत्री महोदय को कहा, सदन में कहा और अब कलेक्टर के द्वारा जांच करने के लिए पेंडिंग हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय कह रहा था कि कइयों की अन्तरात्मा जाग उठती है तो वह सही बात का समर्थन भी करते हैं। वृद्धिचन्द जी ने कहा वह सही कह है। इस रोड के काम में करप्शन हुआ है. लेकिन करप्शन की भी एक लिमिट हो। इस सड़क को देखने के बाद लगता है कि इसके पत्थर पत्थर में भ्रष्टाचार हुआ है. इस पूरी सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। इसके बारे में सदन में चर्चा हो गई तो उस पर अकाल राहत मंत्री ने एक्शन लिया लेकिन जो पिछली बार डूंगरपुर के बारे में अजमेरा की रिपोर्ट थी उसमें लाखों रुपये के भ्रष्टाचार का जिक्र था। उसके बारे में प्रश्न पूछा तो मुझे भी मुगालता दे दिया गया कि यह मामला एन्टी-करप्शन में भेज दिया गया है। केस का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह केस रजिस्टर नहीं हुआ इसी प्रकार भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नाराज नहीं हों, वह यह न समझें बाडमेर और जैसलमेर की सड़कों के काम में ही करप्शन हो सकता है, भीलवाड़ा की सड़कों के बारे में नहीं हो सकता। मैं उन को बताऊं कि भीलवाड़ा में भी एक सड़क बनी, वह आठ मील लम्बी सड़क बनी है, वह है ग्रेवल रोड, उस रोड का निर्माण किया गया, वह लम्बाई में सोलह मील थी लेकिन इसकी स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि इस सड़क पर जो कुल सोलह मील लम्बी है, 196 -65 में 1 लाख 93 हजार रुपया खर्च हुआ, 196 -66 में 73 हजार खर्चा हुआ...

श्री रोशनलाल शर्मा : सड़क कौनसी है नाम बताइये।

श्री भैरोंसिंह : ग्राम बदनोर से ग्राम आदनी तक सड़क बनाई गई है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (श्री रोशनलाल शर्मा से) आप कभी भीलवाड़ा गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर दूं, 1966-67 में 1 लाख 92 हजार खर्चा हुआ, 1967-68 में 2, 4,675 रुपया खर्चा हुआ, 1968-69 में 1 लाख 27 हजार 296 रुपया खर्च हुआ और 1969-70 में 1 लाख 58 हजार 326 रुपया खर्च हुआ। इस प्रकार सोलह मील की इस सड़क पर

Page No 108

(श्री भैरोंसिंह)

लगभग नौ लाख रुपया खर्च हो चुका है। इससे अन्दाज लगा कर चलिये कि 1964-65 में यह सडक बननी शुरु हुई लेकिन लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी यह सडक पूरी नहीं हो रही है.....

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह सोलह लम्बी नहीं है, बाईस मील है।

श्री भैरोंसिंह : यह जवाब मेरा नहीं, सरकार का है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सरकार का जवाब पूरा नहीं मिलता है। इस सडक की लम्बाई बाईस मील है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इन आंकडों को सदन गलत न मान ले इसलिए मैं बता दूं कि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही है कि जिला भीलवाडा, ग्राम बदनोर से ग्राम भादनी तक सडक बनाई गई है ? यदि हां, तो वह किस प्रकार की है तथा कितनी लम्बी है ? इनका उत्तर है जी हां, ग्रेवल रोड का निर्माण कराया है जिसकी लम्बाई सोलह मील है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मंत्री जी कह रहे हैं ......

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसमें प्रश्न यह है कि यह पहाडी इलाका है और पहाडी इलाका होने के कारण बरसात में बनी हुई सडक टूट जाती है। आप जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं वह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं है,

श्री गिरधारीलाल व्यास : कैसे नहीं है ?

श्री श्रवण लाल : यह कह दीजिये, इसका निर्माण मारबल से कराया गया है।

श्री मदनसिंह (दांता) : तीन-तीन मील की सडक में छः लाख का घोटाला है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस बात की तसल्ली आप वहां खुद जाकर कर सकते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता) : तीन तीन मील की सडक में छः छः लाख का घोटाला है–यह इसमें दर्ज है।

श्री भैरोंसिंह : गिरधारी लाल जी ! आप यह मान कर चलें कि जो भ्रष्टाचार होता है वह आपकी जानकारी में नहीं आता है। अगर आपको पता लग जाय, तो आप गरदन पकड लें। आप तक भ्रष्टाचार पहुंचता नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपने तीन चीजों को जोडने का प्रयत्न किया है, उसका जवाब मैंने दिया है। आप इस प्रकार तीन चीजों को एक साथ मत जोडिये। पहले विचार कर लीजिये, यह बात इसके साथ जुडती है या नहीं। जो सडक बनी है.....

श्री विजयसिंह : आप ये क्या उसमें ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप उसको उनके कन्टीनुअस में ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां इस प्रकार की सडकें बनी हैं, आप इस का उदाहरण फिट करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल इस लिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सडक बनाना कितना डिफिकल्ट है और उनमें कितना

(श्री भैरोंसिंह)

पैसा खर्च होता है। और इस प्रकार खर्च होने में कहीं दुरुपयोग नहीं है तो इसको तो इस सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं और अकाल राहत मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग इस राजस्थान सरकार के कब्जे में तो नहीं आया वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, लोग कहते हैं कि इस विभाग के पांच पति है, यह पांच आदमियों के अधिकार में विभाग रहता है-पहले तो मुख्य मंत्री जी फिर सार्वजनिक निर्माण मंत्री, फिर अकाल राहत मंत्री जी, फिर वित्त मंत्री जी और पीछे पीछे उप मंत्री जी। तो पांच मंत्रियों के बीच में यह विभाग द्रौपदी बना हुआ है और इन सबकी हुकूमत होते हुए भी यह विभाग किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी का कंट्रोल इस पर नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी किस तरह पैसा खाते हैं, किस तरह पैसा लूटते हैं-अभी मैं बाहर गया था तो एक आदमी ने मुझे एक फोटो दे दी, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी किस प्रकार शराब पीते हैं-इसका एक नमूना इस फोटो में दिया हुआ है, सारे इंजीनियर हैं, तीन चार इंजीनियर, जिनमें से एक का ट्रांसफर हो गया है, शराब में धुत्त हो रहे हैं शराब पी रहे हैं। यह मामूली बात है? तो सरकार कह दे, हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकते। अगर रोक नहीं सकते तो मैं कहता हूं, इतने मंत्रियों के होते हुए वह ऐसा क्यों करते हैं? आज मंत्रियों की पैंतीस-छत्तीस की फौज है, एक-एक को मुख्य मंत्रीजी ने ठिकाने लगा दिया है ताकि वे मुख्य मंत्री बने रहें; किसी को बाड़मेर का तहसीलदार बना दिया है, किसी को शिव का नायब तहसीलदार बना दिया है, किसी को जोधपुर का उप-जिलाधीश बना दिया है, किसी को कहीं और कुछ बना दिया है, जिसकी जैसी योग्यता थी वैसा उसको बना दिया। राजस्व मंत्रीजी को बाड़मेर का कलेक्टर बना कर भेज दिया, सार्वजनिक निर्माण मंत्री को अलवर का कलेक्टर बना कर भेज दिया, माधोसिंहजी को जालोर का तहसीलदार बना कर भेज दिया, खेतसिंहजी को शेरगढ़ का नायब तहसीलदार बना कर भेज दिया। जिस राज्य में मंत्रियों की यह हालत हो गई है तो आप मान कर चलें, जिस राज्य के मंत्रियों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि मंत्री जाकर वर्क पर खड़े होते हैं तो उनका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रोड वर्क में जिस प्रकार के घोटाले हुए हैं उनके लिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार अगले वर्ष के अकाल को ध्यान में रखते हुए रोड्स की प्रायोरिटी को निश्चित करे और इस काम में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसको रोकने के लिए वह सोचे कि कोई नवाब साहब जैसे सार्वजनिक निर्माण मंत्री के ये इंजीनियर्स काबू में आने वाले हैं तो आपका सोचना गलत होगा। इसलिए अकाल राहत विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग का इन्टीग्रेशन करके अकाल की व्यवस्था करनी है तो दोनों विभागों की आपको अलग से एक इन्टीग्रेटेड व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह नहीं होता है तो इंजीनियरों पर कन्ट्रोल अकाल राहत मंत्री नहीं कर सकते हैं तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री को गालियां निकाल देते हैं और अगर सार्वजनिक निर्माण मंत्री इंजीनियरों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो

(श्री भैरोंसिंह)

अकाल राहत विभाग को गालियां निकाल देते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग और अकाल राहत विभाग–दोनों में झगड़ा है और इस कारण इंजीनियर पैसा खा जाय तो यदि अकाल राहत मंत्री के पास जायं तो वह कह देंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री के पास जायं तो वह कह देंगे, अकाल राहत विभाग का काम है। हम इस झगड़े के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं, जनता इस लड़ाई में बुरी तरह लुट गई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत काम में सरकार यह समझकर चले कि भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है तो मेरा दावा है भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय कमीशन इस बात की जांच के लिए नियुक्त किया जाय जो कह सके भ्रष्टाचार के मामले में कि मस्टर रोल फर्जी बनाये गये हैं या नहीं मस्टर रोल में झूंठी हाजरियां लिखी गई हैं या नहीं, पानी की पखालों में राजनीति को पोषण मिला है या नहीं जो यह भी बताये कि घास की खरीद में किस प्रकार के घोटाले हुए है। इतना ही नहीं जो साथ ही यह भी बताये कि अकाल राहत कार्य में जो सिरकियां खरीदी गईं, जो फावड़े खरीदे गये, जो गैंतियां खरीदी गईं, जो तम्बू खरीदे गये जो घड़ियां खरीदी गईं, चश्मे खरीदे गये, पैन खरीदे गये जो दवाइयां खरीदी गईं इन सारी खरीद के मामलों में इतनी बेईमानी की गई है कि कोई ईमानदार आदमी सारी प्राइसेज को देखेगा तो उसे पता चलेगा कि इसमें निश्चित रूप से कहां-कहां गड़बड़ हुई है। सरकार कह सकती है; उस समस्या को मैं महसूस करता हूं कि हर तरफ से दबाव पड़ रहा था कि चीजें लाओ। इसलिए जल्दी में गफलत हो सकती है। मैं कहता हूं कि गफलत हो सकती है लेकिन मोटिव्स में गिरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में चीजों की कीमतें ज्यादा हो सकती हैं लेकिन पार्टी से मिलकर कीमत बढ़ाने का प्रश्न खड़ा होता है तो ऐसा लगता है इसमें भयंकर भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं अभी डूंगरपुर जिले में गया। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के समस्त अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद में डूंगरपुर जिले का दौरा किया तो वहां अकाल राहत कार्यों में कितनी कमियां हैं वह मैं नहीं कहता, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, यह भी मैं नहीं कहता वहां पर अकाल राहत कार्यों में जो प्रायोरिटी तय की गई यह प्रश्न नहीं कि उनके अनुसार आचरण किया गया हो। करप्शन हुआ हो फर्जी मस्टर रोल बनाये हों, फर्जी और झूंठी हाजरियां हुई हों, लोगों ने पैसा खाया हो लेकिन राजस्थान में जहां जहां अकाल राहत काम किये गये हैं उनमें सब से ज्यादा यूटीलिटी के काम हुए हैं तो वह डूंगरपुर जिले में हुए हैं। मैं धन्यवाद इसके लिए मंत्री जी को देना चाहता, मैं सरकार को धन्यवाद नहीं देना चाहता मेरी जो पर्सनल नालेज है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि यह कलेक्टर का इनीसियेटिव था जिसने पालिटिकली दबाव पर तुरन्त कह दिया, यह पैसा मुझे मिला है और इससे मैं यूटीलिटी के काम करूंगा, यूटीलिटी के काम में मैं इसका उपयोग करूंगा। इसी प्रकार इनकी सर्विसेज एप्रीशियेट करनी चाहिए। जो बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर जिलों में ज्यादा भयंकर बीमारियां आईं आज मैं

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार को चुनौती देकर कहता हूं. मैंने उस वक्त आंकड़े इकट्ठे किये थे मरने वालों के उसके सम्बन्ध में सरकार मजाक करती है और जब विधान सभा में मैंने उस वक्त आदमियों के मरने की बात कही तो बृजसुन्दर जी ने रेजिगनेशन देने की बात कही। उसके बाद में कुछ जांच की और कुछ मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बताई और सरकार ने चुनौती दे दी अखबारों में और साढ़े पांच हजार व्यक्ति मरे हैं इस बात को स्वीकार किया। लेकिन जब विधान सभा में उत्तर देने लगे तो कहने लगे इसमें से संख्या घट गई है। वह किस आधार पर घट गई है ? तो कहा, हर जिले में औसतन इतने व्यक्ति मरते हैं उसके प्रपोर्शन से संख्या कम कर दी। मतलब यह कि मरने वालों की संख्या को घटा दिया। उसके बाद जब मैं मरने वाले पशुओं की संख्या निकाल रहा था उस समय मैंने बृजसुन्दर जी के फार्मूला को लिया और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं, मुख्य मंत्री जी को चुनौती देकर कहता हूं कि मैंने जिस वक्त आंकड़े तैयार किये थे उस समय मैंने राजस्थान के पंचायत विभाग के मंत्री परसराम मदेरणा को एक पत्र लिखा था कि पंचायत कानून के अनुसार पंचायत में जन्म मरण के आंकड़े लिखे जाते हैं. आपने जिन पंचायतों में तैयार नहीं करवाये हैं, वहां तुरन्त तैयार करवायें और तैयार करने की आदत डालें। इसके साथ ही मैंने बृजसुन्दर जी को भी एक लेटर लिखा कि आपने जो साढ़े पांच हजार का फिगर बताया है, वह गलत है। मेरे पास दूसरे प्रकार के फिगर हैं। लेकिन खेद है उन दोनों पत्रों का उत्तर नहीं आया, हां पंचायत मंत्री का उत्तर आया कि व्यवस्था कर रहा हूं कि रिकार्ड ठीक ढंग से मेन्टेन किया जाय। आज मैं कहता हूं पंचायतों के रिकार्ड के आधार पर कि बाड़मेर जिले में सोलह हजार व्यक्ति बीमारियों से मरे हैं, जैसलमेर जिले में ग्यारह हजार आदमी बीमारियों से मरे हैं, बीकानेर जिले में नौ हजार आदमी बीमारियों से मरे हैं और जोधपुर जिले में छः हजार आदमी बीमारियों से मरे हैं। यदि आप खड़े होकर केवल यह कह दें कि साढ़े पांच हजार आदमी मरे हैं तो मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं. आप पंचायतों का रिकार्ड सदन की मेज पर रख दीजिये, वह रिकार्ड बोलेगा कि राजस्थान में कितने व्यक्तियों की बीमारियों से मृत्यु हुई है। राजस्थान में 53 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद और उसके पहले पचास करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी चालीस लाख पशु मर जायें और 42 हजार आदमी मर जायें, और राजस्थान में जन्म मरण के आंकड़े इकट्ठे करने की व्यवस्था नहीं हो तो यह कहना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने अकाल को मजाक समझ कर इन्तजाम करने की चेष्टा की है। आज आप भारत सरकार से कहते हैं कि पैसा दो। आज भारत सरकार से कहते हैं कि कोई न कोई व्यवस्था करो। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने सब इन्तजाम किया है लेकिन सरकार आज यह कह कर नहीं चल सकती है कि हमने सारी व्यवस्था कर दी है। माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष कई बार ऐसे प्रश्न आये हैं, लोगों ने समय समय पर आरोप ही नहीं लगाये हैं बल्कि अखबारों में भी समय 2 पर समाचार छपे हैं कि लोग अब भूखे रहने के आदी हो गये हैं, और लोग अब छाल खा खाकर अपना पेट भरते हैं। यह सब कुछ होने के बाद में एक बात की तारीफ करना चाहूंगा, खास तौर से

(श्री भैरोंसिंह)

अकाल पीड़ित जनता की कि उसने अकाल का मुकाबला बड़े साहस से किया है। 1965 में जिस प्रकार पाकिस्तान के हमले का मुकाबला उसने साहस के साथ किया, उसी तरह से अकाल का मुकाबला भी जनता ने साहस से किया है, और इसके लिए हम जनता को साधुवाद दिये बिना नहीं रह सकते। जयपुर में दुनियां भर के भिखारी आ सकते हैं लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिले के भिखारी आपको नहीं मिलेंगे, जहां के लोग भूख से और बीमारियों से मरे हों वहां का एक व्यक्ति भी यहां नहीं मिलता है। यह बहादुरी राजस्थान सरकार की नहीं है, यह उन जिलों के रहने वाले व्यक्तियों की बहादुरी है जिन्होंने अकाल का साहस से सामना किया है। आज उनके लिए कहना चाहता हूं, श्रीमान् जी उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि पाकिस्तान सरहद पर जो क्षेत्र लगता है, अगर वह पाकिस्तान की सरहद से लगने वाला इलाका खाली होगा तो अराष्ट्रीय तत्वों का वह घर बनेगा, वह स्मगलिंग का केन्द्र होगा और उसके कारण से भारत की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा और राजस्थान पाकिस्तान की सरहद पर धरती सूनी रही तो भारत के लिए एक परमानेन्ट संकट बन जायगा। इस आधार पर मैं भारत सरकार को भी चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने बोर्डर डवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की बात कही थी, जो सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम को इस एरिया में लागू करने की बात कही थी वह कहां गई। भारत सरकार अकाल के नाम पर राजस्थान की सरकार को पैसा देती है, उसमें भी वह सौतेला व्यवहार करती है इसके लिए यह सदन भारत सरकार की निन्दा किये बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अकाल का समाधान राजस्थान कैनाल से हो सकता है लेकिन राजस्थान कैनाल के मामले में भी भारत सरकार का सौतेला व्यवहार हो तो यह कहना पड़ेगा कि भारत सरकार केवल राजस्थान की जनता की उपेक्षा ही नहीं करती है बल्कि वह देश की सीमा की सुरक्षा के मामले में भी सतर्क नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर राजस्थान कैनाल के काम को हाथ में नहीं लिया गया तो न देश की सीमा की सुरक्षा होगी, न देश की सीमा पर लोग आबाद होंगे, और न जैसलमेर और बीकानेर जिलों के अकाल की समस्या का समाधान हो सकेगा। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि अकाल के स्थायी समाधान की गरज से जल्दी से जल्दी राजस्थान कैनाल के काम को चालू कराया जाय। साथ ही मैं राजस्थान सरकार को भी कहना चाहूंगा कि ट्यूब वैल के पानी की यूटीलिटी की व्यवस्था की जाय और राजस्थान कैनाल के फीडर की योजना है उसके सम्बन्ध में वह आवश्यक कार्यवाही करे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इन अकाल के कामों में मैंने कई प्रकार के भेद भाव देखे हैं। पंचायत समितियां उदयपुर डिविजन में काम करती हैं लेकिन बीकानेर, जोधपुर डिविजन में पंचायत समितियों के मार्फत काम नहीं हुआ है। यह भेद क्यों हुआ? उदयपुर डिविजन में मैं गया हूं वहां मैंने देखा है कि सड़कों के मामले में कटौतियां हुई हैं लेकिन जोधपुर और बीकानेर में मैं गया हूं वहां मैंने देखा है कि सड़कों के मामले में काफी कटौतियां हुई हैं। इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार जयपुर और जोधपुर, जोधपुर और बीकानेर और उदयपुर डिविजन में अकाल के नाम पर भी भेद क्यों चलता है ? मुझे इस बात के सम्बन्ध में ज्यादा कहना नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष में भेद दिखता है, और भेद इस प्रकार दिखता है कि हमारे अकाल राहत मन्त्री जाये जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर और बाड़मेर से बीकानेर, बीकानेर से बाड़मेर और जैसलमेर और फिर जयपुर आ जांय लेकिन पाली, उदयपुर जाते हुए इनको डर लगता है, वह भीलवाड़ा नहीं जाते हैं, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं जाते हैं। इनके दौरे का एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट बनायें तो लगता है जैसे यह अकाल राहत मन्त्री का क्षेत्र नहीं है। मैं भी उधर एक दो बार हो आया हूँ। इस हालत में मैं सोचता हूँ कि मुख्य मन्त्री ने जैसे कह दिया है कि इस एरिया में आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वहां पर भी अकाल की स्थिति है लेकिन वह इनके परव्यू के बाहर है। लेकिन परस राम जी भी कम नहीं हैं, कोई इन्हें कम न समझें। आपने सुना होगा, राजा रामदेव जी थे उन राजा रामदेव जी ने गऊ की रक्षा की थी। आपने उपाध्यक्ष महोदय, विश्नोईयों के देवता का नाम सुना होगा, जामा जी, उन्होंने सार्वजनिक हित के काम किये थे, जामाजी को आप पूजते हैं और उनकी एक जमात है। इसी प्रकार से एक राजा सगर थे जिन्होंने कुओं का निर्माण कराया उनकी भी प्रतिष्ठा होती है। हमें इस बात की खुशी है कि 53 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हम सगर की नकल तो नहीं कर सकते, जामा जी का उदाहरण तो प्रस्तुत नहीं कर सके, रामदेव भगवान का आचरण तो नहीं किया लेकिन हमने एक अवतार पैदा किया है। उस अवतार के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पता नहीं लगता है, लेकिन कई गांवों में मैं जाता हूं तो वहां मैंने सुना है, यहां पर काम जिस समय चाहें उस समय खुल जायं। मैंने कहा-यह कैसे करते हो। कहने लगे, हमारे यहां अकाल राहत मन्त्री आये, तो उन्होंने कहा कि राजा सगर ने सौ कुए बनाये होंगे कि परसराम ने दस हजार कुए बना दिये हैं। रामदेव भगवान ने पच्चीस गायों को बचाया होगा, लेकिन परसराम ने बीस हजार गायों को बचाना है। जामा जी ने थोडा काम किया होगा लेकिन परसराम ने जामा जी से ज्यादा काम कर दिया है। इतना कहते ही गांव वाले कहते हैं–जय हो परसा अवतार की। इस जय-जयकार के साथ ही अवतार खुश हो जाते हैं और कहते हैं–बोलो, मांग करो। मांग की-यह अकाल राहत काम चालू कर दो। तो वह चालू कर दिया लेकिन बाकी लोग जो इस प्रकार की स्थिति में रहे हैं, मैं समझता हूं वह दुर्भाग्य पूर्ण थी। माननीय अकाल राहत मन्त्री इस बात के लिए नाराज नहीं हो कि मैंने उन्हें अवतार बताया है। अवतार होने से आप लोगों के काम आयें, आप इस तरह की व्यवस्था करें ताकि जो क्षेत्र अकाल से प्रभावित हो उनकी स्थिति ऐसी नहीं बननी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि जो कुछ गलतियां की हैं, उनसे आप सबक लें और जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है, उससे आप यह मत समझिये कि छैंतीस करोड़ रुपया सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हैं वह सुखाडिया जी कृपा करके एक पिंजरा पोल बना रखा है, उसमें से एक है, और इसलिए आपको भी अकाल राहत कार्य में से कुछ काम मिला है, और उसके आधार पर यह तैंतीस करोड़ रुपया खर्च हुआ है लेकिन आप इसको अच्छी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर सके हैं इस लिए ही करोड़ों रुपये का गबन हो गया है, करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। नवाब साहब को मैं एक बात कहता हूं कि बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में जो सार्वजनिक निर्माण कार्य हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं आपको चुनौती देकर कहता हूं··एक भी सड़क का नाम लें, उसमें हम साबित नहीं करेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं है। एक भी सड़क का नाम ले लो। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। एक भी सड़क का नाम लें जिसमें पैसा नहीं खाया गया। एक भी सड़क बतायें जिसमें अकाल के नाम लूट नहीं हुई हो। राजस्थान के मुख्य मन्त्री और विरोधी दलों के नेता दुनिया से अपील करते हैं कि राजस्थान में अकाल का संकट मिटाने के लिए पैसा दें एक दूसरी तरफ सार्वजनिक निर्माण मन्त्री इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है उसको रोकने में असमर्थ साबित हो रहें है। कई ऐजेन्सियां बनी, गो सेवक संघ मारवाड रीलीफ सोसाईटी, इत्यादि ने काम किया, हमने भी अकाल निवारण समिति का गठन करके लाखों रुपयों की रजाइयां बांटी उसके बाद भी मुख्य मन्त्री स्वीकार करेंगे कि क्रिश्चन ऐजन्सियों ने किस ढंग से काम किया उनके हाथ में हुकुमत नहीं, लोगों से सम्पर्क नहीं, मिशन था। मिशनरी स्प्रिट थी, क्रिश्चन मिशनरीज ने अनाज बांटा। दवाइयां बांटी। मैं आपसे कहता हूं कि जबर्दस्त प्रचार किया, लोगों के दिमाग में बुरे असर डाले। मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिए, भूख के कारण कन्वर्शन हो तो रोका जाय, कानून बना। यदि आप क्रिस्चन मिशनरीज से काम लेना चाहते हैं तो इस बात को आप देखकर चलें कि कहीं ये मिशनरीज आपके लिए और हमारे लिए धर्म परिवर्तन के मामले में कोई संकट का रूप खड़ा न हो जाय।

हमारे मुख्य मन्त्री इस मौके पर चूके नहीं। जहां गए एक बात कह दी। हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, विरोधी दल वाले कहां गए? विरोधी दल वाले यहीं थे, न कलकत्ते गए न बम्बई गए। लेकिन मुख्य मन्त्री जी यह कहें कि विरोधी दल क्या कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या अपेक्षा करते हैं? हमने सरकार से असहयोग नहीं किया चन्दा उगाने के लिए आपकी राह में रोड़े नहीं डाले। विरोधी दल वाले बैठे हुए हैं। आपने उनसे काम क्या लिया? आप कह सकते हैं कि अकाल राहत समिति में भाग नहीं लिया। यह सिद्धान्त की निति क्या? एक मीटिंग हुई, हमारे बाईकाट करने के बाद, एक मीटिंग हुई। उसमें क्या होता है? आप जहां जाते हैं एक दो बात कहते हैं कि गौ भक्त कहीं गए? हम गायों को बचा रहें हैं गाय के पक्ष की बात करने वाले कहां गए? लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि गाय के मामले में जितना भ्रम आपने जनता में पैदा किया जितना गुमराह आपने किया दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। आपको याद होगा 1967 से पहले राजस्थान में गो हत्या को रोकने का

(श्री भैरोंसिंह)

आन्दोलन चला। बड़े बड़े आदमी उसके सामने टिक नहीं रहे थे लेकिन सुखाड़ियाजी ने एक मंत्र चलाया, गाय निकासी बन्द करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया और जहां मीटिंग होती खड़ा होकर कहते कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने गो-निकासी रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया लेकिन एक बात कहते मुझे सदन में शर्म आएगी और हिन्दुस्तान के इतिहास में जायगी कि राजस्थान में मुख्य मंत्री ने चुनाव में वोट जीतने के लिए अध्यादेश जारी किया, लेकिन चुनाव के बाद इनकी हुकुमत बनी तो अध्यादेश को भूल गये। यह गौ भक्ती का परिचय दिया। इनकी जितनी श्रद्धा थी उसके अनुसार किया। लोगों से हमने चन्दा इकट्ठा किया, 41–41) लाखरुपयों की दवाइयां, अनाज और सब प्रकार की व्यवस्था में खर्च किया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल की सीमा होती है, कहां से विरोधी दल पैसा खर्च करे।

अंत में मैं नवाब साहब लुहारू जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं। आप लोग हमें कहते हैं कि हमने क्या किया? आपने क्या किया? नवाब साहब आपने अपनी जेब से क्या खर्च किया? एक पैसा भी नहीं किया। किया हो तो खड़े होकर कह दें। मंत्रिमण्डल के सदस्य बैठे हैं, उनकी नहीं कहता हूं कि जेब से दिया या नहीं दिया, भाषण देते हैं कि हमने किया, लेकिन जनता ने किया, टैक्स पेयर ने किया। दौलतरामजी जब वहां बैठते थे तो कह सकते थे कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन आज वह विरोधी दल में हैं, बाकी दौलतरामजी वही है, वह अब नहीं कह सकते, क्यों ही हमारे साथ आए फिर कहेंगे कि सरकार करेगी हम नहीं। सरकार को पार्टी से थोडा अलग करके देखें तो पता लगेगा कि आपने कुछ नहीं किया। आपके जिम्मे जनता ने 53 करोड दिया, उनका दुरुपयोग हुआ, आपके जिम्मे काम दिये थे, वह नहीं किए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अकाल के सम्बन्ध में राज्य सरकार पूर्णतः असफल हुई है। मुख्य मंत्री जी के इस नारे में कोई दम नहीं कि हमने किसी को भूख से नहीं मरने नहीं दिया। भूख से मरने की परिभाषा डिक्शनरी में नहीं है, मैंने तलाश की। राम किशन जी से पूछें या भूख से मरने वालों से पूछें। अब सुखाड़िया समझें कि 20 दिन तक आदमी भूखा रहे, पैर घिसाते रहें, फिर आदमी मरे उसको भूख से मरने वाला कहा जाय लेकिन भूख के कारण बीमारियों का प्रकोप हो, उसके कारण बीमारिया हों, कारण यह मानकर चला जायगा कि भूख के कारण इतने आदमी मरे लेकिन इस स्लोगन से काम नहीं चलेगा।

अंत में सुखाडियाजी और सदन को आगाह करके निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज भी अकाल की स्थिति भयंकर होने वाली है। भगवान करे मैं शत प्रतिशत झूठा साबित होऊं लेकिन इसमें थोड़ी सी असत्यता रह गई तो पिछले साल हमने साहस से किस प्रकार अकाल का सामना कर लिया, अब लोगों को स्थान स्थान पर रोजगार देकर पानी पहुँचा कर घास पहुँचा कर, हम लोग रोक पायेंगे, यह असंभव है। इसलिए सरकार को आज से विचार करना पड़ेगा कि यदि 7 दिन में बरसात न हुई तो किस प्रकार से समस्या का समाधान करेंगे।

Page No 116

श्री ओमदत्त भाटी : अभी भैरोंसिंहजी ने कहा कि अकाल राहत मंत्री जोधपुर गये, बहुत बड़ा काम किया। मैं कहता हूं ....

श्री भैरोंसिंह : एक मिनट मैं लूंगा मैं समझता हूं, मैं अपने कर्तव्य से दूर रहूंगा यदि इस संबंध में बाडमेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में जिन डाक्टर्स ने कडकडाती धूप में और प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों को बचाने का प्रयत्य किया है, उसका उल्लेख न करूंगा। मैं समझता हूं उनकी सेवायें निश्चित रूप से एप्रीशियेट करनी चाहिए और मुख्य मन्त्री व स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिससे उस क्षेत्र में डाक्टर जाकर काम करें, इस बात का इन्सेन्टिव बना रहे, उन डाक्टरों का सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाय, उनकी सेवाओं को एप्रीशियेट करने के लिए उन्हे सर्टीफिकेट्स दिये जायं ताकि लोग उधर निश्चित रूप से पहुँचे और किसी भी संकट के समय राज्य सरकार को कहने का मौका नहीं मिले कि डाक्टर बाडमेर, जैसलमेर नहीं जाना चाहते हैं। इन शब्दों को मैं ऐड करना चाहता हूं।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : अभी भैरोंसिंहजी ने कहा श्री परसरामजी जैसे अवतार पैदा हुये। मैं कहता हूं कि वह तो रावण पैदा हो गए। मैंने इनको कुछ काम बताया नालियां खुलवाने का सड़क का, आपने फरमाया कि यह तो नगरपालिका एरिया में है, ऐसा कैबीनेट का फैसला है। मैं पूछना चाहता हूं कि पक्केरन में तालाब कैसे खुदवाए, जैसलमेर में कैसे खुदवाए, पीपाद में नालियां खुलवाईं। एक दिन राहत कार्य समिति की मीटिंग थी। शाम को मीटिंग थी। सुबह को ये पधारे, मीटिंग में भाग लिया, हमें सूचना भी नहीं मिली तो शर्म के साथ मुझे कहना पड़ता है कि परसरामजी सरदारपुरा क्षेत्र में गांव है, पहले लूनी क्षेत्र में था, उस गांव के प्रवासी हैं। लेकिन जोधपुर का अन्न खाते हैं, जोधपुर का पैसा लेते हैं, उसकी उन्होंने उपेक्षा की।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष राजस्थान के लिए एक संकटापन्न वर्ष था। पश्चिमी राजस्थान भीषण अकाल के अन्दर ग्रस्त था। सुनने में आता है कि ऐसी स्थिति पश्चिमी राजस्थान के अन्दर, अधिकांश राजस्थान के क्षेत्र ये गत सौ वर्ष में कभी नहीं हो पाई। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अक्सर दुष्काल पड़ा करता है किन्तु लगातार तीन-तीन, चार चार वर्ष से दुष्काल हो और खास करके जैसलमेर क्षेत्र के अन्दर लगातार छः वर्ष से दुष्काल की स्थिति बनी हुई रहे—ऐसा पहले सौ वर्ष में कभी नहीं हुआ—यह निर्विवादित बात है। पिछले सत्र में, उपाध्यक्ष महोदय, इस पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र से आने वाले सम्माननीय सदस्यों ने बार बार इस सदन के अन्दर चर्चा की कि पश्चिमी राजस्थान में दुष्काल सम्बन्धी राहत कार्य सन्तोषजनक नहीं है। यही नहीं दो लोक सभा के सदस्य और एक राज्य सभा के सदस्य यानि महाराजा करणी सिंह और श्री अमृत नाहटा तथा राज्य सभा के सदस्य श्री सुन्दर सिंह जी भंडारी और अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री भैरों सिंह जी शेखावत तथा कांग्रेस के मंत्री ने इस क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद बार बार यह वक्तव्य दिये हैं कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल का राहत कार्य

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बिल्कुल अपर्याप्त है वह सुचारु ढंग से नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ यह भी एक आम आरोप लगाया जाता है और यह बिना तथ्य का आरोप नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान जहां उस क्षेत्र की आवश्यकता अत्यधिक है, उसके बनिस्पत उदयपुर क्षेत्र के अन्दर अकाल राहत कार्यों के अन्दर विशेष व्यय किया जाता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, किन्तु में यह सरकार के ऊपर आरोप लगाऊंगा कि न तो उदयपुर डिवीजन के अन्दर अकाल राहत कार्य हुए हैं वह सन्तोषजनक हैं, न पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो अकाल राहत कार्य हुए हैं वह सन्तोषजनक हैं। सबसे खराब स्थिति राजस्थान भर में यदि किसी एक जिले की है तो वह जैसलमेर जिले की है। सरकार चाहे जो जवाब दे लेकिन जैसलमेर जिले की स्थिति बुरी से बदतर है और वहां पर जो कुछ भी सरकार के द्वारा काम हुए हैं वह अपर्याप्त हैं, नगण्य हैं और आवश्यकता और उस क्षेत्र के अनुपात से कम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, श्री अमृत नाहटा, जो शासनारूढ दल के लोक सभा के सम्माननीय सदस्य है, उन्होंने इस हद तक कहा है कि राजस्थान के अन्दर खास करके पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र के अन्दर लाखों मवेशी मर चुके हैं। जैसलमेर के भूतपूर्व सदस्य, जो कांग्रेस दल के हैं, उन्होंने मुझे यह कहा है कि लाखों की संख्या में जैसलमेर जिले के अन्दर अच्छी से अच्छी नस्ल की मवेशी पूर्णतः नष्ट हो गई है और श्री अमृत नाहटा ने इस हद तक कहा है, उपाध्यक्ष मोदय, कि हजारों की संख्या में मनुष्य मरे हैं। जनसंघ के माननीय नेता ने जो यहां पर आरोप लगाया कि मनुष्य मरे हैं—यह पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि हर एक क्षेत्र में या हर एक जिले में कितने मनुष्य मरे हैं लेकिन कांग्रेस के एक सम्मानीय सदस्य के द्वारा यह कहा जाय, सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया जाय कि हजारों की संख्या में राजस्थान के अन्दर मनुष्य मरे हैं तो सरकार के लिए, मेरे ख्याल में, एक महान लज्जास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां वर्षों से वर्षा नहीं हो, जहां वर्षों से खेती नहीं हो, जहां वर्षों से घास नहीं हो वहां सरकार का यह दावा हो कि मनुष्य नहीं मरे हैं—यह कैसे मैं मान सकता हूं—स्वयं यह सरकार के सोचने की बात है। मैं समझता हूं, यह सरकार का दावा है कि मनुष्य नहीं मरने दिये हैं—यह थोथा दावा है। अपोष्टिक भोजन के द्वारा कई दिनों तक एक दफा चौबीस घण्टे के अन्दर भोजन करने के कारण से अगर लोग शक्तिविहीन होकर और बीमार होकर मरें तो मेरे ख्याल में अप्रत्यक्ष रूप से यह अवश्यमेव कहा जा सकता है कि यह राजस्थान सरकार की राहत दुर्व्यवस्था, राहत कार्य दुर्व्यवस्था के फलस्वरूप है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने साहस के साथ काम किया, सरकार ने खर्चा किया—यह निर्विवादित बात है इसके साथ साथ मैं सरकार की प्रशंसा भी किये बिना नहीं रह सकता लेकिन मैं सस्ती सौदागरी के अन्दर विश्वास नहीं रखता, मैं यह निश्चय ही कहूंगा कि दिन प्रतिदिन इस राहत कार्य के अन्दर जितना घोटाला और जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना मेरे ख्याल में कभी भी किसी अन्य भारतवर्ष के क्षेत्र के अन्दर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। इन्सानियत, जिसको कहते हैं, मानवता वह बिल्कुल ह्रास और नष्ट हो चुकी है। आज चारों तरफ हम देखते हैं अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी दो सौ गांव जैसलमेर जिले के अन्दर ऐसे है जहां पर पानी को कोई व्यवस्था नहीं हैं, बाइस वर्ष की आजादी के पश्चात्, सात-सात दुष्काल पड़ने के पश्चात् अगर एक जिले के अन्दर दो सौ गांवों का एक ऐसा क्षेत्र हो जिसके अन्दर दो सौ गांवों के अन्दर कोई पेयजल की व्यवस्था नहो हो तो सरकार के लिए एक महान लज्जास्पद स्थिति की बात है। मेरे पूर्व वक्ता ने ट्यूब वैल्स के सम्बन्ध में भी निवेदन किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां भी ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं वह उन स्थानों के ऊपर खोदे गये हैं कि जहां पर कुए मौजूद थे। कोई अन्य स्थानों के अन्दर सफल रूप से ट्यूब वैल्स खोदे गये हों तो माननीय मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करूंगा आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह बतावें कि ऐसे कितने स्थान हैं कि जहां पर ट्यूब वैल्स का निर्माण किया गया है, जहां पर्याप्त रूपेण जल प्राप्त किया गया है। मैं सरकार के ऊपर यह आरोप लगाऊंगा कि सरकार लकीर की फकीर है, किंकर्तव्यविमूढ़ है सरकार, जिस जगह पर कुए खुदे हुए थे उसी जगह को गहरा बना कर ट्यूब वैल की व्यवस्था की है तो आपका सुधार कार्य और राहत कार्य नगण्य ही नहीं है, निन्दनीय भी है। उपाध्यक्ष महोदय, गये साल बार बार इस सदन के अन्दर चर्चा हुई अकाल के सम्बन्ध में यह कहा गया कि भीषण अकाल राजस्थान के अन्दर पड़ने वाला है। उस सम्बन्ध में आपने गम्भीरतापूर्वक कोई विचार नहीं किया, न कोई निर्णय लिया, आपने निर्णय भी लिया वह भी बहुत देरी के बाद निर्णय लिया और जब आपने निर्णय लिया उस वक्त आप जम नहीं पाये, आपके पैर उखड़ गये और दिन व दिन समस्या बुरी से बदतर होने लगी, आपकी समस्या भी उसी तरह से बुरी से बदतर होने लगी, आपके कर्मचारीगण भी किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये और लाखों रुपया जो खर्च किया गया, करोडों रुपया जो खर्च किया गया वह मेरे ख्याल से आधा तो आपने ठीक तरह से खर्च किया और आधा रुपया इस तरह खर्च किया है जिसके अन्दर दुरुपयोग हुआ है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अभी से यह निवेदन कर देना चाहूंगा कि अभी भी राजस्थान की स्थिति, मुझे खेद है और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं वह ठीक साबित नहीं हो किन्तु यदि अकाल की स्थिति यहां पर फिर आती है तो मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप अभी से तैयारी कर लीजिये ताकि आप कुछ न कुछ समय के अनुसार व्यवस्था कर पायें, वरना फिर गये साल के माफिक दुर्दशा होगी और अबको बार दुष्काल पड़ा, जो कि जैसलमेर के अन्दर पड़ने की सम्भावना है, वैसे मेरे क्षेत्र के अन्दर दुर्भाग्यवश वर्षा अपर्याप्त है और जो दस दिन के अन्दर वर्षा नहीं हो जाती है तो जो कुछ खड़ी मक्का की फसल है वह सब जल कर नष्ट हो जायगी और फिर भीषण समस्या उत्पन्न हो जायगी। मैं समझता हूं कि आपका जो यह कर्तव्य है, थैंकलेस टास्क है, यह अत्यधिक कठिन समस्या है लेकिन कठि

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समस्या का भी सरकार को सामना करना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा हम तो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जो केवल आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और वह ध्यान भी आकर्षित करते हैं सहयोग की भावना के साथ में, कन्स्ट्रक्टिव रूप के साथ में। मैं आशा करता हूं जिस भावना के साथ मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं उस भावना को आप एप्रीशियेट करेंगे और उसी भावना के अनुसार आप व्यवस्था करने की चेष्टा करेंगे··· राहत कार्यों में पक्षपात होने के संबन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तरकाल के समय भी मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मैं अब भी ध्यान आकर्षित करूंगा स्पष्ट रूप से पोकरन सब-डिवीजन में फलसूण्ड से शेरगढ़ एक सड़क है अकाल की गम्भीर साकी होने कारण कलेक्टर ने इस सड़क का निर्माण कार्य कराना प्रारम्भ किया लेकिन राजनैतिक कारणों से माननीय मंत्री महोदय ने जिलाधीश को आदेश दिया कि यह काम बन्द कर दिया जाये। फिर वहां पर हाहाकार मचा फिर साकी लागू हो गया विवश होकर के जिलाधीश ने फिर काम प्रारम्भ करवाया फिर माननीय मंत्री महोदय का दबाव आ गया मैं भी समझता हूं मंत्री महोदय की लिमिटेशन है। राजनैतिक कारणों से दुबारा भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार ही ऐसा ही हुआ। बार बार काम जिलाधीश प्रारम्भ करावे और ऊपर से उसको रुकवा दिया जावे। लेकिन अन्त में तो मंत्री महोदय के छक्के छूट गये इन्होंने काम जारी रहने देने का आदेश भंग नहीं किया। मजदूरों की संख्या के संबन्ध में जैसलमेर जिले के अन्दर कलेक्टर के कहने के अनुसार 75 हजार मजदूर वहां पर काम पर बताये गये हैं। सवा लाख की जनसंख्या के जिले में 75 हजार मजदूर काम पर लगाना संभव नहीं है। इसके उपरान्त भी सदन में कहा गया कि बाड़मेर जिले के लोग भी वहां आकर लग गये मैं समझता हूं यह असम्भव तो नहीं है लेकिन अत्यन्त कठिन है। ऐसा होता है तो माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं क्यों नहीं राजस्थान केनाल में उन मजदूरों को ले जाकर उस राजस्थान केनाल के काम को प्रगतिशील बनाते। 75 हजार मजदूरों को जब जिलाधीश ने कहा तो उपाध्यक्ष महोदय, यहीं पर मंत्री महोदय ने 82 हजार मजदूरों के लिये कहा और अभी चर्चा के दौरान 85 हजार मजदूर कहे गये। ये तीनों प्रकार के आंकड़े विश्वस्त कैसे हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल के सम्माननीय सदस्य ने कहा कि पचास साठ हजार मजदूर तो कभी काम-पर नहीं थे। यह तो कोमन सेन्स का प्रश्न है इस प्रकार जनसंख्या के अनुपात से जो संख्या बतायी है यह मानने में आ सकती है? इन्होंने यह भी कहा 30 प्रतिशत मजदूरों की संख्या फर्जी है, मस्टर रोल फर्जी भरे जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में तो मुझे व्यक्तिगत कटु अनुभव है उसके आधार पर मैं यह कहता हूं तीस प्रतिशत फर्जी मस्टर रोल का होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

Page No 120

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं और अब भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर बहुमत दल कांग्रेस की सरकार है। आप वैधानिक रूप से सरकार में विराजमान हैं स्वस्थ परम्परा के अनुसार आपका कर्त्तव्य हो जाता है आप सब जनता को समान दृष्टि से देखें। जनता के अन्दर जो भेदभाव करते हैं यह गद्दारी की पराकाष्ठा है। जनतन्त्र में बाड़ा बन्दी की प्रक्रिया भयंकर अपराध है और असहनीय है। आपको जनता को समान दृष्टि से देखना चाहिये अगर कांग्रेस पार्टी या जनसंघ, साम्यवादी पार्टी सब को समान दृष्टि से देखकर सब के साथ समानता का व्यवहार करेंगे तब तो आप सरकार हैं वरना भ्रष्ट अधिनायकवादी व्यवस्था से परिलक्षित व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय, मई और जून के अन्दर जैसलमेर जिले के अन्दर 76 रुपया प्रति क्विन्टल गेहूं का भाव था जिसको बढ़ा कर 97 रुपया प्रति क्विन्टल कर दिया गया। उसी प्रकार माइलो का भाव 56 रुपये से बढ़ाकर 69 रुपया प्रति क्विन्टल कर दिया गया। जब जनता को आवश्यकता सस्ते धान की अधिक थी उस समय भाव बढ़ा दिये गये। इसके अलावा माइलों हमें दूसरे देशों से मुफ्त में मिला उसके ऊपर भी मुनाफा कमाते हैं इससे अधिक भ्रष्टाचार का उदाहरण और क्या हो सकता है ? जब आप मुफ्त में अनुदान के अन्दर माइलो प्राप्त करते हैं आपका पुनीत कर्त्तव्य है कि प्रशासनिक जो व्यय हो उसको लगाकर उसको दिया जाना चाहिये। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जहां आप करोड़ों रुपया अकाल पर व्यय कर रहे हैं वहां पर यदि आप मुफ्त में भी फूड ग्रेन सप्लाई करें तो बहुत उत्तम होगा। इसके बजाय आप उस पर मुनाफा कमाते हैं यह तो एन्टी सोशलिज्म की पराकाष्ठा है और भ्रष्ट अधिनायकवाद की पराकाष्ठा है।

उपाध्यक्ष महोदय, 22 साल की स्वतंत्रता के पश्चात् भी सरकार पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं कर सकी। इस विज्ञान के युग में मैं आपका ध्यान इजराइल की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसलमेर बाड़मेर में खड़ीनों का स्थान है, जहां पर वर्षा होती है तो इन खड़ीनों के अन्दर इतना अधिक अन्न पैदा होता है यानि सैकड़ों मन अनाज पैदा होता है। इजराइल में तो यह खड़ीन की भी व्यवस्था नहीं है वहां पर पश्चिमी राजस्थान के समान क्षेत्र है वहां उन्होंने आज ग्रीन रैवोल्यूशन करके बता दिया। आज यहां पर 22 साल के बाद भी पेय जल की समस्या बनी हुई है। आपको यदि कोई बाधा न हो तो आप भी अपने विशेषज्ञ इजराइल भेजिये। छोटे मोटे राजनतिक कारणों से नहीं भेज सकते मेरे ख्याल से इस प्रकार के छोटे छोटे राजनैतिक कारणों से अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): हमारी इन्दिरा सरकार नाराज है कैसे भेज सकते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नाराज है या नहीं अपने को कहने का अधिकार है आप इजराइल से शिक्षा लीजिए, आप उससे शिक्षा लेंगे तो मुझे विश्वास है 50 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा जो रेगिस्तानी है उस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को राहत मिल सकती है। आज जिस प्रकार की किंकर्त्तव्य विमूढ़ता व्याप्त है उससे जहां भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल रहा है और उसी भ्रष्टाचार से बहुमत बनाया गया है वैसी हालत में कर्मचारियों में कैसे भ्रष्टाचार नहीं होगा। यह तो इस राज्य में सर्व व्यापी हो गया है। और उस भ्रष्टाचार के द्वारा आप कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह बिल्कुल निर्विवादित बात है। गंग केनाल के बनाने में···

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान केनाल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गंग केनाल के बनाने में नौ साल लगे। 22 वर्ष हो गये छोटी सी बीकानेर की रियासत की योजना के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कहां बीकानेर जैसी एक छोटी सी रियासत और कहां महा विशाल राजस्थान फिर भी कहां 9 साल के अन्दर गंग केनाल बना डाली, और कहां आज 22 वर्षों के अन्दर भी राजस्थान केनाल की योजना इतने विशाल साधनों के होते हुए भी आज थोथी ही बनी पड़ी है। आपके कागजों के अन्दर ही है जैसा मैं पहले कह चुका और जैसा माननीय सदस्य राजवी रूपसिंह जी ने सुझाव रखा है कि अगर आपके पास लाख आदमी बेरोजगार हैं तो आप ऐसी व्यवस्था करिये कि लाख आदमी ही राजस्थान केनाल पर लग जावें। यह केवल राजस्थान के ही कल्याण की समस्या नहीं हैं, बल्कि समस्त देश के लिए एक हितकर योजना है। फर्स्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता देने योग्य समस्या है। इसको आप अपना कर आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप की यह सरकार एक निकम्मी और सड़ी गली सरकार कहलाने के योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह फलसूंड और शेरगढ़ की बीच में डिफेन्स रोड के सम्बन्ध में भी सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सरकार ने वहां पर भी अर्थ वर्क की सड़क बनाई, वह भी जो डिफेन्स रोड के पैरेलल बनाई। अभी वृद्धिचन्द जी ने प्रश्नोत्तर काल में पूछा कि इस क्षेत्र में सड़कें बनाई उन पर ग्रेवल कितनी मे आउट की।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि शेरगढ़ में ऐसी कौनसी सड़क बनाई है जो डिफेन्स सड़क के पैरेलल बनी है?

श्री बालसिंह सोढ़ा : शेरगढ़ फलसूंड मणियारणी पैरेलल हैं।

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसका उत्तर नहीं देना है। सम्बन्धित मन्त्री महोदय सुन रहे हैं बीच बीच में बाधा डालने से क्या है? आर्डर प्लीज!

श्री खेतसिंह : उस क्षेत्र का मैं निर्वाचित सदस्य हूं।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): आप काहे को तकलीफ करते हैं, आपने देखा तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं माननीय सदस्य!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सरकार के मन्त्रीगण हैं वे भी अतिशयोक्ति करते

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
के बहुत आदी हैं और बाज बाज असत्य भाषण करने के भी अत्यधिक शौक रखते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप यहां का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिजली का महकमा भी आपका है और आप अन्धेरे में बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिये। हाउस में अन्धेरा करके बैठे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ठीक भाषा इस्तेमाल करिये। आंखों पर पर्दा पड़ गया है क्या उनकी पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर पैरेलल नहीं है समानान्तर नहीं है तो सन्निकट तो है ही। इसके बजाय तो डिफेन्स रोड को चौड़ा बनाते तो लाखों रुपया आपका अपव्यय नहीं होता। यह सेंड तो आंधी और सेंड स्टोन बहकर समाप्त हो जावेगी जो रुपया आपने कच्ची सड़क पर खर्च किया उसको अगर आप पक्की सड़क पर खर्च करते तो वह लाभ होता। उस पर से हैवी व्हिकल जा सकती थी। डिफेन्स की सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत हो सकती थी। पर आपने यह नहीं किया।

ग्रेचूट्स रिलीफ को व्यवस्था भी ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय और उसके अन्दर भी घोटाले हैं। माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं यह तो बहाना बनाते हैं कि लोगों का स्वाभीमान है उनमें क्षमता हैं ग्रेचूट्स रिलीफ को स्वीकार नहीं करते मैं समझता हूं यह केवल मात्र बहाना है। जब केअर और कासा नाम की संस्थाएं वितरण करती हैं चीजें, वस्त्र देती हैं, घास अनाज वस्त्र दवा आदि देती हैं। उनको लोग सधन्यवाद स्वीकार करते हैं और और आपके द्वारा इस प्रकार से....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि किसी ने भी बिना काम के नहीं लिया कासा की तरफ से भी। मुफ्त में खाने वाला उस इलाके में कोई नहीं है। आप अपमान न करें उन लोगों का यह कह कर। उनके होसले बुलन्द हैं। हरामखोरी नहीं करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं वास्तविक स्थिति बीकानेर की क्या है यह मुझे मालूम नहीं है। पर यह कह सकता हूं कि स्वाभिमान के विपरीत है इसलिये ग्रेचूट्स रिलीफ की स्वीकार नहीं करते इसको भी मैं सही नहीं मानता। हालांकि मैं अकेला या किसी के साथ साथ में उस क्षेत्र में कभी नहीं गया। मै गलत होऊं तो आप सुधार दें, आपका आभारी होऊंगा। पर विश्वस्त सूत्रों से मुझे कहा गया है और कासा और केअर की रिपोर्टों को देखने से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि हजारों आदमियों को पौष्टिक वस्तुएं और बच्चों को भी पौष्टिक वस्तुएं वितरित की गई हैं और नित्य प्रति दिन की आवश्यकता की वस्तुएं भी वितरित हुई हैं और उनको सधन्यवाद उन्होंने स्वीकार किया है। जब कासा और केअर की वस्तुएं लोग स्वीकार करते हैं तो राजस्थान सरकार की तो मेरे खयाल में और भी विशेष धन्यवाद के साथ वे स्वीकार करेंगे ऐसी मेरी मान्यता है।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर क्षेत्र के अन्दर जिस तरह से मुख्य मन्त्रीजी दौरा

Page No 123

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करते हैं वह भी मेरे ख्याल मे एक अच्छी व्यवस्था नहीं मैं मानूंगा। एक लम्बी मोटरों की कतार के द्वारा बड़ी शान से जैसे कोई मुगल शहंशाह हों एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पधारते हैं। खास कर जब तक कि लोग दाने दाने को तरसते हैं बेकार है भूख से मर रहे हैं और ऐसी स्थिति के अन्दर वे जाते हैं और जाकर भाषणों में राजा और महाराजाओं को बुरा भला कहते हैं। उनको अधिकार है राजा महाराजाओं को बुरा भला कहें। पर राजा महाराजाओं के राज कितने बड़े थे और आज उनकी तुलना में राजस्थान कितना बड़ा है। मैं मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि तुलना राजस्थान की करनी है तो भूतपूर्व राजाओं और भूतपूर्व नरेशों से न करें तो उनको अधिकार है, पर यह अस्वाभाविक तुलना होगी। यह तुलना ऐसी होगी जो वास्तविकता नहीं रखेगी अगर राजस्थान की तुलना ही करनी है तो अन्य प्रगतिशील राज्यों को भी छोड़िये उनसे न करें, बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि से न करें। पर कम से कम ऐसे राज्यों से तो करें जहां रियासतें थीं और उनके विलीनीकरण से राज्य गठित हुए उदाहरणार्थ जैसे उड़ीसा है, पेप्सू है और गुजरात है जो आज महान् प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। ऐसे राज्यों से आप तुलना क्यों नहीं करते। इसके साथ मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि भूतपूर्व राजाओं के छोटे बड़े राज्य में मेरे ख्याल में आपा–धापी और भ्रष्टाचार नहीं था, इतनी मंहगाई नहीं थी। चीजें सस्ती थीं और खाने पीने की शुद्ध वस्तुएं उनको प्राप्त थीं और गोओं के लिये उपाध्यक्ष महोदय चारा था दूध मिलता था। मेरे क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से खैर, मुझे जो कुछ कहा जाय ठीक है मुझे रावण की संज्ञा भी दी जाय तो भी स्वीकार है लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा हमारे क्षेत्र के गरीब आदिवासी वे आदिवासी कम से कम 60 पर्सेन्ट ऐसे थे जहां पर दूध की व्यवस्था थी। हफ्ते में दो बार छाछ हुआ करती थी। वहां लाल मक्का बहुत होती थी जिसमें छाछ मिलाकर, प्याज पटक कर और नमक डालकर खाते थे जो बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती थी जो कुछ प्रिपरेशन उनकी थी वह हफ्ते में दो दिन में दो दफा 60–65 प्रतिशत आदिवासी उनका सेवन करते थे। वह महान पौष्टिक चीज है। मैंने शौक से खाया है। आज उसके दर्शन दुर्लभ है। आज गोवें खड़ी होने के लिये एक ओड की व्यवस्था नहीं रखी। भूमि का अलाटमेंट करके सबको जमीने दे दी और अधिकांश जो जमीने दी है वह ऐसे लोगों को दी हैं जो आपके पिछलग्गू हैं। जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन पहले से ही है फिर भी उनको अलाट की है और फिर आप कहते हैं भूमिहीनों को अलाट करते हैं, भूमिहीनों को प्राथमिकता देना चाहते हैं कहां हैं, यह आपकी प्राथमिकता ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरे जिले के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करूंगा। आप कहते थे कि भूतपूर्व राजाओं के राज्य के अन्दर दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। मैं आपको निवेदन करूं डूंगरपुर में रहट 64 रुपये में मिलता था, वह लकड़ी का मिलता था वह 15 वर्ष तक चल सकता था, वह काटेज इन्डस्ट्रीज थी क्योंकि रस्सी बनते थे वह भी गांवों में बनते थे और खेड़े बनते थे वह भी गांवों में बनते थे, रहट बनता था वह एक काटेज इन्डस्ट्रीज के रूप में बनता था। उस 64 रु.

Page No 124

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की जगह आज साढ़े सात सो रुपये में आपने लोहे का रहट वितरित किया है। मैं उसका स्वागत करूंगा लेकिन उसके सम्बन्ध में आलोचना किये बिना नहीं रह सकता। उपाध्यक्ष महोदय यह रहट साढ़े सात सौ रुपये में जो वितरित करते हैं–चाहे बेचान करते हैं, चाहे अनुदान के रूप में देते हैं, चाहे कर्ज के रूप में देते हैं। ऐसा का ऐसा रहट 500–550 में मिल सकता है। यह आप जानते है। ऐसा टेण्डर भी आपके पास पहुंचा था लेकिन आपने उसको स्वीकार नहीं किया है। स्वस्थ परम्परा नहीं रखी है। आपने लाइ-परमिट द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया है। उपाध्यक्ष महोदय सन् 1948 से 1968 तक 3500 रहट डूंगरपुर जिले में दिये। 68-69 में 3500 रहट और लगाये। अगर आपने 3500 रहट साढ़े सात सौ के हिसाब से लगाये और 500-550 रु. में मिल सकते थे वैसा ही और उससे अच्छा तो मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 60 लाख रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है–3500 रहटों पर।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह सरकार का प्रावधान है कि दो हजार और लगाये। मैं अभी से चेतावनी देता हूं अगर आपने साढ़े सात सौ प्रति रहट के हिसाब से खरीदा तो भ्रष्टाचार चार लाख का और होगा। दो सौ रुपये प्रति रहट के हिसाब से दो हजार पर कितना होता है आप स्वयं इस बारे में गिनती करके देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान के द्वारा आप रहटों को देते हैं उनके अन्दर मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप उन गरीब आदिवासियों को कहते हैं नसबन्दी कराओ या एक-दो नस बन्दी वालों को लावो तो हम तुम्हें अनुदान के रूप से रहट देंगे। मैं इसका विरोध नहीं करता–मेरे ख्याल से हमारे जिले में जनसंख्या बढ़ गई तो आप स्वस्थ प्रचार के द्वारा नसबन्दी के प्रचार को बढ़ाते हैं तो मैं आपका स्वागत करता। उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक दफा भी नसबन्दी का विरोध नहीं किया है। लेकिन इस तरह भ्रष्टाचार और प्रलोभन देकर करना अच्छी बात नहीं है। आप कहते हैं नसबन्दी के लिये अपने एक-दो रिश्तेदारों को लावो तो तुमको हम अनुदान के रूप में रहट देंगे, यह कतई अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी निन्दा करता हूं।

हमारे जिले के अन्दर दुष्काल तो है ही लेकिन दो महाकाल भी पड़ने वाले हैं। ये दो महाकाल क्या है? एक तो पापूलेशन एक्सप्लोईटेशन दूसरा कड़ाना डेम। अगर यह कड़ाना डेम बनता है–इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आदिवासी बहुत चिन्तित है। अगर कड़ाना डेम बनता है तो गुजरात को लाभ मिलेगा। राजस्थान को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आदिवासियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा, आदिवासियों की बरबादी है–यह महाकाल है। दूसरा महाकाल जन-संख्या का विस्फोट है। माननीय मंत्री महोदया, डूंगरपुर में आई और बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं उपस्थित भी हुआ लेकिन उन्होंने जो भाषण के अन्दर अपनी भावना व्यक्त की वह कहीं सौ कोस परे है और जो क्रियान्विति दी जा रही है वह मेरे ख्याल से सौ कोस पूरब में है और उनकी विचार धारा सौ कोस पश्चिम है।

सिंचाई के सम्बन्ध में भी दुष्काल का अगर कोई न कोई विकल्प सोचना है तो मैं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

निवेदन करूं सिंचित भूमि 9 हजार एकड़ भूमि सन् 1964 में थी वह उठाकर 67-68 में आपने 13 हजार एकड़ कर दी। 4-5 एकड़ बढ़ाई, यह प्रगति है लेकिन यह अपर्याप्त है। यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर आपने 4 या 5 हजार एकड़ सिंचित भूमि में वृद्धि की है तो मेरे ख्याल में नगण्य है और प्रशंसनीय उसको नहीं कह सकते हैं।

इसके साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपुर उनके अन्दर सिंचाई की जो व्यवस्था है वह पक्षपात पूर्ण है। सब से कम आसपुर में है, वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां सिंचाई सब से कम है। सब से ज्यादा सिंचाई का काम हुआ है तो माननीय भीखाभाई के क्षेत्र में हुआ है। खैर, वे सरकार के मंत्री हैं, सरकार के बड़े आदमी हैं, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। आप भीखाभाई के क्षेत्र को अधिक से अधिक सींचे। योजना वहां पर लागू करके बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करें लेकिन आसपुर की आवश्यकता को भी अवश्य ध्यान में रखें और आसपुर के वर्षा के जो आंकड़े हैं–आसपुर की रेन-फाल को देखेंगे तो सब से कम पानी वहां पड़ा है और सब से कम सिंचाई की व्यवस्था आपने वहां पर की है तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जंगल हमारे जिले के अन्दर सब कट चुके हैं। घास के बीड़ बिलकुल हमारे जिले के अन्दर नहीं रहे हैं और यह जंगल कटने के पश्चात् लगातार दुष्काल पड़ रहे हैं। पहले बाढ़ आई। यही का यही पूर्वी राजस्थान में हो रहा है। बूंदी, कोटा आदि के अन्दर जो सघन जंगल हैं वह भी कट रहे हैं और कटने के साथ ही साथ वहां पर बाढ़ें आ रही हैं और जंगल कट जाने के बाद जो डूंगरपुर की दुर्दशा हुई है वही की वही इस क्षेत्र की भी दुर्दशा करायेंगे। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप जंगलों को संरक्षण दें। अगर आप जंगलों को संरक्षण नहीं देंगे तो फिर करोड़ों रुपया आप खर्च करेंगे तब भी आपकी क्षमता नहीं है कि इस जनता को भुखमरी से और इस दुर्दशा से बचा सकें।

और कोई व्यवस्था भी मेरे जिले में नहीं है। वहां पर और क्या हो सकता है? केवल मात्र या तो खनिज व्यवस्था के द्वारा कुछ न कुछ रूप में लोगों का गुजारा हो सकता है या फिर आप कोई न कोई सिंचाई तालाबों और कुओं के द्वारा करा सकें तो कुछ न कुछ आप हमारे आदिवासी क्षेत्र का भला कर सकते हैं वर्ना आज तो अहमदाबाद में भी कई मिलें ठप्प हो गयीं, वहां पर भी रिसेसन हो गया और वहां भी जो आदिवासी हजारों की संख्या में मिलों में काम कर रहे थे वह भी वापिस जिलों में आकर बेकार बिलकुल बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय यह हजारों आदमी जो भुखमरी में बैठे हुए हैं किंकर्तव्य-विमूढ़ होकर तो यह भुखमरी रंग लाये बिना नहीं रह सकती।

(4.31 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

दुष्काल के अन्दर भारी पक्षपात के मैं उदाहरण दूंगा। मैं यह कहने के लिए बिलकुल तैयार हूं जैसा कि माननीय जन-

Page No 126

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

संघ के नेता ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं हमारे यहां के जिलाधीश महोदय हैं वह निष्पक्ष हैं लेकिन वे विवश हैं। उनके साथ बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि सहयोग की भावना नही रखते। वह अपनी स्वार्थ सिद्धि के अन्दर मशगूल हैं तो ऐसी स्थिति में सौ आदमियों में अगर 95 आदमी भ्रष्टाचारी हों और 5 अच्छे हों तो 5 अच्छों से भी कुछ भला नहीं हो सकता। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं और करोड़ों रुपये खर्च करने के पश्चात् जिस जिले की हालत समस्त राजस्थान में सबसे ज्यादा गिरी हुई है, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जिस जिले के लोग 24 घन्टे में हजारों की संख्या में एक ही दफा खाना प्राप्त कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से यह आपकी योजना कोई सफल योजना नहीं है। यह करोड़ों रुपया आपने जो खर्च किया है जन संख्या के अनुपात से शायद राजस्थान में किसी क्षेत्र में आपने इतना नहीं किया होगा खर्च तब भी यह परिस्थिति क्यों है? इसका ज्वलंत उदाहरण यही हो सकता है कि आधे पैसे कर्मचारीगण खा जाते हैं, आधे पैसे मेट गरीब खा जाते हैं और आधा पैसा सदुपयोग में लगते हैं। बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि जहां विकास कार्य नगण्य हैं और कुछ एक ऐसी हैं कि जहां बीस वर्ष के पश्चात् कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने बराबर जिलाधीश महोदय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अनुभव किया कि मेरा कथन ठीक है। उन्होंने व्यवस्था की लेकिन उस व्यवस्था की पाबन्दी करने के लिए भी कर्मचारीगण तैयार नहीं हैं। यह भी एक सोचने की स्थिति है और वहां के लोग और कांग्रेसी नेता कहते हैं कि क्षेत्रीय एम. एल. ए. के पास जाओ तो महारावल साहब करा देंगे। तो मैं क्या करा सकता हूं? अध्यक्ष साहब आपकी गांठ से पैसा खर्च नहीं होता है। आपकी सरकार दिल्ली से लेती है। करोड़ों रुपया आपका आता है और वह आप खर्च करते हैं, अपना कर्तव्य समझकर खर्च करते हैं और उसके मुकाबले में तो मेरे ख्याल में जो माननीय मुख्य मंत्री जी इन राजाओं को और भूतपूर्व राजाओं को-वह तो सब आज नागरिक हैं उनको कोसते हैं तो वह भी बेचारे उनकी हैसियत के मुताबिक-बीकानेर के महाराजा ने घास के बांटने की व्यवस्था की, महारानी गायत्री देवी ने अन्न देने की व्यवस्था की, महाराजा किशनगढ़ ने बाढ़ आई गई साल तो आपके कर्मचारीगण तो कमरों में मौज से सोये हुए थे और उन्होंने घर घर जाकर जो भी जन-सेवा करनी थी उनसे बन पायी वह की। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि कम से कम यह प्रचार और अभद्र प्रचार कि एम. एल. ए. सब कुछ करा देगा तो एम. एल. ए. के पास भी कुछ नहीं है और आपके पास भी कुछ नहीं है। एक व्यवस्था है शासन की और वैधानिक व्यवस्था है उसके द्वारा आपको धन प्राप्त होता है और उसको आप लगाते हैं।

मस्टर रोल फार्म्स के संबंध में भी मैं सभापति महोदय यह निवेदन करूंगा कि मैं भी कई जगह गया। मेरे आदमियों को भी मैंने कई जगह भेजा और विश्वस्त सूत्र से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि कई जगह मस्टर रोल फार्म नहीं भरे जाते हैं। मनफोर करके एक छोटा सा गांव है। वहां पर एक तालाब बन रहा है। मुझे कहा गया कि वहां पर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

800 आदमी काम कर रहे हैं। मैंने वहां स्वयं जाकर देखा 400 आदमी वहां पर काम कर रहे थे। मैंने पूछा कि मस्टर रोल फार्म कहां है तो मुझे यह उत्तर मिला कि मस्टर रोल फार्म यहां नहीं हैं। तो मैंने कहा कि क्या आधार है यहां नहीं रहने के तो मुझे उत्तर मिला कि यहां तो कच्चे मस्टर रोल हैं। तो मैंने कहा कि यह कच्चे और पक्के मस्टर रोल फार्म क्या हैं तो उन्होंने कहा कि पक्के तो दो मील दूर हैं। कच्चे मस्टर रोल फार्म की नकल पक्के मस्टर रोल में उतार की जाती है। मुझे यह व्यवस्था गलत लगी और आपको सोचना चाहिए कि यह कच्चे और पक्के मस्टर रोल फार्म क्या हैं? इसके बारे में आप दरयाफ्त कीजिए।

सभापति महोदय, एक मजदूर को 1॥ रुपया रोज मजदूरी मिलती है और 15 दिन के हिसाब से एक मजदूर को 22॥ रुपया होती है। मैंने सुना है कि जैसलमेर में 10 रुपया, 12 रुपया और 14 रुपया का पेमेन्ट होता है, इसी क्षेत्र में 15 और 17 रुपये का पेमेन्ट हुआ है और उनको यह कहा जाता है कि जब यह उजरत वितरित होती है तो वहां पर भ्रष्टाचार की दुकान लगती है, छोटे मोटे व्यापारी आते हैं और वितरित करने वाले कर्मचारी सरपंच या दूसरों के घरों में जाकर खाट पर सोते रहते हैं और 11 बजे से पेमेन्ट बांटना शुरू होता है तो रात के 2 बजे तक पेमेन्ट होता है। मजदूर हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं और उजरत समय पर नहीं मिलती। 15 दिन में भी मिल जाये तो भी मुझे शिकायत नहीं लेकिन 15 दिन में भी वितरित नहीं होती। यह भी मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है और फिर इस सौदागिरी के दौरान में उनको यह कहा जाता है कि यह तो लेप्स फार्म है। एक तो कच्चे मस्टर रोल और दूसरे लेप्स फार्म हैं। अब यह लेप्स फार्म क्या हुआ? हमारे यहां पेरामाउन्टी लेप्स तो होता था लेकिन आज तो मजदूरों की उजरत लेप्स होने लगी। तो यह लेप्स फार्म क्या चीज है इसके बारे में मैं आशा करता हूं कि आप स्पष्ट करेंगे कि और यह भी मुझे आशंका है कि यह चीज साबित होनी बहुत कठिन है लेकिन आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि थम्ब इम्प्रेशन याने अंगूठे का निशान एक ही आदमी ने आठ-आठ और दस-दस जगह करके मजदूरी प्राप्त कर ली और जेब में वह रुपया चला जाता है। यह चीज भी आपको गम्भीरता पूर्वक विचार करनी चाहिए और कम से कम दो चार आदमी पकड़े जायें तो उनको आप सजा कीजिए और कुछ न कुछ तो कीजिए। अगर आप कोई सजा ही नहीं देते हैं तो यह भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा और आपके काबू के बाहर हो जायेगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह ग्लोरिफाइड और सेटल्ड करप्शन है और यह ग्लोरिफाइड एण्ड सेटल्ड करप्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और यह मेरे ख्याल में जनता को तो लेकर डूबेगा ही लेकिन उसके पहले आपको भी लेकर डूबेगा।

सभापति महोदय, गाड़ियों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर फी गाड़ी का रेट 6 और 8 रुपया है। 6 और 8 रुपया एक जमाने में आज से 10 वर्ष पहले पर्याप्त था, लेकिन आज जहां पर 20 रु० प्रति क्विन्टल घास मिलना कठिन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
हैं वहां पर 6 रु0 और 8 रु0 प्रति दिन का किराया गाड़ी वालों को देकर उन बैलों को जिन्दा रखना चाहते हैं तो यह कैसे सम्भव हो सकता है, आप ही विचार करिये। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि गाडियों का जो किराया 10 और 12 रुपया प्रति दिन कायम करें और लेप्स फार्म के सम्बन्ध में आप विचार करिये।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय का समय हो रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपको क्या है ?

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : यह जरूरी नहीं है कि आप ही बोलते रहें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर इस सदन में कोई महत्वपूर्ण विषय जिसमें विरोधी पक्ष को कहने का अधिकार था तो यह दुष्काल की स्थिति है। इस दुष्काल की स्थिति आपने फेग एण्ड आफ दी सेशन में डाला, और आज जब हमको मौका मिला तो माननीय सदस्य जो पाली से आये हैं वे चाहते हैं कि हम बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जायें।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हम यह कह रहे हैं कि अकाल की स्थिति पर हमको भी बोलना है इसलिए ज्यादा समय बढ़ाया जाय। हमारी आपके साथ सहमति है ताकि हम लोगों को भी जो अकाल के क्षेत्र से आये हैं अपनी बात कहने का मौका मिले।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पंडितजी महाराज, धन्यवाद। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी समाप्त करने वाला हूं, लेकिन आपको भी मेरे खयाल में हमको मौका देना चाहिये शान्ति से सुनने के लिए। हमको भी अधिकार है बोलने का। उस अधिकार का हम उपयोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : ये तो आदत से लाचार हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय एक तालाव के सम्बन्ध में सिर्फ 5 मिनिट के लिये दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। गये साल जब डूंगरपुर में 24 घन्टों के अन्दर 15-16 इंच बारिश जैसी कि सवाई माधोपुर और कोटा आदि में इस साल हुई है। उस समय चूण्डावारा का एक तालाव है वह भर गया। यह 70 वर्ष का पुराना तालाव है और वह टूटने की स्थिति में आ गया। अगर वह टूटता तो रेलवे कालनी रेलवे स्टेशन रेलवे पटरी और दो-चार गांव भी बह जाते और जो कीमती जमीन थी वह बहकर वहां पर कंकड़ और रेत हो जाती। उसका कारण मैं आपको बताऊं। चूण्डवारा के ऊपर दो छोटे छोटे तालाव हैं। एक तालाब का नाम डबकी और दूसरे का नाम भरवा। ये दोनों तालाब अभी बनवाये गये हैं। डबकी तालाब की स्थिति यह है कि वह हर साल बनता है और हर साल फूटता है। जब बाढ़ आई तो डबकी और भरवा दोनों तालाब जो नव-निर्मित थे वे दोनों फूटे हैं, और दोनों का पानी इकट्ठा होकर व चूण्डावारा के अन्दर आया तो यह स्थिति हो गई कि वह फूटता फूटता बचा। तो कम से कम आपको यह विचार करना चाहिए। मैंने जिलाधीश को भी कहा कि अगर यह डबकी और भरवा के तालाबों का पुनर्निर्माण होता है तो उनको पुख्ता रूप से बनायें। अगर

(श्री नत्थी सिंह)

पुख्ता रूप से नहीं बनाते हैं और वन-महोत्सव की तरह हर साल बनाते हैं और हर साल फूटता रहे यह व्यवस्था होती है तो मेरे ख्याल से चूण्डावारा का तालाब फूटेगा और उससे जनता का बहुत बडा अहित होगा। यही मेरा आपको निवेदन करना है और इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, अगर आप राहत कार्यों को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं तो, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निजी स्वार्थ तो तनिक मात्र भी नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ मान्यता एम. एल. ए. की राय की भी होनी चाहिये, और उस क्षेत्र में आपको कोई न कोई समिति का गठन भी करना है तो उस समिति का गठन करिये। उस समिति के गठन के पश्चात् समिति के सुझाव जो हों, अगर आप उनसे असहमत हों तो तत्काल ही आप कह दें कि यह ठीक नहीं है, और अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो समिति के सुझावों को आप कागजों में 10 दफा स्वीकार करें और क्रियान्वित एक भी दफा नहीं करें तो इससे क्या फायदा है? अगर आप समिति बनाते है, अगर वह समिति सुझाव देती है, अगर वे सुझाव आपको ठीक लगते हैं तो आप उनको स्वीकार करके उनको क्रियान्विति दी जाय। अगर आप क्रियान्विति नहीं देते हैं तो जिस तरह से बाढ खेत को खाती है और खाती आ रही है उसी तरह से आप भी करें।

श्री नत्थीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे दल की ओर से अकाल की स्थिति पर आज तक कोई भी नहीं बोला है और दल की ओर से बोल लिये हैं......

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर!

श्री नत्थीसिंह : मेरे ख्याल में हमारे दल की ओर से इनको बोलने का मौका दिया जाय। अगर मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो क्या जवाब देंगे?

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर!

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हमें भी अपनी बात कहना है। हमारे यहां भी अकाल पडा हुआ है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर! मुख्य मंत्री जी डिबेट में इन्टरवीन कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन्टरवीन करें या न करें। बात यह है कि मुख्य मन्त्रीजी ने तमाम दलों की बातें सुनी हैं और हमारे दल को मौका नहीं मिला है। मैंने परसों भी निवेदन किया था और पहले भी किया है कि ये अकाल पर बोलेंगे हमारी तरफ से और इनको मौका नहीं दिया जाय और माननीय मुख्य मन्त्री जी पहले बोल जायं और हमारा तो सबसे ज्यादा अकाल-पीड़ित इलाका है उसके बारे में वे निवेदन करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हीराभाई को मौका दें उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी बोलें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां सवाई

Page No 130

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
माधोपुर जिले में 478 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हुए हैं, लेकिन, सभापति महोदय, सदन को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे स्वयं के क्षेत्र में कोई अकाल-राहत-कार्य नहीं किये गये। वहां पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।

श्री सभापति : श्री हीराभाई !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सभापति महोदय, हमारे यहां पर करीब करीब 478 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हुए हैं और उसमें जन संख्या जो प्रभावित हुई है वह 2,80,542 है। उन 478 गांवों में से और चुन्नीलाल जी के क्षेत्र के 140 गांव प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले गये साल सितम्बर के महीने में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उसके बाद में बारिश नहीं हुई। इस कारण से 140 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हुए हैं, और इस सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां पर एक भी रुपये का काम नहीं हुआ है।

ये कहते हैं कि राजनैतिक आधार पर कार्य नहीं हुए। कलेक्टर के पास तहसील ने सिफारिशें करके दिसम्बर और जनवरी में ही भेज दी थीं लेकिन कलेक्टर साहब सब को दाबे हुए बैठे रहे। उन पर कोई आदेश नहीं दिया। जिला समिति की एक भी मीटिंग नहीं बुलाई और हमको कहते रहे कि फण्ड्स ऊपर से नहीं आए हैं। फण्ड्स आये तो कहां से क्योंकि उन्होंने मांग ही नहीं की और कागजों को दबाये हुये बैठे रहे, और जब फण्ड्स आये तो 25 लाख रुपये सीमेंट फैक्ट्री को दे दिये। करीब 500 गांव अकाल-ग्रस्त घोषित हुये हैं उनमें से 140 गांव केवल दो विधान सभाइयों के क्षेत्र में घोषित किये गये जो कि विरोधी पक्ष के सदस्य हैं। एक तो मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में और एक चुन्नीलाल जी के क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं किया। वहां की जनता मध्य-प्रदेश और कोटा जिले में गई या जो रेलवे का काम हो रहा था वहां पर गई। हमने जिलाधीश को कहा, लेकिन कोई काम इन दोनों क्षेत्रों में नहीं किया गया इसलिए हमारे जिले में कोई बेईमानी नहीं हुई। क्योंकि न काम हुआ और न बेईमानी हुई।

(4.46 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.) : हमारे चाकसू क्षेत्र के सम्बन्ध में केवल यह कहना चाहूंगा कि इसका उत्तर देने के लिए....

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा हीराभाई को काल कर लिया गया।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात छिपी हुई नहीं है कि आज से पहले की जमाने की बात को लेकर चलें तो उस टाइम पर कई तरह की अव्यवस्थाएं रही हैं और अकाल पड़े हैं, लेकिन उस टाइम में 10-15 साल होने के पश्चात् आस-पास में पड़ता था बीच में नहीं पड़ता था, लेकिन 50 से 69 तक तो अकाल ही अकाल है। उसके लिए हमारी सरकार का सुझाव भी आया है और विभिन्न दलों के लोगों ने और वैज्ञानिकों ने भी सुझाव दिये हैं कि किसी तरह से स्थाई

(श्री हीराभाई)

हल जो हैं अकाल का किया जाय। लेकिन आज मेरी समझ में नहीं आता और वह इसलिए कि अगर अकाल की समस्या को स्थाई रूप से खत्म कर दें तो हो सकता है लोग जो आज भिखमंगों की तरह से नेताओं के पीछे फिरते रहते हैं वे इस तरह से न फिरें। इसलिए हमारे देश में अकाल जो है वह सवार बनकर बैठा है...... और हमारी सरकार जो यह कहावत है कि "जब टट्टी आवे तो लोटा ढूंढा जाएगा"। तो लोटा मिलेगा तब टट्टी जावेंगे। इस तरह से जब अकाल होता है तो किसी भी तरह से अकाल को हमेशा के लिए दूर करें यह नहीं करते हैं। यह गलत है। मैं कांग्रेस वालों का समर्थन नहीं करता हूं। उनकी बुद्धि तो पहले ही मर चुकी है। भ्रष्टाचार में डूब गये हैं। वहां क्या स्थिति हो गई है। यह भी लेकर चलते हैं कि हमारे पास टैक्नीकल आदमी नहीं हैं। जितने भी काम स्थायी रूप से होने चाहिए वह होने के लिये उन्होंने हजारों मजदूरों को ऐसे ही भटकाया है। इस कारण से कई प्रान्तों में जाकर वह जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अगर अकाल को दूर करना है। पिछली व्यवस्था की बाद में जिक्र करूंगा। ऐसे इलाके हैं, जहां एक इलाके में वर्षा हुई है और एक में नहीं हुई है। कितना भयंकर अकाल है। किसी भी प्रकार से अकाल का निवारण करने के लिये जुट जाना चाहिए। तभी यह दूर हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार मार्च-अप्रेल में जाकर सोचेगी। सरकार 50-60 प्रतिशत सिंचाई पर खर्च करे तो हमेशा के लिए अकाल दूर हो सकता है। लेकिन आज से उस मामले में जुट जायें तब तो कुछ व्यवस्था हो सकती है। अकाल दूर करने के लिए, अन्यथा नहीं हो सकता है। आज यह है कि अगर वह जाएगा कोई उनका टैक्निकल कर्मचारी है वह बात करके चलेगा कि 1 मील से 2 मील में 500 से ज्यादा मनुष्य नहीं लगायेंगे। कितनी भयानक स्थिति पैदा हो गई है। ज्यादा से ज्यादा मजदूर जायेगा वह मना करेंगे। नहीं तो निर्माण कार्य सही ढंग से हो सकता है। इन अकाल की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसलिए स्थायी रूप से योजना का 60 प्रतिशत रुपया अभी से सिंचाई और दूसरे कामों में करेंगे तभी होगा। आप कहेंगे जैसलमेर, बाड़मेर में तालाब नहीं बनेगा। कुंआ नहीं बनेगा। लेकिन यह हो सकता है। क्या राजस्थान नहर नहीं लाई जा सकती है। लायी जा सकती है। यह करना नहीं है उनको अगर करना होता तो, भ्रष्टाचार करेंगे। आप यह मान कर चलें कि 75 प्रतिशत किसी भी तरह से साधनों की व्यवस्था करेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : अभी भूमिका ही बन पाई है।

श्री नत्थीसिंह : अभी तो बोले ही हैं। अध्यक्ष महोदय, आप यह मानकर चलेंगे, हमारे एक बांसवाडे का उदाहरण आपके सामने रखूंगा। आप देखेंगे बांसवाडा और भीलवाड़ा बराबर के शब्द दोनों है। बहुत ही कम फर्क करीब करीब है। लेकिन भीलवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया गया है। वहां नहरें चल रहीं हैं। लेकिन डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कुछ नहीं लगा। वहां के सिंचाई मंत्री हैं। इसलिए उनके

(श्री नत्थीसिंह)

बारे में क्या कहूं। जो अधिकारी हैं, वह कर लेते हैं। हमारा कोई मन्त्री नहीं है। मन्त्री है तो भीखाभाई है। वह पड़ाड खुदवाने की बात कहेगा। उससे कोई भला होता नहीं है। वहां 1 लाख 19 या 20 हजार मजदूर बांसवाडा में मजदूरी करते हैं। 10-20 हजार मजदूर मध्यप्रदेश और गुजरात में जाकर काम करते हैं। कड़ाना डैम पर जाकर काम किया है। नाथूलाल जी वहां के एम. एल. ए. हैं। वहां पर 8 आदमी दब कर मर गये। उनको गुजरात सरकार ने पता नहीं अब तक कुछ दिया है या नहीं दिया है। यह खुद हमारी सरकार का नारा था सिंचाई पर खर्च करने का। सडकों और पुलों का काम नहीं उठाया जाएगा। जब यह चलता है तो कहते हैं कि हमारे पास इंजीनियर नहीं हैं। भुखमरी है। वह एक मजदूर को खबर नहीं कर सके। आज उनके पास सर्वे नहीं। उनके पास प्लान नहीं। किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है। वहां बहाने बाजियां करके टालमटोल करते हैं। वहां के इंजीनियर आयेंगे। अगर ठेका देने का काम होगा तो करेंगे। रिलीफ के काम को नाकाबिल घोषित करते हैं। बांसवाडा में सडक 200-300 मील तक पक्की रोड की है। वह वैसे ही पडी है। सुखाडिया साहब के कारनामे ऐसे हैं। शायद 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। उनकी बुद्धि ऐसी ही हो गई है जैसी 60 साल वालों की हो जाती है। बुद्धि चली जाती है। वैसे ही उनकी बुद्धि चली गई है। अध्यक्ष महोदय, सुखाडिया साहब का वहां पर प्रोग्राम हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि 60 साल वालों की बुद्धि चली जाती है। कई माननीय सदस्य इस आयु के हैं और बड़ी ऊंची बुद्धि के हैं। इस बात को वापिस ले लें। इस बात को हटा दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह देखो या नहीं। यह मुझ पर भी लागू होता है, एक हद तक, यह ठीक भी है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो अभी दो साल पीछे हूं। डा. अम्बालाल जी एम. एल. ए. 70 वर्ष के हैं।

श्री हीराभाई : मैं यह आशा लेकर चल रहा हूं कि सुखाडिया साहब आयेंगे। जो योजना बताई गई, उसको फाइनल करेंगे और सुचारू व्यवस्था कर जायेंगे। हम क्या आपको काले झण्डे नहीं बताते? यह भूल से न समझ लें। हम में वह हिम्मत है लेकिन अकाल का दौरा हम समझ रहे थे, मुख्य मंत्री का यह अकाल का दौरा है। तो अकाल का दौरा हुआ...

(5 म.प.)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मैं सदन की अनुमति से सदन का समय एक घण्टे के लिए अभी फिलहाल बढ़ाता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी पर डिबेट के लिए या बाकी के आइटम्स पर डिबेट के लिए?

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे के लिए।

श्री हीराभाई : कम से कम नवाबों के साथ जितनी फौज नहीं होती थी उससे ज्यादा आपके साथ थी। पच्चीस-तीस गाड़ियां आगे पीछे चल रहीं थीं अकाल के समय में, पुलिस के जवानों की गाड़ियां थी, एस.पी. डी. एस.

(श्री हीरा भाई)

पी. इन्सपेक्टर, एस.डी. ओ., इंजीनियर और कलेक्टर–जितने आफिसरों को लेकर वह घूम रहे थे, लगता या जैसे कोई नवाब या राजा की बरात जा रही थी। वहां जाकर कहते हैं–कहां गये तुम्हारे मामाजी ? मामाजी ! अब देखो, क्या कहते हैं–कहां गये लाल टोपी वाले ? जहां अकाल राहत कार्य में मजदूर काम कर रहे थे· · · ·

श्री रामकिशन : यह जगह जगह कहते रहे हैं।

श्री हीरा भाई : वहां यह बार बार कहते रहे हैं हर जगह जाकर यह बात कहते रहे हैं। यह कहते कहते क्या कहते हैं–आपको पता फिर है कि यह कांग्रेस सरकार दे रही है। सरकार दे रही है–यह कहते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता क्योंकि सरकार की यह जिम्मेदारी है। लेकिन यह कहें कि कांग्रेस दे रही है तो कांग्रेस में जो हैं, क्या सुखाड़िया जी को पता है उन्होंने एक आध रुपया दिया है ? यह पैसा क्या आपका है ? जैसे किसी मौसर में एक आदमी को मांडा परोसने को कहा जाय तो वह कहे कि सभी मेरा है, उसी तरह से हम आपको समझते हैं कि आप रोटी परोसोगे, आप रोटी परोसने वाले हैं, रोटी बांटने के लिऐ हम आपको नियुक्त करते हैं, हम आपको उसी तरह मानते हैं, लेकिन रोटी परोसने वाला यह कहने लगा कि मालिक मैं हो गया, यह तमाम व्यवस्था है यह सभी मेरी है। यह बात दुनियां में कौन मानेगा ? जो अनपढ़ है, भील हैं मेरी जाति के वह तो हो सकते है, वह आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन फार्वर्ड लोग नहीं मानेंगे। तो सुखाड़िया साहब, यह आप अंधेरी राजनीति अकाल के अन्दर मत चलाईये। वैसे मैं कहता हूं कि आप राजनीति चलाओ, हजार साल तक चलाओ–उसमें मुझे ऐतराज नहीं है लेकिन अंधेरे में अपनी राजनीति चलाओ, उसकी भी एक सीमा होती है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह जाकर कहें · ·

श्री रामकिशन : यह जगह जगह कही है। मुख्य मंत्री जी, इससे बडा दर्द होता है।

श्री हीरा भाई : और अंधेरी राजनीति चलायें, लेकिन · · ·

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री हीरा भाई : सुखाड़िया साहब, यह ठीक नहीं है कि दस-दस बीस-बीस मील दूर से मजदूरों को बुलायें और बुला कर, जो एक ठेकेदार खादी भंडार का आपके साथ रहता है और गाडी में सफेद टोपी रखता है और वहां पर आप कहते हैं कि सफेद टोपी लगाओ, सफेद टोपी लगाने से ही काम मिल सकता है। लाल टोपी लगाने वालों को आगाह कर दें कि लाल टोपी लगाओगे तो कभी काम नहीं चलेगा। तमाम कांग्रेस के मेम्बर हो जाओ और सफेद टोपी लगाओगे तभी काम चलेगा वरना काम बन्द कर देंगे। वहां के लोग गरीब हैं और भूख से मरने बैठे हैं उन अकाल ग्रस्त गांवों में जाकर कहे कि सफेद टोपी लगाओ, लाल नहीं, तो उन्होंने सफेद टोपी ले ली और सब के सब सफेद टोपी लगा कर बगुले बन गये। सबके सफेद टोपी लगा दी। अकाल कार्य में यह पार्टी बाजी देख कर मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि मेरी जाति के भील हैं, जहां दूसरी जगह हजारों का भ्रष्टाचार करते हैं, या पांच का

(श्री हीरा भाई)

करते हैं तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन यहां तो एक पाई का कोई भ्रष्टाचार करता है या रिश्वत खाता है तो उसको मैं अपराध मानता हूं। इसलिए मेरी जाति के लोगों को इन्होंने सफेद टोपी लगाई या कांग्रेसी बनाया तो उसका मुझे ऐतराज और परवाह नहीं है लेकिन लोगों को इन्होंने मिस्त्री बनाया। कोई मिस्त्री का वह काम नहीं जानते लेकिन सफेद टोपी लगा कर मेढ़, मिस्त्री और सुपरवाइजर बना दिया। कांग्रेस का जब तक इकरारनामा नहीं लिखोगे तब तक मजदूरी पर नहीं लिये जाओगे। ऐसे कई आदमियों को निकाल दिया हैं। कम से कम सैंकडों आदियों को निकाल दिया है मैंने कलेक्टर के पास जाकर शिकायत की तो उसके अधिकारी ने जाकर लोगों को वापिस काम पर लगाया। इस तरह की हवा पैदा की है हमारे सुखाडिया साहब और जोशी साहब ने। ऐसी राजनीति अकाल के काम में करना, मैं समझता हूं, मानवता के खिलाफ है। ऐसी राजनीति भविष्य में टिक नहीं सकती है। इससे आपको खतरा है। इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और बताता हूं, कुछ मजदूरों को बांसवाडा में सिर्फ इन कांग्रेस के लोगों ने होटल में बैठाया, होटल में बैठा या घर में नहीं लेकिन उनका नाम मस्टर रोल में चल रहा है। एक कांग्रेस के व्यक्ति जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनका दस मस्टर रोल में नाम पकडा मेडबन्दी में अलग, वहां भी अलग। उसकी शिकायत की एस. डी. ओ. को हो सकता था वहां का एस. डी. ओ. जाकर कार्यवाही करता, परन्तु तत्काल जोशी जो ने उसका तबादला कराया। यह चार्ज लगाया कि एस. डी. ओ. सोशलिस्ट लोगों से मिला हुआ है। हमको एस. डी. ओ. और कलेक्टर से क्या मतलब है लेकिन कह दिया कि मिला हुआ है और उसका तबादला करके एक अपना मनमाना आदमी वहां भेज दिया और इस प्रकार उसने सारी की सारी कार्यवाही रद्दी की टोकरी में डाल दी। जितने कांग्रेस के अलावा और लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार हैं कि कोई भी मजदूर पेशाब करने जाय तो तत्काल उसकी एबसेन्ट लगादी जाती है। जब मेजरमेंट का सवाल होता है तो पन्द्रह बीस दिन में एक दिन जाकर मेजरमेन्ट करवाया जाता है, एक जगह जहां दो हजार आदमी वर्क पर काम कर रहे हैं, वहां जाकर एक दिन ओवरसियर एक खन्दी देख लेगा, आस पास में थोडा देख लेगा और अन्दाज लगाकर मेजरमेंट लगायेगा। जो शराब पिलायेगा, जो मुर्गी खिलायेगा, जो रिश्वत में प्रत्येक मेम्बर के हिसाब से एक एक रुपया निकालेगा तब जाकर जो डेढ़ रुपये का, सवा रुपये का और एक रुपये का प्रावधान रखा है वह देगा, नहीं तो उनको किसी तरह देने के लिए तैयार नहीं होगा। जिन लोगों के पास देने की गुन्जाइश नहीं है उनके सम्बन्ध में मेजरमेंट अपने मनमाने ढंग से लगायेगा और बीस पैसे, तीस पैसे के हिसाब से पेमेन्ट किया जायेगा। इसी तरह बेलगाडी का मामला है। यह ताज्जुब की बात है, एक बैलगाड़ी एक दिन में एक हजार ईंट ला सकती है। एक हजार ईंट एक बैलगाड़ी ला सकती है लेकिन वहां पर गधे लगाये है ईंट ले जाने के लिए और बैलगाड़ी को बन्द कर दिया। जहां बारह रुपये बेलगाड़ी के लिए लगेंगे, उसको तो बन्द कर दिया और गधे लगा दिये और एक हजार ईंट के लिए पैंतीस रुपये का पेमेन्ट किया ....

श्री भैरोंसिंह : वह गये भी कांग्रेस सदस्य थे ?

श्री हीराभाई : वह कांग्रेस के ही होते हैं और होते क्या हैं ?

श्री श्रवणलाल : इसलिये ही भाव बढ़ा है ।

श्री हीराभाई : कितना एक अजीब तरीका है, जहां बारह रुपये में एक हजार ईंट आ सकती थीं। वहां पर पैंतीस रुपये का एक हजार ईंट के लिए दिये और इसके अलावा चालीस रुपये दूसरे तो कम से कम पिचहत्तर रुपये एक हजार ईंट पर पेमेन्ट किये गये। इस प्रकार से हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असली कांग्रेसी नहीं हैं, यह भी मैं आपको कहदूं। यह ऐन टाइम पर धोखा देने वाले हैं। लेकिन जितने ट्रक वाले हैं और ट्रक मालिक हैं इन्होंने सफेद टोपी लगा ली है, वह सुखाडिया साहब के दौरे के समय ट्रक में आस पास के लोगों को भर भर ले गये थे, वह ट्रक जब से लगाये हैं, तो किसी ट्रक के एक सौ साठ, किसी ट्रक के एक सौ पचास, किसी के कुछ रुपये एक रोज के किराये के तय हुए। उसके बाद ट्रक कहां गये, लेकिन उनका नाम रिकार्ड पर आ गया और एक महीने में दो तीन बार ट्रक चालू हुए लेकिन सुखाडिया साहब के दौरे के वक्त उन्होंने चलाये इसलिए ट्रक के लिए रोजाना इतना किराया नाम मंडा और ट्रक मालिक और ओवरसियर बांट कर खा गये। इसी तरह ट्रक का हुआ और इसी तरह इन्जिन का। रौलर, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोलर आया हुआ दिल्ली से, रोलर जब से काम पर, सडक पर आया तालाब पर आया, एक महीने में दो तीन दिन चला होगा वरना उसका पूरा रोजाना के हिसाब से किराया चुकता कर दिया। इसी तरह ट्रेक्टर का हुआ, इसी तरह जीप गाडीयों का हुआ। हर ओवरसियर की व्यवस्था के ऊपर जीप गाडियां रखी· · ·

श्री अध्यक्ष : अब आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री हीराभाई : मैं सही बात कह रहा हूं। दुःख हो आपको तो छोड दूं।

श्री अध्यक्ष : दुःख का सवाल नहीं है। समय की सीमा है, आप जल्दी समाप्त करेंगे।

श्री हीराभाई : इस तरह की बांसवाडा में स्थिति है। मजदूरों को राहत हुई है, मजदूरों में कतई राहत नहीं हुई है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मजदूरों से ज्यादा हजारों कांग्रेस के नेताओं के साथ नरमी हुई है वरना मजदूरों से तो सख्ती से काम लिया गया है, जहां चौदह बनते हैं वहां सिर्फ छः दिये गये हैं। जहां बारह रुपये हैं वहां छः दिये गये हैं। इस तरह जो काम हुआ है उस काम के अन्दर पक्षपात कोई नहीं हुआ है। आपको कहता हूं कि काम में अपव्यय नहीं हुआ हैं लेकिन कांग्रेस के नेताओं में अन्दर करीब बांसवाडा में काफी रुपया बेकार खर्च हुआ है · · ·

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : वह आपके भाई नहीं थे, क्या वहां अकाल नहीं था।

श्री हीराभाई : मेरे भाई थे, लेकिन मैं उनको चोर नहीं बनने दूंगा।

श्री नाथूराम : आपने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की ? जांच कराई ?

श्री हीराभाई : मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि सुखाडियाजी मेरे भाई है। क्या सुखाडियाजी मेरे दुश्मन हैं, महारावल साहब मेरे दुश्मन हैं ?

श्री नाथूराम : आपने शिकायत नहीं की ? आपको शिकायत करनी चाहिए थी।

श्री हीराभाई : मेरे सभी दोस्त हैं। सबसे दोस्ती है। लेकिन इस काम पर सबसे नाराजगी होसकती है।

और जहां अन्याय होता है, अन्याय का तो मैं पक्का दुश्मन हूं, न्याय का प्रेमी हूं। मेरा बाप भी झूंठी हाजरी जाकर करवायेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। हमने शिकायतें की हैं कि अधिकारी और मिस्त्री लोग वहां शराब पीते हैं और हमारी भीलों की छोरियों को छेडा, हमने उसकी शिकायत की और शिकायत करने पर कलेक्टर ने मिस्त्री को अलग करने की कोशिश की तो वहां के कांग्रेसी प्रधानजी ने आकर उसको दूसरी जगह भिजवा दिया ऐसे मिस्त्री को तो ताडियों में बन्द करना चाहिये। शिकायतों पर कार्यवाही नहीं होती है इसके दोषी हमारे जोशी साहब हैं। नाथूरामजी आपकी बात तो कोई नहीं सुनेगा, आप क्यों इस तरह चापलूसी करते हो। आपकी मुखिया पंचायत में अधिक लोग भूखों मर रहे है. मवेशी भूखों मर रहे है, लाखों की तादाद में मवेशी मर गई हैं, आप न जाने जयपुर में कौनसी समितियों को ले कर बैठे हो। आप यह बातें ले कर मेरे सामने मत आया करो।

श्री नाथूराम : सबसे ज्यादा दुरुपयोग आपकी तहसील में हुआ है।

श्री हीराभाई : एक मस्टर रोल गायब कर दिया, मैंने कलेक्टर को शिकायत की तो कलेक्टर ने कहा कि यह मस्टर रोल की कार्यवाही तो मेरे से नहीं हो सकती। इसके बाद में एजेंसी वालों के पास गया और उनसे कहा कि 7 हजार के मस्टर रोल कहां गये तो उन्होंने कह दिया कि गांव वालों ने मना कर दिया इसलिये मस्टर रोल फाड तोड कर फैंक दिये। तो मैंने कहा कि यह आप लोगों ने कानूनी अपराध किया है, मैं इसकी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो उस पर वे घबराये और कांग्रेसी नेताओं के पास पहुंचे और उनसे मिल कर 7 हजार आदमियों को दो दो, तीन तीन रुपया दे कर बता दिया और 15 दिन का पेमेंट खा गये। किसी तरह शिकायतें करें तो कौन सुनेगा ? इस राज में शिकायतों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह अनाज की बात है, सुखाडियाजी गये तो उसी दिन प्रति व्यक्ति एक एक किलो अनाज दे दिया बाकी अनाज लाये ही नहीं। दो ढाई महिने से अनाज लाये। कानून तो यह बनाया है कि अकाल पीडित क्षेत्रों के लोगों को प्रति व्यक्ति 8 किलो अनाज देंगे पर यह नहीं दे कर सन् 1961 की जन संख्या के हिसाब से कोटा निश्चित किया और एक व्यक्ति को दो दो किलो अनाज वहां मिला, जिनको मिल गया तो मिल गया बाकी जिनको नहीं मिला वे भटकते ही रहे।

तालाबों के बारे में जहां फेमीन कमेटियां कायम की हुई हैं वे कोई मीटिंग नहीं करतीं हैं, कोई काम नहीं करती हैं। जिला कमेटी का फर्ज है कि जिस क्षेत्र में फेमीन हो वहां फेमीन एक्ट के तहत फेमीन वर्क खुलाये जायं और यह देखे कि धन का

(श्री हीराभाई)
दुरुपयोग नहीं हो, इस तरह के कार्य खोलने चाहिये पर हमारे यहां एक भी मीटिंग जिला कमेटी की नहीं बुलाई गई है। जब तक हरिदेव जोशी नहीं आयेंगे तब तक सब रिलीफ वर्क बन्द और हरिदेव जोशी आये तो अमुक अमुक एरिया में उनके सरपंच, प्रधान हैं, उनके वहां काम चालू करवाया बाकी लोगों को धक्का दे कर निकाल दिया।

बड़ी ताज्जुब की बात है हम लोग, हिन्दू धर्म वाले लोग हिन्दू धर्म की बात कहते हैं, पर हिन्दू धर्म का नाम नहीं लेना चाहिये किसी को। मैं तो समाजवादी हूं, उससे मुझे मतलब नहीं। जहां हिन्दू धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले हैं, उनमें हमारे मुख्य मंत्री भी हैं, प्रधान भी हैं। हमारे हजारों लोग निकाले गये, 17 हजार आदमी ईसाई मिशनरीज में ले जाये गये, ईसाई बनने का उनसे बांड भरा दिया गया पर सफेद टोपी वालों ने उनकी कोई इमदाद नहीं की। एक ईसाई ने एक मजदूर को, एक विद्यार्थी को पीटा, उनको देखने आर्य समाज का आदमी पहुंचा, उसने पुलिस में रिपोर्ट की, उस आर्य समाजी को भी पीटा ...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री हीराभाई : मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। फिर क्या हुआ कि उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, गिरफ्तार भी कर लिया पादरी को। पादरी जाति के नाम से गिरफ्तार करें, इसका मैं विरोधी हूं पर पिटाई के बारे में बाप बेटे को मार दे तो उसे गिरफ्तार करना जरूरी है, आप तो अध्यक्ष महोदय वकील रहे हैं। पर उस पादरी के लिये इतना जोर पकड़ा कि लोग जोशीजी साहब के पास पहुंचे, चौहान साहब के पास लोग पहुंचे। वहां के पोस्ट मास्टर को बदल दिया गया, डो. वाई. एस. पी. को बदल दिया गया और थानेदार को जिला लाइन में भेज दिया। यह अकाल के समय में कांग्रेस वालों के कारनामे में ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और जैसलमेर के लिये मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि किसी तरह से वहां के लोगों के लिये आप लगातार योजना लागू करके 60 प्रतिशत रुपया वहां लगावें और हमेशा के लिये वहां से अकाल की परिस्थिति को दूर करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

मुख्य मंत्री महोदय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जिस समय अकाल के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि बाद में समय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : बहस जारी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल से अकाल की स्थिति पर चर्चा हो रही है...

श्री रामकिशन : कल तो छुट्टी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : परसों से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परसों भी सदन नहीं था, तरसों से कहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : तरसों से।

श्री रामकिशन (बैर) : आप तो दिल्ली में थे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं यही था।

तरसों से चर्चा हो रही है और उसके सम्बन्ध में जो भयंकर अकाल पिछले वर्ष में पड़ा उसमें क्या कमी रही, क्या काम हुए, उसके सम्बन्ध में भी काफी बातें यहां कही गई।

एक प्रश्न आमतौर से उठाया जाता है कि राजस्थान में बार बार अकाल पड़ते हैं और उसका स्थाई हल अभी तक नहीं मिला, तो इसके लिये सरकार दोषी है, क्यों नहीं उसका स्थाई हल हुआ, वगैरह बातें कही जाती हैं।

यह ठीक बात है अध्यक्ष महोदय, कि हम भी यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो यह आये वक्त अकाल की छाया का मुकाबला करना पड़ता है, उसका स्थाई तौर से हल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। इस राजस्थान में काफी बडी मात्रा में सिंचाई के कामों पर करोडों रुपया खर्च किया गया है और वह इसी इरादे से खर्च किया गया है कि अगर सिंचाई योजनाएं पूरी होती हैं तो अकाल की परिस्थिति का असर कम पडेगा। आज उन योजनाओं को हाथ में लिया गया है और अगली योजना जो इस वर्ष से शुरू हुई है, उसके सम्बन्ध में भी अभी आखिरी तस्वीर एक तरह से अपनी बाकी हैं।

अध्यक्ष जी, जब हम अकाल की यहां चर्चा करते हैं तो इस मौके पर शायद यह कहना नाजायज नहीं होगा कि जो भारत सरकार द्वारा पांचवा फाइनेन्स कमीशन मुकर्रर किया गया था, उसने एक अंतरिम रिपोर्ट बीच में दी थी लेकिन उसके बाद जो उसने फाइनल रिपोर्ट अब दी है, उस रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान को आने वाले 5 वर्षों में, जो फाइनेन्स कमीशन के पीरीयड के जरिए, रिकमंडेशन के अनुसार 1969-70 से लगाकर 1973-74 तक जो रिकमंडेशन की गई है, उसके अनुसार 221.65 करोड़ राजस्थान डिवोल्यूशन के रूप में प्राप्त होंगे, यह सिफारिश की गई है। इस सिफारिश में मुख्यतः जो आयकर म पहले 80 प्रतिशत आबादी के हिसाब से दिया जाता था उसके बजाय अब जो तय किया गया है, उसमें 90 प्रतिशत आबादी के हिसाब से है और 10 प्रतिशत जो असेसमेंट अलग अलग राज्यों का होगा उस आधार पर किया गया है, उससे राजस्थान को जहां चौथे फाइनेन्स कमीशन के जरिए 3.97 प्रतिशत टोटल डिवीजिबल पूल को मिलता था, इसमें 4.34 प्रतिशत प्राप्त होगा।

इसी प्रकार यूनियन एक्साइज ड्यूटी में हमने अपनी तरफ से इस बात का कहा था कि जो इसका वितरण किया जाय, उसमें 20 प्रतिशत के बजाय, राज्यों का हिस्सा बढ़ना चाहिए और राज्यों के अन्दर भी बैकवर्डनेस को वेटेज दिया जाना चाहिए लेकिन फाइनेन्स कमीशन ने जो रिकमेंड किया है, उसके अनुसार 20 प्रतिशत जो उन्होंने डिवीजिबल पूल माना है, उसमें से 80 प्रतिशत फिर उन्होंने आबादी के आधार पर माना। बाकी 20 प्रतिशत उसमें से 2/3 जो होगा वह राज्यों की पर कैपीटा इनकम नेशनल एवरेज से नीचे होगी में उस से 20 प्रतिशत का 2/3 डिवाइड किया जायगा और बाकी जो 1/3 है उसके लिए

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
भी उन्होंने बैकवर्डनेस के कुछ काइटेरिया ले-डाउन किए हैं जैसे एक लाख पर इंडिस्ट्रियल लेबर कितना है, ट्राइबल पापूलेशन कितना है और दूसरे फैक्टर्स हैं, तो उन फैक्टर्स को केलक्यूलेट करने के बाद जहां हमारा पहले 5.06 प्रतिशत था, अब उसके बजाय 5.28 प्रतिशत हमारा शेयर उसमें बना है।

अभी इस पर भारत सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं किया है लेकिन जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी है टुबैको, क्लाथ व शुगर, इस बारे में करीब करीब सभी राज्यों ने कहा था कि जो हमने भारत सरकार को एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स के बजाय लगाने का अधिकार दिया था, यह राज्यों को वापस ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस संबंध में भी कमीशन ने यह रिकमेंड किया है कि इसको वापस भारत सरकार राज्यों को यह अधिकार सौंप दे। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार इस सम्बन्ध में फैसला करेगी और जो एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार को ट्रांसफर की थी विथ दी कण्सेन्ट आफ दी स्टेट गवर्नमेंटस्, उसके वापस राज्य को अधिकार सौंपे जायेंगे जिससे कि हमें इस सेल्स टैक्स के अन्दर एक फलेक्सीबुल इन्कम का सोर्स राज्य सरकार को फिर से अवेलेबिल हो सके।

जो ग्रांट-इन-एड अन्डर आर्टीकल 275 उन्होंने तय की है, उसके अनुसार राजस्थान को 51.50 करोड़ रुपये मिलेगा। तो जो डिबीजिबल पूल आफ टैक्सेज है उसमें 170.16 करोड़ और ग्रांट-इन-ऐड का 51.49 करोड़, जैसे मैंने निवेदन किया, 221.65 करोड़ हमें उपलब्ध होता है। इसमें राजस्थान की तरफ से हमने इस बात पर जोर दिया था कि अकाल के सम्बन्ध में जो फण्ड इसके अन्दर रखा जाता है उसको पास्ट टेन ईयर्स के अन्दर जो राजस्थान सरकार को खर्च करना पड़ा, उसके एवरेज को वर्क-आउट करके और फण्ड के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिये लेकिन 1967-68 व 1968-69 भारत के लिए एबनार्मल ईयर्स मानकर, फाइनेन्स कमीशन ने उसको हटा दिया और हटाने के बाद जहां राज्य सरकार चाहती थी कि 3.50 करोड़ हमारे अकाल फण्ड के लिए हर साल प्रोवाइड किया जाना चाहिये, उसके बजाय अब अकाल फण्ड के अन्दर जो फाइनेन्स कमीशन ने रिकमण्ड किया है, वह है 1.08 करोड़। जो हमने एक्सपेक्ट किया था, उसमें इसके अन्दर काफी कमी हुई है लेकिन कमीशन ने इस बात को भी रिकमण्ड किया है कि आज की फार्मूला के अनुसार जो भारत सरकार अकाल के मौके पर हमें मदद देती है उसमें 50 प्रतिशत ग्रांट के तौर पर होता है, 25 प्रतिशत लोन के तौर पर होता है और 25 प्रतिशत वेज एण्ड मीन्स के तौर पर भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसके बजाय कमीशन ने सिफ़ारिश की है कि यह जो 50 प्रतिशत के अलावा 25 प्रतिशत लोन के तौर पर दिया जाता है, वह सारा ही एक तरह से ग्रांट के तौर पर 75 प्रतिशत कम्पोनेन्ट होना चाहिये बजाय 50 प्रतिशत के। मैं आशा करता हूं यदि भारत सरकार उस बात को स्वीकार कर लेती है तो उस एक्सटेण्ट तक राज्य सरकार को रिलीफ मिलेगा।

जो मैंने आपके सामने बातें रखीं और उसके अलावा राज्य सरकार ने जो प्रोहिबिशन

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

के बारे में तय किया, उसकी वजह से आने वाले 5 वर्षों में करीब 35 करोड़ का राज्य सरकार को नुकसान होगा और इसकी वजह से 17.50 करोड़ हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि जो श्री देसाई उस समय उप प्रधान मन्त्री थे, उन्होंने 50 प्रतिशत नुकसान को मेक-अप करने वाली बात कही थी। उस बात को लक्ष्य में रखते हुए हमने प्रस्ताव रखा था कि बाकी 17.50 करोड़ का नुकसान होता है, उसके लिए भारत सरकार का वित्त आयोग सिफारिश करे कि इस नुकसान को मेक-अप करे जिससे राजस्थान जैसे राज्य, जिसका डेफिसिट बजट है, उस पर फर्दर स्ट्रेन न हो लेकिन वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि जो कुछ इसके अन्दर गैप हो, वह राज्य को अपने सोर्सेस से पूरा करना होगा। साथ ही भारत सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत की जाय और जो कुछ परिणाम वहां निकले, उसे इस बात पर छोड़ दिया गया है। इसका परिणाम जो निकलता है, वह इस वर्ष के बारे में टेन्टेटिवली हमारे अधिकारियों ने एसेसमेंट किया है, उसके अनुसार किया जाता कि आयोग की सिफारिश के अनुसार इस साल करीब 40 करोड़ हमारा डिवोल्यूशन होगा। पिछले चौथे आयोग का जो फार्मूला था उसके अनुसार 27 करोड़ डिवोल्यूशन होता जबकि इसके अनुसार 40 करोड़ का डिवोल्यूशन होगा। लेकिन इस साल जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया और जिस बजट के आधार पर जो काम किये जा रहे हैं उसको सेन्ट्रल डिवोल्यूशन से निकाला जाय, क्योंकि मैं 10 करोड़ एक्सट्रा का कह रहा हूं, उसको ख्याल में रखते हुए आज की स्थिति में सेन्टर के अन्दर जो डिवोल्यूशन फार्मूला तय किया है जिसको 27 करोड़ के बजाय 40 करोड़ डिवोल्यूशन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके बाद भी 15 करोड़ हमारे बजट में डेफीसिट रह जाती है, जो हमारे सामने गम्भीर समस्या है। मैं समझता हूं जो वित्त आयोग ने सिफारिश की है, जहां तक राजस्थान का सवाल है, यह काफी डिस्पाइटिंग सिफारिश है और इसकी वजह से राजस्थान के फाइनेन्स पर, राजस्थान के भविष्य पर, बहुत बडा स्ट्रेन होगा। दर-असल मैं समझता हूं, भविष्य के लिए शायद यह उचित होगा और अब भी आशा करता हूं कि योजना आयोग और भारत सरकार इस पर विचार करें कि जो एक्सपेक्ट करके चला जाता है कि रेवेन्यू साइड की डेफीसिट को वित्त आयोग लुक आफ्टर करे और उसके बाद प्लान के लिए विचार किया जाय तो रियेलिस्टिक व्यू लेना होगा। इसमें जो प्लान बना वह आयोग की सिफारिश के बाद कुछ राज्य सरप्लस हो जाते हैं डिवोल्यूशन की वजह से और कुछ राज्य की डेफीसिट कायम रह जाती है और प्लान की एसिस्टेन्स आयोग की सिफारिश से पहले तय हो जाती है तो उसका इम्पेक्ट यह होता है कि जिस राज्य के अन्दर सरप्लस निकलता है आयोग के डिवोल्यूशन की वजह से, वह बेटर प्लेस्ड हो जाते हैं और जिस एक्सपेक्टेशन के अन्दर प्लान बनता है। रेवेन्यू गैप को लुक आफ्टर कर लिया जायगा, उसके सामने परेशानी खडी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब भी इस परिस्थिति के बारे में उम्मीद करता हूं कि भारत इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। जो भी सिफारिशें फाइनेंस कमीशन ने की है भारत सरकार को उसम जहां तक

Page No 141

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

लोन के रिपेमेन्ट का सवाल है, इस पर हम चाहते हैं कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी फैसला करे। रेवेन्यू साइड के अन्दर फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के कारण राजस्थान के पास सरप्लस नहीं होगा। इसी प्रकार से केपीटल अकाउन्ट के अन्दर भी जब तक रि-शूडिलिंग इस दृष्टि से नहीं किया जाता है, जिस रि-शूडिलिंग से राजस्थान को एडवान्टेज हो सकता है। राजस्थान के केपीटल अकाउन्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्लान में नहीं लगा सकते। इसका परिणाम यह होगा कि अगला प्लान काफी एक तरह से गलत सा बनेगा इसका काफी व्यापक असर पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक बेकवर्ड स्टेट है, इसका जिस प्रकार का विकास है उस लिहाज से ऐसी स्टेटस को जो विकास के अन्दर पिछड़ी हुई हैं उनको अलग से लाइन्स पर लोन्स मिले सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिलना चाहिये। इन बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा। मैंने इस तरह से संक्षेप में यह तस्वीर सदन के सामने रखी है जो स्थिति फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन के बाद आती है। इससे पर केपीटा हर साइड असर पडेगा जहां आल इण्डिया ऐवरेज 99 होता है उसके मुकाबले राजस्थान में पर केपीटा 110 है। फाइनेंस कमीशन के समय टोटल पर केपीटा था 67 राजस्थान को उसके अन्दर 65 मिला था। इस तरह से कम्पेरिजन करके देखे तो हमारे यहां डिवेल्यूशन ज्यादा है। राजस्थान के अन्दर लोन के रिपेमेन्ट का, ऐडहाक लोन्स का जो इन्टरेस्ट है उसकी भी फाइनेंस कमीशन ने अपने ऊपर लाइबेलिटी नहीं ली है। फ्यूचर डीअरनेस अलाउन्स के बारे में अभी अपने उपर जिम्मेदारी नहीं ली है। इस तरह से स्टेट गवर्नमेन्ट किस प्रकार से इस लाइट में इकोनोमी कर सकती है, हम करने के लिये तैयार है। हमारा रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर 130 करोड के आसपास है इसको हम किस तरह से बेलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में सख्ती से कदम उठाये जायेंगे। और इसके साथ जो आने वाला प्लान है उसको किस तरह से 239 करोड के सेन्ट्रल असिस्टेन्स के आधार पर बनाते हैं उससे ज्यादा का प्लान होना चाहिये। हमें इसके लिये टेक्सज की वसूली में तत्परता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बेटर रिटनर्स आदि के बारे में प्रयत्न करना होगा केपीटल अकाउन्ट के रिपेमेन्ट हमारी इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी प्लान किस प्रकार को होती है और उसके लिये हम कितना धन जुटा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन पर गवर्नमेन्ट के जो विचार हैं क्या उससे भारत सरकार को अवगत करा दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यहां मैंने जिस तरह की बातें कही है उसी आधार पर राजस्थान सरकार भारत सरकार को लिखने वाली है we are going to write to them

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है हमें यहां कहा जाता है कि अकाल की समस्या के स्थाई हल के लिये क्यों नहीं कार्यवाही की जाती है। इस बारे में नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों आप हमारे पर इस तरह का आक्षेप लगा सकते हैं, और हम इसको एडमिट करने के लिये भी तैयार हैं लेकिन राजस्थान की जो डेजर्ट की समस्या

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

है उसको हल करना राजस्थान जैसी स्टेट के लिये अपने रिसोर्सेज के आधार पर हल करना कभी संभव नहीं होगा। जब तक कि इस समस्या को नेशनल प्रोबलम की तौर से नहीं लिया जायगा तब तक यह जो हजारों स्क्वायर मील का रेगीस्तान है इस डेजर्ट की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे, यहां पर पानी की समस्या को इस तरह से नहीं समझा जायेगा कि यह पानी उस इलाके के लिये चाहिये जहां हमारा इलाका पाकिस्तान से मिलता है जिसका सामरिक महत्व है। इस तरह से सोचकर इस समस्या को हल किया जायगा तो हमें कामयाबी मिल सकेगी। इसके लिए राजस्थान नहर एक उत्तम साधन है, राजस्थान नहर के लिये सब जानते हैं कि एक तरफ जहां यह सबसे ज्यादा रीलीफ देने वाली नहर है वेस्टर्न एरिया को इसलिये इसका कम्पलीशन होना चाहिये। इसके कम्पलीशन से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर की जल समस्या एवं अन्य समस्या भी हल हो सकती है। इससे काफी कामयाबी इस अकाल के हल के लिए भी हो सकती है। इसके अलावा, फिर भी काफी ऐरिया बच जायगा जब कभी अकाल की स्थिति आने पर एक इलाके के लोग उस इलाके में जाकर मवेशियों को, आदमियों को राहत दी जा सकती है। आज जैसलमेर में अकाल पडता है तो जहां पहले सिन्ध का इरिगेटेड एरिया था वहां मवेशी आदि चली जाती थी। उसी प्रकार बीकानेर के पास भावलपुर का ऐरिया निकल गया इससे भी यह समस्या विकट हो गई है।

इसी तरह से नर्मदा जल योजना है जिसके लिये मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि इससे पानी प्राप्त करने का राजस्थान को क्या अधिकार है ? दूसरे के कहने से क्या हम अपने अधिकार खत्म करके चलते हैं ? राजस्थान का वह इलाका जहां रेगिस्तान ज्यादा है जिस जगह पानी पहुँचाने का सवाल है, हमारी सीमा पाकिस्तान से मिली हुई, वहां नर्मदा का पानी केवल हमारी जल की समस्या ही हल नहीं करेगी, इससे बोर्डर की समस्या को भी हल करने में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की जहां तक बात है दुर्भाग्य से इस बात को एप्रीशियेट नहीं किया जा सकता इस समस्या को समझकर नहीं चला जाता। हम भारत सरकार को कहते हैं कि आप पौंग डेम की गति धीमी कीजिए और उस पर कम धन व्यय करके राजस्थान नहर के लिये ज्यादा धन दीजिए यह प्रश्न अभी अधूरी स्थिति में ही है। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि हाई लेवल पर हम इस चीज को ले जा रहे है जिसमें प्रधान मंत्री को भी डिसकशन के लिए बुलाया गया है। उसमें इस समस्या को लिया जायगा।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा जाता है कि राजस्थान में क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न एरिया और इस्टर्न एरिया में यह बात खास तौर से कही जाती है। मैं आपसे निवेदन करूं वेस्टर्न एरिया के लिए यह जो राजस्थान नहर है उस पर 40 प्रतिशत एक्सपेन्डीचर हो रहा है इसी प्रकार ईस्टर्न क्षेत्र में ओटोमेटिक पावर स्टेशन, चम्बल विद्युत योजना आदि पर व्यय कर रहे हैं। उसी प्रकार भरतपुर में फ्लड आदि की रोकथाम के लिए बराबर धन उपलब्ध कर रहे हैं। हम कभी इस बात को ध्यान में रखकर नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

चलते हैं कि एक ही क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। हमारे ऐफर्ट्स सभी क्षेत्रों के विकास के लिए समान रहते हैं इन ऐफर्ट्स को पूरा करने में हमारे जो रिसोर्सेस बोटलनेक हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस के भी बोटलनेक है। निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जिन इलाकों में रीवर्स है, अण्डर ग्राउण्ड वाटर है, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रीवर्स का पानी नहीं है और जहां भविष्य में आने की भी संभावना नहीं है ऐसा हजारों मील एरिया रहने वाला है। पिछले वर्ष में हमें अपने प्रान्त में बाढ़ के प्रकोप से भी सामना करना पडा है। गत वर्ष जुलाई और अगस्त के महिनों में हमें फ्लड से भी मुकाबला करना पडा। उन दिनों हमारे तालाबों में काफी पानी भर आया। उन तालाबों के पानी से हमने पीने के पानी का इन्तजाम किया।

उन तालाबों को बांधने की वजह से पीने के पानी की समस्या हल कर पाये। कुछ तालाबों में भी पानी हुआ। कुछ रबी का प्रोडक्शन हुआ। पिछले वर्ष जो अकाल का वर्ष गिना गया है जिनको हम प्रोडक्शन का वर्ष मानकर नहीं चलते, फिर भी चालीस लाख टन प्रोडक्शन पिछले वर्ष हुआ यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने माना। यह पिछले वर्ष हमारे सारे ऐफर्ट्स का रिजल्ट रहा। प्रापोंशनल इन्क्रीज हुआ। रिसोसेज हैं हमारे, पर वर्षा ऊपर से नहीं होंगी तब भी हमारे रिसोसेज काम नहीं दे सकेंगे पूरी तरह से। नेचर पर तो हमें डिपेण्ड करना ही होगा। जो स्नो फेड रिवर्स हैं। बारह मासी कहलाती हैं--फिर भी योजना करने वाले उन पर भरोसा करके नहीं चलते, वहां भी नेचूरल वर्षा फैक्टर है। कोरे बरफ के पहाडों से भी इन योजनाओं को आगे नहीं चलाया जा सकता। तो कैसी भी योजना बना लीजिये रेन फाल के बिना वे भी पूरी तौर से सफल नहीं हो सकती।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ट्यूब वैल के जरिये जो वे फोडर पैदा करने की बात कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट भी पांच-सात ट्यूब वैल एक्सपैरीमेन्टल बेसिस पर उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन एग्जामिन करने के लिए चला कर देखना चाहता है। इसके अच्छे परिणाम आवेंगे तो ज्यादा लगावेंगे। पर आज जो कास्ट आफ पम्पिंग का अनुमान लगाते हैं वह इतना मुश्किल है जिसकी वजह से इसका इकानोमिकलि रन करने के लिये बहुत कुछ सोचना पड़ेगा।

फिर यह समस्या जो हमारे सामने है इसको एक विशेष समस्या के तौर पर आल इण्डिया प्रोस्पेक्टिव में हम देखें तो यह हमारे अकेले के बूते का रोग नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में भी जो आज सबसे अधिक साधन सम्पन्न हैं हमारे मुकाबले में तो कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, टीनेसी वैली जैसी स्कीम को लेने का प्रश्न आया तो वहां की एक स्टेट अकेली उसे नहीं ले पाई। नहीं ले सकती थी। तो वहां भी यूनाईटेड स्टेट गवर्नमेंट को इस टीनेसी वैली की स्कीम को अपने हाथ में लेकर अपने रिसोर्सेज से उसे इम्पलीमेन्ट करना पडा।

आज राजस्थान में यह समस्या एक गम्भीर समस्या है। पानी एक आध लख

Page No 144

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

नहीं बरसा तो काफी पानी स्टोर करने यह मामला होता तब भी गनीमत था, हमारे यहां तो अगर पांच इन्च वर्षा पड जावे तो नार्मल समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फारवर्ड को ताकत कितनी है। एक रबी या खरीफ की फसल हो जावे तो सुकाल समझते हैं। उस वक्त में तो ठीक है। पर अगर उतनी भी वर्षा न होवे और उसका एक परमानेन्ट सोल्यूशन इन 24 करोड से अगर हो सकता हो तो 24 करोड के बजाय मैं सौ करोड दे सकता हूँ अगर परमानेन्ट सोल्यूशन इससे निकल सकता हो तो। पर यह समस्या इतनी आसान नहीं है। आखिर रैन-फाल पर निर्भर करना ही पडेगा। ट्यूब वैल का काम हमने काफी तेजी से चलाया है। क्रिटिसाईज होते हुए भी आफीशियल और नान-आफिशियली इस प्रयत्न में है कि इसका काम चले। इस ट्यूब वैल के सम्बन्ध में भी मेरा दिमाग स्पष्ट है कि इसमें भी आगे चल कर कई समस्याएं खडी होंगी। जितना आसान हम इसको समझते हैं उतना यह नहीं है। जिस इलाके में ट्यूब वैल होंगे उसमें जिस वर्ष नार्मल वर्षा हो जावेगा, नाडियों में पानी भर जावेगा तो उस ट्यूब वैल की पम्पिंग कास्ट को देखते हुए कोई इतना पैसा खर्च करके पानी लेने वाला नहीं मिलेगा और वह ट्यूब वैल स्टेण्ड बाई की तरह बनकर अडा रह जावेगा। अब अगर इसका खर्चा सरकार भुगतेगी तो 20125 हजार स्टेण्ड बाई का खर्चा होगा, इन्जिन का डेप्रिसियेशन होगा, स्टाफ का खर्चा होगा यह सारा भुगतान पडेगा। तो हम मानकर नहीं चल सकते कि इससे खेती कराना चाहें तो खेती के लिये 250 रुपया पर एकड जिसकी इरिगेशन कास्ट लगभग आवेगी तो इतना पैसा देकर कोई खेती करने को राजी होगा। इस पर तो कई माननीय सदस्य एतराज खडा करेंगे कि राजस्थान नहर और भाखरा नहरों में भी दस ग्यारह रुपया प्रति एकड का खर्चा आता है अधिक से अधिक तो सरकार इस ट्यूब वैल का 250 प्रति एकड के करीब कैसे चार्ज करती है। तो करोडों का डेफीसिट कैरी फारवर्ड करने वाली यह समस्या बन जावेगी। इसका हल भी है, पीने के पानी की इमरजैन्सी के लिये इससे कोई हल निकाल सकें पर यह भी कोई स्थायी हल होगा यह संभव नहीं है। यह आसान समस्या नहीं है। फिर भी हमने इस दिशा में ऐफर्ट्स किये हैं और आगे भी करते रहना चाहते हैं। आगे बढना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षजी, सौभाग्य से हमारे ईस्टर्न सैक्टर में वर्षा इस साल काफी हुई है। पर यहां भी अगर आने वाले पाँच सात दिनों में वर्षा और नहीं हुई तो यह भी एक डिसाइडिंग फैक्टर की तरह बन रही है ये एरिया भी जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, उदयपुर वाले जो हैं इनमें पानी पड गया तो हालत ठीक ही जावेगी, वरना यहां भी काफी मुश्किल है। उम्मीद है, परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि वर्षा ठीक निकलेगी।

फिर जो वर्ष पिछला भयंकर निकाला, उसमें अकाल का सामना हमने किया उसमें काफी खर्चा भी किया। उसमें अपव्यय की शिकायतें भी की गई। 33 करोड रुपया हमने फमीन के कामों पर खर्च किया। इसे क्रिटिसाइज भी किया गया। मैं स्वयं मानता हूं कि डेजर्ट एरिया में रोडस की लिमिट से ज्यादा उपयोगिता नहीं है। एक लिमिट तक

Page No 145

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

तो इनकी यूटीलिटी है। इसके बाद यूटीलिटी नहीं है। पर वहां इतने लोगों के लिये आल्टरनेटिव वर्क क्या है। जिस प्रकार से भयंकर अकाल सामने आया। राजस्थान नहर के लिये हम व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं पर इसके साथ साथ भी मैं आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसा मानता हूं कि सारे एफर्ट्स कर लिये जावें तब तक भी एक लाख से ज्यादा लोगों को वहां पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। इसलिये निवेदन करता हूं कि राजस्थान नहर पर जहां लगभग अगर इन लाख लोगों को लगावें तो पानी उनके साथ लाना होगा ईंटें बनाने का इन्तजाम चाहिये। अब इस एण्ड से काम शुरू करें और दूसरे एण्ड से काम शुरू करें यह भी एक समस्या है। अगर पानी साथ का साथ नहीं लाते गये तो जिस प्रकार सड़कों पर आन्धी चलने पर टीबे उडकर आ जाते हैं और टीबे बन जाते हैं उसी तरह नहर में भी टीबे बन जावेंगे जब तक पानी की उसमें कन्टीन्यूइटी न हो और किनारे पर दूब लगाने का और दरख्त लगाने का भी प्रबन्ध हम साथ साथ नहीं करते जावें। फिर भी हम चाहते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां जावें और काम करें। राजस्थान नहर में इस काम को एक्सपीडाइट किया जावे हम भी चाहते हैं। यहां तक हम योजना बना रहे हैं कि आक्शन और सेल के बजाय जैसलमेर, बीकानेर और बाडमेर के लोगों को हम कहना चाहते हैं कि वे राजस्थान नहर पर काम करने जावें और जहां जहां बीकानेर में और आगे राजस्थान नहर पहुंचे उनको लैंड अलाटमेन्ट करने में प्रायोरिटी देते जावें। वे वहां काम करें और वहीं बसने का इरादा रखें ताकि उनको वहीं बसा दिया जावे। करोडों रुपया वहां टेम्परेरी कामों पर और टेम्परेरी तरीके से अकाल का सामना करने में खर्च करने के बजाय इन जिलों के लोगों को वहां बसने के लिये इन्सेन्टिव दिया जावे। इसमें दो करोड तीन करोड जो भी खर्चा हो सरकार करने को तैयार है। अगर खर्च करके एक्सपीडाइट कर सकते हों तो करें।

पर माननीय अध्यक्षजी, तब जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य बोलने के लिये खडे होकर कहेंगे कि वेस्ट हो रहा है सारा रुपया। दूसरी तरफ कहेंगे कि राजस्थान नहर पर कोई मत भेज देना। काम इनको जैसलमेर में ही देना। जब बाडमेर, बीकानेर के लोगों को कहेंगे कि नहर पर जाओ, वहां स्थाई काम हैं, तो कई माननीय सदस्य ऐतराज करने के लिये निकल कर सामने आवेंगे। इधर से भी आवेंगे और उधर से भी आवेंगे और कहेंगे कि उनको काम दो मकान के नजदीक दो, घर के पास उनको काम दीजिये। तब फिर ऐसे कौन से काम हैं जिन पर हम उन सब को लगावें? कडीलों के काम के सिवाय ट्यूब वेल के काम में मैंने पावर अधिक नहीं लग सकती। कडीलों के काम लिमिटेड हैं। इसके सिवाय उसमें अधिक गुंजाइश नहीं। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसको शौक है इस बात का कि उनसे सड़कों पर मिट्टी डलवाए। पर जब देखते हैं कि दूर वे जा नहीं सकते, तीन तीन साल से अकाल की समस्या सामने खडी है, स्थानीय काम महत्व के और कोई दिखते नहीं जहां इतनी मैन पावर लगाई जावे तब सोचते हैं कि क्या करें। भूख के

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
मारे मुश्किल होगी तो कोई न कोई काम इनको दें, तो या तो इनसे सड़क का काम करवाते या लंगर लगाकार काम करते। लंगर लगाकर उनको भिखमंगा बनाने की बजाय कुछ काम कराकर उनको देने की खातिर फिर यह सड़कों का काम लिया गया।

अब मैं नहीं कह सकता, कि इसमें कोई गडबडियां नहीं हुई या भ्रष्टाचार जिसके लिये कहा गया है वह नहीं हुआ इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोई भी हो इस जगह बैठा हुआ, इस प्रकार की दिक्कत खड़ी हुई हो और इतने बड़े पैमाने पर काम किया गया हो तो कुछ गडबडी की सम्भावना रहेगी। टेम्परेरी ओवरसीयर और मेट लगाये गये। कई लोगों को दूसरे कामों पर लगाया गया। तो इस काम में खामियां रही हैं, मैं कहूं कि कोई खामी नहीं रही, यह गलत बात होगी। पर यह कहा जाय कि सारा ही तैंतीस करोड फालतू चला गया यह मैं ठीक नहीं मानता। कई यूजफुल बड़े बड़े काम हुए हैं। सडकों पर अच्छे काम हुए हैं। कई जगह मैंने दूसरी जगह बिना इत्तला करके और बिना सूचना दिये भी विजिट की हैं और बिना कहे भी चेक किया है। खामियां भी मिली हैं और बराबर काम भी होता हुआ मिला है। इसलिये एक स्वीपिंग रिमार्क दे देना कि हर भाग में रोड पर हर एक ने घोटाले ही घोटाले किये हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। इतने बडे काम पर सुपरविजन के लिये रात दिन, जैसे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नायब तहसीलदार को मैंने तहसीलदार बना दिया किसी तहसीलदार को कलेक्टर बना दिया। अब जो कुछ भी बने उन्होंने वहां आकर काम देखा, सुपरवाइज किया काम को कन्ट्रोल करने की कोशिश की। जितनी जरूरत की मीट आउट करने का हो सकता है, करने की कोशिश की। यह जानने वाले जानते हैं।

बीमारी आई, बीमारी के फैक्ट्स के लिये डूंगरपुर से आने वाले माननीय नेता ने कहा न्यूट्रीशन काफी कम हो गया इसलिये बीमारी का अटैक हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन इलाकों में भैरोंसिंह जी तो काफी घूमे हैं। मैं उनको तो चुनौती नहीं देता। पर आप? आप वहां नहीं गये उन इलाकों में। जहां परेशानी की बात थी। वहां के लोगों की तन्दुरुस्ती कोई गिर गई हो इस बात को कह कर चल नहीं सकते। केयर की तरफ से न्यूट्रीशन का प्रोग्राम हाथ में लिया गया। विटामिन टैबलेट्स के वितरण का काम हाथ में लिया गया डाक्टरों की टीमों ने काफी अच्छा काम वहां किया है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्वयं इनके काम की प्रशंसा की है। तो उनके जरिये भी काम किया गया। यह ठीक है कुछ लोग इन्ट्रो गैस्ट्राइन की बीमारी से मरे। इन्ट्रो गेस्टाइन से जहां अकाल नहीं या वहां मृत्यु हुई है। हर मृत्यु मेल न्यूट्रीशन से हो गई यह मानने का कारण नहीं है। ऐसी फेमीलीज में डेथ हुई है····

व्यवधान

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं एक सरपंच से मिला जिसकी हैसियत अच्छी थी जाति से वह चौधरी था। घर का खाता

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

पीता अच्छा आदमी था–खान-पान की कमी नहीं थी वह कह रहा था मेरी औरत चली गई कौनसा गांव था ?

कई माननीय सदस्य : हीरा की ढाणी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसको खानापानी की कमी नहीं थी। बीमारी आने की वजह से उसकी औरत की मृत्यु हो गई। मेरा यह कहना है मृत्यु हुई है लेकिन बीमारी की वजह से हुई है–स्वभाविक भी हुई है। जैसा मैंने निवेदन किया ऐपेडेमिक कालरा, गेस्टो एन्टाईटीज, चेचक आदि की बीमारी आती है। ऐफर्ट्स होते हुये–ऐफर्ट्स में कमी नहीं हुई। आप सोचिये उस रेगिस्तान में कालरा हो जाय जहां 100 स्क्वायर माइल में एक पंचायत है, उनको खबर दें, डाक्टर को रिपार्ट देने से पहले ही मृत्यु हो सकती है। मुश्किल भी है लेकिन गवर्नमेंट रात दिन एक करके 3–3, 5–5 साल में काम में आये हुये लोगों को काम दिया। अगर उनको ना कह दें तो कहा जा सकता है भूख से मर गये। हमने कहा ना मत कहें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर पहले पार्लियामेंट की टीम आई। उन लोगों ने घूम घूम कर देखा। प्रधान मंत्री ने उस एरिया का विजिट किया, फाईनेन्स मिनिस्टर ने उस एरिया में विजिट किया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उस एरिया में विजिट किया और हजारों की तादाद में वे मिले हैं। पूछना चाहे पूछ लीजिये, जानना चाहे जान लीजिये छोटे मोटे पेमेन्ट के बारे में जितनी बातें कही जाती है–हजारों की तादाद में इकट्ठा करके ले आये और जब इतनी तादाद में इकट्ठे हो तो वे लोग चुप होकर नहीं बैठ सकते हैं–वहां भी कह सकते हैं। मैं शिव तहसील के सरपंच से मिला, जैसलमेर के सरपंच से मैं मिला। मैंने पूछा क्या स्थिति है यहां पर उन्होंने मुझे बताया कि बीमारी की वजह से नुकसान हुआ है लेकिन भूख से मरने वाली बात एक जगह भी नहीं मिली। उस बात को मैं कहकर चलूं, कहने में ना नहीं, कहने वाले अपनी बात कह सकते हैं लेकिन आज के दिन मैं यह कह सकता हूं भूख से मरने वाली बात एक जगह भी नहीं है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, हो सकता है उनकी कोई अलग अर्थमेटिक हो 40 लाख केटिल की डेथ हो गई हमने अन्दाज किया उन चार जिलों के अन्दर 60 लाख के अन्दर टोटल केटिल पापूलेशन है और उस टोटल पापूलेशन के अन्दर इस प्रकार की डेथ हो गई, मैं आपसे निवेदन करूं कुल मिलाकर ....

श्री भैरोंसिंह : टोटल पापूलेशन

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं कह रहा हूं, आप सुनिये उन चार जिलों में–उन चार जिलों की बात कह रहा हूं–बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर उसकी टोटल पापूलेशन गो–वंश, गाय, बछड़ा, बछड़ी–उसकी सारी आबादी 18–19 लाख है। इन चार जिलों में 18–19 लाख भेड़ बकरी, ऊंट आदि भी है। माननीय सदस्य काफी इस इलाके में घूमे हैं। भेड़ बकरियों व ऊंटों की कितनी मृत्यु हुई है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। 10 लाख के करीब माईग्रेट हुई, बाकी मर गई। मैं जब लोगों से डिमान्ड कर रहा था चारा दो, चारा दो। पोकरण और शेरगढ़ की बीच में बड़े कड़वी के ढेर लगे हुये थे। वहां के लोगों ने खुल कर बेचा है।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

और भी जगह पर बेचा है। नागौर में ट्रक के ट्रक भर भर कर प्राईवेट हजारों मन खरीद कर लाये हैं। अगर इस तरह की सप्लाई नहीं होती तो केवल गवर्नमेंट के भरोसे काम नहीं चलता। इन एफर्ट्स के जरिये मैं आपसे निवेदन करूं ये भेडे·······

श्री भैरोंसिंह : आप तो अपने हिसाब से बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं फेक्चुअल बात कहता हूं चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर के बैठने वाले हो, भीलवाडा, मांडलगढ़ के सदस्य सब यहां बैठे हुये है। भरतपुर, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य सामने बैठे हैं, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, दूसरी जगहों के लोग बैठे हैं–आप पूछ लीजिये यह सच है कि भूख से नहीं मरे हैं। भेड बकरी सब जिलों में फैली हुई है। उन लोगों के बीच में झगडा अवश्य हुआ है, झगड़े में मरे हैं। आपने सबकी लाइन साफ कर दी–सिवाय तीन लाख के अलावा फिर हजारों कहां से बैठी। यह समस्या झगड़े की सामने अवश्य है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये। टोटल माईग्रेंट की फीगर्स कितनी है इन्टरनल और एक्सटरनल ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माईग्रेंट के जो आथोराईज्ड रूट्स हैं उसके फीगर्स वक्त वक्त पर कोट होते रहते हैं लेकिन जानने वाले जानते हैं आथोराइज्ड रूट, अन-आथोराइज्ड रूट्स से केटिल हजारों–लाखों की तादाद में गई हैं। यू. पी. में चली गई, मध्य प्रदेश में चली गई, हरियाणा में, पंजाब में चली गई। आपकी भेड बकरियां आज वहां काफी मिलेगी। मैंने कभी दावा नहीं किया कि पशुओं को क्षति नहीं हुई है, हुई है काफी बडी मात्रा में हुई। आज नम्बर आफ सेन्सस कहें, गाय के, भीलवाडा, भरतपुर, धौलपुर काफी जगह से गई कैसे सेन्सस कर सकते हैं। नारमल टाइम हो उस दिन सेन्सस कर सकते हैं। यू. पी., मध्य प्रदेश सब जगह फैली हुई हैं। मैं तो यह कहता हूं मानने वाले इस बात को मानते हैं। बाडमेर, जैसलमेर में अच्छी केटिल को बचाने के लिए फीडिंग प्रोग्राम तैयार करके लाखों केटिल्स को फलोदी, जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर में न्यूट्रिशन को सेव किया जाय तो न्यूट्रीशन बचाने चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी मैं यह निवेदन करूंगा मुझे खुशी है इस बात की हमारे रीलीफ मंत्री जी परसराम जी ने रात-दिन एक करके···

जहां अकाल पडा हैं, काम किया है। इस पक्ष के लोगों ने भी माना है और उस पक्ष के लोगों ने भी माना है। बांसवाडा के माननीय सदस्य बोल रहे थे, बहुत सी बात कह रहे थे लेकिन उन्होंने यह कहा है कि बांसवाडा जिले में काम अच्छा हुआ है···

(शोरगुल)

डूंगरपुर में काम की कोई शिकायत नहीं रही है···

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने आपसे कहा नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे है?

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सदन की अनुमति से सदन का समय एक घन्टें के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : तो मैं यह निवेदन कर रहा था ...

(6 म. प.)

अध्यक्ष महोदय कि काम पिछली बार किये और कुछ कमियां जो इसमें नजर आई उस दृष्टि से भी मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम केबिनेट में भी इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव एजेन्सीज हैं जो काम कराने वाली एजेन्सी हैं पी.डब्लू. डी., ईरिगेशन या साइल कन्जर्वेशन की एजेन्सी है वर्तमान में भी वही ऐजेन्सी पेमेन्ट के लिए रहे या पेमेन्ट की एजेन्सी को तबदील कर दिया जाये कि जिसकी वजह से बहुत सी शिकायतें जो होती हैं वह दूर हो जायें।

(6.01 सायं)

(**श्री पूनमचन्द विश्नोई**, उपाध्यक्ष पदासीन)

इसके अलावा मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां स्पेसिफिक केसेज आफ करप्शन्स गवर्नमेन्ट के नोटिस में लाये गये होंगे उनको एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट को भेज कर कार्यवाही की जायेगी। हमारी तरफ से जहां हमारे नोटिस में आया है टूर के दौरान तो आउट आफ दी वे जाकर कुछ आदमियों को सस्पेन्ड करके इन्क्वायरी के लिए किया। हम नहीं चाहते कि ये चीजें हों और उसी के लिए मैंने आपको विश्वास दिलाया।

श्री रामचन्द्र आर्य : (एक कागज दिखाते हुए) इसकी जांच आप करवा लें ...

श्री उपाध्यक्ष : बीच में बाधा उपस्थित न करें माननीय सदस्य ...

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय हम आशा करके चलते हैं लेकिन सन् 1968-69 और 1969-70 के वर्ष में राजस्थान में जो अकाल की स्थिति रही उसमें कुल मिलाकर राजस्थान स्टेट का जुलाई के आखिर तक करीब 50.78 करोड के करीब राजस्थान के अन्दर खर्च हुआ है और जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स हमको प्राप्त हुई है अब तक 26.01 करोड है। उसके बाद जो हमको रिलिफ फण्ड्स से ट्रान्सफर होता है दो वर्ष में वह 1.86 करोड था और जो अभी सेन्ट्रल असिस्टेन्स और हमें प्राप्त करनी है जिसकी बातचीत जल्दी से जल्दी हम करना चाहते हैं वह करीब 22.91 याने 23 करोड के करीब जो ग्रान्ट सेन्ट्रल टीम ने दी है उसके अलावा भी शेष रह जाती है और आज जिसके लिए हमें एफर्ट्स करने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में जल्दी फैसला होगा कि जिससे इस रकम की वजह से जो ओवर-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
ड्राफ्ट नजर आता है वह रिव्यूज हो जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हीराभाई : माननीय मुख्य मंत्रीजी एक बात बतायें...

श्री उपाध्यक्ष : अकाल सहायता मंत्रीजी आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाडा में जो भी काम हुए वह तो मैंने भी कहा और आपने भी माना लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं और आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि 15 अगस्त से आपने बांसवाडा के कामों को और दूसरी जगहों पर भी बन्द कर दिया और उधर बांसवाडा और डूंगरपुर में अनाज गिर गया है वहां के लोगों को मोटा अनाज तक मिलने में परेशानी हो रही है। वहां के लिए आपने काम क्यों बन्द कर दिया और कब तक चालू होगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसके बारे में निवेदन कर दूं कि यह ठीक बात है कि इस समय राजस्थान के अन्दर कई हिस्से में मोटे अनाज की उपलब्धी के बारे में काफी तकलीफ है। हमने भारत सरकार से पिछले अगस्त के महीने के लिए एक लाख टन की मांग की थी लेकिन एक लाख टन की मांग करने के बाद अभी जो शिप 27 या 28 अगस्त को एक्सपेक्टेड था उसमें से 20 हजार टन उपलब्ध किया है और हम मध्य प्रदेश से और दूसरी जगह से अनाज जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके उसके एफर्ट्स में लगे हुए हैं और हमारी जानकारी में है कि यह मुश्किल है और इसको हल करने के लिए जितनी ज्यादा कोशिश हो सकेगी हम करेंगे।

श्री रामकिशन : वह कह रहे हैं कि राहत कार्य बन्द कर दिये वह कब चालू करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रिलीफ वर्क्स के लिए गवर्नमेंन्ट आफ इन्डिया की तरफ से इन्सट्रक्शन्स थीं कि एक बारिश के बाद काम बन्द कर दिया जाना चाहिए लेकिन एक बारिश के बाद भी जो कई इलाकों की हालत है उसको देखते हुए 15 अगस्त तक चालू हमने काम रखा। अब यह कामकाज चालू रखना सम्भव नहीं था क्योंकि उनको चालू रखा जाता तो सेन्टर से रिलीफ के नाम से कोई फिर असिस्टेन्स नहीं मिलती।

श्री बिरदाराम (जालोर-सु.) : माननीय उपाध्यक्षजी जालौर में नदी आये दस साल हो गए हैं तो वहां पानी बिलकुल सूख गया है...

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर बाद में दिया जायेगा।

श्री बिरदाराम : वहां पर अकाल चार साल से पड रहा है लेकिन आज पानी की एक बूंद भी नहीं हुई है और अकाल राहत के काम भी बन्द हो गये हैं और गरीबों को बहुत मुश्किल है और आपसे निवेदन है कि जहां अकाल राहत के काम बन्द हुए हैं वह चालू कराने चाहिए। आज वहां पर गरीब आदमी बहुत हैं। पिछली साल में जो काम सरकार ने खोले हैं इसके लिए तो बडा धन्यवाद है और वह गरीब जनता भी सरकार को धन्यवाद देती है कि सरकार ने इतने काम वहां पर खोले हैं

(श्री बिरदाराम)

और वह मानती है अगर सरकार ने इतने काम नहीं खोले होते तो हम लोग नहीं बचते और सब मर जाते। तो सरकार ने काम इतने खोले हैं और हमारा निवेदन है कि हमारी सडकों का काम आज अधूरा है वह कार्य चालू किये जायें और मेडबन्दी और तालाब का काम जालौर में पिछली साले में कम हुआ है तो तालाब का कार्य जहां जहां कम हुआ है वह इस साल में किया जाये और अकाल के लिए ट्यूबवैल्स खोदे हैं वह चालू किये जायें। जैसे जालौर में माकोडा में ट्यूबवैल है वह राजस्थान में दूसरे नम्बर का है। लूरण है और दूसरे हैं। हमारे 8 ट्यूबवैल्स हैं तो वह चालू किये जायें और सडकों का काम सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। वहां बारिश नहीं हुई है और वहां की जनता बारिश के लिए तरस रही है और मवेशी लेकर आस-पास के गांवों में जा रही है और उनके खाने के लिए बहुत मुश्किल है। तो आपसे मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल राहत का काम बन्द हुआ है वह जल्दी से जल्दी खोला जाये।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री मदनसिंह : सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे थे और इनको इस तरह से रोका जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया था।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की सफलता है उसकी आलोचना भी होती है और बिना आलोचना के लोकतंत्र के काम की गति रुक जाती है मैं इस आलोचना का स्वागत करता हूं लेकिन एक बात जरूर है कि इस आलोचना के मामले में हम दो बातें सोच लें कि जो आलोचक होते हैं जब आलोचक का काम न करके निन्दक का काम करने लग जाते हैं . .

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): एक सूचना चाहूंगा उपाध्यक्षजी। यह जो समय बढ़ाया गया है तो क्या इस समय में डिबेट रहेगी या यह समय मंत्री प्रवर के जवाब के लिए बढ़ाया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट चालू रहेगी।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : दूसरा प्रश्न यह है कि और जो बिजनेस हैं आज का वह आज लिया जायेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों की इच्छा पर है। अगर ज्यादा समय बढ़ाने की इच्छा है तो . . .

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप कोई फैसला ले लीजिए।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, आज अकाल की बहस समाप्त नहीं हो सकती और बहुत से माननीय सदस्य अभी इस पर बोलना चाहेंगे इसलिए आज स्थगित करके कल रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित करने से लाभ नहीं है। अच्छा होगा कि जितने माननीय सदस्य आज बोल सकें वह बोल जायें।

(श्री उपाध्यक्ष)
उसके बाद में समय बचता है तो मंत्री महोदय उत्तर दे देंगे।

श्री दौलतराम सारण : अभी 6.15 बज रहे हैं और इस तरह से रोज रोज कैसे देरी तक बैठा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में केवल 18 माननीय सदस्य चाहिएं बाकी चाय पीयें और पधारें और वापिस आ जाय।

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्षजी, माननीय भैरोंसिंहजी ने समय समय पर अपना स्टेटमेंट दिया है और उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब कभी आलोचना करते हैं तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं लेकिन एक बात है कि जो भी बात कहें और अब राई का पहाड़ बनाते हैं तो बात अलग है लेकिन मैंने एक बात सुनी कि आज वह अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कबूल की है और उसके लिए मैं बधाई देता हूं कि राजस्थान में कोई आदमी भूख से नहीं मरा। लेकिन उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट समय समय पर दिया। इस प्रकार के जो भाषण दिये हैं उनका विश्वास करना या वह एक राजनैतिक दृष्टिकोण से दिये हैं या नहीं दिये हैं इस बात पर विचार करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी ऐसी बात कही है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उधर बैठने वालों ने भी कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष, ...

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है ...

श्री मूलचन्द डागा : अपने देश में ...

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी यहां पर नहीं हैं, और उन्होंने तथ्य दिये हैं, और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाये जायं कि ऐसे आदमी का विश्वास नहीं करना चाहिए और जैसा कि वे भाषण दे रहे हैं उसके अनुसार उनके नेता पर अविश्वास करें तो वे चमकें नहीं, मैं समझता हूं कि जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा था उसका चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया जवाब हरेक माननीय सदस्य के सम्बन्ध में। उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। वे भी माननीय सदस्य हैं मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की असेम्बली में वाकई कोई चीज देते हैं उनके सम्बन्ध में यह चीज यहां पर ऐसी ही बोल जाते हैं कि भैरोंसिंहजी हमेशा झूंठ बोलते हैं, ऐसा कहना ...

श्री मूलचन्द डागा : झूंठ बोलने का नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : झूंठ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, माननीय सदस्य।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आज ही उन्होंने कहा।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उन्होंने

(श्री मूलचन्द डागा)
यह कहा था कि 46 व्यक्ति भूखों मर गये....

श्री उपाध्यक्ष : मरे मुर्दे खोदने से क्या फायदा ? और सुझाव दीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : मरे मुर्दे खोदने का सवाल नहीं है। आज राजस्थान सरकार ने अपने कामों के जरिये से एक भी आदमी को भूख से नहीं मरने दिया...

श्री नत्थीसिंह : कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने भी कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेस के किसी सदस्य ने नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : श्री अमृत नाहटा के स्टेटमेंट का क्या हो गया ?

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर...

श्री मदनसिंह : अगर कोई झूंठ हो सकती है तो इतने बड़े अकाल में कोई नहीं मरा यह झूंठ हो सकती है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह जो बातें आप कहते हैं और जो एक बात उन्होंने यह कही है कि 46 आदमियों की मृत्यु हो गई 13 मार्च को उन्होंने यह कहा तो मैं पूछना चाहता था और दूसरी बात उन्होंने कहा कि 200 आदमी बीमारी से मरे तो उसी समय हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि 55 आदमियों की जो मृत्यु हुई है वे भूख से नहीं मरे हैं। मैं बारबार आपको बतलाना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार के स्टेटमेन्ट देते हैं कभी अखबारों में कुछ देते हैं और आपने एक काम किया कि 30 हजार रुपये अपनी पार्टी के खर्च करके एक प्रोग्राम बनाया कि जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के इलाकों में जनसंघ के कार्यकर्ताओं को भेजा जाय और यह जांचा जाय कि कितने लोग मृत्यु के शिकार हुए हैं। मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूं। मैंने इन बातों को सुना है। मैं जैसलमेर के इलाके में गया हूं और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे इस तरह की बातें सुनने को मिलीं। राजनीति से बढ़कर मानवता है और जब मानवता का जब विस्तार होता है तो राजनीति कम हो जाती है। आज राजनीति के चक्कर में आकर आपने यह किया कि वहां पर आपने कार्यकर्ताओं को भेजा और आप लोगों ने जो मौत से नहीं मरे थे उनके भी नाम मृत व्यक्तियों में लिख लिये इस प्रकार के रजिस्टर पकड़े गये हैं जिन रजिस्टरों में जहां पर भूख से मौत का सवाल नहीं था वहां पर भूख लिखा है। ऐसे रजिस्टर्स आपके पकड़े गये हैं। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय जब लोग अपनी राजनीति के अन्दर चाहे कोई पार्टी शासन करती हो, चाहे कांग्रेस करती हो या दूसरी पार्टी शासन करती हो, लोग अपना काम मजबूती और ईमानदारी के साथ करते हों, जहां लाखों आदमी अकाल से पीड़ित हों और 20 लाख आदमी काम करते हों, और जहां पर रोज का काम बराबर चलता हो, ऐसी हालत में एक भी आदमी कैम्प में मरा हो, एक भी आदमी भूख से मरा हो, उसका कोई सुबूत नहीं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, और बिना प्रमाणों के इस प्रकार से ऊंची आवाज में बातें करने वाले लोग

(श्री मूलचन्द डागा)
कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने दामन को साफ करें, और जब तक दामन साफ नहीं हो दूसरों पर कीचड़ उछालने की बात नहीं करना चाहिए। वे पहले अपने अंदर को टटोलें।

हिन्दुस्तान में कई बार अकाल हुए हैं और राजस्थान और हिन्दुस्तान में जो अकाल हुए हैं तो सबसे पहले राजस्थान में अकाल हुआ था 1868 और 69 के अन्दर तो उसके लिए क्या लिखा है :–

"The death toll of the famine was estimated by the Enquiry Commissioner, Colonel Brook at somewhere between one third and one quarter of the entire population."

1869 में जो अकाल हुआ उसमें एक-तिहाई पापूलेशन गायब हो गई मौत से शिकार हो गये · · ·

श्री भैरोंसिंह : यह किसका कहना है ?

श्री मूलचन्द डागा : एन्क्वायरी कमेटी का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Are you prepared to face an enquiry commission for this famine.

श्री मूलचन्द डागा : बराबर।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्लान करवायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर इस माम में जांच · · ·

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : अगर माननीय सदस्य में थोड़ा सा भी दम है तो इस बात को सरकार से मन्जूर करा लें कि इस बारे म एक एन्क्वायरी कमीशन एपाइन्ट किया जाय जो इतने टाइम में · · · ·

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी मुकर्रर की हुई है और वह इस बात की जांच करेगी कि कितने आदमी भूख से मरे हैं · · · ·

श्री भैरोंसिंह : केवल तीन आइटम्स पर तीन गांवों की जांच करेगी। पूरे गांवों की जांच नहीं करेगी। उस कमेटी के स्कोप को बढ़ा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उस कमेटी का मैं भी सदस्य हूं। उस कमेटी ने कई बार अधिकारियों से और कलेक्टर के आंकड़े मांगे हैं और कई बार आंकड़े तैयार किये हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो माननीय सदस्य यहां खड़े होकर बोल रहे हैं उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : पाइंट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस समिति के कागज मेरे पास भी हैं। उस समिति की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। गवर्नमेंट से जो पेपर्स लेना चाहे थे वे पेपर्स नहीं मिले। उस समिति के सबजेक्ट को डिस्कस

Page No 155

(श्री भैरोंसिंह)
अगर करेंगे तो हमें भी राइट आफ रिप्लाई होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया इस बात को ध्यान में रखें जो माननीय सदस्य ने कही है।

श्री दौलतराम सारण : उस समिति के माननीय सदस्य भी सदस्य हैं, आप माननीय सदस्य भी सदस्य हैं और मैं भी सदस्य हूं, और उस सम्बन्ध में जो चार्ज हम पर लगायेंगे तो उनको फेस करने के लिए वे तैयार हों और वे समिति की प्रोसिडिंग्स को ओपेन करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे इस बात का खतरा नहीं लेंगे। आप उस बात में न जायें।

श्री मदनसिंह : माफी मांगो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय एक हाउस कमेटी है उसके किसी प्रोसीडिंग को डाइवल्ज करना यह ब्रोच आफ प्रिविलेज है। इसलिए माननीय सदस्य यदि इस बात को सदन में रखते हैं कि उसने क्या मांगा और क्या नहीं मांगा तो इसकी रिपोर्ट आने से पहले इस पर चर्चा न करें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसकी बात नहीं कहता। मैंने एक बात कही है कि आज इतने शिविर लगे····

श्री भैरोंसिंह : उसका क्या हुआ। माननीय सदस्य एक एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का रेफरेन्स दे रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : वह छोड दिया है। अब उस विषय पर नहीं बोलना चाहते।

श्री भैरोंसिंह : कमीशन की रिपोर्ट का जो रेफरेन्स दिया है तो हम भी कमीशन नियुक्त करते के हैं। मैं अकाल मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि वे डागाजी की बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी मेरे ख्याल से सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में इन तीन इलाकों में गया हूं और घूमा हुआ हूं। मुझे मालूम हुआ है कि केम्पों में, शिविरों में कितने हजार आदमी काम कर रहे थे।

श्री मदनसिंह : आप जैसलमेर नहीं गये और आप कह रहे हैं कि गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 56 मील की रोड को मैंने देखा है। वहां पर नजदीक में केम्प्स लगाये गये हैं। केम्प में आने के लिए किसी को मना नहीं किया जाता था। वहां पर बच्चे भी कमाते थे, उनकी औरतें भी कमाती थीं, आदमी भी कमाते थे। मैंने यह बात कहने के पहले वहां के ग्रामीणों से पूछा तो वे ग्रामीण अपनी आवाज में कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ही एक ऐसी सरकार आई है कि जिसके राज्य के अन्दर हमें मौत का मुंह नहीं देखना पडा। यह इस प्रकार के बयान देने वाले माननीय सदस्य जो इस प्रकार से कहते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि इस बात का एक उदाहरण भी दिखायें। भूख से नहीं मर सकता है एक आदमी एक दिन में। वह 7 दिन से पहले नहीं मर सकता है। जब भूख से मरा नहीं और हजारों केम्प खुले हुए थे, हजारों काम खुले हुए थे और केम्पों के लिए पटवारियों को हुक्म दे दिया गया था···

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी कर लूं कि यह भूख से मरने का आरोप लगाया किसने ?

श्री मूलचन्द डागा : आपने लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष : उस वक्त शायद आप सदन में नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : तब तो मैं इग्नोर करता हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : अब आगे जो माननीय सदस्य कई प्रकार के इश्यू दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो, उन्होंने सदन में कहा हो, उसका जवाब दे दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : बीच में बार बार दो ढाई घण्टे में बढ़ा कर चढ़ा कर कहते हैं। उनके काम करने के तरीके में और गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में, उन के मुंह पर चपत मार रहे हैं। अब आप ने कहा है कि 40 लाख जानवर मर गये हैं। मुझे मालूम होता है कि किस प्रकार से सीमा का उल्लंघन कर···

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिसको कि यह मालूम नहीं है कि राजस्थान में जानवर कितने हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह : दो लाख पापुलेशन अकाल से बरबाद हो। उसमें 40 लाख पशु नहीं मरे।

श्री मूलचन्द डागा : मैं भी उतनी ही अकल से बोल सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें बोले हैं। जानवर भी अकल से बोल सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जो सुनना ही पसन्द नहीं करते हैं। यह उनकी गहराई नजर आती है।

"While Ajmer suffered 1.05 lakh deaths or 25% of the total population of the district"

इसके अन्दर–"There was a huge migration of the people in search of food, water and fodder for the cattle"

1869 में जब हुआ तो वन थर्ड पापुलेशन खत्म हो गई।

श्री मदनसिंह : वह गवर्नमेंट सही आंकड़े देती थी। आप सही आंकड़े नहीं देते हैं।

श्री श्रवणलाल : खर्च क्या किया था गवर्नमेंट ने उस समय, यह भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अगर सदन के माननीय सदस्यों की राय हो तो इस डिबेट का रिप्लाई कल दे दिया जाये। इस डिबेट को क्लोज कर दिया जाये और विधेयक को ले लिया जाये।

श्री नत्थीसिंह : 15 मिनट में पास नहीं होगा। यह आप की गलत फहमी है।

श्री मथुरादास माथुर : फेमिन पर डिबेट काफी हो चुकी है। माननीय सदस्यों

(श्री मथुरादास माथुर)
की राय हो तो डिबेट की रिप्लाई कल दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री के भाषण पर पानी फेरने के लिए इनको क्यों खड़ा किया है। गवर्नमेन्ट रिप्लाई तो हो चुकी है।

एक माननीय सदस्य : यह आपके सोचने की बात है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य अगर कहें तो मैं कहना चाहूंगा कि इस डिबेट को क्लोज करते हुए विधेयक को ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिबेट जारी रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी सुझाव दे रहे हैं। आसन ने कुछ भी कह दिया हो। तो माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा जब तक समाप्त करें। इसके पश्चात् माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है, वह मैं जानना चाहूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट आई है, उस पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। अकाल पर काफी वाद-विवाद हो चुका है।

(6. 2 सायं)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुपस्थिति में यह सुझाव रखा है कि इस डिबेट को क्लोज करके, रिप्लाई कल दे देंगे। माननीय सदस्यों की राय हो तो विधेयक ले लिया जाय।

श्री मदनसिंह : No objection.

श्री अध्यक्ष : यह सभी माननीय सदस्यों का सवाल है। इस डिबेट को आगे बढ़ाना नहीं होगा इसके साथ ही इस डिबेट को यहीं समाप्त किया जाये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्षजी मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं उचित समझता हूं कि समाप्त किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : मैंने चेष्टा की लेकिन समय नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के भाषण को भी यहीं समाप्त किया जाता है। और मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनका जो लेजिस्लेशन हो वह रखें।

विधायी कार्य

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969

श्री भैरोंसिंह : कौन सा विधेयक है?

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ विधेयक को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री मनोहरसिंह

(श्री अध्यक्ष)
मेहता, सदस्य विधान सभा निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः–

"यह सदन दिनांक 2 जुलाई, 1969 को श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1969) अस्वीकार करता है।"

बोलने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प प्रस्तुत हुआ मान लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आज ही लिया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष : यह बिल समझ लिया है राजस्थान विधान सभा के आर्डिनेंस, विधेयक, डिप्टी स्पीकर के एमोल्यूमेंट्स से सम्बन्धित आर्डिनेंस है।

श्री भैरं सिंह : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर...

श्री अध्यक्ष : उनको आमन्त्रित करने के प्रश्न पर पाइंट आफ आर्डर उठाते हैं? मैं ठहर भी सकता हूं उनके आने के लिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप वापिस लेते हैं तो आज्ञा प्रदान की जाये। प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री मनोहर सिंह मेहता ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन, सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री रामकिशन (अनुपस्थित)।

राजवी श्री रूपसिंह (अनुपस्थित)।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री नत्थीसिंह : मैं बोलना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो देश में परम्परा चल रही है कि जो लोग पदों पर बैठे हैं उनका वेतन मान बढाया जाय। कभी मिनिस्टरों का वेतन बढाया जाय, कभी अध्यक्ष महोदय का वेतन मान बढाया जाय...

श्री अध्यक्ष : कहां बढाया गया है?

श्री नत्थीसिंह : थोड़ी देर के बाद माननीय सदस्यों का वेतन मान बढाया जायगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार देश की आर्थिक

(श्री नत्थीसिंह)
स्थिति के साथ में खिलवाड किया जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति पर बिना गम्भीरता से विचार किए हुए थोडी देर के बाद में सदस्यों का वेतन मान बढ़ाने जा रहे हैं लेकिन जो देश के अन्दर गरीब तबका है, जो कर्मचारी वर्ग ह, जो छोटे तबके के लोग हैं उनका वेतन मान बढ़ाने का प्रश्न आता है तो सरकार कहती है कि सरकार के पास धन की कमी है, धनाभाव है। लेकिन पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनका वेतन मान इस प्रकार बढाया जाय। मैं समझता हूं यह स्थिति अत्यन्त निन्दनीय है और वह सरकार बिना इस बात की परवाह किय हुए जो लोग ऊपर पदों पर बैठे हुए हैं, उनका वेतन मान बढ़ाने के लिए और बढ़े हुए वेतन मान को लागू करने के लिए बिल लाती है और आर्डीनेन्स निकालती है। इसलिए मैं इस बिल की निन्दा करता हूं और इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : (श्री मथुरादास माथुर से) Yes.

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव कर चुका हूं कि इसे पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1969 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969–संख्या 31 सन् 1969

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969 (विधेयक संख्या 31) को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह : कौनसा है ? कौनसा ?

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोद, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

पुरःस्थापित विधेयक राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1969 (विधेयक संख्या सन् 1969) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने एक बिल इन्ट्रोड्यूस किया है, यह सरक्यूलेट नहीं हो पाया है, लेकिन यह पुराना बिल है और उसमें एक मामूली तरमीम के लिए यह तीसरा बिल मैंने आपके सामने इन्ट्रोड्यूज किया है, मैं रूलस के रिलेक्सेशन के लिए आज्ञा चाहूंगा ताकि इस बिल को विचारार्थ लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस बिल को सरक्यूलेट नहीं किया गया है, हमें पता नहीं इसमें क्या है क्योंकि इसकी स्टडी करने का हमें मौका नहीं दिया गया है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री नत्थीसिंह : मैं अधिक नहीं कहूंगा लेकिन मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता है क्योंकि जो रूल को रिलेक्स करने के लिए कहा है, उस पर मैं कह दूं ....

श्री नत्थीसिंह : मैं भी उस पर ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावना, सद्भावना और सदमति को मैं समझता हूं। मैं रूलस को रिलेक्स नहीं कर रहा हूं।

सदन की कार्यवाही (विराम) कल रिप्लाई, आई मीन, मिनिस्टर का कल रिप्लाई होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसका ?

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय 6 बज कर 37 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 2–9–69 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 48 की सूची)

पंचों के रिक्त स्थानों की सूची

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	रिक्त स्थान होने की तिथि	कारण
1	2	3	4
अलवर	1. नीमराना	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
	2. रेणी	29-4-67	अविश्वास
	3. मंडावर	28-3-66	अवैध घोषित
	4. बानसूर	26-4-67	अविश्वास
झुंझुनू	5. चिडावा	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
	6. उदयपुर वाटी	1-3-67	,, ,,
	7. अलसीसर	23-6-67	अविश्वास
उदयपुर	8. खैरवाडा	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
	9. राजसमन्द	5-8-66	मृत्यु
	10. कुम्भलगढ	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
	11. आमेट		अविश्वास
स. माधोपुर	12. करोली	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
	13. नादौती	1-3-67	,, ,,
भीलवाडा	14. रायपुर	13-1-67	मृत्यु
बीकानेर	15. बीकानेर	20-4-67	उच्च न्यायालय द्वारा अवैध
जोधपुर	16. ओसिया	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित

Page No 162

1	2	3	4
चित्तौडगढ	17. चित्तौडगढ	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
झालावाड	18. मनोहर-थाना	1-3-67	,, ,,
डूंगरपुर	19. डूंगरपुर	26-2-67	अविश्वास
सिरोही	20. शिवगंज	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
गंगानगर	21. गंगानगर	13-3-67	मृत्यु
	22. नोहर	29-8-67	पृथक् किया गया
	23. भादरा	30-12-67	अविश्वास
जयपुर	24. शाहपुरा	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
	25. बस्सी	17-6-69	मृत्यु
नागौर	26. जायल	1-3-67	विधान सभा सदस्य निर्वाचित
जालौर	27. सायला	1-3-67	,, ,,
सीकर	28. श्री माधोपुर	1-3-67	,, ,,
भरतपुर	29. कुम्हेर	15-7-69	अविश्वास
	30. बयाना	24-12-65	,,
कोटा	31. चेचट	15-1-68	,,
पाली	32. खारचो	29-11-67	,,
बूंदी	33. नैनवां	24-4-68	,,

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 493 की सूची)

पंचायत समिति पाली द्वारा वर्ष 1959–60 में वितरण किये गये बीज का विवरण

क्र. सं.	सरपंच जिन्हें बीज दिया गया	दिनांक बीज देने की	किस्म बीज	मात्रा जो दी गई		
				मन	सेर	छटांक
1.	श्री भंवरसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत हेमावास ।	12–12–59	कणक	1182	20	00

परिशिष्ट 3

(ता.प्र.सं. 497 की सूची)

सरकारी सस्ते अनाज विक्रेता के बकाया बिलों की सूची

1.	मै. रामकिशन चेनाराम, सेवाडा	1339.94
2.	मै. खेराजराम कुम्भाराम, डूंगगडी	3375.59
3.	मै. आसूलाल, केरिया	2628.20
4.	मै. राजराम फूलचन्द, झाव	4061.58
5.	मै. हीरालाल मेघराज, झाखल	1618.98
6.	मै. बुर्गचन्द हस्तीमल, सरवाना	2775.00
7.	मै. ताराचन्द मानमल, चौरा	2149.05
8.	मै. खीमराज लालचन्द, अरणाय	2079.60
9.	मै. सुजानाराम भीमाराम, सांकड	197.04
10	मै. चुन्नीलाल लक्ष्मीचन्द, चितलदाना	1332.38
11.	मै. शम्भूलाल मणिशंकर, चाखडा	580.50
12.	मै. वीरमाराम घन्नाराम, मीलवी	309.50
13.	मै. सम्पतराज हस्तीमल, रानीवाडा	171.75
14.	मै. सोहनलाल हिन्दूमल, दौरडा	120.60
15	मै. छगनलाल चुन्नीलाल, हडेचा	604.66

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बाडमेर जिले में अकाल राहत कार्य और मजदूरों की बकाया राशि

499. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाडमेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) बाडमेर जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1968-69 एवं 69-70 में किन किन राहत कार्यों में किन किन मजदूरों की कितनी कितनी मजदूरी कितनी अवधि की बकाया है ? सूची उनके मस्टर रोल नम्बर देते हुये सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) राज्य सरकार मजदूरों को उक्त बकाया राशि किस प्रकार कब तक देने की व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मेडिकल कालेज में प्रवेश

500. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सन् 1968-69 सत्र के लिए राज्य के समस्त मेडिकल कालेजों में जुलाई से पूर्व कुल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना निश्चित किया गया था ? इस संख्या में कब कब कितनी कितनी वृद्धि की गई ? इस सम्बन्ध में जारी की गई आज्ञाओं की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) भाग (1) में निर्धारित कुल संख्या में से कितनी सीटें किन किन प्रकार के लोगों के लिये रिजर्व की गई थी ?

(3) भाग (2) में अंकित संख्या में किन किन लडकों को प्रवेश दिया गया, उनके नाम, पिताजी का नाम, उनका पता और रिजर्व लिस्ट में प्रवेश दिये जाने का कारण उल्लेख कर एक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि प्रवेश पाने की अधिकतम आयु 21 वर्ष रखी गई थी और बाद में 30-8-1968 को इस सीमा को बढा कर 22 वर्ष कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस आदेश के पश्चात् प्रार्थना-पत्र आमंन्त्रित किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इस आदेश का लाभ जिन जिन लड़कों को मिला उनके नाम, पिता का नाम, उनके पतों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि डाक्टरों, वैद्यों, हकीमों, राजनैतिक पीडितों एवं सभासदों के बच्चों की बाबत जो रिजर्वेशन किया गया था उसे उच्च न्यायालयों ने असंवैधानिक करार दे दिया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने आगामी वर्ष के लिए इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मंगलसर व मल्लाना बांध के पेटे की जमीन का मुआवजा

501. श्री गंगासहाय (कठुमर सु.): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि तहसील राजगढ जिला अलवर के बन्ध मंगलसर व

(श्री गंगा सहाय)

मल्काना के पेटे की जमीन का मालिकान को मुआवजा दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि डब (पेटे) में आने वाली जमीन के मालिकान को खुद-काश्त के लिए भूमि भी दी जा चुकी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि डल बन्धों के पेटे की भूमि काश्त के लिए उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनके पास पहले से ही पर्याप्त भूमि है और स्वयं काश्त न करके भूमिहीनों को बांटे पर देते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। पर इनका कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है।

(2) यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) पेटे काश्त की भूमि भी तहसील-दार द्वारा अस्थाई तौर पर नियमानुसार आवंटित की जाती है।

गांधी पुराण पुस्तक की खरीद

502. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गांधी साहित्य की खरीद के अन्तर्गत "गांधी पुराण" नाम की पुस्तक की खरीद की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो कितने सैटों का आर्डर दिया जा चुका है ? और अब कितनी प्रतियों का दिया जाने वाला है ?

(3) एक सेट में कितनी पुस्तकें हैं तथा एक सेट की कीमत क्या है ?

(4) क्या इस ग्रन्थ की खरीद के लिए स्वीकार करते समय किसी विद्वान् या खरीद कमेटी ने इसे देखा था ?

(5) यदि हां, तो उनकी राय की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) "गांधी युग पुराण" नामक पुस्तक की वर्तमान में प्रकाशित केवल दो जिल्दों की 800 (आठ सौ मात्र) प्रतियां खरीदने का आदेश दिया गया है।

(3) वर्तमान में प्रकाशित केवल दो जिल्दों का सैट ही खरीदने की स्वीकृति दी गई है, जिसकी कीमत 12) रु. प्रति जिल्द है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाली जिले में चाही भूमि की सिंचाई के लिये पानी

503. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में वर्षा के अभाव से सुमेरपुर जिला पाली के कुओं में पानी बहुत ही नीचे चला गया है और चाही भूमि को यदि जवाई बांध से पानी नहीं दिया गया तो कुएं खोदने का उत्साह लोगों का मारा जायगा ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई पटवारी लोगों से पैसा खाकर अर्थात् घूस लेकर जनाई बान्ध क्षेत्र में चाही भूमि को पानी दे देते हैं ? यदि हां, तो फिर चाही क्षेत्र में नियमित रूप से ही पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

उत्तर

(1) कुओं में पानी कम होने बाबत इस कार्यालय को कोई ध्यान नहीं है। सिंचाई व जल विकास अधिनियम सन् 1955 की धारा 31 की उप-धारा 101 (अ) के तहत जिस जमीन को पानी पिलाने का कोई अन्य साधन हो तो उसे नहरी पानी नहीं दिया जाता है, नहरी पानी केवल सीमित क्षेत्र में तथा सीमित तादाद में रबी में ही मिल पाता है जबकि कुओं से पानी कृषक को अपनी इच्छानुसार तीन फसलों में उपलब्ध हो जाता है। अत एव कुए खोलने का उत्साह कम होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

(2) इस प्रकार की कोई सूचना इस विभाग में नहीं है। सिंचन व जल विकास अधिनियम, 1955 की धारा 10 के सेक्सन 39 (बी) के तहत जिस जमीन में पानी दिलाने के अन्य साधन हों तो उस जमीन में नहरी पानी नहीं दिये जाने का प्रावधान है ताकि उस पानी से अन्य अधिक गैर चाही भूमि सिंचित हो सके।

पंचायत समितियों में नियुक्त एकाउन्टेन्ट

504. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अधिकांश पंचायत समितियों में जो एकाउन्टेन्ट्स हैं वे राजस्व विभाग आदि से डेपूटेशन पर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के क्लर्कों में से कई क्लर्कों ने एकाउन्टेन्ट की परीक्षा पास कर ली है लेकिन उनको एकाउन्टेन्ट के पद पर नियुक्ति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने क्लर्क हैं और उनको किन कारणों से नियुक्ति नहीं दी जाती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समितियों में एकाउन्टेन्ट के कोई पद नहीं हैं। अकाउन्टस् क्लर्क अवश्य हैं जो मुख्य लेखाधिकारी की ओर से पंचायत समितियों में डेपूटेशन पर हैं।

(2) 141 लिपिकों ने अकाउन्ट्स क्लर्क की परीक्षा पास की हैं। इनमें से अब तक 50 को अकाउन्टस् क्लर्क नियुक्त कर दिया है बाकी के लिपिकों को भी स्थान रिक्त होने पर राज्य सेवा में लेकर पंचायत समितियों में डेपूटेशन पर भेजे जा सकेंगे।

त्रि-भाषा फार्मूला

505. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने त्रि भाषा फार्मूले पर विचार किया है ? राज्य सरकार की इस फार्मूले को राजस्थान में लागू करने के संबंध में क्या राय है ?

(2) क्या राज्य सरकार दक्षिण भारत में हिन्दी के अध्ययन को प्रेरणा देने तथा दक्षिण और उत्तर भारत में अधिक भाषाई एकता कायम करने की दृष्टि से यह उचित समझती है कि स्कूल स्टेज में ही अंग्रेजी की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अनिवार्यता समाप्त करके उसके स्थान पर दक्षिण भारत की एक भाषा तामिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड ग्रूप में से कोई एक भाषा का सीखना अनिवार्य कर दिया जाय ?

उत्तर

(1) राजस्थान में त्रिभाषा फार्मूला को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान में त्रिभाषा फार्मूला के अन्तर्गत राजस्थान राज्य की शालाओं में हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषायें पढाई जाती हैं। पहली दो भाषायें अनिवार्य रूप से सबको पढाई जाती है। तथा संस्कृत भाषा भाषाई अल्प संख्यकों के अतिरिक्त सबको पढाना आवश्यक है। भाषाई अल्प संख्यकों को तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत के स्थान पर उनकी मातृ भाषा पढाई जाती है।

(2) दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन को सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार द्वारा सन् 1966-67 में एक योजना स्वीकृत की गई थी और इस ही वर्ष में तामिल में 25, मलयालम में 3 व बंगाली में एक पद स्वीकृत किये गये थे। जिसके अनुसार तामिल जैसलमेर जिले को छोड कर प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर के एक स्कूल में मलयालम, जयपुर, अजमेर व उदयपुर के एक स्कूल में तथा बंगाली जयपुर के एक स्कूल में पढाने की स्वीकृति दी गई थी। परन्तु उक्त विषय निर्धारित छात्रों की संख्या द्वारा स्वीकार न करने तथा उक्त विषयों में अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण चालू न हो सका। तृतीय भाषा का प्रश्न अभी भी भारत सरकार के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर लागू कर दिया जावेगा।

कुशलगढ क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

506. श्री हीरालाल (कुशलगढ सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाडा के कुशलगढ क्षेत्र में 1 मई से 31 मई, 1969 तक कितने रिलीफ कार्य चालू थे और उन कार्यों में कितने मजदूर काम पर लगे हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि जो कार्य मई में चल रहे थे उनमें से माह जून में काफी कार्य बन्द कर दिये गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त कार्य बन्द करने के पहले रिलीफ कानून के तहत कलेक्टर को कारण सहित लिखित सूचना दी गई थी ? अगर हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राहत कार्यों पर लगे हुए अकाल पीडित लोगों को कार्य बन्द करने से पूर्व दूसरे कार्य पर लगाने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाडा के कुशलगढ क्षेत्र में 1 मई, 69 से 31 मई, 69 तक कुल 64 सहायता कार्य चालू थे और उन पर कुल 35,429 मजदूर लगे हुए थे।

(2) जी नहीं, जो कार्य माह मई, 69 में जारी थे उनमें से केवल 8 कार्य ही माह जून 69 में बन्द हुए हैं। तथा उनके स्थान

(अकाल सहायता मंत्री)
पर 8 कार्य नये प्रारम्भ किये गये हैं। ये सभी कार्य पूर्ण हो जाने से ही बन्द किये गये थे। कार्य बन्द होने की सूचना संबंधित अधिकरण ने जिलाधीश को दी थी।

(3) जी हां, कार्य बन्द करने पर मजदूरों को मजदूरी दिलाने के लिए 8 नये कार्य माह जून, 69 में प्रारम्भ किये गये थे।

राजस्थान नहर की मूल योजना

507. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान नहर की मूल योजना कब बनी थी और वह योजना क्या थी?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान की मूल योजना को बिल्कुल बदला जा रहा है? अगर हां, तो वह योजना क्या होगी और बदलने के आधार क्या हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नहर की मूल योजना की लिफ्ट योजना को महत्व दिया जा रहा है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि लिफ्ट योजना का निर्माण न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही उत्पादन की दृष्टि से लाभदायक है?

(5) क्या यह भी सही है कि विशेषज्ञों की भी राय यही है कि इसका निर्माण नहीं होना चाहिए?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की कुल योजना सन् 1957 में बनी थी। इस योजना के अनुसार 66.46 करोड रुपयों में एक 426 मील नहर (110 मील पक्की व 316 मील कच्ची) द्वारा 16.84 लाख एकड भूमि (7.02) लाख एकड बारहमासी व 9.82 लाख एकड में सिर्फ खरीफ) में सिंचाई का प्रावधान था।

(2) राजस्थान नहर की मूल योजना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं जो मुख्यतया इस प्रकार हैं:—

1. व्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण।
2. यह सारा प्रोजेक्ट बारहमासी हो गया है और कुल सिंचाई 31.24 लाख एकड होगी।
3. नहरों की लम्बाई जो पहले लगभग 2500 मील थी, अब लगभग 4000 मील होगी।
4. लिफ्ट नहरों का समावेश।
5. 110 मील लम्बाई में राजस्थान फीडर पक्का करने के बजाय पूरी लम्बाई (426 मील में इस नहर को पक्का करने का प्रावधान।
6. Intensity of Irrigation 78% से 110% बढाना।
7. डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम को पक्का करना।

राजस्थान एवं देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एवं 1960 की

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री)
भारत पाक संधि के अंतर्गत उपलब्ध पानी को समुचित रूप से काम में लेने के विचार से परिवर्तन किए गए हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

नियोजन कार्यालय बांसवाडा मे नोकरियों के लिए दर्ज नाम

508. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा सु.) क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज, बांसवाडा में 1-1-1969 से 30-6-1969 तक कुल कितने व्यक्तियों ने अपने नाम लिखवाये तथा उनमें से कितनों को रोजगार मिला और कितनों को काम मिलना है?

(2) क्या यह सत्य है कि इस दफ्तर में आदिवासियों द्वारा स्कूल का प्रमाण-पत्र जिसमें जाति लिखी होती है पेश करने पर भी उन्हें आदिवासी मानकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो गत 6 माह में कुल कितने आदिवासी रजिस्टर हुए कितनों को काम दिया गया तथा कितनों को काम मिलना है?

(3) क्या यह सत्य है कि नियम के अनुसार एक राजपत्रित अधिकारी ही एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज को चलाने के लिये जवाबदार होता है? यदि हां तो वर्तमान में वहां अराजपत्रित अधिकारी क्यों है? यदि नहीं तो राज्य म किस किस एक्सचेन्ज में अराजपत्रित अधिकारी इन्चार्ज हैं?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस एक्सचेन्ज का कार्य राज्य में सबसे कम है? यदि हां, तो क्यों? इसके निवारण के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) बांसवाडा एम्पलाएमेंट एक्सचेंज में 1-1-69 से 30-6-69 तक कुल 938 लोगों ने नाम लिखवाया इस अवधि में 123 लोगों को रोजगार मिला तथा 30-6-69 को 1121 व्यक्ति रोजगार की प्रतिक्षा में वहां के चालू रजिस्टर पर उपलब्ध थे।

(2) जी नहीं। पिछले 6 माह में 139 आदिवासी रजिस्टर हुए। इस अवधि में 19 आदिवासियों को रोजगार दिलवाया गया तथा 201 आदिवासी 30-6-69 को चालू रजिस्टर पर उपलब्ध थे।

(3) साधारणतया राजपत्रित जिला नियोजन अधिकारी एम्पलायमेंट एक्सचेंज चलाने के लिये जिम्मेवार होता है किन्तु विशेष परिस्थितियों में उनके नीचे काम करने वाला अवर नियोजन अधिकारी भी उनकी अनुपस्थिति में कार्य चला सकता है। कुछ सप्ताह पहले जिला नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा के स्थानांतरण के अवसर पर उन्होंने अपना चार्ज वहां के अवर नियोजन अधिकारी को संभला दिया था। वह

(श्रम मंत्री)

व्यवस्था केवल तब तक के लिये की गई है जब तक कि दूसरे जिला नियोजन अधिकारी वहां नहीं पहुंचते। इस समय ऐसी व्यवस्था किसी अन्य कार्यालय में नहीं है।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

चित्तौड़गढ़ डिवीजन में सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित राशि

509. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष दीर्घ मध्यम व लघु बोनस के अन्तर्गत कितनी धनराशि चित्तौड़गढ़ डिवीजन को आवंटित की गई? अब तक कार्यों की क्या प्रगति है? इन योजनाओं के सम्पूर्ण होने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

(2) क्या अकाल सहायता फण्ड से भी इस जिले की लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं पर कार्य किए गए हैं? यदि हां, तो वे कुल कितने कार्य हैं? उनकी अब तक की क्या स्थिति है और कितना रुपया उन पर खर्च किया जा चुका है? सूची देने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जो तालाब अकाल सहायता फण्ड से निर्माण किए हैं उनमें वे भी तालाब हैं जो सिंचाई विभाग से संबंधित नहीं हैं? यदि हां, तो उनके अधूरे कार्यों के पूर्ण कराने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) विस्तृत ब्यौरा संलग्न तालिका (अ) में अंकित है।

(2) जी हां। ऐसे कार्य क्रमशः 3 व 4 है जिन पर कुल 23-26 लाख व 2.50 लाख रुपये खर्च किया जा चुका है। विस्तृत सूचना तालिका (अ) व (स) में अंकित है।

(3) जी हां, अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक धनराशि पंचायत समितियों उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विकास पंचायत पिड़ावा द्वारा आयोजित मेला

510. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पिड़ावा जिला झालावाड के तत्वाधान में सन् 67–68 व 68–69 में विकास पंचायत पिड़ावा ने मेला लगाया था? दोनों सालों के मेलों में कितनी कितनी आमदनी हुई? कितना खर्चा हुआ?

(2) क्या यह सही है कि इन मेलों में पंचायत समिति द्वारा मनोरंजन कर भी वसूल किया गया था? यदि हां, तो कितना कितना? अगर नहीं वसूल किया तो क्यों और किसके आदेश से?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) पंचायत पिडावा ने मेला लगाया था किन्तु पंचायत समिति पिडावा के तत्वाधान में नहीं लगाया। 1967–68 में मेले की आय 1055.41 पैसे एवं व्यय 1554.58 पैसे का हुआ। वर्ष 1968–69 में आय 1506.21 पैसे व व्यय 1802.85 पैसे हुआ।

(2) पंचायत समिति द्वारा मनोरंजन कर वसूल नहीं किया गया। पंचायत ने 12 प्रतिशत से मनोरंजन कर की वसूली की।

ग्राम बघेरा, खादेडा डिस्पेन्सरी

511. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम बघेरा व खादेडा में डिस्पेन्सरीज कब से चल रही हैं और उनको अब तक कितना कितना रुपया किस किस मद के लिए दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिस्पेन्सरीज में आऊट डोर व इन डोर मरीजों की कितनी संख्या रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि जहां डिस्पेन्सरीज में भरती करने की जगह एवं स्वीकृति हो वहां प्रत्येक बिस्तर पर 50 रु. अलग से दिया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि बघेरा ग्राम के चिकित्सालय का गत दो साल से बजट में नाम नहीं है ? और उक्त चिकित्सालय को दवाइयां काफी मात्रा में दी जाती हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम बघेरा व खादेडा में चिकित्सालय क्रमशः वर्ष 1962 एवं 1955 से चालू है। दिनांक 1-10-59 से खादेडा डिस्पेन्सरी को प्रा. स्वा. के. में परिवर्तित कर दिया गया है।

(2) बघेरा चिकित्सालय को औषधियों के मद में 1,509/- रुपये एवं प्रा०स्वा०के० खादेडा को 3,500 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाती रही है।

(3) उक्त संस्थाओं में सन् 1968 में चिकित्सा किये गये रोगियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

	इन-डोर	आउट-डोर
बघेरा चिकित्सालय	189	19692
प्रा.स्वा.के. खादेडा	34	13514

जी हां।

(4) बघेरा चिकित्सालय का नाम अजमेर जिले के बजट में है और जो बजट
(5) अन्य चिकित्सालय एवं औषधालय के मद में प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर को दिया गया है उसमें इसका बजट भी सम्मिलित है।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में घोषित कमान्ड क्षेत्र

512. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हंसराज आर्य)

(1) राजस्थान कैनाल के क्षेत्र में जो भूमि इस समय अनकमाण्ड कर रखी है और वास्तव में मौके पर वह कमाण्ड है पानी उस भूमि में आरजी नाले तथा मोगे मौके पर दे रखे थे या उस भूमि में से टूट कर स्वतः ही पानी लग जाता है ? क्या ऐसी भूमि को शीघ्र कमाण्ड घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं यदि हां, तो इसका आदेश कब तक सरकार जारी कर देगी ?

(2) क्या इस समय राजस्थान कैनाल में पानी की कमी है ? यदि नहीं, तो ऐसी भूमि में पानी क्यों नहीं दिया जाता है ?

(3) राजस्थान कैनाल से पिछले वर्ष खरीफ में कितनी और रबी में कितनी भूमि कमाण्ड हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर जो भूमि अनकमान्ड दिखाई गई है और वास्ताव में वह कमान्ड हो सकती है उसको पानी देने में कोई एतराज नहीं है । यदि इस प्रकार का कोई मामला आवेगा तो उसको कमान्ड घोषित करने के लिए उचित कार्यवाही करली जावेगी ।

(2) राजस्थान नहर में केवल 2–3 महीनों (जुलाई से सितम्बर तक) के अलावा पानी की कमी रहती है । प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में जैसा कि सूचित किया है कि यदि इस प्रकार का कोई मामला आवेगा तो उसको कमाण्ड घोषित करने के लिए उचित कार्यवाही करली जावेगी ।

(3) राजस्थान कैनाल में पिछले वर्ष खरीफ में लगभग 2,08,000 एकड़ भूमि में व रबी में लगभग 37,000 एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है ।

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 480 की सूची)

सूची ठेका सवाई माधोपुर व खडाण्र वर्ष 68–69

क्र. सं.	नाम रेन्ज जिसमें ठेका स्वीकृत हुआ	ठेके का नाम	ठेके का क्षेत्रफल	ठेका राशि	ठेकेदार का नाम
1	सवाई माधोपुर	कत्था कूप वर्ष 68–69	12932 एकड सवाई माधोपुर की कम्पार्ट नं0 5 से 7 व 10 से 15 व 19 ब्लोक सवाई माधोपुर मेन कम्पार्ट नं0 21 से 27 व 29 से 39 ब्लोक सावना दलवन कम्पार्ट नं0 20 22	3,10,000/- बिक्रमुक्ता	श्री हातिमहुसैन पुत्र श्री यासीन अली कोटा।
2	सवाई माधोपुर	कूप शेरपुरा जागीर ईसरदा	230 एकड वर्ष 68–69	—	श्री गुलाब खां जुम्मा खां

:सूची:

ठेके के कार्यकाल में ठेकेदार द्वारा निम्न खिलाफावर्जियां पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1 बिना स्वीकृति कूप की सीमा के बाहर कुल 4770 घास स्वजना निर्धारित किया गया काटने वास्ते बनाने टपरियां एफ. आई. आर. नं0 1117/6, 288/50, क्र01117/20, 1107/120	23,850–00
2 बिना स्वीकृति डेरे लगाना	200–00
3 872 बोया खैर के वृक्षों को छाल उतारना	1744–00
4 धोक 88,9 से कम गोलाई के, 20 पेड़ों धोक 2 बलेन्डी, 19 गोयार खैर, 1 फुट से कम गौलाई के खैर 66।	455–70
5 सीमा के बाहर 37 पेड खैर के 12 से ऊपर के तथा 114 पेड़ 12 इंच से कम के काटने पर तदारूक	598–00
6 74 पेड़ों के टाचा लगाकर छोड दिया गया उन पर तदारूक 2।- रु0 प्रति पेड से।	148–00
7 कूप के अन्दर 12 इंच से कम गोलाई के 85 पेडों को काटने पर तदारूक	170–00
8 कूप के पेड़ों का ड्रेसिंग ठीक प्रकार न होना व इनके दुबके टाचे लगे पेडों को छाड़ देना पर तदारूक	150–00
योग	27,315–70

Page No 176

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 773 की सूची)

सूची काश्तकारान जिनकी खातेदारी भूमि तालाब लांक में है।

क्रमांक	नाम खातेदार
1.	गोपी चन्द वल्द भोलू गूजर
2.	रूपा वल्द देव करणा
3.	रामनिवास वल्द चन्दा गूजर
4.	घीसा वल्द जगन्नाथ गूजर
5.	बद्री वल्द कल्याण गूजर
6.	देवीलाल वल्द गोरा गूजर
7.	भंवरलाल वल्द लाल गूजर
8.	सूरजकरण वल्द भागूता गूजर
9.	शोभा नारायण वल्द श्योचन्द
10.	सोहनलाल वल्द राधाकिशन
11.	गोपी वल्द भागूरत गूजर
12.	देवलाल वल्द उद्दा गूजर
13.	भाग्या वल्द जमनालाल नाई
14.	मूल्या वल्द केसरलाल ब्राह्मण
15.	रामनिवास वल्द नारायण गूजर
16.	छीतर वल्द श्योदाना गूजर
17.	रामकिशन वल्द कल्याण गूजर
18.	रामाकिशन वल्द रामदेव चमार
19.	गोपी वल्द रामदेवा चमार
20.	लखा वल्द रामदेवा चमार
21.	मनसुखा वल्द हाला चमार
22.	सोंघा वल्द धाना कुम्हार
23.	किशना वल्द भोलू गूजर
24.	घीसा वल्द धाना कुम्हार
25.	श्रीलाला वल्द काना
26.	कालू वल्द काना
27.	बृजमोहन वल्द गजानन्द ब्राह्मण
28.	देवा वल्द घासी गूजर
29.	देवकरण वल्द लाला गूजर

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. सं. 777 की सूची)

पंचायत समिति केशोराय पाटन में कार्य कर रहे लिपिकों का विवरण ।

क्र. सं.	नाम	पद	पंचायत समिति में कब से कार्य कर रहे हैं ।	वार्षिक वेतन वृद्धि देने का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	8	4	5	6
1.	श्री चांदमल जैन	लेखा लिपिक	3-1-68	नियमानुसार वेतन वृद्धि दी गई	
2.	श्री राधेश्याम गुप्ता	वरिष्ट लिपिक	26-7-67	2-3-69	दिनांक 25-1-67 से निलम्बित है । इनके स्थान पर कनिष्ट लिपिक की स्थाई नियुक्ति की ।
3.	श्री वसंत कुमार	,,	1-5-63	निलंबित होने के कारण वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ।	
4.	श्री मैरूदत्त दधीच	,,	8-2-62	8-2-69	—
5.	श्री घन्ना लाल	,,	9-12-64	—	टाइपिंग परीक्षा पास करने के कारण 30-12-68 से वेतन वृद्धि नहीं दी गई ।

1	2	3	4	5	6
6.	श्री राजू हुसेन बैलिक	कनिष्ट लिपिक	9-5-69	—	टाईपिंग परीक्षा पास करने के कारण दिनांक 19-3-69 नहीं दी गई।
7.	श्री बजरंगलाल नामा	"	18-5-67	18-5-69	—
8.	अशोक कुमार	"	7-8-69	—	नई नियुक्ति
9.	श्री राधावल्लभ शर्मा	"	7-8-69	—	"

शुद्धि–पत्र

(सोमवार, दिनांक 1 सितम्बर, 1969)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	शीर्षक	बाईवां	बाईसवां
,,	अन्तिम से 9	श्री कन्हैयाला	श्री कन्हैया लाल
9	,, 9	श्री ना । ग सिंह	श्री नारायण सिंह
,,	,, 6	ेंगे	होंगे
11	1	तहसी	तहसील
16	अन्तिम से 11	श्री गंगा म	श्री गंगाराम
21	,, 11	डाईरेकटोरेट	डाईरेक्टोरेट
23	1	गह	श्री नत्थी सिंह
,,	11	आपने ··—	आपने ले रखी है
,,	13	मं ा ी	मन्त्री
,,	17	नन्त्र	मन्त्री
,,	अन्तिम से 11	का स पेन्डेन्स	कारसपोन्डेन्स
,,	,, 5	व ी	बून्दी
,,	,, 4	व ा ध	का प्रबन्ध
,,	,, 3	—	488
26	,, 10	श्री बजवल्लभ बोह् ा	श्री ब्रजबल्लभ बोह्‌रा
34	शीर्षक	तारांकिन	तारांकित
39	1	न्ज	रेन्ज
,,	अन्तिम से 3	निवनेन	निवेदन
41	14	थेकिद	ले किन
42	3 व 23	श्री रमदवे सिंह	श्री रामदेव सिंह
46	अन्तिम से 11	श्री जुझा सिंह	श्री जुझार सिंह
47	8	श्री नारयण सिंह	श्री नारायण सिंह
48	18	श्री वृद्धि चन	श्री वृद्धि चन्द्र
49	4	इस ा	इसका
51	1	श्री वृद्धि चन्द्र जन	श्री वृद्धि चन्द्र जैन
,,	4	सी गंगाराम	श्री गंगाराम
53	12	(बैक्लर आफ	बैचलर ऑफ
55	1	श्री बृज सुदर	श्री बृज सुन्दर
,,	16	फाजियो	फौजियों
57	अन्तिम से 5	बो ालद	बद्रीप्रसाद
58	4	क्य	क्या
,,	6	बांझ	बांध

1	2	3	4
60	6	छ.त्रायास	छात्रावास
65	6	श्री देवीला वसि	श्री देवीलाल बुरासिया
71	12	श्री देवीलाल वासिा	श्री देवीलाल बुरासिया
78	11	प्रधुरा	अधूरा
82	3	सूची	सूचियां
85	शीर्षक	प्रश्नोत्त र	प्रश्नोत्तर
,,	11	श्री हरजीराम बुरडक	श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं)
88	अन्तिम से 5	खेजडिय	खेजड़ियों
91	,, 8	गोसून्दा	घोसून्डा
97	,, 3	इं	गेहूं
105	,, 12	कई	कोई
106	11	जाने सम्बन्ध	जाने के सम्बन्ध
113	अन्तिम से 6	श्र रमच अर्य	श्री रामचन्द्र आर्य
119	16	हरेरा	हैरेस
121	,,	श्री ा म किन	श्री रामकिशन
123	शीर्षक	अधीक्षय	अध्यक्षीय
126	1	अधिनस्थ	अधीनस्थ
,,	14	आवेर ड्रापस	ओवर ग्राफ्ट्स
133	1	श्री भैरोंसिंह	श्री नत्थी सिंह
134	अन्तिम से 7	हाने	होने
135	1	श्री रामान्नद	श्री रामानन्द
139	13	ऐसे	ऐसी
,,	12	होती	होता
141	1	दोहरा ान	दोहरापन
,,	11	सिद्धान्तः	सिद्धान्ततः
142	शीर्षक	शासकी व वध्य	शासकीय वक्तव्य
147	1	उमें	उसमें
154	5	कनूनी	कानूनी
155	अन्तिम	पनियो	पतियों
160	अन्तिम से 12	श्र भै ों सिंह	श्री भैरोंसिंह
164	7	राम कि न	रामकिशन
166	17	वनें ो	बनेंगी
169	शीर्षक	ध ानाकर्षण	ध्यानाकर्षण
171	,,	1959	1969
181	4	नत्थी ि	नत्थी सिंह
189	,,	ा सि	1 सितम्बर
209	3	हडियो	हड्डियों
241 से 255 तक	शीर्षक	राजकीय	राज्य की
253	18	2211	22 112
,,	19	111	1 112

1	2	3	4
263	3	पड़ाड	पहाड़
274	7	ही	हो
279	3	नुकासा न	नुकसान
,,	अन्तिम से 15	छड	छोड़
282	5	बेलेड	बेलेन्स्ड
284	13	जा सकता	जाता
286	अन्तिम से 12	रग	रोग
,,	अन्तिम	एक आध ा लस	एक आध साल
288	1	पसा	पैसा
290	अन्तिम से 9 व 11	कडीलों	खडीनों
293	,, 15	उनका	उनको
294	,, 3	पाक रण	पोकरण
299	,, 13	कासा	कामों
303	11	भरोंसिहजी	भैरोंसिह जी
305			
306	अन्तिम से 14	गय	गये
307	,, 3	लान करवाये	एलान करवाये
308	15	श्री मलचन्द	श्री मूलचन्द
309	7	अर	और
310	17	श्री भैरसिंह	श्री भैरोंसिंह
318	14	महोद	महोदय
,,	16	वि यें क	विधेयक
320	अन्तिम से 4	साय	सायं
321	8	चिडावा	चिड़ावा
324	3	काया	बकाया
325	अन्तिम से 4	वय	क्या
326	10	पुर न	पुराण
327	अन्तिम से 12	अति-नियम	अधिनियम
329	17	याजना	योजना
330	अन्तिम से 9	अधिका ी	अधिकारी
332	12	श्री देवीलाल वु ा सिया	श्री देवीलाल बुरासिया
337	6	श्री भेरुदत्त ददीच	श्री भैरूदत्त दाधीच।